खण्ड-416, अंक-7
शुक्रवार, 7 श्रावण, शक संवत् 1917
(28 जुलाई, 1995 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1995)

खण्ड 416 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1995

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	घ
प्रश्नोत्तर	1
—प्रश्नों का उत्तर समय न दिये जाने पर आपत्ति—	15
—नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं—	123
—वाराणसी के काशी विद्यापीठ की सड़क खराब होने तथा नगर में यातायात संबंधी असुविधाओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	123
—लखनऊ पश्चिम क्षेत्र में बिजली जाने, पेयजल संकट होने तथा हैजे आदि बीमारी का भयंकर प्रकोप होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना.....	124
—तहसील बबेरु, बांदा में एक ही व्यक्ति द्वारा सैकड़ों एकड़ सरकारी भूमि हड़पने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना.....	124
—वाराणसी में हरिश्चन्द्र घाट पर स्थित बन्द पड़े विद्युत शवदाह गृह को चालू किये जाने तथा चिमनियों को ऊँचा किये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना.....	125
—भदोही तथा वाराणसी जनपद के प्राथमिक पाठशालओं में अध्यापकों की कमी होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना.....	125
—इलाहाबाद में जल निगम द्वारा हैण्डपम्पों को लगवाए जाने में हुई अनियमितता के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना.....	125
—प्रदेश में कार्यरत शैडो गनर का टी० ए०, डी० ए० फिक्स किये जाने से व्याप्त असंतोष के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना.....	126
—भदोही जनपद की स्थापना होने एवं उसके लिये घोषित बजट का धन उपलब्ध न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न.....	126
—प्रदेश में राज्य चीनी निगम की 15 इकाइयों को बेचे जाने के संबंध में शासन द्वारा भ्रामक उत्तर दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न.....(जारी)	129
—जनपद गोण्डा के अन्तर्गत ग्राम परियावां तहसील तरबगंज स्थिति पकड़ से जमया परियांवा से बन्धा मार्ग को पक्का कराये जाने विषयक की मथुरा प्रसाद पाण्डे की याचिका (उपस्थिति की गयी).....	138

विषय	पृष्ठ संख्या
—जनपद गोण्डा के अन्तर्गत ग्राम सभा नकहरा तहसील तरबगंज स्थित चौखड़िया से सेमरा मार्ग नकहरा तक मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री इन्द्रदेव पाण्डेय की याचिका.....(उपस्थित की गयी).....	139
—जनपद गोण्डा के अन्तर्गत नवाबगंज कटरा रोड से नगवा कल्याणपुर रीवां मार्ग को पक्का कराये जाने विषयक श्री सुरेन्द्र सिंह की याचिका (उपस्थित की गयी).....	139
—जनपद गोण्डा के अन्तर्गत नवाबगंज रींवा मार्ग पर तुलसीपुर माझा से रागी बन्धा मार्ग को पक्का कराये जाने विषयक श्री रुद्रपाल पाण्डेय की याचिका (उपस्थित की गयी).....	139
—जनपद गोण्डा के अन्तर्गत ग्राम परियांवा, तहसील तरबगंज स्थित बेलसर उमर्री बेगमगंज मार्ग से डिक्सिर होते हुए अमदही जाने वाले मार्ग को पक्का कराए जाने विषयक श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय की याचिका (उपस्थित की गयी).....	139
—कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव.....	140
—प्रदेश में राज्य चीनी निगम की 15 इकाइयों को बेचे जाने के संबंध में शासन द्वारा भ्रामक उत्तर दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न.....	143
—कार्य-स्थगन की सूचनाएं.....	148
—वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा तथा मतदान-अनुदान संख्या 49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 79-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण), अनुदान संख्या 80-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण अनुदान संख्या 81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण), अनुदान संख्या 87-सैनिक कल्याण विभाग.....(स्वीकृत)	171
—वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या 22-खेल विभाग, अनुदान संख्या 53-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, अनुदान संख्या 92-सांस्कृतिक कार्य विभाग,.....(स्वीकृत)	211
—कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव,.....(स्वीकृत)	218
—उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 1994 में उ० प्र० विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन पर विचार.....(पारित)	220

विषय	पृष्ठ संख्या
—उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1995 (पारित)	
—नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं.....	222
—प्रदेश के समस्त असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित करने के संबंध में श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर शिक्षा मंत्री का वक्तव्य,.....	224
—प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान के संबंध में श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर श्रम राज्य मंत्री का वक्तव्य,.....	225
—जनपद हरिद्वार में खतरनाक साहसिक ताइक्वांडों प्रतियोगिता के समय एक बालिका की मृत्यु के संबंध में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त एवं श्री सत्य प्रकाश विकल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य,.....	227
—जनपद फतेहपुर के क्षेत्र बिन्दकी में पेयजल संकट के संबंध में श्री अमरजीत सिंह जनसेवक द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पशुधन राज्यमंत्री का वक्तव्य,.....	228
—नत्थियाँ	238-259

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(ग्यारहवीं विधान सभा)

शुक्रवार, दिनांक 28-7-1995

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:–

1-अखलाख, श्री	मेरठ
2-अखिलेश, श्री	महाराजगंज
3-अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
4-अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
5-अनिल कुमार, श्री,	सीतापुर
6-अफजाल अन्सारी, श्री	गाजीपुर
7-अमर सिंह, श्री	अलीगढ़
8-अमर सिंह, श्री	सिद्धर्थनगर
9-अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ
10-अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
11-अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
12-अ० रईस, श्री	सुल्तानपुर
13-अरविन्द प्रताप सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद
14-अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
15-अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
16-अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर
17-अशोक कुमार सिंह चौधरी देवी, श्री	उन्नाव
18-अशोक वाजपेई, श्री	हरदोई
19-आर० के० चौधरी, श्री	इलाहाबाद
20-इन्द्रपाल सिंह, श्री	इटावा
21-इश्तियाक अहमद, श्री	बाराबंकी
22-उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर
23-उमाशंकर यादव, श्री	जौनपुर
24-उर्मिला देवी यादव, श्रीमती	मैनपुरी
25-ऊषा यादव, श्रीमती	एटा
26-ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर
27-ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर
28-ओम प्रकाश गुप्ता, श्री	सीतापुर
29-करन सिंह, श्री	मुरादाबाद
30-कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
31-काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़
32-किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
33-केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
34-गजाधर सिंह, श्री	रायबरेली
35-गौरी शंकर एडवोकेट	लखनऊ
36-चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा
37-छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
38-जगराम सिंह, श्री	कानपुर नगर
39-जटुरानी, श्रीमती	हरदोई
40-जयवीर सिंह भदौरिया, श्री	इटावा

41–जवाहर यादव उर्फ पंडित, श्री — इलाहाबाद
42–जितेन्द्र कुमार जायसवाल ऊर्फ पप्पू भइया, श्री — गोरखपुर
43–जुगेन्द्र सिंह, श्री — बदायूं
44–जोखू लाल यादव, श्री — इलाहाबाद
45–ज्वाला प्रसाद यादव, श्री — जौनपुर
46–तिलक राज बेहड़, श्री — नैनीताल
47–तेजपाल सिंह, श्री — बिजनौर
48–तेजपाल सिंह, श्री — मथुरा
49–दारोगा प्रसाद सरोज, श्री — आजमगढ़
50–दिलीप कुमार वर्मा, श्री — बहराइच
51–दीनानाथ चौधरी, श्री — बलिया
52–दीपक कुमार, श्री — उन्नाव
53–धनराज यादव, श्री — सिद्धार्थनगर
54–धनीराम वर्मा, श्री — इटावा
55–धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री — खीरी
56–नन्द लाल, श्री — सुल्तानपुर
57–नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री — कानपुर देहात
58–नसीरुद्दीन, श्री — फिरोजाबाद
59–निरवेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री — खीरी
60–परमानन्द दण्डी, स्वामी — रामपुर
61–परशुराम यादव, श्री — फैजाबाद
62–पारस नाथ यादव, श्री — जौनपुर
63–पूतू सिंह यादव, श्री — शाहजहांपुर
64–पूर्णमासी देहाती, श्री — देवरिया
65–प्रताप सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
66–प्रभा रावत, श्रीमती — गोरखपुर
67–प्रवीण सिंह ऐरन, श्री — बरेली
68–बनवारी सिंह, श्री — बदायूं
69–बरकत अली खां, श्री — सुल्तानपुर
70–बरफिया लाल जुवांठा, श्री — उत्तरकाशी
71–बलराम यादव, श्री — आजमगढ़
72–बाबू खां, श्री — हरदोई
73–बाबू राम यादव, श्री — मैनपुरी
74–बाबू राम वर्मा, श्री — बस्ती
75–बाल चन्द्र मिश्र, श्री — कानपुर नगर
76–बेनी प्रसाद, श्री — बाराबंकी
77–ब्रह्म शंकर त्रिपाठी, श्री — देवरिया
78–भगवती प्रसाद सागर, श्री — कानपुर देहात
79–मंजूर अहमद, श्री — बरेली
80–मण्डलेश्वर सिंह, श्री — आगरा
81–मदन गोपाल वर्मा, श्री — फतेहपुर
82–मदन भइया, श्री — मेरठ
83–मनोरमा, श्रीमती — कानपुर देहात
84–मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री — रायबरेली
85–मसूद अहमद, डा० — फैजाबाद
86–महबूब अली, श्री — मुरादाबाद
87–महराज सिंह यादव, श्री — इटावा
88–महिपाल सिंह यादव, श्री — बरेली
89–महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री — आगरा
90–मित्रसेन यादव, श्री — फैजाबाद

91–मीर अफजल अली
उर्फ अच्छे मियां, श्री — बदायूं
92–मुक्ति नाथ, श्री — देवरिया
93–मुख्तार अनीस, श्री — सीतापुर
94–मुनव्वर हसन, श्री — मुजफ्फरनगर
95–मुलायम सिंह यादव, श्री — फिरोजाबाद
96–मोहम्मद अरशद खान, श्री — जौनपुर
97–मोहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
98–मोहर सिंह, श्री — सहारनपुर
99–मोहसिन, डा० — गोरखपुर
100–यश पाल चौधरी, श्री — खीरी
101–रघुवीर सिंह, श्री — एटा
102–रतन पाल पंवार, श्री — मुजफ्फरनगर
103–रमाकान्त यादव, श्री — आजमगढ़
104–रमेश चन्द्र चंग्रल, श्री — फिरोजाबाद
105–रवीन्द्र प्रताप चौधरी
उर्फ पप्पू चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
106–राकेश सचान, श्री — कानपुर देहात
107–राज बहादुर, श्री — गाजीपुर
108–राजीव कुमार, श्री — नैनीताल
109–राजेन्द्र प्रसाद, श्री — लखनऊ
110–राजेश यादव, श्री — बदायूं
111–राधेश्याम, श्री — बाराबंकी
112–रानी देवा लता, श्रीमती — सहारनपुर
113–राम अधार यादव, श्री — महराजगंज
114–राम करन आर्य, श्री — बस्ती
115–राम तेज, श्री — बहराइच
116–राम दर्शन यादव, श्री — आजमगढ़
117–राम दास पाल, श्री — कानपुर देहात
118–राम देव पटेल, श्री — फैजाबाद
119–राम धनी, श्री — गाजीपुर
120–राम नरेश यादव, श्री — रायबरेली
121–राम प्रसाद, श्री — बस्ती
122–राम मूर्ति सिंह, श्री — शाहजहांपुर
123–राम लखन यादव, श्री — प्रतापगढ़
124–राम वीर सिंह, श्री — फिरोजाबाद
125–राम स्वरूप शर्मा, स्वामी — मथुरा
126–रामेश्वर दयाल, श्री — मैनपुरी
127–रिजवान जहीर खां
उर्फ रिज्जू भइया, श्री — गोण्डा
128–लाल बहादुर सिंह, श्री — प्रतापगढ़
129–वकार अहमद शाह, डा० — बहराइच
130–विक्रम सिंह, श्री — बलिया
131–विजय सिंह श्री — सोनभद्र
132–विनय कुमार पाण्डेय
उर्फ विन्नू, श्री — गोण्डा
133–विश्राम सिंह यादव, श्री — हरदोई
134–विश्वनाथ, श्री — देवरिया
135–वीर अभिमन्यू सिंह, श्री — फतेहपुर
136–वीरेन्द्र पाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
137–वीरेन्द्र मोहन सिंह, श्री — पीलीभीत
138–वीरेश्वर सिंह
उर्फ वीरेश यादव, श्री — अलीगढ़

139–शब्बीर अहमद, श्री बहराइच

140–शराफत यार खां, श्री बरेली

141–शाकिर, श्री देवरिया

142–शारदा नन्द अंचल, श्री बलिया

143–शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात

144–शिव प्रताप यादव, डा० गोण्डा

145–शिव बहादुर सक्सेना, श्री रामपुर

146–शिव सागर लाल, डा० उन्नाव

147–शूरवीर सिंह सजवाण, श्री टिहरी गढ़वाल

148–श्याम किशोर यादव, श्री लखनऊ

149–श्याम लाल रावत, श्री सीतापुर

150–श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा

151–श्रीराम यादव, श्री जौनपुर

152–संग्राम सिंह यादव, श्री बलिया

153–संदीप अग्रवाल, श्री मुरादाबाद

154–सज्जन पाल सिंह
उर्फ रज्जन पाल सिंह, श्री एटा

155–सतीश कुमार, श्री बिजनौर

156–सतीश भाटिया, श्री लखनऊ

157–सत्येन्द्र सिंह, श्री मुरादाबाद

158–सन्त बक्श रावत, श्री लखनऊ

159–समर पाल सिंह, श्री मुरादाबाद

160–समीर भाटी, श्री मुरादाबाद

161–सर्वराज सिंह, कुंवर बरेली

162–सावित्री देवी, श्रीमती जौनपुर

163–सिद्धराम सागर, डा० बरेली

164–सुखदेवी, श्रीमती इटावा

165–सुधीर कुमार बालियान, श्री मुजफ्फरनगर

166–सुन्दर पाल सिंह, श्री सीतापुर

167–सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री बांदा

168–सुरेश पासी, श्री प्रतापगढ़

169–स्वयंवर चौधरी, श्री सिद्धार्थनगर

170–स्वामी नाथ, श्री देवरिया

171–हरक सिंह रावत, श्री गढ़वाल

172–हरदेव सिंह, श्री बाराबंकी

173–हरी किशन, श्री कानपुर देहात

174–हरेन्द्र सिंह, ज्ञानी रामपुर

175–हाजी मोहम्मद हयात्, श्री मुरादाबाद

शुक्रवार, दिनांक 28 जुलाई, 1995

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री डी० आर० वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

प्रश्नोत्तर

(अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं०-1 पुकारे जाने पर)

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

माननीय, इण्टरमीडिएट का परीक्षाफल निकला है, उसके सम्बन्ध में नियम 56 में एक सूचना .....

श्री अध्यक्ष–

जिस नियम के तहत दी है, उसका वेट करें।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उ०प्र० में निजी लाटरियों पर लगे प्रतिबन्ध की जानकारी

**1.– श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री चन्द्रशेखर–

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में निजी लाटरियों के चलन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है? यदि हां, तो इस बारे में जारी किये गये शासनादेश की एक प्रति सदन के पटल पर रखते हुए कृपया बतायेंगे कि यह आदेश कब से प्रभावी है? इन प्रतिषिद्धित निजी लाटरियों तथा उनके मालिकों के नाम और पते क्या हैं?

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

जी हाँ।

उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत लाटरी (निवारण) अध्यादेश, 1995 जो विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना सं० 746/सत्रह-वि-1-2 (क)-12-1994 दिनांक 28-4-1995 द्वारा निर्गत किया गया है, की प्रति संलग्न[1] है। उक्त अध्यादेश के दिनांक 15-6-1995 से प्रवृत्त किये जाने की अधिसूचना दिनांक 19-5-1995 को निर्गत की गई है।

उक्त अध्यादेश के प्रवृत्त होने के फलस्वरूप प्रदेश में सभी निजी लाटरियाँ तथा प्रदेश सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा संचालकों के माध्यम से संचालित होने

---

[1] छापा नहीं गया।

वाली लाटरियाँ निष्द्ध हो गई हैं। ऐसी लाटरियों के मालिकों के नाम व पते की कोई अधिकृत सूचना सम्प्रति शासन के पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह लाटरियाँ बिना शासन की अनुमति के प्रचलित थीं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय अध्यक्ष जी, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अध्यादेश में यह था कि जो तिथि शासन तय करे उस तारीख से यह अध्यादेश प्रभावी होगा। सरकार ने यह अध्यादेश 19-5-95 को जारी कर दिया। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि इस अध्यादेश के जारी होने के बाद भी बड़े पैमाने पर निजी लाटरियाँ व अन्य प्रदेशों की लाटरियाँ एजेंसियों के माध्यम से प्रदेश में चलाई जा रही हैं, इसको रोकथाम के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? अध्यादेश में कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, उनको प्रभावी करने के लिये सरकार द्वारा क्या काम किया जायेगा ? दूसरा यह कि इस प्रश्न की मूल भावना यह है कि लाटरियों का जो जुआ है इससे समाज में एक बड़ा बुरा कुप्रभाव उत्पन्न हो गया है। उसको देखते हुए जब तक सरकारी लाटरियाँ भी बन्द नहीं होतीं तब तक मात्र निजी लाटरी बन्द होने से मूल उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। इस लाटरी को बन्द करवाने के लिये क्या प्रभावी उपाय किये जायेंगे ? दूसरा जो सरकारी लाटरी उत्तर प्रदेश की चलती है उसे प्रभावी रूप से बन्द करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमान् जो अध्यादेश जारी किया गया था उसकी धारा-6 में साफ व्यवस्था है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 29 में दी गयी किसी बात के होते हुए भी किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिये धारा-4 के अधीन दण्डनीय किसी व्यक्ति को पाँच हजार रुपये से अधिक के जुर्माने का दण्ड देना विधि पूर्ण होगा। श्रीमन् उसमें आगे तलाशी और अन्य व्यवस्थाएं हुई जो आदरणीय गुप्ता जी ने पढ़ ली होंगी और इसीलिये अलग से किसी और प्रभावी कार्यवाही को मैं समझता हूँ कि आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। इस अध्यादेश में जो प्राविधान हैं उनके अनुरूप संबंधित अधिकारियों को कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जैसा प्रश्न के मूल उत्तर में कहा गया है जहां तक सरकारी लाटरी बन्द होने का तात्पर्य है इस संबंध में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा भारतीय संविधान में अनुसूची-7 में यह व्यवस्था है कि भारत सरकार के विधायन के अधिकार क्षेत्र में जो बिन्दु आते हैं, पूरी सूची दी गई है और बिन्दु-40 में लाटरी के बारे में कानून बनाने का अधिकार भारत सरकार को है आप सहमत होंगे यदि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी लाटरी बन्द कर दे जिससे समाज कल्याण की तमाम व्यवस्थाओं के राजस्व जुटाती है, तब भी अन्य राज्यों की लाटरी को उत्तर प्रदेश सरकार बन्द नहीं कर सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित लाटरियों को बन्द करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।

श्री चन्द्रशेखर–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं यह सरकार गरीबों के हितों के लिए काम कर रही है गरीबों के हित का इससे बड़ा क्या काम होगा देहात में छोटे-छोटे कस्बे हैं.....

श्री अध्यक्ष–

चर्चा नहीं सवाल पूछें, कल विस्तार से बातचीत हुई है।

श्री चन्द्रशेखर–

लाटरी को बन्द कराना बहुत जरूरी है। इस पर माननीय मंत्री जी ध्यान देने की कृपा करें। गरीब लोग बरबाद हो रहे हैं गरीबों के हितों को ध्यान में रखकर लाटरी को बन्द कराना परम आवश्यक है तो क्या मंत्री जी लाटरी को बन्द करवाने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष–

आपका सुझावात्मक सवाल है। कल इसमें काफी विशद् चर्चा हो गई थी।

श्री जगदम्बिका पाल–

कल इस विषय को कार्यस्थगन में ग्राह्यता के रूप में सुना था यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार यदि लाटरी को बन्द कर भी दे तो उत्तर प्रदेश की सीमा में जो अन्य राज्यों की लाटरी प्रचलित हैं उनको बन्द नहीं कर सकते हैं तो क्या मंत्री जी कृपा पूर्वक यह दिलवाने की कृपा करेंगे कि पंजाब या अन्य प्रदेशों में जिन्होंने सरकारी लाटरी बन्द करने का निर्णय लिया है यदि उन राज्यों ने दूसरे प्रदेश की लाटरी को भी बन्द कराने का निर्णय लिया है तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार उसी प्रकार निर्णय लेगी?

श्री अध्यक्ष–

यह सवाल निजी लाटरी से संबंधित है। आपने सरकारी लाटरियों के विषय में सवाल किया है। यदि संसदीय कार्य मंत्री जी जवाब देना चाहें तो दे दें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

अन्य प्रदेशों ने किस प्रकार से अपने प्रदेश में लाटरी व्यवसाय को बन्द किया है यह जानकारी हमें नहीं है। लाटरी के विषय में कानून बनाने की शक्ति भारत सरकार को है ऐसा संविधान में भी है। इस सरकार को कानून बनाने की शक्ति नहीं है।

श्री सत्य प्रकाश त्रिपाठी–

मान्यवर, प्रश्न निजी लाटरी के बारे में है मैं निजी लाटरी के बारे में कहना चाहता हूं अध्यादेश के दिनांक 15-6-95 से प्रवृत्त किये जाने की अधिसूचना दिनांक 19-5-1995 को

लागू की गई है। निजी लाटरी हर शहर हर देहात में बिक रही है उसके लिए दण्ड का प्राविधान है लेकिन प्राविधान कागज पर होने से क्या होगा? अध्यादेश की भावना के अनुसार जो गरीबों का इससे उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है। निजी लाटरियों को पूर्णतः बन्द कराने के लिए क्या यह व्यवस्था मंत्री जी करेंगे कि जिन थाना क्षेत्रों में निजी लाटरियाँ चल रही हैं उन थाना क्षेत्रों के प्रभारी को जिम्मेदार बनायेंगे जिससे उनके क्षेत्र में लाटरी न चले?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

माननीय विकल जी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अलग से सरकार एक आदेश जिला मजिस्ट्रेटों को जारी करवा देगी। अगर कहीं अध्यादेश का उल्लंघन हो रहा है तो अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाएगा कि वह देखें कि आदेश का कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा है।

श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस समय निजी लाटरियों की कितनी एजेंसी काम कर रही हैं और इन निजी लाटरियों पर रोक लगाने में कौन-सी कठिनाइयाँ आ रही हैं?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमान् निजी लाटरियों पर रोक पहले से ही है। इस समय जो निजी लाटरियों का व्यवसाय हो रहा है वह अवैध है। अब जब यह अवैध है तो कैसे पता चल जाएगा अब अगर कोई यह पूछे कि इस समय अवैध अखाड़े कितने हैं? सरकार के पास इसकी सूचना नहीं है। अगर कोई अवैध व्यवसाय कर रहा है तो आप उसकी सूचना दें, उस पर कार्यवाही की जाएगी।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि निजी लाटरियों पर रोक लगी है। अगर रोक लगी है तो मंत्री जी इसके बारे में बताने का प्रयत्न करेंगे कि जो लाटरियों के टिकट बिक रहे हैं वह अवैध है अगर वह अवैध है तो उन पर कल सवेरे तक कार्यवाही कर देंगे कि वह नहीं बिकेंगे।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

शायद माननीय सदस्य का यह कहना है कि जो टिकट बिक रहे हैं वह अवैध हैं।

श्री शिवप्रताप शुक्ल–

मैं अपने प्रश्न को फिर दोहरा देता हूँ। मंत्री जी ने अभी स्पष्ट रूप से कहा है कि निजी लाटरियों पर रोक लगी है। उसके बावजूद निजी लाटरियों के टिकट हर जगह हर

चौराहे पर शहर में धड़ल्ले से बिक रहे हैं और अगर आप कहें तो इसी समय जाकर खरीदकर ला दूँ। उनका बाकायदा रिजल्ट निकलता है। एक दिन में अखबार तो एक बार पढ़ने को मिलता है लेकिन उनके अखबार चार बार पढ़ने को मिल जाएगा। क्या मंत्री जी इस बात से सदन को आश्वस्त करेंगे कि कल सवेरे से अखबारों में जो चार बार निकलता है वह बन्द हो जाएगा?

श्री अध्यक्ष–

निजी लाटरियों या सरकारी लाटरियों की?

श्री शिवप्रताप शुक्ल–

मैंने केवल निजी लाटरियों की बात की है।

श्री उदयभान सिंह–

मान्यवर, लखनऊ शहर में ही जनपद के सामने खुलेआम निजी लाटरियों के टिकट बिक रहे हैं।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

एक अलग से आदेश सभी जिलाधिकारियों को निर्गत कर दिया जाएगा जहाँ इसके बारे में अनियमितता पाई जाएगी वहां अध्यादेश के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। (कई सदस्यों के एक साथ प्रश्न पूछने पर)

श्री अध्यक्ष–

इस पर काफी चर्चा भी कल हो चुकी है। आप सब लोग बैठ जाएं।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इसके बारे में मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

पाल साहब आप बैठ जाएं। इस पर अन्तिम प्रश्न श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त कर सकते हैं।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मुझे एक प्रश्न कर लेने दें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आप अनुमति नहीं दे रहे हैं इसलिये मैं दल के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन करता हूँ।

(माननीय जगदम्बिका पाल अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से चले गये।)

डा० सरजीत सिंह डंग–

माननीय, माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि वह मेरे साथ चलें विधान सभा से 100 गज की दूरी पर लाटरियां बहुत बड़े पैमाने पर चल रही हैं। मंत्री जी अपने चश्में से इसे देख रहे हैं।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

माननीय, डाक्टर साहब हमारे मित्र हैं, जहां कहेंगे, चलूँगा। अमुक जगह पर लाटरी चल रही है, अमुक जगह लाय चल रही हैं, जहां कहेंगे मैं चलूँगा हम लोग रोज साथ बैठते हैं। वह विधिमंत्री विधान के अध्येता हैं, अगर उनका चश्मा गड़बड़ होगा तो यह उनकी गलती है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

माननीय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष–

काफी समय इस पर हो चुका है। कल इसी विषय पर विशद् चर्चा हुई थी।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

माननीय, माननीय मंत्री जी ने हाउस में कहा है कि प्राइवेट लाटरियाँ रोकने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। माननीय, अगर सरकार ईमानदार है तो जहां पर कोई भी प्राइवेट लाटरी चल रही है यदि वह पकड़ी जाती है तो क्या वहां के अधिकारियों को भी दंडित करने की कार्यवाही करेंगे। जब तक ईमानदारी से यह कानून लागू नहीं किया जायेगा तब तक लाटरी पर रोक नहीं लगेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह सदन की संपत्ति बन गया है इसलिये उनके उत्तर के संबंध में मैं प्रश्न करूँगा। माननीय मंत्री जी ने कहा कि अनुसूची-7 बाधक है और केन्द्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। पान गलत ने कहा है कि महाराष्ट्र और दिल्ली में कानून बन गया है और लाटरियों पर रोक है। आपने उस पर कोई आश्वासन नहीं दिया कि उसका अध्ययन करेंगे। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कानून बाधक होते हुए भी, क्या उत्तर प्रदेश सरकार आज सरकारी लाटरी को भी प्रतिबंधित करने के लिये सिद्धांतः सहमत है, यह मैं जानना चाहता हूँ। यदि सहमत है तो दिल्ली और महाराष्ट्र के मामलों का अध्ययन कर इस मामले में कोई कानून बनाने की कृपा करेंगे? दूसरे अनुसूची-7 के हिसाब से यह अन्तर्राज्यीय व्यापार समझा जायेगा इसलिये केन्द्र सरकार को

कानून बनाने का हक है। हमारे नियमों में व्यवस्था है कि अगर कोई माल हमारे यहां आना है तो उसे रोकने के लिये हमें अधिकार है। उसको डिसकरेज करने के लिये हमें टैक्स लगाने का अधिकार है। इन सब उपायों का इस्तेमाल दूसरे राज्यों की लाटरियों को हतोत्साहित करने के लिये किया जायेगा। क्या सरकार सरकारी लाटरी को बंद करने के लिये सिद्धांतः सहमत है ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय गौर जी ने एक सवाल किया था कि जहां निजी लाटरियां चल रही हैं क्या सरकार उस संबंध में निर्देशित करेगी और दूसरा सवाल गुप्त जी ने किया है, दोनों का उत्तर दे दें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन् प्रधान मंत्री जी ने एक बैठक सभी मुख्य मंत्रियों की बुलायी थी और उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रधान मंत्री जी से अनुरोध किया गया था। चूंकि इस संबंध में विधायन का अधिकार भारत की संसद को है इसलिये उनसे इस संबंध में विस्तार से कानून बनाने का सुझाव दिया गया था। जहां तक माननीय गुप्त जी ने जो यह कहा कि अन्य राज्यों में कैसी व्यवस्था है इसका अध्ययन किया जाय तो उनके यह सुझाव स्वागत योग्य है। उनके इस सुझाव का सम्मान करते हुये हम अन्य राज्यों में कैसे लाटरियों पर रोक लगायी गयी है उसका अध्ययन करवा लेंगे। डाक्टर साहब ने जैसा कहा, जहां-जहां निजी लाटरियों की बिक्री हो रही है वह सरकार के संज्ञान में नहीं है। मैंने आश्वस्त किया है कि अध्यादेश के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को आज ही इस बात के निर्देश जारी करवा दिये जायेंगे कि वह कड़ाई से कानून का पालन सुनिश्चित करायें।

(अल्पसूचित ता०प्र०सं०-2 पुकारे जाने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, क्षमा कीजियेगा, मैंने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर नहीं आया है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। मैंने सवाल किया है क्या सरकार सिद्धांतः सरकारी लाटरियों पर प्रतिबंध लगाने के लिये सहमत है? मुख्य मंत्रियों की बैठक हुई उसमें क्या डिसीजन्स थे उसके बारे में मैं जानना नहीं चाहता। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का दृष्टिकोण क्या है? मान लीजिये कल भारत सरकार ने तय किया कि कानून नहीं बनायेंगे तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें कुछ दृष्टिकोण देगी। जिन मुख्य मंत्री के समय में यह बैठक हुई वह अब पूर्व मुख्य मंत्री हो गये हैं। जो उन्होंने बयान दिया था वह कालातीत हो गया है। मैं जो राज्य सरकार वर्तमान में है उससे यह जानना चाहता हूँ कि सरकारी लाटरी पर क्या यह रोक लगाने के लिये सिद्धांतः सहमत हैं ?

श्री अध्यक्ष–

यह सवाल निजी लाटरियों से संबंधित है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है और वह सदन की संपत्ति बन गया है। उसी उत्तर के संबंध में मैंने अनुपूरक प्रश्न पूछा है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित--

मान्यवर, जैसा कि आदरणीय गुप्ता जी ने सुझाव दिया था कि अन्य राज्यों में लाटरियों पर कैसे प्रतिबन्ध लगाया गया है उसका भी सरकार परीक्षण कर ले तो मैंने स्पष्ट आश्वासन दे दिया है कि अन्य राज्यों में कैसे रोक लगायी गयी है उसका परीक्षण कर लेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार से पहले से ही अनुरोध कर रही है कि कानून बनाया जाय इसके अतिरिक्त अन्य सदस्यों की जो भावनाएं हैं उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए इस पूरे प्रकरण पर सरकार विचार कर ले।

प्रदेश में त्वरित न्याय हेतु उठाए जा रहे प्रभावी कदम की जानकारी

**2 -- श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, श्री नरेश अग्रवाल तथा श्री राजकुमार शिवहरे--

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में त्वरित न्याय हेतु कौन से प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं? क्या मुकदमों की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर होगी? यदि हां, तो कब तक और कैसे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हृदय नारायण दीक्षित--

वादकारियों को सुलभ, सस्ता एवं शीघ्र न्याय दिलाने हेतु 9 जनपदों लखनऊ, कानपुर, झाँसी, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, बरेली एवं वाराणसी में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की जा चुकी है तथा मण्डलीय स्तर पर फैजाबाद, मुरादाबाद, आजमगढ़, पौड़ी गढ़वाल व नैनीताल में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना का प्रस्ताव भारत के विचाराधीन है। तहसील मुख्यालयों पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय स्थापित किये गये हैं। 16 अतिरिक्त लघुवाद न्यायालयों की स्थापना की गयी है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम हेतु विशेष न्यायालयों को विनिर्दिष्ट किया गया है। मण्डलीय स्तर पर सतर्कता अधिष्ठान द्वारा अन्वेषित भ्रष्टाचार अधिनियम के मुकदमों की सुनवाई हेतु पाँच अपर जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापना की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 55 अपर जिला एवं सत्र न्यायालयों की भी अलग से स्थापना की गयी है। केन्द्रीय अधिनियमों के अंतर्गत उद्भूत आर्थिक अपराधों के निस्तारण हेतु चार विशेष न्यायालयों की स्थापना की जा रही है। साम्प्रदायिक दंगों से संबंधित अपराधों के विचारण हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेटों/सेशन जजों को मामलों की प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के आदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए हैं तथा लोक अदालतों के माध्यम से भी मुकदमों को निपटाया जा रहा है।

जी हाँ।

मा० उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मुकदमों की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो विवरण माननीय मंत्री जी ने सुनाया है उसमें कुल कितने मुकदमें माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं? मान्यवर, मेरा जो प्रश्न है उसकी मंशा आप समझ गये हैं और दूसरा प्रश्न यह है कि जो पारिवारिक न्यायालय की स्थापना की बात आपने कही है तो उसकी स्थापना कब हुई है और उनमें कुल कितने मुकदमें दाखिल किये गये हैं और कितने मामलों का निस्तारण हुआ? तीसरा प्रश्न है कि मंडलीय स्तर पर जो पारिवारिक न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव शासन के पास विचाराधीन है वह कब से विचाराधीन है और कब से क्रियान्वयन कराया जायेगा? मान्यवर, माननीय मंत्री जी विद्वान हैं वह सारे प्रश्नों का उत्तर एक साथ दे देंगे मैं चौथा प्रश्न भी पूछे लेता हूँ। मेरा चौथा प्रश्न है कि आपने प्रत्येक तहसीलों में मुंसिफ मजिस्ट्रटों के न्यायालयों की स्थापना की बात कही है। मैं स्पष्ट तौर से जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं और इन तहसीलों में कितनी ऐसी तहसीलें हैं जिनमें तहसील मुख्यालय पर मुंसिफ न्यायालय की स्थापना नहीं की गयी है और वहां कब तक मुंसिफ न्यायालय की स्थापना कर दी जायेगी? इन चारों बिन्दुओं का उत्तर आ जाय तो एक बार फिर अनुमति दे दीजिएगा जिससे सारी बातें स्पष्ट हो जाये।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन् तहसील स्तर पर 114 न्यायालय है और तीन और स्थानों पर जिसमें भोगनीपुर, बहेड़ी और एक स्थान और है जिसको मैं सूचित नहीं कर पा रहा हूँ इन स्थानों पर और मुंसिफ कोर्ट खोले जाने का प्रस्ताव है और श्रीमन् पारिवारिक न्यायालयों के बारे में, माननीय मल्ल जी ने जो सवाल किये हैं, मैंने पहले भी बताया कि लखनऊ, कानपुर, झाँसी, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद बरेली और वाराणसी में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की गयी है और मण्डलीय स्तर पर फैजाबाद, मुरादाबाद, आजमगढ़, पौड़ी गढ़वाल व नैनीताल में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है। कहीं पर भी इस प्रकार के न्यायालयों के खोले जाने के लिये मानकों की आवश्यकता होती है, जैसे रेजीडेन्शियल क्वार्टर्स हैं या कार्यालय के भवन आदि, तो वह जैसे ही पूरी हो जायेगी, तो शीघ्र ही वहां न्यायालय खोल दिये जायेंगे।

श्री नरेश अग्रवाल–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 5 तरह के न्यायालयों का जिक्र किया है, तो इनमें कितने मुकदमें विचाराधीन है और यह भी बतायेंगे कि एक मुकदमें के निस्तारण में कितना समय लगता है और जितने मुकदमें हैं, उनके निस्तारण में कुल कितना समय लगेगा? मुकदमों के निस्तारण में विलम्ब होने से वादी का इन न्यायालयों से विश्वास हटता

जा रहा है, तो क्या सरकार इन सारे मुकदमों की संख्या को देखते हुये पंचायत स्तर पर पंचायत अदालतों को मुकदमें देने के लिये विचार कर रही है? श्रीमन् एस०डी०एम० को आई०पी०सी० के अधिकार दिये गये थे, अब उन अधिकारों को उनसे वापस ले लिया गया है, क्या उन आई०पी०सी० के मुकदमों की उनको देने पर सरकार विचार करेगी?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, लम्बित मुकदमों की सूचना मेरे पास इस समय नहीं है। इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी। मान्यवर, जहां तक श्री नरेश अग्रवाल जी का प्रश्न है कि एक मुकदमें के निस्तारण में कितना समय लगता है, तो मैं बताना चाहता हूं कि विधि की एक प्रक्रिया है, गवाहों के बयान लेने होते हैं, पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद ही निर्णय किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में समय निर्धारित करना कठिन है, तथा मैं यह समझता हूं कि सरकार की ओर से अगर माननीय न्यायालय को निर्देश चले जाते हैं तो ठीक नहीं होगा।

श्री नरेश अग्रवाल–

मैंने निर्देश की बात नहीं कही है, मैंने अन्दाज पूछा है। आप इसको क्यों घुमा रहे हैं?

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय मंत्री जी ने और अग्रवाल जी ने एक बात कही, निर्देश शब्द आया है। आप मुकदमें की मैरिट पर न कहें, लेकिन यह निर्देश शासन की ओर से जा सकते हैं कि मुकदमों का निस्तारण शीघ्र किया जाये, इतने दिनों के अन्दर किया जाये। सरकार इस प्रकार के निर्देश देने में सक्षम है, इसमें न्यायालय की मानहानि नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष–

इसका उत्तर आ जाये।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

तो मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि मुकदमों के निस्तारण के सम्बन्ध में जो प्रश्न किया गया है, तो यह सही है किसी मामले के निस्तारण के सम्बन्ध में निर्देश जा सकते हैं, कोई विशेष प्रकार का वाद हो, तो कहा जा सकता है कि इन मुकदमों को एक निश्चित अवधि में निबटा दिया जाये। सभी मुकदमों में इस तरह का निर्देश दिया जाना ठीक नहीं होगा और शीघ्रता में वाद के बारे में सम्यक् परीक्षण भी नहीं हो पायेगा, तो सरकार की ओर से इस प्रकार के निर्देश दिया जाना ठीक नहीं होगा। (व्यवधान) पंचायत वाले सवाल पर अलग से सवाल कर लें।

श्री राजकुमार शिवहरे–

मान्यवर, तहसील स्तर पर जो मुंसिफ न्यायालय हैं, किन-किन जगहों पर मुंसिफ बैठते हैं .....

श्री अध्यक्ष–

इसका जवाब तो आ गया था कि सभी तहसीलों में मुंसिफ मजिस्ट्रेट नहीं बैठते हैं।

श्री राजकुमार शिवहरे–

जहां नहीं बैठते हैं उनमें कब तक व्यवस्था कर दी जायेगी?

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी एक यह अग्रवाल जी का .....

श्री राजकुमार शिवहरे–

मान्यवर, मुंसिफों के लिये सभी जगहों पर बैठने की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी, इसका उत्तर दिलवायें?

श्री अध्यक्ष–

उनका यह सुझावात्मक प्रश्न था, न्याय पंचायतों के पुनर्गठन करने के सम्बन्ध में था, दूसरा सवाल उनका था, जो इस सवाल से सम्बन्धित तो नहीं है, एस०डी०एम० को सी०आर०पी०सी० के तहत, जब एमेंडमेंट नहीं हुआ था, आई०पी०सी० के मुकदमों को देखने का अधिकार था, क्या ऐसा करने के लिये सरकार सोच रही है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, परगनाधिकारी सीधे उत्तर प्रदेश शासन का प्रतिनिधि माना जाता है, अगर वह आई०पी०सी० के फैसले सुनने लगेगा तो इससे एक ऐसा वातावरण बनेगा कि सरकार के दबाव में कोई मुकदमा निर्णीत कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में कोई विचार नहीं हो रहा है। जहां तक उन्होंने न्याय पंचायतों के माध्यम से स्थानीय स्तर के मुकदमों को निपटाये जाने की बात कही है, यह सुझाव अच्छा है, इस पर सरकार विचार कर लेगी।

(अगला प्रश्न पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायें अगला सवाल ले लिया है, इन पर 30 मिनट का समय है, मैंने 32 मिनट दे दिया है।

(शुक्रवार, दिनांक 28 जुलाई, 1995 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न)

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद्, हरदोई द्वारा निर्मित अविकसित मकानों का आवंटन

*1— श्री जमुना प्रसाद मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि गत वर्षों से उ०प्र० आवास विकास परिषद्, हरदोई द्वारा निर्मित मकानों को बिना विकसित किये ही आवंटियों को आवंटित कर दिये गये

है जबकि परिषद् द्वारा आवंटियों से विकसित भवनों के नाम से धनराशि का भुगतान प्राप्त किया गया है? क्या कई वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी उक्त कालोनी की नालियां, खड़ंजा व पार्क का निर्माण अभी तक नहीं कराया गया है? यदि हां, तो क्यों? उक्त आवास विकास कालोनी को कब तक विकसित करा दिया जायेगा?

नगर विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री रामकिशोर बिन्द)–

हरदोई नगर में परिषद् द्वारा संचालित योजनाओं में निर्मित भवनों का आवंटन कुछ सड़कों की प्रीमिक्सिंग के कार्य को छोड़कर शेष आवश्यक जनसंकार्य विकसित करने के उपरांत ही किया गया है।

योजनाओं में आवंटित भवनों के क्षेत्र में नालियों, खड़ंजा व पार्क का निर्माण कार्य पूर्ण है केवल कुछ भाग के सड़क की प्रीमिक्सिंग का कार्य शेष है।

अवशेष सड़क की प्रीमिक्सिंग का कार्य वर्षा ऋतु के बाद पूर्ण करा दिया जायेगा।

श्री जमुना प्रसाद मिश्र–

जैसा कि मान्यवर उत्तर में कहा गया कि कुछ सड़क की प्रीमिक्सिंग का कार्य शेष है तो यह बताने का कष्ट करें कि कितनी सड़क की प्रीमिक्सिंग का कार्य बाकी है वह कब तक पूरा हो जायेगा?

श्री राम किशोर बिन्द–

मान्यवर, तीन किलोमीटर प्रीमिक्सिंग का कार्य शेष है, यह कार्य वर्षा ऋतु के बाद पूर्ण हो जायेगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसके संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह असत्य रिपोर्ट जो उन्हें प्राप्त हुई है, यह किस अधिकारी ने तैयार करके भेजी है तथा किसी अन्य उच्च अधिकारी द्वारा इस भेजी गयी रिपोर्ट की छानबीन कराने का कष्ट करेंगे?

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना आपको मंत्री जी दे रहे हैं अगर आपको इससे संतुष्टि नहीं है तो आप अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्देश के तहत लिखकर दें।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं चैलेन्ज के साथ कहता हूँ कि जिसने भी यह रिपोर्ट भेजी है असत्य भेजी है और वहां कि स्थिति बड़ी नारकीय बनी हुई है। मेरी बात को सच मानते हुए किसी

दूसरे उच्च अधिकारी को भेजकर दिखवायेंगे और अगर दिखवायेंगे तो उसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

अगर सूचना गलत दी गयी है तो आप निर्देश 168-166 के तहत लिखकर दे दें उसका परीक्षण करवा लिया जावेगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जो सूचना दी गयी है उसकी कापी नहीं है। माननीय मंत्री असत्य नहीं बोल सकते क्योंकि वह सदन में बोल रहे हैं और माना यह जाता है कि जो भी वह सदन में कहेंगे यह सच ही कहेंगे। उन्हें जो सूचना दी गयी है वह असत्य है इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि इसकी जाँच किसी दूसरे उच्च अधिकारी से करवायें ?

श्री राम किशोर बिन्द–

मान्यवर, इसको हम दिखवा लेंगे।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो हरदोई में आवास विकास परिषद् की योजनाएं चल रही हैं यह योजनाएं कब से शुरू हुई और इसमें कितने मकान निर्मित होने थे और अब तक कितने मकान निर्मित हुए ?

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न से संदर्भित नहीं है।

श्री नरेश अग्रवाल–

यह कहते हैं कि मकान आवंटित कर दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

सवाल यह था कि आवास एवं विकास परिषद् हरदोई द्वारा निर्मित मकान, बिना विकलांग किए ही, आवंटियों को आवंटित कर दिये गये हैं ?

श्री नरेश अग्रवाल–

ठीक है, मान्यवर, मैं यह पूछ लेता हूँ कि क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि हरदोई आवास विकास परिषद् योजना में कितनी सड़कें बना दी गयी हैं और उसके अन्तर्गत कितने मकान तैयार किये थे और उसमें कितने आवंटित हुए ?

श्री राम किशोर बिन्द–

मान्यवर, कुल 8 किलोमीटर सड़क है जिसमें से 5 कि०मी० सड़क का कार्य पूरा हो चुका है और शेष 3 कि०मी० सड़क का कार्य बरसात के बाद पूर्ण करा दिया जावेगा और पूरे 610 भवन निर्मित हुए हैं जिसमें से 515 का आवंटन हुआ है।

श्री नरेश अग्रवाल–

माननीय, हम कुछ मंत्री जी से सीखना चाहते हैं और आप सीखने नहीं दे रहे हैं।

सम्पत्ति अधिकारी आवास विकास परिषद् मुरादाबाद द्वारा अपात्र व्यक्तियों को सम्पत्ति आवंटित किये जाने की शिकायत

*2— श्री समरपाल सिंह (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्पत्ति अधिकारी आवास विकास परिषद, मुरादाबाद द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन के बुद्धी बिहार कालोनी, आवास विकास अकोला, मुरादाबाद में अक्टूबर, 1994 व नवम्बर, 1994 में भूखण्ड/भवन संख्या : 3-बी/301, 3-सी/317, 3-सी/316, 3-सी/314, 3-सी/315 आवंटित किये गये हैं जबकि वर्षों पूर्व पंजीकृत पात्र व्यक्तियों को आवंटन नहीं किया गया? यदि हां, तो क्या उक्त अनियमितता के लिये दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

प्रश्नगत सम्पत्तियों में से अक्टूबर, 1994 के आवंटन में किसी पंजीकृत/अपंजीकृत श्रेणी को सम्पत्ति आवंटित नहीं की गयी है। वास्तव में प्रश्नगत सम्पत्तियों को प्रथम बार दिनांक 30-8-94 के आवंटन में प्रस्तुत किया गया था जिनको पंजीकृत व्यक्तियों को ही नियमानुसार आवंटित किया गया है।

केवल सम्पत्ति संख्या–3-बी/301 जो 30-8-94 के आवंटन के पश्चात् निरस्तीकरण के फलस्वरूप रिक्त अवशेष सम्पत्ति है का आवंटन अपंजीकृत व्यक्ति को दिनांक 23-11-94 को किया गया है।

सम्पत्ति संख्या-3-बी/301 के आवंटन के प्रकरण की जाँच कराई जा रही है।

मिर्जापुर नगरपालिका के छूटे हुए भाग में कार्य योजना के द्वितीय चरण में हुए कार्यों की जानकारी

*3— डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर नगरपालिका के छूटे हुए भाग में गंगा कार्य योजना के द्वितीय चरण में सीवर लाइन बिछाने, पेयजल की व्यवस्था करने, शौचालय निर्माण इत्यादि के कार्य किये जायेंगे? यदि हां, तो मिर्जापुर नगर में द्वितीय चरण में होने वाले कार्यों का विवरण और इन कार्यों को पूर्ण करने के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत है? उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिये जायेंगे?

श्री राम किशोर बिन्द–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैंने नगर विकास से संबंधित आज 3-4 प्रश्न पूछे थे।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूँ। जब सूचना एकत्र हो जायेगी, तब फिर लिया जायेगा। प्रश्न संख्या-3 पर माननीय मंत्री जी का उत्तर था सूचना एकत्र की जा रही है; इसलिये मैं इसको स्थगित करता हूँ।

प्रश्नों का उत्तर समय से न दिये जाने पर आपत्ति

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, सूचना एकत्र की जा रही है, का उत्तर दिया जाना, यह परिपाटी गलत है। मुझे स्मरण है कि पंचायत राज एवं संसदीय कार्य मंत्री जी ने खड़े होकर इस सदन में आश्वासन दिया था कि इस तरह के उत्तर हमारी सरकार में नहीं आयेंगे। आज 5 सवालों में 3 में यही उत्तर आया है, लगता है कि सरकार का नियंत्रण नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

मेरी व्यवस्था को सुन लें और डंग जी आप बैठ जायें। मैं निर्देश दे रहा हूँ। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आगे से यह सुनिश्चित करायें कि माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछते हैं, उनका समय से उत्तर आ जाय, उसमें इस तरह की परिपाटी न पैदा की जाय कि सूचना एकत्र की जा रही है। जो सवाल समय से लगाये जायें, उनका उत्तर भी समय से आना चाहिये।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, आपका निर्णय शिरोधार्य है। यह जो 3 प्रश्न, जिनमें जवाब आया है, सूचना एकत्र की जा रही है, उनका परीक्षण कराया जायेगा कि निर्धारित समय में इनका जवाब क्यों नहीं आया? जो अधिकारी इनका उत्तर समय से न देने के दोषी पाये जायेंगे, उनके खिलाफ सरकार कड़ी कार्यवाही करेगी।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

नजूल की भूमि पर निजी स्वामित्व स्थापित करने की जानकारी

*4. श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या मुख्य मंत्री कृपा करेंगे कि नजूल की भूमि पर निजी स्वामित्व स्थापित करने की कोई कार्य योजना सरकार ने तैयार की है? यदि हां, तो वह योजना क्या है?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री राम किशोर दिनकर)--

जी हां।

नजूल भूमि पर निजी स्वामित्व प्रदान किये जाने हेतु शासन द्वारा पट्टे पर आवंटित नजूल भूमि, स्थानीय निकाय द्वारा किराये पर आवंटित नजूल भूमि एवं रिक्त नजूल भूमि को मास्टर प्लान में निर्धारित भू-उपयोग के अनुसार फ्री-होल्ड किये जाने की नीति लागू की गयी है। इस नीति के अन्तर्गत पट्टे एवं किराये पर आवंटित भूमि को दिनांक 30-11-91 की सर्किल रेट पर निम्न चार्ट में अंकित दर प्राप्त कर फ्री-होल्ड की कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

भूमि का उपयोग	पट्टाधारक जिन्होंने लीज की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है	पट्टाधारक जिन्होंने लीज की शर्तों का उल्लंघन किया है
1-एकल निवासी भवन	50%	100%
2-ग्रुप हाउसिंग	75%	125%
3-व्यावसायिक	150%	250%

उक्त के अतिरिक्त रिक्त नजूल भूमि को आवासीय प्रयोजन हेतु वर्तमान सर्किल रेट का न्यूनतम 100% तथा व्यवसायिक प्रयोजन हेतु न्यूनतम 150% मूल्य निर्धारित कर नीलामी/निविदा द्वारा फ्री-होल्ड किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला, उत्तर के संदर्भ में यह प्रतीत होता है कि जिस समय यह योजना लागू हुई, उस समय सरकार की मंशा यह रही होगी कि आमदनी बढ़े, हाउसिंग प्राबलम सॉल्व हो, व्यावसायिक अवसर प्राप्त हों और इसलिये फ्री-होल्ड का प्राविधान किया गया। लेकिन अभी तक जो देखने को मिला है और जो मेरी जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में किसी क्षेत्र में यह योजना सफलतापूर्वक लागू नहीं हो पाई, उसका कारण यह है कि जो इसका उद्देश्य है ....

श्री अध्यक्ष–

माननीय खन्ना जी, प्रश्न पूछें, आप तो भाषण दे रहे हैं। माननीय खन्ना जी आप प्रश्न पूछें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मेरा पूछना सिर्फ यह है कि अब तक जब से यह योजना लागू की गयी है तब से सरकार को इसकी कितनी आय प्राप्त हुई है? दूसरी बात यह है कि यह जो सर्किल रेट रखे हैं वह बहुत ज्यादा हैं, क्या सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी ताकि यह योजना व्यापक रूप से लोगों के काम आ सके?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, दो सवाल हैं पहला सवाल तो इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है फिर भी यदि सूचना आपके पास है तो उसका उत्तर दे दें।

श्री राम किशोर बिन्द–

मान्यवर, यह योजना 23-5-92 को शासनादेश के द्वारा प्रारम्भ की गयी है। दिनांक 23-5-92 से 3-10-94 तक 4.5 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। 3-10-94 के उपरान्त 24.50 करोड़ रुपया उक्त शासनादेश के अंतर्गत प्राप्त हुआ। 1-4-94 के उपरान्त उपलब्ध सूचना के अनुसार 6.5 करोड़ रुपया शासकीय कोष में जमा किया जा चुका है। बार-बार नीति संशोधित किया जाना उक्त नीति की सफलता के लिए बाधक है, इसलिए अगले 3 वर्ष तक कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

उत्तर प्रदेश में अरबों रुपये की जमीन नजूल और स्थानीय निकाय के पास है और मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है कि मात्र 24 करोड़ इस एकाउण्ट में आये हैं। मेरा कहना है कि अगर सफलता की ओर हम अग्रसर होते या यह योजना होती तो आज अरबों रुपया आ चुका होता। मेरा कहना है कि जो सर्किल रेट हैं वह इतने हाई हैं कि उस रेट पर लोग खरीदने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं। मान्यवर, शाहजहाँपुर और बरेली मण्डल के बारे में मेरी थोड़ी जानकारी है, इन दोनों जगह एक भी व्यक्ति इस योजना की ओर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि रेट इतने हाई हैं जिससे कोई व्यक्ति सामने नहीं आ रहा है तो क्या रेट कम करने पर विचार करेंगे?

श्री राम किशोर बिन्द–

मान्यवर, बार-बार रेट बदलने से जो योजना थी वह सफल नहीं हो रही है, उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है इसलिए जो इस समय रेट निर्धारित है, उसमें 3 वर्ष तक परिवर्तन नहीं किया जायेगा तभी उसका रिजल्ट अच्छा आयेगा।

बिजली चोरी से हो रहे घाटे पर अंकुश लगाए जाने हेतु विशेष मीटर लगाए जाने की जानकारी

*5—श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बिजली चोरी से हो रहे अनवरत घाटे पर अंकुश लगाये जाने हेतु बिजली चोरी पकड़ने वाली कोई विशेष मीटर, राज्य के उपभोक्ताओं को सुलभ कराये जाने का निश्चय किया गया है?

पशुधन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री विशम्भर प्रसाद निषाद)–

जी हाँ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि यह जो बिजली चोरी हो रही है, जिसके कारण राज्य विद्युत परिषद् को घाटा हो रहा है, उसको रोकने के उपाय क्या हैं और क्या जो यह मीटर सप्लाई की बात सरकार ने कही है तो राज्य के सभी उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने में कितने मीटर की आवश्यकता पड़ेगी और उस पर राज्य सरकार का कितना व्यय होगा और यह मीटर लगाया जाना कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, राज्य के बड़े उपभोक्ताओं पर परिषद् की वित्तीय स्थिति को देखते हुये इलेक्ट्रानिक ट्राइवेक्टर मीटर लगाने का प्रस्ताव है। यह मीटर अत्यन्त संवेदनशील हैं एवं साधारण मीटर के मुकाबले इनकी कीमत काफी अधिक है। अब तक 2180 ऐसे मीटर क्रय किये गये हैं, जिन्हें लगाया जा रहा है।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैं यह जानना चाहता हूँ कि राज्य में कुल कितने मीटर की आवश्यकता पड़ेगी और इस पर कितना व्यय आयेगा?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य की जिज्ञासा है कि कितने विशेष मीटर लगाने की आवश्यकता पड़ेगी और इस पर कितना धन व्यय होगा, यदि सूचना हो तो उत्तर दे दें।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, 3885 बड़े उपभोक्ता हैं, उनके पहले से मीटर लगे हैं जो नये मीटर लगाये जा रहे हैं उसमें 2180 मीटर लग चुके है, कुछ लगाये जा रहे हैं। मान्यवर, इसकी एक नियंत्रित प्रक्रिया है उसके तहत कार्य किया जा रहा है। जहां तक कुल कितना धन व कितने मीटर की आवश्यकता है, इसकी सूचना मंगाने की जरूरत है।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न किया उसका उत्तर नहीं मिल पाया। मैं पुनः अपनी बात कहते हुये माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि राज्य विद्युत परिषद् को लगातार घाटा हो रहा है। क्या कभी विद्युत परिषद् ने इस प्रकार का कोई आंकलन कराया कि विद्युत चोरी से कितना घाटा हो रहा है?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, यह प्रश्न विस्तृत है। समय-समय पर इसकी चेकिंग होती है और जो लोग दोषी पाये जाते हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। यह एक निरन्तर प्रक्रिया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय चौधरी जी आप अलग से इस पर प्रश्न डाल दें।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिये आप इस पर एक घण्टे की चर्चा करवा दें।

श्री अध्यक्ष–

आप संगत नियमों में इसे लिखकर दे दें। मैं उस पर विचार कर लूँगा।

सहकारी समिति कर्मचारी यूनियन उ० प्र० का नवम्बर, 1994 के पत्र पर हुई कार्यवाही की जानकारी

*6–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी समिति कर्मचारी यूनियन उ० प्र० का समिति कर्मचारियों की मांगों के बारे में कोई मांग-पत्र नवम्बर, 1994 के दूसरे पखवारे में निदेशक, सहकारी समितियां उ० प्र० को मिला है? यदि हां, तो मांगें क्या हैं तथा उन्हें स्वीकार किये जाने के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

सहकारिता मंत्री (चौधरी जगवीर सिंह गूजर)–

जी हाँ, निबन्धक सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ था।

मुख्य मांगें विभिन्न सेवा सम्बन्धी विषयों से सम्बन्धित हैं।

समिति कर्मचारियों की नियोक्ता समितियाँ स्वयं है। कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया गया और इनकी मांगें स्वीकार करने योग्य नहीं पाई गई।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि चाहे उनके नियुक्ति अधिकारी समितियाँ हों लेकिन गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिये कस्टोडियन है। मिनिमम वेजेज ऐक्ट बना हुआ है, लेबर ऐक्ट बना है। सरकार की

जिम्मेदारी है कि अगर कहीं पर सेवा शर्तें नहीं बनी हुई हैं तो वहाँ परसेवा शर्तों के लिये जो एक माडल नियमावली बनी हुई है, उसमें निहित अधिकार उस व्यक्ति को मिले। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि उनकी मांगों के औचित्य को स्वीकार नहीं किया गया क्या माननीय मंत्री जी को उनके मांग पत्र में कोई मांग न्यायोचित दिखाई दी? जैसे बेगार का न मिलना, बिना नोटिस दिये निकाल देना, सेवाओं की गारन्टी का न होना और प्रोन्नति के लिये नियमों का न होना आदि क्या इनकी तरफ मंत्री जी का ध्यान गया। यदि हाँ तो क्या शासन ने कोई शासनादेश व राजाज्ञा जारी की या फिर सहायक निदेशकों से बातचीत करके कोई फैसला लिया ताकि उनके सेवाओं की व अधिकारों की सुरक्षा हो सके?

चौधरी जगदीर सिंह गूजर–

मान्यवर, 23–5–1995 को कर्मचारियों की सेवा-शर्तों के लिये एक समिति का गठन किया गया था। यदि कोई कर्मचारी की भर्ती की बात आती है तो उसमें ए० आर० क एप्रूवल लिया जाता है और यदि कहीं किसी को हटाना हो तो बिना डी० आर० से विचार विमर्श किये उसे हटाया नहीं जा सकता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उनके कर्मचारियों की नियुक्ति में सरकार का हाथ होता है। ऐसा नहीं है कि उनके नियुक्ति अधिकारी कोई अलग हैं। सरकार के अनुमोदन के बाद ही उनकी नियुक्ति हुई है इसलिये सरकार की जिम्मेदारी पूरी-पूरी बन जाती है कि उनकी सेवा शर्तों की गारन्टी दे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कौन-कौन सी नयी मांगें थी और उनको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है?

चौधरी जगवीर सिंह गूजर–

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि वह जो उच्चस्तरीय बोर्ड होता है वह उनके सहयोग के लिये काम करता है। बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिससे उन कर्मचारियों को परेशानी होती है। किसी को गलत तरीके से रखा जाता है या निकाला जाता है तो उसके लिये सहयोग करने के लिये डी० आर० ए० आर० को किया गया है। मांगें जो मानने लायक नहीं पायी गयी है इस प्रकार हैं–

1—सेवा केडर/ सेवा नियम बनाया जाय।

2—तहसील स्तर पर स्थानान्तरण की सुविधा दी जाय।

3—कर्मचारियों को सामूहिक बीमा, अंशदायी भविष्य निधि, प्रोन्नति की सुविध दी जाय।

4—कर्मियों को कृषकों को समान ब्याज दर पर बैंक/ समिति के द्वारा मकान, वाहन, विवाह आदि के लिये मासिक आसान किस्तों पर ऋण दिया जाय?

5—कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा तय किया जाय।

6—कर्मचारियों के दायित्वों का निर्धारण किया जाय।

7—विक्रेता को बिक्री लक्ष्य पूर्ण करने हेतु उपभोक्ता व्यवसाय के साथ उर्वरक की नगद बिक्री का दायित्व सौंपा जाय।

8—सहकारी समिति को कैश बुक में मुख्य आंकिक के हस्ताक्षर अनिवार्य किये जाये।

9—सचिव पद पर सीधी भर्ती न की जाये। वरिष्ठता सूची के आधार पर आंकिक विक्रेता लिपिक की प्रोन्नति शत-प्रतिशत की जाय।

10—चपरासी चौकीदारों की जो शिक्षा के मानदण्ड पूरे करते हों, को आंकिक विक्रेता, लिपिक के पद पर प्रोन्नत किया जाय एवं चपरासी चौकीदार को श्रेणी-3 एवं श्रेणी-4 का अलग-अलग कुशल/अर्द्धकुशल का वेतनमान दिया जाय।

11—सहकारी संघ व सहकारी क्रय-विक्रय समितियों में अविलम्ब न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाय एवं व्यवसाय न करने वाली समितियों के कर्मचारियों का एपैक्स समितियों में समायोजन किया जाय।

12—निबन्धक कार्यालय से जारी पत्रांक संख्या सी-164, सी-125, सी-40, सी-156, सी-157, सी-26, सी-31, सी-1, सी-144, का परिपालन न करने वाले अधिकारियों को कठोर दण्ड दिया जाय एवं श्रीमान् वी० के० मित्तल के द्वारा वर्ष 1985 में जारी शैक्षिक योग्यता एवं भर्ती के तरीकों का जनपदों में कड़ाई से पालन कराया जाय।

13—यूनियन की ओर से प्रेषित शिकायती-पत्रों एवं अन्य मांग-पत्रों पर की गयी कार्यवाही की प्रति संगठन को भी उपलब्ध करायी जाय।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, ऊपर का अधिकारी कोई आदेश दे उसका अनुपालन न करने वाले नीचे के अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की मांग को भी माननीय मंत्री जी नहीं मान रहे हैं। उन्होंने पूरा मांग-पत्र पढ़ कर सुना दिया मैं जानना चाहता हूँ कि ऊपर की पहली दो मांगे ले लें। उनको न मानने का क्या कारण है?

चौधरी जगवीर सिंह गूजर—

मान्यवर, यह दो मांग आपने जो बताई हैं उनसे संबंधित जो नियमावली है उससे हट कर स्थानान्तरण की सुविधायें जो हैं। उनको देने में दिक्कत आयेगी।

श्री राम आसरे वर्मा—

सेवा नियमावली की बात को न मानने का क्या कारण है? खाली हवा में बात करने से जवाब नहीं मिलेगा। सेवा नियमावली बनाने में क्या कठिनाई है? जो मांगे दी गयी

हैं वह सारी की सारी उचित हैं। मंत्री जी ने जो मांग-पत्र पढ़ा तो उन मांगों का परीक्षण कराने के लिये कोई व्यवस्था की गयी थी या नहीं की गयी थी तो समिति बनाई थी या नहीं? यदि बनाई थी तो उस समिति ने हर मांग पर अपनी अलग-अलग क्या आख्या दी है?

चौधरी जगवीर सिंह गूजर–

सचिव संवर्ग में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर टैक्स कर्मचारियों का संवर्ग बनाया जाना स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि वह संस्था के कर्मचारी हैं, उनका अन्य समितियों में स्थानान्तरण किया जाना सम्भव नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

उत्तर आश्चर्यजनक है। एक दुकानदार जो अपने को दुकानदार कहता है और व्यापारी है, वह तो अपने यहां के किसी नौकर का नियुक्ति अधिकारी है, उसकी तो नियमावली है और उसके कर्मचारियों के लिये लेबर इंस्पेक्टर है, वह समय-समय पर उसकी चेकिंग करता है। लेकिन जो ऐसे कर्मचारियों के लिये जो समिति के होने के बाद भी सरकार की पुष्टि से उसकी नियुक्ति होती है, उसके बाद भी उसके लिये कोई सेवा-नियमावली न होना आश्चर्यजनक है। इसका प्राविधान नहीं है। लेकिन कोई तो नियमावली होगी। उन्होंने मांग की है नियमावली की और उसके लिये उन्होंने अपनी ओर से कोई माडल नियमावली नहीं दी है। तो क्या उनके लिये कोई किसी प्रकार की नियमावली बनाने की आवश्यकता नहीं है? और यदि है, तो क्या सरकार उस पर विचार करेगी?

चौधरी जगवीर सिंह गूजर–

चूंकि यह समिति स्तर का मामला है, मैं उसके कार्य मे कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता हूँ। सहकारिता के क्षेत्र में जो बोर्ड के स्तर पर काम कर रहे हैं, इस तरह से आप उनको कार्य से वंचित कर रहे हैं। मैं उसको उचित भी नहीं समझता।

मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर रिट याचिका के अभिकथन के विरुद्ध सीवर टैक्स की वसूली किये जाने की शिकायत

*7–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सिविल विविध याचिका संख्या 1449 सन् 1988 में सिटी बोर्ड गाजियाबाद द्वारा यह अभिकथन किया गया था कि सीवर व ड्रेनेज टैक्स समाप्त हो गया है? यदि हां, तो क्या इसी आधार पर मा० उच्च न्यायालय ने दिनांक 7 फरवरी, 1991 को उक्त याचिका को निरस्त कर दिया था? क्या उक्त टैक्स नागरिकों से वसूल किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्यों?

श्री राम किशोर बिन्द–

दिनांक 8–3–1989 को सिटी बोर्ड गाजियाबाद ने अपने प्रस्ताव संख्या–58 में निम्न प्रस्ताव पारित किया है :–

"सीवर टैक्स समाप्त किया जाना स्वीकार किया है। प्रस्ताव शासन को स्वीकृति हेतु भेजा जाय।"

तदनुसार प्रश्नगत रिट याचिका में पालिका अधिवक्ता द्वारा इस आशय का कथन किया गया कि बोर्ड के प्रस्तावानुसार उक्त कर समाप्त करना अनुमोदित किया है जिस पर मा० न्यायालय ने याचिका में बल न होने के कारण उसे निरस्त कर दिया है।

जी हाँ।

सिटी बोर्ड गाजियाबाद की जर्जर आर्थिक स्थिति को देखते हुये शासन ने विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 23–11–90 द्वारा प्रस्ताव संख्या–58 को निरस्त कर दिया। फलस्वरूप सिटी बोर्ड (अब नगर निगम) गाजियाबाद द्वारा सीवर एवं ड्रेनेज टैक्स नियमावली, 1986 द्वारा नियमानुसार सीवर व ड्रेनेज टैक्स नागरिकों से वसूल किया जा रहा है।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मेरे पास माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की नकल है, जिससे वह याचिका निरस्त हुई थी, तो यह बताने की कृपा करें, कि उन्होंने अपने उत्तर में जो अभिकथन किया है कि रिट याचिका में पालिका अधिवक्ता द्वारा इस आशय का कथन किया गया है कि–बोर्ड के प्रस्तावानुसार उक्त कर समाप्त करना अनुमोदित किया है, तो क्या यही उसने अभिकथन किया है या इससे अन्यथा कोई अभिकथन किया है? क्योंकि आदेश में कहा गया है कि टैक्स वापस हो गया है, इसलिये अब यह याचिका इन्फ्रक्चुवस हो गई है। तो आप यह बतायें कि आपने अनुमोदन करने के बाद यह कहा था या वापस करने के बाद यह कहा था?

श्री राम किशोर बिन्द–

मान्यवर, 8–3–89 को सिटी बोर्ड गाजियाबाद द्वारा वहां का जो चुना हुआ चेयरमैन होता है, उसके द्वारा यह प्रस्ताव संख्या 58 पारित हुआ था कि सीवर टैक्स समाप्त किया जाना प्रस्तावित है, किन्तु बाद में शासन ने उसे निरस्त कर दिया, इसका उल्लेख मैंने पहले कर दिया है। फलस्वरूप अब सिटी बोर्ड–नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा सीवर एवं ड्रेनेज टैक्स नियमावली, 1986 द्वारा नियमानुसार सीवर व ड्रेनेज टैक्स वसूल किया जा रहा है।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। माननीय मंत्री जी ने बोर्ड के प्रस्ताव को इनवरटेड कामा में दिया है क्या उसी प्रकार का आपके अधिवक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय के सामने अभिकथन किया है और उसी के अन्तर्गत इस आशय का कथन किया गया है कि बोर्ड का प्रस्ताव उक्त कर को समाप्त करने के लिये अनुमोदित है। इसी को

आधार मानकर माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका को निरस्त कर दिया। आप उत्तर में कह रहे हैं कि अनुमोदित है। आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। यह स्पष्ट विशेषाधिकार का मामला बनता है। मेरा अनुरोध है कि आप स्पष्ट करें कि किन शब्दों में और क्या अभिकथन आपके अधिवक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय के सामने किया था?

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, जिस मुकदमें का उल्लेख माननीय सदस्य कर रहे हैं उस मुकदमें में सिटी बोर्ड के अधिवक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय को बताया कि सिटी बोर्ड का प्रस्ताव है कि सीवर टैक्स समाप्त किया जाना चाहिये और उक्त प्रस्ताव सिटी बोर्ड ने उत्तर प्रदेश शासन को भेजा है और उसी प्रस्ताव की प्रति माननीय उच्च न्यायालय को सिटी बोर्ड के अधिवक्ता ने दी। इसी के आधार पर ही माननीय उच्च न्यायालय ने उस मुकदमें में बल न होने के कारण उसे निरस्त कर दिया। शासन ने इस पर सम्यक् विचार किया और सम्यक् विचार करने बाद शासन ने फैसला किया कि इस प्रकार के टैक्स को यदि समाप्त कर दिया जाता है तो सिटी बोर्ड को आगे आने वाले समय में सीवर्स आदि डालने व उसके रख-रखाव में संसाधन जुटाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और इसके साथ ही साथ अन्य सिटी बोर्ड भी इसी प्रकार के प्रस्ताव को अपने स्थानीय स्तर पर करना चाहेंगे। इन्हीं बातों पर विचार करने के उपरान्त उत्तर प्रदेश शासन ने निर्णय लिया कि इस टैक्स को समाप्त करना उचित नहीं होगा।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, आपका संरक्षण चाहूँगा।

श्री अध्यक्ष–

बहुत स्पष्ट हो चुका है।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, आपका संरक्षण चाहता हूँ। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका 7 फरवरी, 1991 को निरस्त की और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि शासन ने दिनांक 13-11-90 को निरस्त कर दिया। मान्यवर, इस तरह से लग रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय में गलत तथ्यों को रखा गया है या फिर सदन में गुमराह कर रहे हैं। मान्यवर, यह बहुत गम्भीर बात है।

श्री अध्यक्ष–

स्पष्ट उत्तर आ गया है।

श्री बालेश्वर त्यागी–

नहीं मान्यवर, उत्तर नहीं आया है। आप कहते हैं कि शासन से निरस्त हो गया और उसके बाद कोर्ट में कहा कि प्रस्ताव अनुमोदित है, यह गलत बात है।

श्री अध्यक्ष–

बोर्ड ने तो अनुमोदित कर दिया था। शासन ने निरस्त कर दिया।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, 1990 में शासन ने इसको रिजेक्ट कर दिया। 1991 में सिटी बोर्ड के वकील ने माननीय उच्च न्यायालय में कहा कि सिटी बोर्ड ने निर्णय लिया है कि सीवर टैक्स नहीं लिया जायेगा। इसी अभिकथन के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि इसमें कोई बल नहीं है अतः इसे रिजेक्ट किया जाता है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन् यह फैसला सिटी बोर्ड का था कि टैक्स नहीं लिया जायेगा और माननीय उच्च न्यायालय में जो वाद चल रहा था उसमें सिटी बोर्ड के अधिवक्ता ने कहा कि सिटी बोर्ड का प्रस्ताव है। शासन ने उस सिटी बोर्ड के बाबत और पूरे प्रदेश के बाबत उस पर विचार किया कि सीवर टैक्स यदि समाप्त कर दिया गया तो आगे के दिनों में सीवर डालने व उसके रखरखाव के लिये संसाधन जुटाने में कठिनाई होगी अतः उत्तर प्रदेश शासन ने फैसला लिया कि इसे समाप्त न किया जाय।

उत्तर प्रदेश जल निगम के सी० एण्ड डी० एस० शाखा द्वारा प्रदेश में गुणवत्ता हीन सरिया की आपूर्ति की शिकायत

*8—श्री मयंकर सिंह (अनुपस्थित)–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० जल निगम के सी० एण्ड डी० एस० शाखा के प्रदेश स्तर के सर्वाधिक निर्माण इकाइयों में विशेषकर पूर्वी जिलों में श्री नवनीत कुमार गुप्ता के राजधानी स्टोर, लखनऊ तथा उनकी अन्य फर्मों द्वारा प्रति वर्ष करोड़ों रुपये की गुणवत्ता हीन सरिया की आपूर्ति दी जा रही है और उसका भुगतान आई० एस० आई० की दर से किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इस अनियमितता एवं वित्तीय अपव्यय के लिये जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दण्डित करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम किशोर बिन्द–

जल निगम से प्राप्त सूचनानुसार उत्तर प्रदेश जल निगम के सी० एण्ड डी० एस० शाखा के प्रदेश स्तर की कुछ निर्माण इकाइयों द्वारा विशेषकर पूर्वी जिलों की यूनिटों द्वारा मेसर्स अंकिता इण्टरप्राइजेज, लखनऊ से आर० एच० एल० ब्रॉड की आई० एस० आई० मार्क की सरिया क्रय की गई है।

श्री नवनीत कुमार गुप्ता, मेसर्स अंकिता इण्टरप्राइजेज लि० के मालिक हैं।

श्री नवनीत कुमार गुप्ता के राजधानी स्टोर लखनऊ तथा उनकी अन्य फर्मों से सरिया की कोई आपूर्ति सी० एण्ड डी० एस० शाखा द्वारा नहीं ली गई है, वास्तव में मेसर्स अंकिता इण्टरप्राइजेज, लखनऊ से आर० एच० एल० ब्रॉड की आई० एस० आई० मार्क की सरिया क्रय की गई है। यह फर्म आर० एच० एल० के अधिकृत विक्रेता अप्रैल, 1991 से हैं। इस प्रकार सरिया आई० एस० आई० मार्क क्रय की गई है और उसी का भुगतान किया गया है। सरिया प्राप्त करते समय यूनिटों द्वारा आर० एच० एल० प्रोफाइल्स लि० के द्वारा सरिया टेस्ट का प्रमाण-पत्र भी प्राप्त किया गया है और यूनिटों द्वारा अपने स्तर से अलग से भी सरिया टेस्ट कराई गई थी जो आई० एस० के अनुसार पाई गई।

प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार की 8वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चयनित अलीगढ़ जिले के विकास कार्यों को कराये जाने की मांग

*9—श्री कृष्ण कुमार नवमान—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार ने 8वीं पंचवर्षीय योजना में 41 नगरों का चयन विशेष नगर विकास के लिये किया है जिसमें अलीगढ़ नगर भी है? क्या विभिन्न विभागों ने अलीगढ़ के विकास के लिये प्रस्ताव भी भेजे हैं? यदि हां, तो प्रदेश सरकार द्वारा इस विषय में विलम्ब करने के क्या कारण है? क्या सरकार विकास कार्यों को कराकर अलीगढ़ को सुधारने का प्रयत्न करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम किशोर विन्द—

आठवी पंचवर्षीय योजना में केन्द्र सरकार द्वारा छोटे तथा मध्यम आकार के नगरों की एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 41 नगरों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना का लाभ तीन लाख तक की आबादी वाले नगर को ही दिया जा सकता है। अलीगढ़ नगर की जनसंख्या तीन लाख से अधिक होने के कारण प्रस्तावित सूची में यह सम्मिलित नहीं है।

उक्त योजना के अन्तर्गत अलीगढ़ के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता है।

अलीगढ़ नगर के विकास कार्यों का सम्पादन अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। यह एक निरन्तर प्रक्रिया है जिसके लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

श्री कृष्ण कुमार नवमान–

मान्यवर, मेरा प्रश्न था 41 नगरों का चयन किया गया उसमें अलीगढ़ का नाम था। उन 41 नगरों में से अलीगढ़ का नाम कब हटाया गया? जिस समय चयनित किया गया था उस समय तीन लाख की आबादी रही होगी फिर अलीगढ़ का नाम क्यों हटा दिया गया?

अध्यक्ष–

इसका उत्तर स्पष्ट दिया गया है।

श्री कृष्ण कुमार नवमान–

श्रीमन् तीन लाख तक की आबादी के बारे में कहा गया है अलीगढ़ का चयन उसी के अनुसार किया गया। 41 नगरों में अलीगढ़ का नाम था उसको क्यों हटा दिया गया? दूसरा प्रश्न है अलीगढ़ के विकास की क्या योजना है? अलीगढ़ के विकास की कोई योजना विकास प्राधिकरण ने बनाई है। गत पांच वर्षों में कौन कौन योजना पूर्ण हो गई? जो गत पांच वर्षों में योजना बनी हैं उसमें क्या सुविधा दी गई है?

श्री अध्यक्ष–

कुछ सवाल प्रश्न से परे हैं।

श्री कृष्ण कुमार नवमान–

नगर विकास प्राधिकरण काम कर रहा है इसके बारे में मैंने पूछा है।

श्री राम किशोर बिन्द–

माननीय सदस्य से कहना चाहूँगा छोटे तथा मध्यम आकार के नगरों की एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 41 नगरों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना का लाभ तीन लाख तक की आबादी वाले नगर को ही दिया जा सकता है पूरी सूची उपलब्ध है आप किसी समय मेरे चैम्बर में आकार देख सकते हैं। आपने अलीगढ़ नगर के विकास कार्य के संबंध में कहा है उसकी सारी सूचना मेरे पास उपलब्ध है आप चैम्बर में आ जावें सारी सूचना आपको उपलब्ध करा देंगे।

(सूची देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 238 पर)

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

41 प्रश्न कौन से हैं जिनको आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत चयनित किया गया है?

श्री अध्यक्ष–

सूची आप देख लीजियेगा। इन्होंने बता दिया है।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् की ऊर्जा नीति की जानकारी

* 10—श्री तीरथ राज तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् की ऊर्जा नीति क्या है? वर्ष 1993-94 में कुल कितना घाटा हुआ है? किन-किन परियोजनाओं को निजी क्षेत्रों को दिया गया है? निजी क्षेत्रों द्वारा निर्मित परियोजनाओं पर प्रति मेगावाट व्यय कितना है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि राज्य विद्युत परिषद् इनसे किस दर पर विद्युत प्राप्त करेगी?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद—

उ० प्र० विद्युत परिषद् की ऊर्जा, नीति, राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जारी की गयी ऊर्जा नीति के अनुरूप है। उक्त नीति में ऊर्जा उत्पादन एवं वितरण के क्षेत्र में भारत सरकार की नीति को समावेशित करते हुये निजी उद्यमियों को पूंजी निवेश के लिये आमंत्रित करने हेतु सभी संभव सहायता उपलब्ध कराने की नीति प्रतिपादित की गयी है।

असंप्रेषित लेखे के अनुसार वर्ष 1993-94 में परिषद् को रु० 71.87 करोड़ रुपये का लाभ हुआ।

विष्णुप्रयाग (4 × 100 मे० वा०) तथा श्रीनगर (6 × 55 मे० वा०) जल विद्युत परियोजनाओं, रोजा (3 × 250 मे० वा०) तथा जवाहरपुर (2 × 400 मे० वा०) तापीय परियोजनाओं एवं 14 डीजल चालित (13 × 100 + 1 × 60 मे० वा०) परियोजनाओं को निजी क्षेत्र में स्थापित किये जाने हेतु निजी कम्पनियों के साथ समझौता ज्ञापन (एम० ओ० यू०) हस्ताक्षरित किये गये हैं। अभी तक निजी क्षेत्रों में किसी भी परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। विभिन्न डीजल विद्युत गृहों से उत्पादित विद्युत को विद्युत परिषद् द्वारा प्राप्त करने की दरें विद्युत गृह चालू होने के दिन से रु० 2.49 प्रति यूनिट से 2.55 पैसे प्रति यूनिट तक है। जिसका विद्युत गृहवार विवरण †संलग्न है। विद्युत गृह के चालू होने के पश्चात् विद्युत दरों में परिवर्तन निश्चित करने के लिये राज्य सरकार ने प्रमुख सचिव (वित्त) की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। जल विद्युत एवं तापीय परियोजनाओं से प्राप्त होने वाली विद्युत की दरें अभी तय नहीं हुई हैं।

(* देखिये नत्थी आगे पृष्ठ 27 पर।)

(श्री तीरथ राज का नाम पुकारे जाने एवं उनके उपस्थित न होने पर)

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल—

मान्यवर, मैं इसमें आपका संरक्षण चाहूँगा यह प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसमें अगर आपको संरक्षण नहीं मिला तो मेरी जो भावनायें हैं, उनको ठेस पहुँचेगी। विद्युत परिषद् के बारे जो जवाब दिया गया है और इसमें जो सूची लगाई गई है, उसमें सारे समझौते दर्ज हैं! इसमें उन बड़े-बड़े पूँजीपतियों के नाम हैं जो पिछली सरकार के समर्थक रहे हैं। पिछली

* तारांकित प्रश्न 10 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

सरकार कैसी थी उसकी कार्यपद्धति कैसी थी यह तो आप जानते हैं। इस समय जो ऊर्जा नीति उत्तर प्रदेश सरकार की है उसको मुझे व तीरथ राज जी को दिया जाना चाहिये था। केवल इतना कह दिया गया कि जो नीति भारत सरकार की है वही नीति उत्तर प्रदेश सरकार की है। मैंने पूछा कि 1993-94 में कितना घाटा हुआ है? यह तो सबको मालूम है कि विद्युत परिषद् घाटे के कगार पर पहुँच चुका है। फिर भी उत्तर में दिया गया है कि असम्प्रेपित लेखे के अनुसार वर्ष 1993-94 में परिषद् को रु० 71.87 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। मै मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सम्प्रेपित लेखे के अनुसार विद्युत परिषद् को कितना घाटा हुआ है? इसमें जिन-जिन कम्पनियों से समझौते किये गये हैं उसमें समझौते ज्ञापन हस्ताक्षरित की तिथि दी गई है।

श्री अध्यक्ष–

आप केवल प्रश्न करें आप तो भाषण दे रहे हैं।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

इसमें समझौता हुये छह-छह, सात-सात महीने हो गये हैं लेकिन एक प्रतिशत भी कार्यवाही नहीं हुई है। यह कार्यवाही कितने वर्षों तक होगी? और जो दरें हैं उसमें केवल डीजल से उत्पादित पावर हाउस की दरें तय कराई गई हैं। जब कि जल विद्युत और थर्मल पावर की दरें क्यों नहीं तय कराई गई हैं?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही है कि यह नीति कब से लागू हुई है। यह नीति नवम्बर 1994 से लागू हुई है। हमारे पास पुस्तक उपलब्ध है। अगर माननीय सदस्य हमारे चेम्बर में आ जाएं तो विस्तार से बिन्दुवार उनको जानकारी हम दे देंगे। दूसरा प्रश्न जो माननीय सदस्य ने किया है वह हमने पहले ही बता दिया है कि निजी क्षेत्रों में किसी भी परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। इसके लिए अलग-अलग परियोजनायें हैं और उसके लिये अलग-अलग समय लगेगा। इसके लिये भी अगर सदस्य जानकारी चाहें तो चेम्बर में आ जाएं हम विस्तार से जानकारी दे देंगे।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, मेरे बहुत सारे प्रश्नों का जवाब नहीं आया है। उत्पादन कब चालू हुआ? इसका जवाब नहीं आया है?

श्री अध्यक्ष–

आपने सवाल तो पूछे नहीं आपने सुझाव दिये हैं। आपने पूछा था कि कब शुरू हुआ तो उन्होंने तारीख बता दी है।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मेरे प्रश्नों के उत्तर दिलवा दें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, माननीय मल्ल जी ने ऊर्जा नीति के बारे में सवाल किया था। मैं आपके माध्यम से मल्ल जी को बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश शासन की सुस्पष्ट नीति है कि बिजली की कमी को देखते हुए निजी क्षेत्र को विद्युत उत्पादन के लिये आमंत्रित किया जाय। श्रीमन्, इस संबंध में भारत सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में निजी पूँजी निवेश हेतु जारी किये गये मार्ग निर्देशक सिद्धान्तों का सरकार पालन करेगी। नयी उर्जा नीति के अंतर्गत प्रदेश के जल विद्युत संसाधनों का विकास किया जायगा। तापीय, जलीय, डीजल, गैस, नेप्था तथा अन्य सभी संभावित स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन को निजी क्षेत्रों में लाये जाने को यथासंभव प्रोत्साहित किया जायगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत 1985 से अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्तियाँ एवं प्रोन्नतियों का मामला

11—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में 1985 से अब तक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कोई नियुक्तियाँ तथा प्रोन्नतियां की गयी हैं? यदि हां, तो क्या यह सही है कि अध्यादेश सं० 62/11-4-वी०प्रा०-85 लखनऊ 25 जून, 1985 के प्राविधानों का उल्लंघन किया गया? यदि हां, तो दोषी कौन हैं? क्या मंत्री जी उनके विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त प्रोन्नतियों में अनु० जाति के किसी अभ्यर्थी को शामिल किया गया है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

सुश्री मायावती—

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त प्रोन्नतियों में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है जिनका विवरण निम्नवत् है :–

पद का नाम	संख्या
1—अनुभाग अधिकारी	01 प्रोन्नति
2—प्रवर वर्ग सहायक	09 नियुक्तियाँ

3—अवर वर्ग सहायक	19 नियुक्तियाँ
4—सर्वेयर	02 नियुक्तियाँ
5—लेखालिपिक	01 प्रोन्नति
6—चालक (ड्राइवर)	02 नियुक्तियाँ
7—अमीन	02 नियुक्तियाँ
8—ड्राफ्टमैन	03 नियुक्तियाँ
9—चतुर्थ श्रेणी वर्ग	125 नियुक्तियाँ

*12—श्री चैनसुख भारती—

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

जनपद आगरा की गम्भीर पेयजल की समस्या के निदान की मांग

*13—श्री सत्य प्रकाश विकल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा की गम्भीर पेयजल समस्या को देखते हुए उसके समाधान हेतु वहां बैराज बनाये जाने की कोई कार्य योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो इसके लिये अब तक क्या कार्यवाही की जा चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम किशोर बिन्द—

जी हाँ।

बैराज बनाये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति, शासनादेश सं०-4126/9-5-93-7एम(2)/86, दिनांक 1.12.93 द्वारा निर्गत की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास प्राधिकरण लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ व गोरखपुर के मानचित्रों की स्वीकृति प्रक्रिया में एक रूपता लाने की मांग

*14—श्री रमेश कान्त लवानियां—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ, गोरखपुर के विकास प्राधिकरणों के मानचित्र स्वीकृति करने की प्रक्रिया एक ही है अथवा भिन्न है? यदि भिन्न है, तो क्या इनमें एक रूपता लाने के लिये सरकार विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

विकास प्राधिकरण लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ व गोरखपुर के मानचित्र स्वीकृत करने की प्रक्रिया एक ही है।

प्रश्न नहीं उठता।

कृषि हेतु पंपिंग सेटों तथा नलकूपों एवं सम्बन्धित उपभोग पर बढ़े विद्युत अधिभार की जानकारी

*15—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि हेतु पंपिंग सेटों तथा नलकूपों एवं अन्य प्रकार के उपयोग पर विद्युत अधिभार प्रति हार्स पावर कितने प्रतिशत बढ़ाया गया है और उसे कब से लागू किया गया है?

सुश्री मायावती–

कृषि हेतु पंपिंग सेटों तथा नलकूपों एवं सम्बन्धित उपभोग पर ग्रामीण अधिसूची से विद्युत आपूर्ति पाने वाले उपभोक्ताओं के लिए विद्युत दर में लगभग 67 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। वर्तपान दर दिनांक 16-7-94 से प्रभावी है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद बिजनौर की स्योहारा विधान सभा क्षेत्र के नूरपुर, दौलतपुर, फीना बिजलीघरों में 5 एम० बी० ए० वाले ट्रांसफार्मर लगवाने की मांग

1—श्री महाबीर सिंह (बिजनौर)—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि बिजनौर जनपद में स्योहारा विधान सभा क्षेत्र में नूरपुर, दौलतपुर, फीना, बिजलीघरों पर रखे ट्रान्सफार्मर 3 एम० बी० ए० के ओवर लोड चल रहे हैं, जिसके कारण सप्लाई पावर हाउस पर जितनी पहुंचती है उसकी फीडरों में बांटकर आधी-आधी दी जाती है? यदि हां, तो क्या किसानों एवं उपभोक्ताओं के हित में 3 एम० बी० ए० के स्थान पर 5 एम० बी० ए० का ट्रान्सफार्मर रखवाने का कष्ट करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

यह सत्य है कि नूरपुर, दौलतपुर व फीना 33/11 के०वी० उपकेन्द्रों पर स्थापित ट्रान्सफार्मरों में से तीन एम०वी०ए० क्षमता के ट्रान्सफार्मरों पर क्षमता से अधिक भार आ रहा है, जिसके कारण कृषि के लिए सिंचाई की अत्याधिक आवश्यकता होने की अवधि में विद्युत भार को समूहों में बांट कर विद्युत आपूर्ति की जाती है।

उक्त विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि पर विचार किया जा रहा है, परन्तु परिषद् की विद्यमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए इन उपकेन्द्रों की क्षमता बढ़ाये जाने के कार्यों को पूरा करने के लिए किसी समय सीमा का निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद बिजनौर में ताजपुर पावर हाउस की सी० टी० क्षमता बढ़ाने की माँग

2—श्री महावीर सिंह (बिजनौर)—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बिजनौर में ताजपुर पावर हाउस जिससे नूरपुर फीना, दौलतपुर बिजली सप्लाई की जाती है उस पर 200 एम्पीयर की सी०टी० लगी है और लोड 225 एम्पीयर का है, जिसके कारण ट्राली ट्रिप करती रहती है और उपभोक्ताओं एवं किसानों का सप्लाई ठीक से नहीं मिल पाती है? यदि हां, तो क्या सरकार लोड के अनुरूप व्यवस्था करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

जनपद बिजनौर में 132 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र, ताजपुर से 33 के०वी० के दो पोषक निकलते हैं। इन पोषकों में से एक पोषक पर, जिससे दौलतपुर 33/11 के०वी० उपकेन्द्र को विद्युत आपूर्ति की जाती है, सी०टी० भार के अनुरूप ही है, तथा दूसरे पोषक पर जिससे नूरपुर व फीना 33/11 के०वी० उपकेन्द्रों की विद्युत आपूर्ति की जाती है, 200/1 एम्पीयर की सी०टी० लगी है जबकि अधिकतम भार लगभग 225 एम्पीयर है। इन परिस्थितियों में कृषि के लिये सिंचाई की अत्याधिक आवश्यकता होने की अवधि में विद्युत आपूर्ति दो समूहों में बांटकर की जाती है।

प्रश्नगत सी०टी० की क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अपितु उक्त सी०टी० पर भार कम करने के लिये 132 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र चांदपुर पर फीना 33/11 के०वी० उपकेन्द्र का भार हस्तान्तरित करने हेतु लालपुर से फीना तक 33 के०वी० लाइन के निर्माण पर विचार किया जा रहा है, परन्तु परिषद् की विद्यमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए इस लाइन के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिये किसी समय-सीमा का निर्धारण किया जाना अभी सम्भव नहीं है।

जनपद बिजनौर में विद्युत लाइनों के ढीले तारों को ठीक किये जाने की मांग

3—श्री महावीर सिंह (बिजनौर)—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि बिजनौर जनपद में विद्युत की खींची गई लाइनों के तार ढीले पड़े हैं जो चलने पर आपस में टकराकर चिन्गारी देने के कारण अनेक खतरे बने हुए हैं? क्या खम्भे भी तिरछे (टेढ़े) हो गये हैं? क्या सरकार इसको व्यवस्था सही कराने पर विचार करेगी? यदि हां, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

सुश्री मायावती––

बिजनौर जनपद के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत लाइनों के तार सामान्यतः कहीं भी इतने ढीले नहीं हैं कि वह आपस में लड़कर चिनगारी उत्पन्न करें।

बिजनौर जनपद के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में खम्भे भी सामान्यतः तिरछे (टेढ़े) नहीं हैं।

वर्षा आंधी व तूफान आने पर अथवा वाहनों की टक्कर इत्यादि से विद्युत लाइनों के खम्भे टेढ़े हो जाने अथवा तार ढीले हो जाने पर यथासमय आवश्यक कार्यवाही निरन्तर की जाती रहती है तथा तारों का टकराना रोकने के लिये यथा आवश्यक "स्पेसर्स" भी लगाये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

व्यवस्था सही रखने के लिये आवश्यक अनुरक्षण कार्य निरन्तर किये जाते रहते हैं।

जनपद बिजनौर की नूरपुर नगरपालिका में विद्युत सप्लाई मानक के आधार पर न होने की शिकायत

4—श्री महावीर सिंह (बिजनौर)—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि बिजनौर जनपद में नूरपुर नगरपालिका में विद्युत सप्लाई अभी भी ग्रामीण क्षेत्र के अनुरूप दी जा रही है? यदि हां, तो क्या नूरपुर नगरपालिका को विद्युत सप्लाई बिजनौर जिले की अन्य नगरपालिकाओं के अनुरूप दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

सुश्री मायावती—

जी हां।

बिजनौर जिले में नगीना, चाँदपुर, कीरतपुर शेरकोट, धामपुर, स्योहारा, नहटौर व हलदौर को तहसील स्तर दिया गया है, जिसके अंतर्गत 24 घंटे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति का प्राविधान है। तहसील स्तर उन नगरों को दिया जाता है, जिनकी जनसंख्या 1981 की जनगणना के अनुसार 15,000 से अधिक होती है और जिनकी विद्युत आपूर्ति एक स्वतन्त्र पोषक के माध्यम से की जाती है। नूरपुर नगर की जनसंख्या 1981 की जनगणना के अनुसार केवल 12,474 है इसलिये नूरपुर नगर को विद्युत आपूर्ति के लिये तहसील स्तर प्रदान करना नियमानुसार सम्भव नहीं है।

जनपद फैजाबाद के परगना खण्डासा तहसील मिल्कीपुर ग्राम सभा पूरे लाल खाँ (कुडवा) में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किये जाने की मांग

5—श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभापूरे लाल खां (कुडवा) तहसील मिल्कीपुर, परगना खण्डासा, जिला-फैजाबाद का विद्युतीकरण किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त लगभग बीस खम्भे भी गाड़े जा चुके हैं? क्या अभी तक पूरी लाइन बनवा कर तार नहीं खींचा गया है? यदि हां, तो इसकी स्वीकृति कब हुई है और इसमें विलम्ब का क्या कारण है तथा इसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है और उसके विरुद्ध अब तक

क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

जी हाँ।

ग्राम पूरे लाल खाँ (कुडवा) का विद्युतीकरण वर्ष 1991-92 में स्वीकृत हुआ था, परन्तु ग्रामीणों द्वारा अवरोध उत्पन्न किये जाने के कारण कार्य पूरा नहीं किया जा सका है। इसके लिए किसी विभागीय अधिकारी/कर्मचारी को दोषी ठहराया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

उक्त विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया जाना ग्राम के सम्मानित व्यक्तियों के सहयोग पर निर्भर करता है, जिसके लिए प्रयास जारी हैं।

मोटर वेहिकिल एक्ट के अन्तर्गत पुलिस की वेहिकिल चेकिंग के प्राप्त अधिकारों की जानकारी

6—श्री बालेश्वर त्यागी—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोटर वेहिकिल एक्ट के अन्तर्गत पुलिस को किन-किन मामलों में चेकिंग का अधिकार दिया गया है?

परिवहन मंत्री (श्री नन्दलाल पटेल)—

मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन पुलिस को धारा-6(2), 47, 39, 112, 130, 179, 184, 185, 186, 197, 202, 203, 206 और 207 के अन्तर्गत चेकिंग का अधिकार प्राप्त है।

एल०डी०ए० के भूखण्डों की बिक्री पर लाभांश देने की अनिवार्यता के संदर्भ में प्रश्नकर्त्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

7—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको प्रश्नकर्ता का 1-6-94 का पत्र मिला है? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या एल० डी० ए० के भूखण्डों की बिक्री पर लाभांश का 40 प्रतिशत एल० डी० ए० को देना अनिवार्य है? यदि नहीं, तो विभाग आपत्ति देने से मना क्यों कर रहा है?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

वर्तमान समय में कोई लाभांश नहीं लिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद शाहजहाँपुर के ग्राम रौसर कोठी में लगे नलकूपों को ऊर्जीकृत न किये जाने के कारणों की जानकारी

8--श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत शाहजहांपुर जनपद में ग्राम रौसर कोठी में जो नलकूप 1977-78 से निर्माणाधीन है, को ऊर्जीकृत न कराने के क्या कारण हैं? क्या मंत्री जी इसके लिये दोषी व्यक्तियों को दण्डित करेंगे? यदि नहीं तो क्यों?

सुश्री मायावती-

वर्ष 1977-78 से अब तक स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत रौसर कोठी में किसी भी नलकूप के ऊर्जीकरण हेतु आवेदन पत्र राज्य विद्युत परिषद् के सम्बन्धित कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहाँपुर के ब्लाकों के ग्राम उदारा, हुसैनापुर, भावलखेड़ा में विद्युतीकरण करने की माँग

9—श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि शाहजहांपुर जनपद के ग्राम उदारा (ब्लाक-निगोही) व ग्राम हुसैनापुर (ब्लाक भावलखेड़ा) में बिजली के तार एक वर्ष से टूटे पड़े हैं? यदि हां, तो क्या जनहित में भावलखेड़ा में तार लगवाने की व्यवस्था करेंगे?

सुश्री मायावती--

जी हाँ।

ग्राम उदारा में विद्युत कनेक्शन के अभाव में पुनः विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने पर धन व्यय किया जाना अभी उचित नहीं ठहराया गया है। ग्राम हुसैनापुर की विद्युत आपूर्ति पुनः सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक स्टोर सामग्री प्राप्त कर ली गयी है, तथा कार्य सम्पादन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है।

जनपद शाहजहाँपुर में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दी जा रही जलापूर्ति के मानक की जानकारी

10—श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद में प्रति व्यक्ति कितनी जलापूर्ति प्रतिदिन हो रही है? क्या यह मानक के अनुसार है? यदि नहीं, तो मानक के अनुसार जलापूर्ति हो सके, इसके लिये कोई अतिरिक्त धन या व्यवस्था शासन की ओर से की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम किशोर विन्द–

35 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जलापूर्ति हो रही है।

जी नहीं।

ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति का मानक 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। शाहजहाँपुर जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में 5927 हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराए गये हैं। इस प्रकार 250 व्यक्तियों पर एक हैण्डपम्प लगाकर संतृप्तिकरण किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता।

श्री लखीचन्द्र, सहायक अभियन्ता, टाण्डा तापीय परियोजना द्वारा अनुचित ढंग से अंक बढ़ाने विषयक मा० सदस्यों का हस्ताक्षरित पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

11–श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, कुंवर मानवेन्द्र सिंह एवं सतीश भाटिया के संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 4-1-95 जो कि प्रमुख सचिव (ऊर्जा) एवं अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित था तथा जिसमें श्री लखीचन्द्र, सहायक अभियन्ता, टाण्डा तापीय परियोजना द्वारा अनुचित ढंग से अंक बढ़ाने विषयक था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि पुनर्मूल्यांकन द्वारा और कितने अभ्यर्थियों के अंक बढ़ाये गये थे।

श्रीमती मायावती–

जी हाँ, किन्तु प्रश्नगत पत्र दिनांक 4-1-95 केवल माननीय विधायक श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल द्वारा ही हस्ताक्षरित है।

प्रश्नगत शिकायती-पत्र पर महाप्रबन्धक, टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना, विद्युत नगर टाण्डा, फैजाबाद के स्तर से जाँच कराई गई।

परिवादी के पत्र में उल्लिखित एक मामले को छोड़कर पुनर्मूल्यांकन द्वारा अन्य किसी अभ्यर्थी के अंक बढ़ाये जाने का मामला प्रकाश में नहीं आया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों के नक्शे निश्चित अवधि में स्वीकृत न करने के कारणों की जानकारी

12—श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों के नक्शे कितने दिनों में स्वीकृत कर वापस किये जाते हैं? क्या सरकार बतायेगी कि दिसम्बर, 93 से अब तक कितने नक्शे मानचित्र स्वीकृति हेतु दाखिल किये गये और कितने दिनों बाद उक्त

नक्शों को स्वीकृति प्रदान की गयी? क्या एक निश्चित अवधि के अन्दर (दाखिल) नक्शों को स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु सरकार निर्देश जारी करेगी?

सुश्री मायावती—

वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत मानचित्रों के स्वीकृति/अस्वीकृति की कार्यवाही 90 दिनों के अन्दर करके प्राप्त आवेदन-पत्रों का निस्तारण किया जाता है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण में माह दिसम्बर, 93 से मार्च, 95 तक कुल 984 मानचित्र प्रस्तुत किये गये, जिसमें से 407 मानचित्र स्वीकृत तथा 539 मानचित्र अस्वीकृत कर कुल 946 मानचित्रों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत किया गया। अवशेष 38 मानचित्र जो निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत हैं, के निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है। माहवार विवरण संलग्न है।

इस संबंध में शासनादेश दिनांक 25-7-92 द्वारा निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

* (देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 241 पर)

13—श्री श्यामदेव राय चौधरी—

(तीसरे मंगलवार में अता० प्र० सं० 72 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

प्रदेश के सभी बिजली कर्मियों के घरों में मीटर लगाने एवं बिजली दरों में हुई वृद्धि की जानकारी

14—श्री श्याम देव राय चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य के सभी बिजली कर्मियों के घरों में मीटर लगाये जाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या बिजली कर्मियों को मिलने वाली बिजली की दरों में वृद्धि की गई है? यदि हां, तो वह दर क्या है?

सुश्री मायावती—

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

दिनांक 1-9-94 से विद्युत दरों को दुगुना कर दिया गया है, बढ़ी हुई विद्युत दरों का विवरण निम्नवत् है :—

क्रम सं०	विवरण / श्रेणी	दो मासीय दर
		रू०
1	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं आपरेटिंग स्टाफ	64/-
2	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	96/-
3	अवर अभियंता एवं समतुल्य पद	192/-
4	सहायक अभियंता एवं समतुल्य पद	288/-
5	अधिशासी अभियंता एवं समतुल्य पद	288/-
6	अधीक्षण अभियंता एवं समतुल्य पद	384/-
7	मुख्य अभियंता स्तर—I/II एवं समतुल्य पद	480/-

एयर कंडीशनर के लिये

एयर कंडीशनर लगने की अवस्था में रु० 200/- प्रति एयर कंडीशनर/दो माह की दर से अतिरिक्त देय है।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के निर्माण कार्यों में निविदा के स्थान पर विचलन स्वीकृत किये जाने के कारणों की जानकारी

15—श्री बालेश्वर त्यागी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 4 दिसम्बर, 1993 से दिनांक 22-3-95 तक गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने किन-किन निर्माण कार्यों में निविदा आमंत्रित करने के स्थान पर विचलन स्वीकृत किया है? ऐसा विचलन किन नियमों के अन्तर्गत किया गया है? क्या ऐसे समस्त विचलन किये गये कार्यों का विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

सुश्री मायावती—

दिनांक 4-12-93 से 22-3-95 तक जिन-जिन निर्माण कार्यों में विचलन स्वीकृत किया गया है, उनकी सूची[1] संलग्न है। निविदा के स्थान पर विचलन किसी कार्य का नहीं किया गया है, बल्कि निविदा के उपरान्त विचलन किए गए हैं।

जो विचलन स्वीकृत हुआ है, वह प्राधिकरण में प्रचलित नियमों के अन्तर्गत किया गया है। चल रहे कार्यों की स्थिति को देखते हुए तथा प्राथमिकता एवं स्थल की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विचलन प्राधिकरण हित में किए गए हैं।

(1 देखिये नत्थी 'ए' आगे पृष्ठ 242 पर)

प्रदेश में अवैध कब्जों तथा अतिक्रमण को हटाने की सरकार की योजना

16—श्री कृष्ण कुमार नवमान—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में अवैध कब्जों तथा अतिक्रमण को हटाने के लिये सरकार की क्या योजना है? उक्त अवैध कब्जों को सरकार कब तक हटायेगी?

श्री राम किशोर बिन्द—

उ० प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 (यथा संशोधित) तथा उ० प्र० नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1916 (यथा संशोधित) के अधीन प्रदेश के नागर क्षेत्रों में होने वाले अवैध कब्जों तथा अतिक्रमण को हटाये जाने का प्राविधान है।

उपर्युक्त प्राविधानों के अधीन ही अवैध कब्जों तथा अतिक्रमणों को हटाये जाने की कार्यवाही समय-समय पर की जाती है।

जिला सीतापुर के विकास खण्ड परसेन्डी के ग्राम अहमदपुर कंजा में विद्युतीकरण कार्य स्वीकृति के बाद भी न किये जाने के कारणों की जानकारी

17—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम अहमदपुर कंजा विकास खण्ड परसेन्डी जिला सीतापुर में गांव के विद्युतीकरण के बारे में अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड जिला सीतापुर की ओर से एक्सटेंशन इम्प्रूवमेन्ट पैलेस के रूप में मुख्य अभियन्ता, लखनऊ जोन को वर्ष 1992-93 अथवा 1993-94 में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो अब तक स्वीकृति न दिये जाने का क्या कारण है? स्वीकृति के बाद कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा?

सुश्री मायावती—

जी हाँ।

विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन-पत्र के अभाव में प्रस्तावित कार्य की उपयुक्तता एवं अनुमानित व्यय-भार के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के औचित्य को ध्यान में रखते हुए उक्त पैकेज की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी थी। तत्पश्चात् विद्युत कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं के आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में पुनः संशोधित दरों पर प्राक्कलन स्वीकृत करके उक्त कार्य हेतु पैकेज रु० 0.81 लाख की लागत का 10 मार्च, 1995 को स्वीकृत कर दिया गया।

उक्त स्वीकृत पैकेज के अन्तर्गत आवश्यक स्टोर सामग्री प्राप्त कर ली गयी है तथा कार्य सम्पादन हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है।

मध्यावधि चुनाव के बाद 242 वाराणसी दक्षिणी में पूर्वांचल विकास निधि योजना से लगाये गये, हैण्डपम्पों, नलकूपों और पाईप लाइनों की सूचीबद्ध जानकारी

18—श्री श्याम देव राय चौधरी—

क्या नगर विकास मंत्री वर्ष 1989 के सामान्य निर्वाचन वर्ष 1991 तथा 1993 के मध्यावधि चुनाव के बाद 242. वाराणसी दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में, पूर्वांचल विकास निधि से लगाये गये हैण्ड पम्पों, अधिष्ठापित नये नलकूप तथा जल संयोजन हेतु बिछाई गई पाईप लाइन की सूची उपलब्ध करायेंगे?

श्री राम किशोर बिन्द—

वर्ष 1989 में पूर्वांचल विकास निधि योजना लागू नहीं थी सामान्य निर्वाचन वर्ष 1991 तथा 1993 के मध्यावधि चुनाव के बाद 242 वाराणसी दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में पूर्वांचल विकास निधि योजना के अन्तर्गत माननीय सदस्य विधान सभा के प्रस्ताव पर लगाये गये हैण्डपम्पों वर्ष 90-91 में 31. 91-92 में 16. 92-93 में 30 एवं 93-94 में 56 की सूची तथा अधिष्ठापित नये नलकूप एवं जल संयोजन हेतु बिछाई गई पाइप लाइन की सूची, मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है।

जिला देवरिया नवसृजित जनपद पडरौना के सब-स्टेशन फाजिल नगर के ग्राम भटही खुर्द में क्षतिग्रस्त खम्भा बदलते समय पुराने उपभोक्ताओं के कनेक्शनों को पुनर्जीवित न करने के कारणों की जानकारी

19—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया के सब-स्टेशन फाजिलनगर के ग्राम भटही खुर्द में 11/92 में क्षतिग्रस्त पोल बदलते समय कितने पुराने उपभोक्ताओं के कनेक्शन पुनर्जीवित किये गये और कितने उपभोक्ताओं के उसी पोल से कनेक्शन पुनर्जीवित नहीं किये गये एवं वर्तमान में कितने कनेक्शन अकारण काटे गये हैं? उन्हें पुनर्जीवित न करने का कारण क्या है? क्या मंत्री जी द्वारा क्षेत्रीय दैनिक जागरण पत्रों में दिनांक 12-3-93 (आज) 13-3-93 (दैनिक जागरण) 24-3-93 (आज) 8-4-93. 16-4-93 एवं 9-7-93 (दैनिक जागरण) में प्रकाशित शिकायतों की जांच कराई गई? यदि हां, तो दोषी अधिकारी/कर्मचरियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती—

(जिला देवरिया) नवसृजित जनपद पडरौना के सब-स्टेशन फाजिलनगर के ग्राम भटही खुर्द में माह 11/92 में क्षतिग्रस्त खम्भा बदलते समय दो पुराने उपभोक्ताओं के कनेक्शन पुनर्जीवित किये गये और एक उपभोक्ता का उसी पोल से कनेक्शन पुनर्जीवित नहीं किया गया। वर्तमान में कोई कनेक्शन अकारण नहीं काटा गया।

माह 11/92 में काटे गये तीन कनेक्शनों में से एक कनेक्शन के पुनर्जीवित न करने का कारण यह है कि एक अन्य ग्रामवासी श्री गौरीशंकर लाल ने लाइन खींचने पर आपत्ति की और दिनांक 8-4-1993 को माननीय मुंसिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया।

जी हाँ।

जाँच के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। जाँच के फलस्वरूप यह पाया गया कि कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

विद्युत वितरण खण्ड उन्नाव के अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की समस्याएं एवं उनके निराकरण की मांग

20—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत वितरण खण्ड उन्नाव के अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के संबंध में मा० श्रम न्यायालय के स्पष्ट आदेश ड्यूटी पर लिये जाने तथा अवशेष भुगतान किये जाने हेतु श्री राजबहादुर सिंह चन्देल, सदस्य, विधान परिषद् का एक पत्र दिनांक 8-2-94 शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो अनु० जाति कर्मचारियों की समस्याओं का क्या निराकरण किया गया?

सुश्री मायावती—

जी हां।

अभिनिर्णय विवाद संख्या 128/83 एवं 135/84 दोनों में 11 तथाकथित श्रमिक हैं, जिनमें 5 अनुसूचित जाति एवं 6 विभिन्न जातियों के हैं। मा० श्रम न्यायालय कानपुर के निर्णय के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्ड पीठ, लखनऊ में याचिका परिषद् द्वारा दाखिल की गई है जिसमें स्थगन प्राप्त नहीं है। याचिका विचाराधीन है। इसलिये कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर-बी में स्थित व्यवसायिक केन्द्रों पर प्रकाश की व्यवस्था की माँग

21—श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर-बी में स्थित व्यवसायिक केन्द्र में प्रकाश व्यवस्था पर कितनी धनराशि प्राधिकरण द्वारा बिजली विभाग को दी गयी है? क्या उससे प्रकाश व्यवस्था हो चुकी है? यदि नहीं, तो उक्त प्रकाश व्यवस्था हेतु बिजली विभाग को आवश्यक धनराशि न दिये जाने के क्या कारण हैं? उक्त व्यवसायिक केन्द्र में प्रकाश व्यवस्था प्राधिकरण द्वारा कब तक करवा दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती—

प्रकाश व्यवस्था का कार्य बिजली विभाग द्वारा न कर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जाता है। अतः धनराशि बिजली विभाग को दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

उक्त व्यवसायिक केन्द्र की प्रकाश व्यवस्था शीघ्र करायी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य अभियन्ता ग्रामीण विद्युतीकरण लखनऊ क्षेत्र को दिये गये पत्र द्वारा गौरीगंज तहसील के रोड पर अवैध खम्भे खड़े करके लाइन बिछाने का आरोप

22—श्री तेजभान सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के दूसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या-60 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित दोषी अवर अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती—

दोषी अवर अभियन्ता, श्री मुसाफिर सिंह द्वारा अवैध तरीके से दिये गये विद्युत कनेक्शनों पर हुये कुल व्यय रु० 10,832.95 की वसूली किए जाने हेतु उनके विरुद्ध विविध अग्रिम प्रकीर्ण के रूप में डाल दिया गया है जिसकी प्रत्यापि उनके वेतन माह जुलाई, 1995 से किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है।

उनका स्थनान्तरण पहले ही कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

23—श्री राम करन आर्य—

[दूसरे सोमवार में अता० प्र० सं०-21 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

24—श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल—

[दिनांक 14.7.95 को अता० प्र० सं० 29 द्वारा उत्तरित।]

उत्तर प्रदेश सरकार के स्थानीय निकाय कर्मियों द्वारा की गई हड़ताल की अवधि का वेतन दिये जाने की मांग

25—श्री सुरेश कुमार खन्ना

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० सरकार प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर स्थानीय निकाय कर्मियों की हड़ताल की अवधि का वेतन देगी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि वर्तमान प्रदेश सरकार के द्वारा शाहजहांपुर नगर परिषद् के कर्मचारियों को पूर्व में की गई हड़ताल की अवधि का वेतन भुगतान किया गया है? यदि हां, तो वर्तमान में की गई हड़तालों का वेतन (हड़ताली अवधि का) क्यों नहीं दिया जायेगा?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी नहीं।

हड़ताली कर्मचारियों के संबंध में कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 7 अक्टूबर, 1993 में नीति व निर्देश जारी किये गये हैं जिसके अनुसार 7 अक्टूबर, 1993 के पश्चात् की गई हड़ताल की अवधि का वेतन भुगतान नहीं किया जा सकता है।

जी हां। पूर्व में कर्मचारियों द्वारा दिनांक 19-7-92 से 22-8-92 तक हड़ताल की गई थी जबकि कार्मिक विभाग का हड़ताल नीति संबंधी शासनादेश दिनांक 7-10-1993 का है। अतएव समझौते में लिए गये निर्णयानुसार हड़ताल की उक्त अवधि को देय अर्जित अवकाश के समक्ष समायोजित करते हुए वेतन का भुगतान कर दिया गया था।

चूंकि हड़ताल नीति संबंधी शासनादेश दिनांक 7-10-1993 से प्रभावी है।

जल निगम की मिर्जापुर स्थित विभिन्न शाखाओं में कार्यरत दैनिक भोगी कर्मचारियों को काम पर लेने की मांग

26—डा० सरजीत सिंह डंग

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जल निगम की मिर्जापुर स्थित विभिन्न शाखाओं और साइटों पर लगभग 80 कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी के रूप में वर्ष 1989 से कार्यरत थे? क्या यह सही है कि उन्हें दिनांक 1-7-94 से कार्य पर आने से मनाकर दिया गया है? यदि हां, तो इन 3 वर्षों से ऊपर कार्यरत रह चुके कर्मचारियों को सरकार पुनः कार्य पर लेने का आदेश देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी नहीं। जल निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार मिर्जापुर में जल निगम की विभिन्न शाखाओं और साइटो पर दिनांक 31-8-1989 के पश्चात् नियुक्त हुए 78 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत थे।

जल निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार 31-8-89 के पश्चात् नियुक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की छंटनी औद्योगिक विवाद अधिनियिम, 1947 का अनुसरण करते हुये की गई थी, जिसमें इन कर्मचारियों की भी छंटनी वर्ष 1991 में ही कर दी गयी थी। कर्मचारियों की यूनियन द्वारा छंटनी के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय से 8-7-91 को स्थगनादेश प्राप्त कर लिया गया था, जिसके कारण इन्हें पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता रहा। मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13-5-94 द्वारा इनकी याचिका खारिज हो गयी। अतः इन्हें 1-7-94 से पारिश्रमिक दिया जाना बन्द कर दिया गया।

जी नहीं। ये कर्मचारी छंटनी शुदा हैं जिनकी छंटनी के समय तीन वर्ष की अवधि पूरी नहीं हुई थी। इन्हें कार्य पर लेने की आवश्यकता नहीं है।

मिर्जापुर में सीवर लाइन पेयजल हेतु पाइप लाइन लगाने की योजना के अन्तर्गत खोदी गयी सड़क को ठीक किये जाने की मांग

27—डा० सरजीत सिंह डंग

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि मिर्जापुर में गंगा कार्य योजना के तहत सीवर सिस्टम बनाने के लिये सड़कें खोदी गयी थीं तथा उनका पुनर्निर्माण भी किया जा चुका है? यदि हां, तो क्या पुनर्निर्माण सड़कों को पुनः पाइप लाइन (पेयजल) तथा केबिल बिछाने के लिये खोदा गया है? यदि हां, तो क्या ऐसी सड़कों की मरम्मत हो चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों? सड़कों की मरम्मत कब तक कर दी जायेगी?

श्री राम किशोर बिन्द–

सूचना एकत्र की जा रही है।

मिर्जापुर की गंगा कार्य योजना हेतु स्थापित सामुदायिक केन्द्र के कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने की मांग

28—डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर में गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत स्थापित सामुदायिक केन्द्र में 11 कर्मचारी सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त किये गये थे? क्या केन्द्र को स्थायी करने तथा कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं को पालिका सेवा में संविलन/समायोजन करने हेतु तत्कालीन अध्यक्ष, नगरपालिका द्वारा दिनांक 24-7-91 तथा जिलाधिकारी, मिर्जापुर द्वारा दिनांक 26-8-92 को प्रस्ताव शासन को भेजा गया था? क्या यह सत्य है कि इसी प्रकार के प्रस्ताव क्षेत्रीय निदेशक, गंगा कार्य योजना का भी शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो संदर्भित कर्मचारियों का संविलन/समायोजन कब तक कर लिया जायेगा? उनके बकाये वेतन का भुगतान शासन कब तक करेगा?

श्री रामकिशोर बिन्द–

जी हां।

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत 11 कर्मचारियों में से 10 कर्मचारियों को नगर पालिका परिषद्, मिर्जापुर में रिक्त होने वाले अकेन्द्रीयित सेवा में पदों पर समायोजित किये जाने संबंधी शासनादेश संख्या 452/नौ–6-95-1 (40)/92, दिनांक 1-4-95 जारी हो चुका है। किन्तु जिलाधिकारी ने अपने पत्र दि० 28-6-95 द्वारा अब अवगत कराया है, कि वर्तमान में नगर परिषद्, मिर्जापुर में अकेन्द्रीयित सेवा का कोई पद रिक्त नहीं है अतः प्रश्नगत सामुदायिक केन्द्र के समस्त पदों को आई०सी०डी०पी० योजनान्तर्गत सृजित करते हुए वेतन निर्धारण किया जाये।

प्रश्न नहीं उठता। क्योंकि प्रश्नगत कर्मचारियों का समायोजन अभी नहीं हो सका है।

जनपद बांदा विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ लिपिक श्री हमीद अहमद के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता की शिकायत एवं जांच

29—श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांकित 13-4-1994 का पत्र श्री तनवीर गांधी के संलग्न पत्र के साथ उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत प्रकरण पर बिन्दुशः जांच कराकर पत्र में कथित व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही कर दी गयी है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

श्री तनवीर गांधी का प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13-4-1994 प्राप्त हुआ है।

जांचोपरान्त श्री हमीद अहमद, वरिष्ठ लिपिक, बांदा विकास प्राधिकरण के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुये। प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम, अलीगढ़ के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पेंशन न मिलने के कारणों की जानकारी

30—श्री कृष्ण कुमार नवमान

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ नगर निगम या पूर्व में नगरपालिका के कितने ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जिन्हें सेवानिवृत्ति के पांच वर्ष से भी अधिक हो गये परन्तु पेंशन नहीं मिल सकी। इनमें से कितनों के प्रकरण नगर निगम में फंसे

हैं तथा कितनों के निदेशालय में? क्या देरी के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम किशोर विन्द–

नगर निगम, अलीगढ़ में ऐसे 66 कर्मचारी हैं, जिनको सेवा निवृत्त हुये 5 वर्ष से अधिक का समय हो गया है और पेंशन नहीं मिली है।

सेवा पुस्तिका अपूर्ण होने तथा कर्मचारियों द्वारा पेंशन प्रार्थना-पत्र कार्यालय में न देने अथवा अति विलम्ब से प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप 38 कर्मचारियों के मामले नगर निगम में तथा 4 मामले निदेशालय में विचाराधीन हैं, शेष 24 कर्मचारियों की पेंशन स्वीकृत हो चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पडरौना में पूर्वांचल विकास निधि से ग्राम तरयालच्छीराम व दवनहां के प्रस्तावित ऊर्जीकरण कार्य को पूर्ण कराने की मांग

31—श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जनपद पडरौना में पूर्वांचल विकास निधि से ग्राम तरयालच्छीराम व दवनहां का ऊर्जीकरण का कार्य माह मार्च, 1994 तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित था? क्या उक्त कार्य पूर्ण करा दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? अनावश्यक विलम्ब का दोषी कौन है? क्या सरकार सम्बन्धित लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

जी नहीं।

उक्त ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए समस्त स्टोर सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं करायी जा सकी है।

स्टोर सामग्री प्राप्त करने की प्रक्रिया तथा स्टोर सामग्री का प्रबन्ध करने एवं कार्य सम्पादन का प्रबन्ध करने एवं कार्य सम्पादन में लगने वाले सामान्य समय को दृष्टिगत रखते हुए किसी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

विद्युत उपकेन्द्र तरैया सुजान एवं दुदही से सम्बन्धित 11 के वी० लाइन के निर्माण हेतु प्रश्नकर्त्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

32—श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 24-2-95 एवं 23-3-95 को प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र सचिव, ऊर्जा को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

जी हां।

33/41 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र तरैया सुजान एवं दुदही से संबंधित 11 के० वी० लाइन के निर्माण हेतु आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही हैं। उपर्युक्त उपकेन्द्रों के जनपदीय कार्यों में कमियों की जांचोपरान्त 33 के० वी० दुदही उपकेन्द्र में समस्त कार्य सामान्यतया उचित गुणवत्ता का पाया गया। तरैया सुजान उपकेन्द्र के सिविल निर्माण कार्यों की कमियों को दूर कर दिया गया है तथा आवश्यक साज-सज्जा, पंखा आदि उपलब्ध करा दिया गया है। प्रश्न नहीं उठता।

नगरीय विद्युत वितरण मण्डल वाराणसी में माह जनवरी, 1994 से फरवरी, 1995 तक के बिजली बकाया की वसूली न होने के कारणों की जानकारी

33—श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरीय विद्युत वितरण वाराणसी में माह जनवरी, 1994 से फरवरी, 1995 तक बकाया विद्युत बिलों के भुगतान हेतु कितने कैंप लगाये गये और उनमें कितने विद्युत बिलों का भुगतान कराया गया है? क्या यह सही है कि उपभोक्ताओं से पूरे बिल का पैसा लिया गया है और रसीद बिल के 1/3 हिस्से का दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार दिनांक 1 जनवरी, 1994 से फरवरी, 1995 तक के सभी बिलों की जांच विशेष सेल से कराने की कृपा करेगी और विद्युत विभाग से रेवेन्यू सेक्शन जहां नगरीय विद्युत बिल जमा होता है सभी लेजर की भी जांच करायेगी?

सुश्री मायावती–

नगरीय विद्युत वितरण मण्डल, वाराणसी में माह जनवरी, 1994 से फरवरी, 1995 तक बकाया विद्युत बिलों के भुगतान हेतु 433 कैम्प लगाये गये और कुल 49146 विद्युत बिलों का भुगतान कराया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

400 के० वी० सब स्टेशन, सारनाथ वाराणसी की विद्युत लाइन एकाएक बन्द होने के कारणों की जानकारी तथा दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

34—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 24-12-94 को रात्रि 1 बजे 400 के० वी० सब स्टेशन, सारनाथ वाराणसी की लाइन एकाएक बन्द होने से वाराणसी की सभी विद्युत लाइनें बन्द हो गयी जिससे रेलों का आवागमन बन्द हो गया तथा सभी प्रतिष्ठान पूर्वांचल के बन्द हो गये? क्या यह सही है कि उक्त सब स्टेशन दिनांक 25-12-94 को 10 बजे दिन में ठीक कराया गया? क्या डी० सी० दीक्षित अधिशासी अभियन्ता टी० एण्ड सी० वाराणसी में ही थे? क्या सरकार इस मामले की जांच कराकर कार्यवाही करेगी?

सुश्री मायावती—

दिनांक 23/24-12-1994 की रात्रि के 1.20 बजे 400 के०वी० अनपरा-सारनाथ लाइन बन्द हो गयी थी। इस लाइन के बन्द होने के पूर्व 380 मेगावाट विद्युत आयात हो रही थी, जिससे आजमगढ़ को 340 मेगावाट तथा गाजीपुर को 40 मेगावाट विद्युत दी जा रही थी।

उक्त लाइन के बन्द होने से वाराणसी नगर तथा रेलों का आवागमन प्रभावित नहीं हुआ। पूर्वान्चल के प्रतिष्ठानों की विद्युत आपूर्ति भी साहूपुरी 220 के० वी० उपकेन्द्र एवं सुल्तानपुर 400 के० वी० उपकेन्द्र के माध्यम से चालू थी।

सारनाथ 400 के० वी० उपकेन्द्र पर कोई खराबी नहीं थी। उक्त लाइन अनपरा विद्युतगृह के क्षोर पर लाइन के एक फेज की सी०वी०टी० खराब हो जाने के कारण बन्द हुई थी, जिसको बदल कर उक्त लाइन दिनांक 24-12-1994 को सायं 6:19 बजे चालू की गयी।

जी हां।

इस मामले की जांच करवा ली गयी है, तथा दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है।

अधिशासी अभियन्ता नगरीय विद्युत निर्माण खण्ड द्वितीय विद्युत परिषद, वाराणसी को दिये गये पत्रानुसार श्री श्याम बिहारी विश्वकर्मा व श्री सुभाष चन्द्र दुबे के वेतन भुगतान का मामला

35—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्याम बिहारी विश्वकर्मा गांव मूड़ाडीह, पो० टिकरी, जिला-वाराणसी व सुभाष चन्द दुबे गांव बराई पो० नयेपुर चौमुहानी, वाराणसी ने दिनांक 25-7-92 को अलग-अलग प्रार्थना-पत्र अधिशासी अभियन्ता नगरीय विद्युत निर्माण खण्ड द्वितीय विद्युत परिषद, वाराणसी (सिगरा-वाराणसी) को माह अप्रैल, 1990 से मई, 1990 व सितम्बर, 1990 से नवम्बर, 1990 तथा अप्रैल, 1991 से जून, 1992 तक की अवधि के पैसे भुगतान हेतु दिया है? यदि हां, तो उन दोनों के बकाया पैसे का भुगतान अब तक

किया गया? इस संबंध में प्रश्नकर्ता ने उक्त दोनों प्रार्थना-पत्र एवं सभी कागजात के साथ मा० मुख्य मंत्री को अपने पत्र के साथ दिनांक 10-3-95 को भेजा है? उस पर क्या कार्यवाही की गया?

सुश्री मायावती–

जी हां।

छानवीन कराने के उपरान्त पता चला कि श्री श्याम बिहारी विश्वकर्मा व श्री सुभाष चन्द दुबे को माह अप्रैल, 90 से मई, 90, सितम्बर, 90 से नवम्बर, 90 तथा अप्रैल, 91 से जून 92 की अवधि में कभी भी कार्य पर रखा ही नहीं गया। अतः इन्हें उक्त अवधि का भुगतान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जी हां।

मा० विधायक महोदय के पत्र के साथ श्री सुभाष चन्द दुबे एवं श्री श्याम बिहारी विश्वकर्मा के जो प्रार्थना-पत्र दिनांक 25-7-92 संलग्न थे उस पर मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, वाराणसी को आवश्यक जांच करके कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये थे। छानबीन करने के उपरान्त पता चला कि श्री श्याम बिहारी विश्वकर्मा व श्री सुभाष चन्द दुबे को माह अप्रैल 90 से मई 90, सितम्बर 90 से नवम्बर 90 तथा अप्रैल 91 से जून 92 की अवधि में कभी भी कार्य पर रखा ही नहीं गया। अतः इनको उक्त अवधि का भुगतान करने का प्रश्न नहीं उठता।

ईंट भट्ठों पर पावर कनेक्शन इंडस्ट्रियल दर पर दिया जाना

36—डॉ० सरजीत सिंह डंग–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कुल कितने ईंट-भट्ठों पर राज्य विद्युत परिषद् द्वारा पावर कनेक्शन दिये गये हैं? इस विद्युत का उपभोग एग्रीकल्चर माना जायेगा कि इण्डस्ट्रियल? क्या यह सत्य है कि पावर कनेक्शन देने के बावजूद बिल इण्डस्ट्रियल दरों के न भेज कर एग्रीकल्चरल दरों पर भेजे गये हैं तथा उसी प्रकार वसूली भी की गई है? यदि हां, तो 1994-95 में राज्य विद्युत परिषद् को इसके कारण कितना घाटा उठाना पड़ा है? इस विसंगति के लिये कौन दोषी है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

सुश्री मायावती–

बहुधा ईंट भट्ठों की विधा के लिये परिषद् द्वारा पावर के कनेक्शन नहीं दिये गये हैं। ईंट-भट्ठों पर दिये गये पावर कनेक्शनो की संख्या का विवरण परिषद् स्तर पर नहीं रखा जाता। पूरे प्रदेश से सूचना एकत्र की जा रही है।

ईट-भट्ठें पर पावर कनेक्शन के लिये इण्डस्ट्रियल दर लगेगी।

जी नहीं, ऐसे किसी मामले की सूचना संज्ञान में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कोटद्वार नगर जनपद, पौड़ी-गढ़वाल जल संस्थान, देहरादून द्वारा सीवर लाइन बिछाने में हुई अनियमितता की जानकारी

37—डा० सरजीत सिंह डंग—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोटद्वार नगर जनपद, पौड़ी-गढ़वाल में वित्तीय वर्ष 1994-95 में गढ़वाल जल संस्थान देहरादून द्वारा सिवरेज लाइन बिछायी जा रही है? सिवरेज लाइन हेतु कुल कितनी धनराशि दी गयी तथा कितनी धनराशि का व्यय हुआ है? इस योजना का अवशेष कार्य कब तक पूरा किया जायेगा? क्या इस योजना के कार्यान्वयन में बरती गयी अनियमितताओं के संदर्भ में गढ़वाल नशाबन्दी परिषद् के अध्यक्ष श्री जगमोहन भारद्वाज का पत्र दिनांक 23 मार्च, 1995 मंत्री जी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री रामकिशोर बिन्द—

सूचना एकत्र की जा रही है।

38—श्री चैनसुख भारती—

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

अलीगढ़ नगर को नगर निगम द्वारा पेयजल की आपूर्ति की अवधि बढ़ाने की मांग

39—श्री कृष्ण कुमार नवमान—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ नगर को नगर निगम द्वारा पेयजल आपूर्ति एक दिन में कुल कितने घंटे होती है? क्या चौबीस घंटे में कुल या डेढ़ घंटा ही जलापूर्ति होती है? यदि हां, तो क्या सरकार इसे सुबह-दोपहर-शाम दो-दो घंटा अर्थात् छह घंटे करने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम किशोर बिन्द—

अलीगढ़ नगर में पेयजल आपूर्ति प्रतिदिन अलग-अलग जोनों में अलग-अलग अवधि में की जाती है। ये अवधि 4 घन्टे से 10 घंटे के मध्य है, हां यह सही है कि कुछ सीमित क्षेत्रों में एक या डेढ़ घंटा जलापूर्ति होती है। दिन में सुबह-दोपहर शाम 2-2 घंटे पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु जल निगम द्वारा एवं पुनर्गठन प्रथम चरण योजना अंकन

रु० 497.75 लाख तैयार की गई है, इसके कार्यान्वयन के पश्चात् तीनों समय दो-दो घंटे पेयजल आपूर्ति हो सकेगी।

प्रदेश के महानगरों में मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु वर्ष 1994-95 में दी गयी धनराशि के विवरण की जानकारी

40—श्री सत्य प्रकाश विकल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों को मार्ग प्रकाश व्यवस्था के लिये कितनी धनराशि शासन द्वारा अलग-अलग नगर निगमों को प्रतिवर्ष दी जा रही है? क्या आगरा महानगर को वहां की आवश्यकता से अत्यधिक कम धनराशि दी जा रही है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है? क्या इस धनराशि को बढ़ाने पर विचार करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम किशोर बिन्द—

प्रदेश के महानगरों को मार्ग प्रकाश व्यवस्था व सफाई उपकरण क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 94-95 में निम्नवत धनराशि दी गई है :—

1—नगर निगम, आगरा	रु० 2,50,000
2—नगर निगम, कानपुर	रु० 2,50,000
3—नगर निगम, लखनऊ	रु० 2,50,000
4—नगर निगम, बरेली	रु० 2,50,000
5—नगर निगम, मेरठ	रु० 2,50,000
6—नगर निगम, गोरखपुर	रु० 2,50,000
7—नगर निगम, वाराणसी	रु० 2,50,000

इन कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 1994-95 में मा० मुख्य मंत्री जी की घोषणा/आदेशों के परिपेक्ष्य में नगर निगम, इलाहाबाद को रु० 50,00,000 लाख तथा नगर निगम, आगरा को रु० 14,00,000 लाख एवं नगर निगम, बरेली को रु० 6,00,000 विशेष सहायक अनुदान के रूप में दिया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वांचल विकास निधि से सेवरही विधान सभा क्षेत्र हेतु स्वीकृत विद्युतीकरण योजना को पूरा न किये जाने के कारणों की जानकारी

41—श्री नन्द किशोर मिश्र—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1993-94 के पूर्वांचल विकास निधि से सेवरही विधान सभा क्षेत्र के स्वीकृत दो ग्रामों के क्रमशः तरया लच्छीराम व खनहों के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण करा लिया गया है? यदि हां तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार विलम्ब के लिये दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

सुश्री मायावती—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए समस्त स्टोर सामग्री अभी प्राप्त नहीं करायी जा सकी है।

स्टोर सामग्री प्राप्त करने की प्रक्रिया तथा स्टोर सामग्री का प्रबन्ध करने एवं कार्य सम्पादन में लगने वाले सामान्य समय को दृष्टिगत रखते हुए किसी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

42—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त।

जनपद बांदा की बस सेवाओं को संचालित करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

43—श्री राज कुमार शिवहरे—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 15-11-1994 ई० का जो पत्र बांदा जनपद की बस सेवाओं को संचालित करने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित मार्गों पर परिवहन निगम की बसें संचालित कर दी गयी हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नन्द लाल पटेल—

जी हां।

जी नहीं। मा० विधायक के दिनांक 15-11-94 के पत्र में इंगित मार्ग अन्तर्राज्यीय मार्ग है जिन पर बस संचालन करने के लिये सम्बन्धित राज्य (मध्य प्रदेश) के साथ कोई समझौता नहीं है।

प्रदेश के विभिन्न नगरों में मास्टर प्लान में निर्धारित आवासीय क्षेत्रों में व्यवसायिक निर्माण का दायित्व रखने वाले अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितता

44—श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न नगरों में मास्टर प्लान में निर्धारित आवासीय क्षेत्रों में व्यवसायिक निर्माण रोकने का दायित्व किसका है? गाजियाबाद नगर में पिछले दो वर्ष से इस दायित्व का निर्वहन किस अधिकारी द्वारा किया जा रहा है? इस अवधि में कितने ऐसे निर्माण हुये हैं जो मास्टर प्लान के विरुद्ध हैं तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है? क्या इसका विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

सुश्री मायावती–

प्रदेश के विभिन्न नगरों में मास्टर प्लान में अंकित आवासीय क्षेत्रों में व्यवसायिक निर्माण रोकने का दायित्व सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों एवं विनियमित क्षेत्रों का है। गा० वि० प्रा० में पिछले दो वर्षों की अवधि में दिनांक 21-10-93 से 17-3-94 तक श्री शम्भू नाथ, संयुक्त सचिव, श्री अभय कुमार बाजपेई, संयुक्त सचिव, श्री दिलबाग सिंह, विशेषाधिकारी एवं श्री श्याम सिंह यादव, विशेषाधिकारी एवं दिनांक 17-3-94 से 17-6-95 तक श्री श्याम सिंह यादव, विशेषाधिकारी द्वारा दायित्वों का निर्वाहन किया गया है। उक्त अवधि में 1670 निर्माण मास्टर प्लान के विरुद्ध पाये गये, 198 निर्माणों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 26, 27 एवं 28 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। इसका विवरण मा० सदस्य मेरे कार्यालय में देख सकते हैं।

जनपद गाजियाबाद में पेयजल की समस्या को सुधारने की मांग

45—श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गाजियाबाद की पेयजल की समस्या में सुधार हेतु एक करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता हेतु प्रशासक सिटी बोर्ड, गाजियाबाद का कोई पत्र दिनांकित 15-4-94 जो सचिव, नगर विकास को संबोधित है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री रामकिशोर बिन्द–

जी हां।

वित्तीय संसाधन की कमी के कारण धनराशि का आवंटन सम्भव नहीं हो सका।

46—डा० सरजीत सिंह डंग–

।न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

आगरा महानगर की सड़को के लिये विशेष अनुदान की मांग

47—श्री रमेशकान्त लवानियां–

क्या नगर विकास मंत्री आगरा महानगर को वित्तीय वर्ष 1995-96 में विशेष सड़क अनुदान देने पर विचार करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम किशोर विन्द–

संसाधनों की उपलब्धता नियमों आदि को देखते हुये प्रस्ताव प्राप्त होने पर यथा समय देखा जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर महापालिका आगरा के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन समय से न दिये जाने की शिकायत

48—श्री रमेशकान्त लवानियां–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका, आगरा के वह कर्मचारी जो दिनांक 1 जनवरी, 1986 से पूर्व सेवानिवृत्त हो गये हैं, की पेंशन के दिनांक 1 जनवरी, 1986 से 28 फरवरी, 1993 तक के बकाया का भुगतान हो गया है? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार इसके भुगतान हेतु नगर महापालिका आगरा को अनुदान देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम किशोर विन्द–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रदेश की स्थानीय निकायों के पेंशनरों के बकाया पेन्शन के भुगतान का दायित्व संबंधित स्थानीय निकायों का होता है। शासन द्वारा इस निमित्त कोई अनुदान नहीं दिया जाता है।

सुल्तानपुर नगरपालिका में व्याप्त अनियमितता/भ्रष्टाचार की शिकायत एवं बिन्दुवार जांच की मांग

49—श्री तेजभान सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बनाने की कृपा करेंगे कि जिला कांग्रेस कमेटी (ई) सुल्तानपुर (उ०प्र०) के संगठन मंत्री, श्रीनाथ वर्मा का रजिस्टर्ड पत्र दि० 11-3-94, जिसमें सुल्तानपुर नगरपालिका में व्याप्त अनियमितता/भ्रष्टाचार की जांच कराने का अनुरोध किया गया है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच करा ली गयी

है? यदि हां, तो बिन्दुवार जांच रिपोर्ट क्या है? कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामकिशोर बिन्द–

जी हां।

जी हां।

जांच रिपोर्ट अत्यन्त विस्तृत है, जिसे मा० मंत्री जी के कार्यालय में किसी भी इंगित तिथि पर देखा जा सकता है।

जांच में कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं पाये गये है।

जांच में कोई आरोप किसी अधिकारी/कर्मचारी पर सिद्ध नहीं हुआ है।

ग्राम हरकरापुर जिला सुल्तानपुर में विद्युतीकरण का मामला

50—श्री तेजभान सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता को उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के तत्कालीन अध्यक्ष के पत्रांक–1886–पी ए/रा वि प/91 (77 वी० आई० पी० ई० एम), दिनांक 31 जुलाई, 1991 द्वारा जिसमें ग्राम–हरकरापुर, जिला–सुल्तानपुर में विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, लखनऊ क्षेत्र, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये जाने की सूचना दी गयी थी, के संबंध में अब तक क्या कारण हैं? क्या उक्त ग्राम में विद्युतीकरण कराये जाने के आदेश प्रदान करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

ग्राम हरकरापुर (हरकानपुर) कोड संख्या 183 का एल०टी० मेन्स द्वारा विद्युतीकरण एक हरिजन बस्ती के साथ दिनांक 8-1-1988 को किया जा चुका है। राज्य विद्युत परिषद् की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए विद्युतीकृत ग्रामों के छूटे हुए पुरवों का विद्युतीकरण किया जाना अभी सम्भव नहीं है।

बरेली मण्डल के अवकाश प्राप्त यातायात अधीक्षकों को सेवानिवृत्ति के बाद के अवशेषों का भुगतान किये जाने की मांग

51—श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह नवम्बर, 1994 में कितने यातायात अधीक्षकों ने बरेली मण्डल से अवकाश ग्रहण किया। क्या उन लोगों को अभी तक पेंशन, ग्रेच्युटी सामूहिक बीमा व फण्ड का भुगतान नहीं किया गया। यदि हां, तो इसके क्या कारण है? क्या श्री बाल गोविन्द अवस्थी यातायात अधीक्षक जो कि गोलागोकरन नाथ जिला–खीरी से माह नवम्बर, 1994 में रिटायर हुये थे, को समस्त औपचारिकतायें पूरी होने के बाद भी पेंशन, ग्रेच्युटी तथ ई० पी० एफ० का भुगतान नहीं किया गया। यदि हां, तो क्यों?

श्री नन्दलाल पटेल–

माह नवम्बर, 1994 में एक यातायात अधीक्षक श्री बालगोविन्द अवस्थी ने बरेली मण्डल से अवकाश ग्रहण किया।

श्री बालगोविन्द अवस्थी को ई०पी०एफ० का 1,29,206.00 रुपये का भुगतान माह मार्च 1995 में किया जा चुका है। सामूहिक बीमा हेतु श्री अवस्थी के दावा प्रपत्र भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय लखनऊ को भेजे जा चुके हैं। श्री अवस्थी के द्वारा पेंशन एवं ग्रेच्युटी से सम्बन्धित औपचारिकतायें पूर्ण नहीं की गयी हैं। इसीलिए इसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी गढ़वाल साधन सहकारी समिति में दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थाई किये जाने की मांग

52—श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में साधन सहकारी समिति में कितने सचिव कब से दैनिक वेतन के रूप में कार्य कर रहे हैं? क्या इनको स्थायी नहीं किया जा रहा है? क्या सरकार इन सचिवों को स्थायी करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक स्थायी किया जायेगा? यदि नही, तो क्यों?

चौधरी जगवीर सिंह गूजर–

जनपद टिहरी गढ़वाल में साधन सहकारी समिति में कोई सचिव दैनिक वेतन के रूप में कार्यरत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् की प्रमुख इकाई तापीय परिकल्पना एवं अभियंत्रण के कार्यों की जानकारी

53—श्री तेजभान सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् की प्रमुख इकाई तापीय परिकल्पना एवं अभियंत्रण किन-किन कार्यों को सम्पादित करती है? पिछले पंच वर्षों में किन-किन तापीय परियोजनाओं की प्ररचना का कार्य इस इकाई के स्तर पर किया गया?

सुश्री मायावती–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् की प्रमुख इकाई ता० परि० एवं अभि०, परिषद् के अन्तर्गत लगाये जाने वाले तापीय विद्युत ग्रहों के स्थापना से सम्बन्धित निम्न कार्य करती है :–

1— तापीय विद्युत परियोजना की तकनीकी एवं कमर्शियल स्पैशिफिकेशन तैयार करना।

2— आवश्यकतानुसार निविदा सम्बन्धी सभी कार्य निविदा मूल्यांकन, क्रियान्वयन इत्यादि कार्य।

3— सम्बन्धित क्रय समिति के अनुमोदन से पूर्ति आदेश करना।

4— परियोजना के सभी तकनीकी पहलुओं को दृष्टिगत करते हुए, सलाहकार की सहायता से विभिन्न तकनीकी प्रणालियों का अभियन्त्रण करना।

5— परियोजनाओं के सफल निष्पादन हेतु भारत सरकार, कोयला मंत्रालय ऊर्जा तथा वित्त मंत्रालय इत्यादि से समन्वय बनाना तथा परियोजना के लिये विभिन्न अनुमोदन/अनुमति प्राप्त करना।

6— परियोजनाओं के निर्माण/इरेक्शन के दौरान तथा बाद में परियोजना स्थल पर तैनात अधिकारियों की परिकल्पना सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करना।

पिछले दस वर्षों में उक्त इकाई द्वारा निम्न तापीय परियोजनाओं की प्ररचना का कार्य किया गया।

1— 2 × 500 मे०वा०अनपरा "ब", 4 × 110 मे०वा० टाण्डा, 2 × 110 मे०वा०पारीछा तापीय विद्युत परियोजनाओं की प्ररचना कार्य।

2— ओबरा, अनपरा "अ" तथा "ब" हरदुआ गंज, टाण्डा, पनकी तथा पारीछा तापीय विद्युत परियोजनाओं के अनुरक्षण परिचालन सम्बन्धित समस्याओं का समाधान।

3— उक्त सभी तापीय परियोजनाओं के अवशेष कार्यों की प्ररचना कार्य।

जिला फैजाबाद के शहरी क्षेत्र फैजाबाद में रिकाबगंज फतेहगंज मार्ग पर समाजवादी पार्टी कार्यालय के पास फैले पानी को निकाले जाने की मांग

54—श्री परशुराम यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद के शहरी क्षेत्र फैजाबाद में रिकाबगंज फतेहगंज मार्ग पर समाजवादी पार्टी के शिविर कार्यालय तथा कसाबवाड़ा के निकट पड़ने वाले नालों का पानी सड़क पर फैला रहने के कारण इस क्षेत्र के

नागरिकों को गत तीन साल से गन्दगी का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो नगर परिषद् (नगर-पालिका) के अधिकारियों द्वारा इस बारे में शिकायतें तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा ध्यान आकृष्ट कराये जाने के बावजूद इस समस्या का निदान न कर पाने के क्या कारण है?

श्री राम किशोर बिन्द–

रिकाबगंज अलका होटल के समीप स्थित भूमिगत नाला काफी पुराना है। नाले में कम क्षमता का पुराना ह्यूम पाइप पड़ा होने के कारण वर्षा के दिनों में पानी का निकास धीमी गति से होता है। फलतः सड़क पर जल भराव हो जाता है। कम क्षमता के ह्यूम पाइप के स्थान पर आर०सी०सी० कवड पक्का नाला बनाये जाने का प्रारम्भिक आगणन धनराशि रु० 70,000 रु० का तैयार किया गया है। किन्तु वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण उक्तनिर्माण कार्य नहीं कराया जा सका है।

जिला सिद्धार्थनगर के ग्राम मेहनुवा के विद्युतीकरण का मामला

55—श्री रमापति उर्फ रमाकान्त–

क्या उर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-मेहनुवा ग्राम-सभा चिउटहा तहसील-बांसी जिला–सिद्धार्थनगर में विद्युतीकरण कराने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16 फरवरी, 1995 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों।

सुश्री मायावती–

ग्राम मेहनुवा के विद्युतीकरण विषयक माननीय सदस्य का पत्र दिनांक 21 फरवरी, 1995 प्राप्त हुआ है।

ग्राम मेहनुवा का चयन जिला सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा न किये जाने की स्थिति में उक्त ग्राम का विद्युतीकरण किया जाना अभी सम्भव नहीं है।

जनपद सोनभद्र में गठित जिला सहकारी फेडरेशन द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन आदेश के रिक्त होने के बाद कार्य प्रारम्भ किया जाना

56—श्री तीरज राज–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में जिला सहकारी फेडरेशन (डी० सी० एफ०) का गठन हुआ है? यदि हां, तो कब तक सोनभद्र में डी० सी० एफ० कार्य करना प्रारम्भ करेगा।

चौधरी जगवीर सिंह गूजर–

जी हां।

मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिये गये स्थगन आदेश के रिक्त होते ही सोनभद्र में डी०सी०एफ० कार्य करना प्रारम्भ करेगा।

जनपद सोनभद्र में जिला सहकारी बैंक लि० का मिर्जापुर जिला सहकारी बैंक लि० से पृथक कर देने की मांग

57—श्री तीरथ राज—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–सोनभद्र में जिला सहकारी बैंक लि० सोनभद्र का पंजीकरण हुआ है? यदि हां, तो आज तक सोनभद्र जिला सहकारी बैंक लि० को मिर्जापुर जिला सहकारी बैंक लि० से अलग क्यों नहीं किया गया? कब तक पृथक कर दिया जायेगा?

चौधरी जगवीर सिंह गूजर—

जी हां।

उ० प्र० सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 126 (2) के अधीन निबन्धक द्वारा जिला सहकारी बैंक लि० मिर्जापुर के विभाजन हेतु निर्गत किये गये आदेश के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित स्थगन आदेश के फलस्वरूप जिला सहकारी बैंक लि० मिर्जापुर का विभाजन न होने के कारण सोनभद्र जिला सहकारी बैंक लि० का गठन नहीं हो सका।

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में जिला सहकारी बैंक लि० मिर्जापुर के विभाजन आदेश के विरूद्ध याचिका निष्प्रभावी हो जाने एवं उ०प्र० सहकारी समिति अधिनियम की धारा 90 (ख) के अधीन रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से विभाजन योजना की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही सोनभद्र बैंक का पृथक होना सम्भव हो सकेगा।

श्री पी० एन० श्रीवास्तव तत्कालीन नगर अधिकारी नगर निगम लखनऊ के अवशेष वेतन के भुगतान के संबंध में जानकारी

58—श्री विश्राम सिंह यादव—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री पी० एन० श्रीवास्तव, तत्कालीन सहायक नगर अधिकारी, नगर निगम, लखनऊ के दिनांक 1-8-1991 से दिनांक 16 दिसम्बर, 1992 तक के अवशेष वेतन के भुगतान के संबंध में संयुक्त सचिव, लोक शिकायत निदेशालय, श्री राज्यपाल कार्यालय, लोक शिकायत अनुभाग–4, लखनऊ का पत्रांक–210/1993/2 (101)/93/लो० शि०–4, दिनांक 30 जून, 1993 मुख्य नगर अधिकारी, लखनऊ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो अब तक उक्त भुगतान उन्हें न किये जाने का क्या कारण है? इसके लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये हैं? उनके विरुद्ध लोक

शिकायत विभाग उ० प्र० शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त भुगतान नगर निगम लखनऊ द्वारा कब तक करा दिया जायेगा?

श्री रामकिशोर विन्द–

सूचना एकत्र की जा रही है।

पौढ़ी गढ़वाल के ग्राम नलाई, मुन्देहा, ढंगरोली, कुडकुडेई (पटवालस्यू) हेतु विद्युतीकरण करने की सरकार की योजना की जानकारी

59—श्री हरक सिंह रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी गढ़वाल के ग्राम–नलाई, मुन्देहा, ढंगरौली, कुडकुडेई "पटवालस्यू" के विद्युतीकरण हेतु सरकार ने कोई योजना बनायी है? यदि हां, तो वह क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली द्वारा वितरण खण्डवार ग्रामीण विद्युतीकरण योजनायें स्वीकृत की जाती हैं, जिनमें ग्रामों के नाम इंगित नहीं किये जाते हैं। जिला सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा चयनित किसी भी ग्राम का विद्युतीकरण उक्त योजना के अन्तर्गत किया जा सकता है। विशिष्ट ग्रामों के लिये पृथक से कोई योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है।

नाहसैण पौड़ी गढ़वाल के विद्युतीकरण की सरकार की योजना

60—श्री हरक सिंह रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि नाहसैण पौड़ी गढ़वाल के विद्युतीकरण कराने की सरकार की कोई योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

ग्राम नाहसैंण एक तोक ग्राम है जिसके विद्युतीकरण पर आने वाला व्यय–भार निर्धारित मानक से अधिक है, अतः उक्त ग्राम का विद्युतीकरण अभी सम्भव नहीं है।

जनपद आगरा हेतु पेयजल की समस्या को दूर करने के लिये सरकार की आपात योजना

61—श्री रमेश कान्त लवानियां—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1995-96 में पेयजल समस्या से निपटने के संबंध में जल संस्थान, आगरा द्वारा शासन को कोई आपात योजना भेजी गयी है? यदि हां, तो कितने रुपये की और वह क्या है? क्या शासन इस योजना के कार्यों को पूरा करने के लिये धनराशि उपलब्ध करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामकिशोर बिन्द—

जी हां। रु० 59.90 लाख की योजना प्राप्त हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है :—

1—आगरा नगर में अधिष्ठापित रु० 9.94 लाख हैण्डपम्पों के रखरखाव हेतु।

2—जोनल पम्पिंग स्टेशनों पर रु० 29.35 लाख पंम्पिंग प्लान्ट्स के रखरखाव व सुदृढ़ीकरण हेतु।

3—(अ) टैकरों के क्रय पर व्यय हेतु रु० 3.00 लाख

(ब) ट्रैक्टरों के किराये पर रु० 1.20 लाख व्यय हेतु।

(स) टैंकर, टैक्ट्रों के रखरखाव रु० 1.00 लाख व संचालन पर व्यय हेतु।

4—स्थाई रूप से खराब हैण्डपम्पों रु० 15.00 लाख में से 100 हैण्डपम्पों की रीबोरिंग हेतु।

सूखा कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में 150 नये हैण्डपम्प, 166 हैण्डपम्पों के रिबोर हेतु 38.42 लाख तथा आगरा नगर में 260 नये हैण्डपम्प अधिष्ठापित एवं 10 हैण्डपम्प के रिबोर हेतु 53.00 लाख तथा 3 नलकूपों के निर्माण हेतु 20.00 लाख की धनराशि आवंटित की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

62—श्री अरिमर्दन सिंह—

[दिनांक 14. 7. 95 को अता० प्र० सं०—30 द्वारा उत्तरित]

आगरा महानगर में स्थायी रूप से खराब हैंडपम्पों को ठीक कराने हेतु जलसंस्थान को धनराशि का आवंटन

63—श्री रमेशकान्त लवानियां—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा महानगर में जल निगम द्वारा कितने हैण्डपम्प लगाये गये हैं और उसमें कितने स्थाई रूप से खराब है। क्या ऐसे स्थाई

खराब हैण्डपम्पों को ठीक करने के लिये शासन जल निगम अथवा जल संस्थान को धनराशि देगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम किशोर बिन्द–

आगरा महानगर में जल निगम तथा अन्य संस्थाओं द्वारा कुल 3401 हैण्डपम्प स्थापित किये गये है जिनमें से वर्तमान में स्थायी रूप से 237 हैण्डपम्प खराब है। शासन द्वारा खराब हैण्डपम्पों को ठीक कराये जाने हेतु 50.00 लाख रु० की धनराशि जल संस्थान, आगरा को आवंटित की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

64—श्री बालेश्वर त्यागी–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

65—श्री राजकुमार शिवहरे–

[दिनांक 14. 7. 95 को अता० प्र० सं०–30 द्वारा उत्तरित]

जनपद शाहजहांपुर में वेतन भुगतान की समस्या को लेकर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल

66—श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के दिनांक 24-3-95. 25-3-95. 26-3-95 तथा 27-3-95 के फैक्स सन्देश जो कि शाहजहांपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में थे, प्राप्त हुये? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई? क्या मंत्री जी जनहित में सफाई कर्मचारियों का वेतन भुगतान कराकर हड़ताल समाप्त करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों।

श्री राम किशोर बिन्द

जी हां।

सफाई कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान कराने तथा हड़ताल समाप्त कराने हेतु जिलाधिकारी शाहजहांपुर को शासन द्वारा निर्देश देते हुए जिलाधिकारी शाहजहांपुर की रु० 40.00 लाख की मांग के सापेक्ष्य नगर पालिका परिषद् शाहजहांपुर को चार माह के अंशदान के रूप में रूठ 21.00.000 दिनांक 1-1-86 से बढ़े वेतन के भुगतान हेतु रु० 10.69.100. चुंगी क्षतिपूर्ति के रूप में अप्रैल/मई हेतु रु० 15.18.000 व पथकर क्षतिपूर्ति के रुप में अप्रैल/मई 1995 हेतु रु० 02.08.000 (कुल रु० 48.95.100) दिया गया।

सफाई कर्मचारियों को हड़ताल अवधि के वेतन को छोड़कर 6 माह का वेतन का भुगतान कराकर हड़ताल समाप्त करा दी गयी और सफाई कर्मचारी 8/9 मई, 1995 से अपने काम पर वापस आ गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत तांबे के पारेषण और वितरण की लाइनों को डालना बन्द करके एल्युमीनियम तारों की लाइन डाले जाने के कारणों की जानकारी

67—श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत तांबे के पारेषण और वितरण लाइनों का डालना कब से बन्द हुआ है? उस समय विभिन्न आकार के तांबे के कण्डक्टरों के लाइन की लम्बाई क्या थी? क्या यह सत्य है कि राज्य विद्युत परिषद् के कर्मचारियों और अधिकारियों ने तांबे के पुराने लाइनों के स्थान पर एल्यूमीनियम की पुरानी लाइन डाल दी है? यदि हां, तो क्या निकाले गये तारों को बेच दिया गया है? यदि नहीं, तो वह कहां-कहां पर है?

सुश्री मायावती—

सूचना एकत्र की जा रही है।

विद्युत वितरण खण्ड, कन्नौज, फर्रुखाबाद में मई, 1991 से दिसम्बर, 1992 के मध्य अवैध विद्युतीकरण, अभिलेखों की हेराफेरी, विद्युत चोरी की जांच की मांग

68—श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड, कन्नौज, फर्रुखाबाद में मई, 1991 से दिसम्बर, 1992 के मध्य अवैध विद्युतीकरण सेवा अभिलेखों में हेराफेरी, विद्युत चोरी कराने हेतु सतर्कता जांच एवं अनाधिकृत रूप से सीलिंग प्लायर के कितने मामले दर्ज किये गये तथा किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों को आरोप पत्र कब-कब दिये गये? क्या यह सत्य है कि इन लम्बित मामलो में परिषद् अधिकारियों द्वारा निजीस्वार्थ हेतु लम्बित प्रकरण समाप्त कर दिया गया है? यदि हां, तो किस अधिकारी के आदेश से? यदि नहीं, तो अब तक दोषी अधिकारियों को क्या दण्ड दिया गया? यदि नहीं, ता क्यों?

सुश्री मायावती—

कुल पांच मामले परिषद् के प्रकाश में आये हैं। विद्युत चोरी कराने एवं अनधिकृत रूप से सीलिंग प्लायर रखने के मामले में सर्वश्री के० सी० शर्मा, उपखण्ड अधिकारी एवं ए० के० मिश्रा, अवर अभियंता को क्रमशः 15-2-95 एवं 10-2-95 को आरोप पत्र तामील किए जा चुके हैं तथा एक अन्य अवर अभियंता श्री बी० के० कुलश्रेष्ठ को प्रेषित आरोप पत्र उनके तैनाती स्थल में परिवर्तन के कारण तामील नहीं हो सका।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अवैध विद्युत लाइन का निर्माण कर विद्युत चोरी कराने के एक प्रकरण में परिषदीय सतर्कता जाँच के फलस्वरूप कुल बारह अधिकारियों/कर्मचारियों को निन्दा प्रविष्टि एवं वर्ष 1990-91 की सत्य निष्ठा रोके जाने का दण्ड दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

अनपरा तापीय परियोजना के स्थाई कार्यों को ठेका श्रमिकों से कराये जाने विषयक संघ का पत्र पर कार्यवाही की मांग

69—श्री वासुदेव सिंह तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत श्री नन्द लाल जायसवाल, प्रान्तीय मंत्री, उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ, सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ का पत्र सं० 1312/उ० प्र० लि० म० सं०/लखनऊ, दिनांक 19-4-94 जो कि अध्यक्ष, उ० प्र० रा० विद्युत परिषद् को सम्बोधित था और जिसमें अनपरा तापीय परियोजना में स्थाई प्रकृति के कार्यों को ठेका श्रमिकों द्वारा कराये जाने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती--

सूचना एकत्र की जा रही है।

अनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र में कान्ट्रेक्ट लेबर (रेगुलेशन एण्ड एबोमिशन) एक्ट, 1970 को क्रियान्वित करने की मांग

70—श्री वासुदेव सिंह तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना, सोनभद्र में कान्ट्रेक्ट लेबर (रेगुलेशन एण्ड एबोमिशन) एक्ट, 1970 का क्रियान्वयन हो रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या इनको समान कार्य का समान वेतन दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि नियमित प्रकृति के कुल कितने ऐसे कार्य हैं जो ठेका श्रमिकों द्वारा कराया जा रहा है? ठेकेदारों को कुल कितना-कितना भुगतान किया गया है? क्या इस संबंध में महामंत्री, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती—

सूचना एकत्र की जा रही है।

गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई द्वारा काशी में गंगा की सफाई हेतु व्यय की गई धनराशि की जानकारी

71—श्री श्याम देव राय चौधरी—

क्या सरकार बतायेगी कि गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई द्वारा काशी में गंगा को स्वच्छ बनाये जाने हेतु अब तक कौन से कार्य किये गये हैं और उन पर कितना व्यय हुआ है? शेष कौन से कार्य प्रस्तावित हैं और उन पर कितना व्यय होगा? उक्त कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा? क्या गंगा कार्य योजना के अपेक्षित लक्ष्य की प्रगति संतोषप्रद है?

श्री राम किशोर बिन्द—

गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई द्वारा काशी में गंगा को स्वच्छ बनाये जाने हेतु गंगा कार्यकारी योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत मुख्यतः निम्नलिखित कार्य किये गये हैं:—

(1) पांच घाट पम्पिंग स्टेशनों का रिनोवेशन,

(2) एक नये पम्पिंग स्टेशन का निर्माण,

(3) मुख्य पम्पिंग स्टेशन कोनिया एवं राइजिंग मेन का निर्माण,

(4) दीनापुर सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण,

(5) भगवानपुर सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण, इन पर रु० 37.98 करोड़ व्यय हुआ है।

गंगा कार्यकारी योजना के द्वितीय चरण में जल निगम द्वारा मुख्यतः दीनापुर व भगवानपुर सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की क्षमता बढ़ाना, रामनगर में नये सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण तथा वरुणा नदी से नगर के प्रदूषण रोकने संबंधी कार्य सम्मिलित है। इन कार्यों की फिजीबिलिटी रिपोर्ट गंगा परियोजना निदेशालय, नई दिल्ली को प्रेषित की जा चुकी है जो कि वहां विचाराधीन है। इस पर लगभग 6903.51 लाख रु० व्यय आने का अनुमान है। उक्त कार्य धन उपलब्ध होने पर लगभग 4 वर्ष में पूर्ण होने की सम्भावना है।

जी हां।

विकास प्राधिकरण कानपुर की इन्दिरा नगर कालोनी के भवन संख्या एल० आई० जी०–71 के आवंटी द्वारा आवंटन की तिथि से अब तक जमा की गयी धनराशि की किश्तों का विवरण

72—श्री राम आसरे वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के 1 ले शुक्रवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 14 के उत्तर के संदर्भ में क्या आवास मंत्री कृपया बतायेगी कि विकास प्राधिकरण कानपुर की इन्दिरा नगर कालोनी के भवन संख्या एल० आई० जी०–71 की मूल कीमत

रु० 26264 है? यदि हां, तो आवंटी द्वारा आवंटन की तिथि से अब तक कुल कितनी धनराशि की किश्तें प्रति छमाही जमा करायी जा चुकी हैं? क्या यह सही है कि आवंटी द्वारा मूल धनराशि से अधिक धनराशि प्राप्त कर ली गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

जी हां।

आवंटन के पूर्व आवंटी द्वारा रु० 7250.00 तथा अनुबन्ध की शर्त के अनुसार 30 छमाही किश्तें जो रुपया 1167.32 की थी, एक अप्रैल तथा एक अक्टूबर को जमा करनी थी, आवंटी द्वारा जमा कर दिया गया है।

जी हाँ।

मूल धनराशि से अधिक प्राप्त की गई धनराशि का विवरण निम्न है :–

1/4 धनराशि	रु०	7250.00
3/4 धनराशि	रु०	19,014.00
किश्तों में समायोजित ब्याज	रु०	16,005.00
दण्ड ब्याज	रु०	10,068.15
पट्टा भाड़ा (95-96) रु	रु०	95.00
वारेंट चार्जेज	रु०	218.35
कुल योग	रु०	52,651.10

प्रश्न नहीं उठता है।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत आवासों के आवंटन, किराया सम्बन्धी जारी आदेशों के उल्लघंन की शिकायतें

73—श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या उर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत आवासों के आवंटन, किराया सम्बन्धी जारी आदेशों एवं पेनल रेन्ट के सम्बन्ध में परिषद् ने कोई आदेश जारी किये हैं? यदि हां, तो परिषदीय आदेश क्या है? क्या इस सम्बन्ध में परिषदीय आदेशों का पूरे प्रदेश में उल्लंघन किया जा रहा है? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी है? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31-10-94 जोकि प्रमुख सचिव (ऊर्जा) एवं अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उसकी विन्दुवार स्थिति क्या है?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है।

लेसू लखनऊ में उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु पारित परिषदीय निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की मांग

74—श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसू, लखनऊ में उपभोक्ताओं का राजस्व कार्य भी उपस्थानिक अभियंताओं द्वारा सम्पादित करने संबंधी परिषदीय आदेश जारी किये गये थे? यदि हां, तो कब? पिछले आठ वर्षों तक इसके पालन न करने के लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? कब तक उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा एवं कर्मचारियों के उत्तरदायित्व सम्बन्धी कार्य को सम्पादित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

जी हां।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के लेसू, लखनऊ के उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देने के लिये अक्टूबर, 1985 में एक आर्गनाईजेशनल डेवलपमेन्ट प्लान (ओ० डी० प्लान) बनाया था जिसके अन्तर्गत लेसू को मुख्य स्थानिक अभियन्ता (मुख्य अभियन्ता स्तर–II) के अन्तर्गत दो स्थानिक अभियन्ताओं (अधीक्षण अभियंता स्तर के) की सहायता से पांच उपस्थानिक अभियन्ताओं (अधिशासी अभियन्ता स्तर के) के अन्तर्गत पांच वितरण जनपद यथा आलमबाग, हुसैनगंज, रेजीडेन्सी, अलीगंज एवं इन्दिरा नगर, बनाये गये थे।

इसके लिये कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है।

अक्टूबर, 1985 में निर्गत आदेशों के अनुपालन में पांच उप स्थानिक अभियन्ताओं के कार्यालय स्थापित हो गये किन्तु इन्हें केवल विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का उत्तरदायित्व सौंपा जा सका और राजस्व तथा अधिष्ठान कार्यों का विकेन्द्रीकरण नहीं किया जा सका क्योंकि लेसू में कार्यरत कर्मचारी संगठनों ने इसका उग्र विरोध किया फिर भी उपभोक्तओं को सुविधा देने के उद्देश्य से लेसू द्वारा लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में समय-समय पर उपभोक्ता शिविर लगाये जाते रहे हैं जिसमें विभिन्न उपभोक्ता सेवाओं के अतिरिक्त उपभोक्तागण अपने बिजली के बिलों का भी भुगतान कर सकते हैं। लेसू में परिषद् की अन्य वितरण इकाइयों की भांति कार्यों में एकरूपता लाने तथा बेहतर सेवा देने के उद्देश्य से मुख्य अभियन्ता (लेसू) से एक प्रस्ताव माह दिसम्बर, 1994 में परिषद् को प्राप्त हुआ था जिस पर परिषदादेश माह जनवरी 1995 में निर्गत कर दिया गया है। इसमें उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी शिकायतें तथा नये कनेक्शन आदि निर्गत करने सम्बन्धी कार्य का

विकेन्द्रीकरण किया जा चुका है। विद्युत बीजक बनाने एवं राजस्व वसूली का कार्य आवश्यक जनशक्ति एवं वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण विकेन्द्रीकृत नहीं किया जा सका है। संसाधनों की कमी के कारण पुनर्गठन की प्रक्रिया को पूर्णरूपेण लागू करने में अभी समय लगेगा किन्तु संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देने के हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

अनपरा 'अ' ताप विद्युत गृह में सड़कों की बत्ती जलाने एव अनुरक्षण पर, लिफ्ट चलाने आदि पर व्यय की गयी धनराशि की जानकारी

75—श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा "अ" तापगृह में सड़कों की बत्ती जलाने, लिफ्ट चलाने, सी० एम० आर० कन्वेयर चलाने ई० एस० पी० से राख साफ करने एवं कार्यालय शेडो के मरम्मत करने हेतु वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्धों के तहत मदवार किन-किन ठेकेदारों को कितना-कितना भुगतान पिछले तीन वर्षों में किया गया है? क्या यह सत्य है कि बत्ती जलाने लिफ्ट चलाने एवं सी० एम० आर० कन्वेयर चलाने का कार्य एक या दो मजदूर द्वारा ही किया जा सकता है? क्या इन कार्यों पर प्रतिवर्ष तीन लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यो?

सुश्री मायावती–

अनपरा "अ" ताप विद्युत गृह में सड़कों की बत्ती जलाने एवं अनुरक्षण पर, लिफ्ट चलाने एवं अनुरक्षण पर, सी० एम० आर० कन्वेयर चलाने एवं अनुरक्षण पर, ई०एस० पी० से राख साफ करने तथा कार्यालय शेडों के मरम्मत एवं अनुरक्षण पर पिछले तीन वर्षों (1992-93, 1993-94, व 1994-95) में किये गये भुगतान का ठेकेदार-वार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

जी नहीं।

इन कार्यों पर पिछले तीन वर्षों में औसतन क्रमशः रु० 3.09 लाख, रु० 1.19 लाख एवं रु० 7.24 लाख प्रति वर्ष ठेकेदारों को भुगतान किया गया है, जिसमें उक्त कार्यों से सम्बन्धित सामान्य अनुरक्षण एवं विशेष अनुरक्षण कार्य भी सम्मिलित हैं।

उक्त भुगतान दैनिक मासिक एवं वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध एवं विशेष अनुरक्षण के मद में हुये हैं। इसके लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

गोरखपुर वितरण क्षेत्र में जनपदवार एल० टी० मेन्स द्वारा विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या का विवरण

76—श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य परिषद् के अन्तर्गत गोरखपुर वितरण क्षेत्र में जनपद वार विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या तथा कुल ग्रामों की संख्या क्या है? इन ग्रामों के विद्युतीकरण पर कुल कितना धन व्यय हुआ है? उनसे प्रति वर्ष राजस्व की प्राप्ति क्या है? ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु बिछाई गई विद्युत लाइनों की लम्बाई क्या है? उनमें कितने खम्भों का प्रयोग किया गया है। क्या यह सत्य है कि अभिलेखों में दर्शायी नई अनेकों लाइनें वास्तव में डाली ही नहीं गई है? क्या कुल विद्युतीकृत ग्रामों की वास्तविक संख्या अभिलेखों में दर्शायी गई संख्या की आधा है? यदि हां, तो क्या शासन इस अनियमितता की भौतिक जांच करवायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

गोरखपुर वितरण क्षेत्र में जनपदवार एल०टी० मेन्स द्वारा विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या मार्च 1995 के अन्त में निम्नवत् है:–

जनपद का नाम	ग्रामों की संख्या	
	सी० ई० ए० परिभाषानुसार	एल० टी० मेन्स द्वारा
गोरखपुर	1814	1219
महराजगंज	925	731
देवरिया पडरौना	2367	1631
बस्ती	2497	1061
सिद्धार्थनगर	899	633
आजमगढ़	3288	855
मऊ	1285	447
योग	13075	6577

विद्युतीकरण का कार्य लम्बी कार्यविधि में किये जाने तथा ग्रामवार समस्त व्यय-विवरण अभिलेखों में उपलब्ध न होने की स्थिति में अद्यतन स्थिति में यह सूचना दी जानी सम्भव नहीं है।

उक्त ग्रामों में वर्ष 1994-95 में राजस्व निर्धारण निम्नानुसार रहा है :–

जनपद का नाम	राजस्व निर्धारण (लाख रुपये में)
गोरखपुर	496.60
महराजगंज	13.00
देवरिया, पडरौना	105.30
बस्ती	270.20
सिद्धार्थनगर	126.72
आजमगढ़, मऊ	671.11
कुल	1682.93

विद्युतीकरण का कार्य लम्बी कार्यविधि में किये जाने तथा अभिलेखों में समस्त पोलों की संख्या उपलब्ध न होने की स्थिति में भौतिक सत्यापन कराये बिना पोलों की संख्या बतायी जानी सम्भव नहीं है। अपितु बिछाई गई एच० टी० एवं एल० टी० लाइनों की लम्बाई निम्नवत् है :–

जनपद का नाम	लाइनों की लम्बाई (किलोमीटर में)
गोरखपुर	4432.0
महराजगंज	235.0
देवरिया, पडरौना	6218.6
बस्ती	5481.5
सिद्धार्थनगर	2118.0
आजमगढ़, मऊ	17015.0
कुल	35500.1

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जलविद्युत परियोजनाओं को निजी हाथों में सौपने के कारण एवं जल विद्युत परियोजना श्रीनगर गढ़वाल में अब तक हुए खर्च के विवरण की जानकारी

77—श्री मातवर सिंह कण्डारी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेगे कि प्रदेश में निर्माणाधीन सभी जल विद्युत परियोजनाओं को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय लिये जाने के क्या कारण है? जल विद्युत परियोजना श्रीनगर गढ़वाल में अब तक कितना धन खर्च हुआ? कितनी धनराशि में यह परियोजना निजी हाथों में बेची गयी है? सरकार को क्या लाभ या हानि निजीकरण करने में हुई है?

सुश्री मायावती—

प्रदेश में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं में से विष्णु-प्रयाग एवं श्री नगर जल-विद्युत परियोजनाओं को निजी क्षेत्र में स्थापित करने का निर्णय वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण लिया गया है।

अब तक श्री नगर जल-विद्युत परियोजना पर लगभग रु० 125 करोड़ खर्च हुआ है। यह परियोजना निजी हाथों में नहीं बेची गयी है। अगस्त 1994 में मेसर्स डंकन इण्डस्ट्रीज लि० के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार इस परियोजना को निजी क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। निजी क्षेत्र द्वारा विद्युत परियोजना से प्रदेश को विद्युत मिलने का लाभ प्राप्त होगा। निर्णय जनहित में लिया गया।

उ० प्र० आवास विकास परिषद् की लखनऊ की इन्दिरा नगर विस्तार योजना में निर्मित स्व वित्त पोषित भवनों का कब्जा दिलाये जाने की माँग

78—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या आवास एवं विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० आवास विकास परिषद् की लखनऊ इन्दिरा नगर विस्तार योजना में निर्मित स्व वित्त पोषित वर्ष 1991 सी/93 बी टाइप 501, 401 भवनों का कब्जा अन्तिम भुगतान की किस्त की तिथि माह जून, 94 के बाद दो माह के अन्दर दिया जाना था? यदि हां, तो अब तक कितने आवंटियों को भवन का कब्जा दिया गया? यदि नहीं, तो निर्धारित समय के अन्दर भवन का कब्जा न दिये जाने का क्या कारण है तथा आवंटियों को इसका भौतिक कब्जा कब तक दिया जायेगा? भवन के कब्जे के विलम्ब में दोषी कौन है? क्या सरकार इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही सुनिश्चित करेगी?

सुश्री मायावती–

जी नहीं? प्रश्नगत भवनों की अन्तिम किश्त के भुगतान की तिथि से भवनों के कब्जा देने की कोई तिथि निर्धारित नहीं है। भवनों के आवंटन के उपरान्त आवंटियों द्वारा आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण कर देने के बाद नियमानुसार कब्जा पत्र निर्गत होने पर उन्हें भवनों का कब्जा दिया जाता है।

उपरोक्त स्वयं वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 91-सी के अन्तर्गत 501 डिजाइन के अन्तर्गत फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड का कोई भवन नहीं बनाया गया था। इस योजना के अन्तर्गत केवल 91-सी के 401 डिजाइन सेमी फिनिश्ड के 6 भवन(2 फिनिश्ड 4 सेमी फिनिश्ड) का निर्माण किया गया था जिसमें से 5 भवनों का कब्जा दिया जा चुका है।

कब्जा देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। आवंटियों द्वारा औपचारिकतायें पूर्ण कर लेने के उपरान्त भवन का कब्जा दिया जाता है। 6 भवनों में से 5 भवन का कब्जा दिया जा चुका है। शेष एक भवन का कब्जा पत्र जारी किया जा चुका है परन्तु आवंटी द्वारा सम्पर्क न किये जाने के कारण कब्जा नहीं दिया जा पा रहा है।

भवन का कब्जा देने में विलम्ब नहीं किया गया है, अतः किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना विद्युत नगर टाण्डा के मुख्य द्वारा की भूमि पर कब्जा एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

79—श्री राम आसरे वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के पहले शुक्रवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न सं०–132 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि परिषद् की भूमि पर अनाधिकृत रूप से बनी शेष दुकान को भी खाली करा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 132 के उत्तर में जिस पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति की अनाधिकृत रुप से बनी दुकान खाली करायी जानी अवशेष थी, वह अभी भी खाली नहीं करायी जा सकी है।

उक्त मामले में माननीय सिविल जज, फैजाबाद के न्यायालय के स्थगन आदेश प्रभावी हैं।

जल संस्थान जनपद बांदा डिवीजन झाँसी के दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के लम्बित वेतन के भुगतान का मामला

80—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल संस्थान जनपद बांदा डिवीजन झांसी के दैनिक वेतन भोगी कर्मियों द्वारा 24 माह से लम्बित वेतन के भुगतान हेतु दिनांक 31-10-93 तक अनशन किये जाने पर अधिशासी अभियन्ता कर्वी-बांदा द्वारा 15 दिन के अन्दर समस्त भुगतान के आश्वासन के बाद उन कर्मियों के अवशेष वेतन का भुगतान करा दिया गया है। यदि नहीं, तो क्यों? उक्त प्रकरण में कौन दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री रामकिशोर बिन्द—

जी हाँ। झाँसी जल संस्थान से प्राप्त सूचनानुसार कथन सत्य है।

जी हाँ। झाँसी जल संस्थान से प्राप्त सूचना के अनुसार शासन से अनुदान प्राप्त होने पर माह जून 1995 (अप-टू-डेट) तक का भुगतान किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जल संस्थान बांदा में फर्जी मस्टर रोल बनाकर भुगतान किये जाने के मामले की जाँच की मांग

81—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्तमान समय में जल संस्थान बांदा में फर्जी मस्टर रोल बनाकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है? क्या यह भी सही है कि उक्त तरह के कई अवैधानिक कार्यों में पूर्व से आरोपित कर्मचारियों एवं अधिकारियों की साजिश है? क्या सम्बन्धित कर्मचारियों को स्थानान्तरित करते हुये गहराई से तथ्यों की जांच करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामकिशोर बिन्द—

झाँसी जल संस्थान से प्राप्त सूचना के अनुसार, पाईप लाइन बिछाने एवं पाईप लाइनों के लीकेज/चौकेज मरम्मत कार्य हेतु कार्य कराकर वित्तीय हस्तपुस्तिका में निर्धारित फार्म नं० 21 जिसे मास्टर रोल कहते हैं, प्रतिदिन की उपस्थिति आदि का लेखा जोखा का सत्यापन संबंधित अभियन्ता द्वारा किए जाने के उपरान्त श्रमिक को भुगतान किया जाता है। अतः कर्मचारियों/अधिकारियों की साजिश होने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित स्थिति के परिपेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

गाजियाबाद गौशाला फाटक पर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गयी दुकानों को तोड़े जाने के कारणों की तथा उस भूमि के स्वामित्व की जानकारी

82—श्री बालेश्वर त्यागी—

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद में गौशाला फाटक पर गाजियाबाद में विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 9 सितम्बर, 1994 को गिराई गयी दुकानों की भूमि का स्वामी कौन है? उक्त दुकानें कितनी पुरानी बनी हुई थीं तथा उन्हें गिराने का कारण क्या था? क्या उक्त दुकानों का पुनः निर्माण हो गया है? प्राधिकरण द्वारा दुकान गिराने से पूर्व क्या-क्या कार्यवाही अमल में लाई गई थी?

सुश्री मायावती—

जिला प्रशासन के तत्वावधान में नगर निगम, विकास प्राधिकरण एवं रेलवे विभाग द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 9-12-94 को अनधिकृत रूप से निर्मित दुकानों को हटवाया गया था। गौशाला फाटक पर अनधिकृत रूप से निर्मित हटाई गई दुकानों की भूमि के भू-स्वामी अधिकांशतया रेलवे विभाग है तथा कुछ भूमि सड़क में निहित है। मौके पर प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त अतिक्रमण/दुकानें लगभग पांच-छः वर्ष पुरानी थी।

गौशाला फाटक पर यातायात की सुविधा की दृष्टि से अधोगामी सेतु तथा उसके बराबर में एप्रोच रोड बनाने का निर्णय रेलवे विभाग के अधिकारियों से विचार-विमर्श के पश्चात लिया गया था। रेलवे विभाग के अनुरोध पर प्रस्तावित कार्यों के एलाइन्मेन्ट के अन्तर्गत आने वाले अतिक्रमण को हटाए जाने हेतु दिनांक 9-12-94 को अतिक्रमण/अनधिकृत दुकाने हटवाई गयीं।

स्थल पर हटाये गये अतिक्रमण पर पुनः निर्माण हो गया है। अतिक्रमण को हटाये जाने के लिए एलाइन्मेन्ट के कार्य के समय अनधिकृत निर्माणकर्ताओं को मौखिक रूप से सूचित किया गया और इस हेतु उन्हें पर्याप्त समय भी दिया गया था।

जनपद अलीगढ़ में सार्वजनिक शौचालय बनाए जाने की मांग

83—श्री कृष्ण कुमार नवमान—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया अवगत है कि अलीगढ़ अति लघु कुटीर उद्योगों का नगर होने के कारण यहां की अस्सी प्रतिशत जनता सार्वजनिक शौचालय पर निर्भर है? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा नगर में जनसंख्या के अनुपात से सार्वजनिक शौचालय बनवा दिये गये हैं? यदि हां, तो वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल में कितने शौचालय गरीबों हेतु बनवाये हैं? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम किशोर चिन्द—

जी हाँ।

नगर निगम की जनसंख्या के अनुपात से सार्वजनिक शौचालयों की संख्या में बढ़ोत्तरी सीमित संसाधनों की कमी के फलस्वरूप नहीं की जा सकी है।

वर्तमान में नगर के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 27 सार्वजनिक शौचालय/सुलभ शौचालय बने हुए है।

जी नहीं।

वित्तीय संसाधन की कमी के कारण।

अनवरपुर थाना अटरिया, लखनऊ में विद्युत दुर्घटना से हुई मृत्यु के बाद मृतक आश्रित को आर्थिक सहायता देने की मांग

84—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि श्री आशाराम उपाध्याय, राम आसरे तमोली निवासी अनवरपुर थाना अटरिया बिजली का तार छू जाने से दिनांक 23-4-92 को घायल हुये जिसके फलस्वरूप दिनांक 5-5-92 को बलरामपुर अस्पताल लखनऊ में भर्ती की दशा में उसकी मृत्यु हो गयी? यदि हां, तो मृतकों के आश्रितों को अब तक कोई आर्थिक सहायता उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा न दिये जाने का क्या कारण है? आर्थिक सहायता कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी?

सुश्री मायावती–

दिनांक 23-4-92 की विद्युत दुर्घटना में घायल केवल श्री आशाराम पुत्र श्री राम प्रसाद की दिनांक 9-5-92 को बलरामपुर अस्पताल में मृत्यु हो गयी थी। मृतक आशाराम का ही नाम बलरामपुर अस्पताल में गलती से राम आसरे पुत्र रामप्रसाद अंकित हो गया था।

राम आसरे नाम का कोई व्यक्ति घातक/अघातक दुर्घटना में नहीं था।

मृतक के आश्रितों को भुगतान हेतु रुपये दस हजार की अनुग्रह राशि चेक संख्या 011512 दिनांक 5-7-95 सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रेषित कर दी गयी है।

85—श्री तेजभान सिंह–

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

इन्दिरा नगर योजना लखनऊ के सेक्टर-16 में अर्धनिर्मित खाली पड़े भवनों के अनधिकृत कब्जे को हटाये जाने की मांग

86—श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि इन्दिरा नगर, लखनऊ के सेक्टर-16 में अर्धनिर्मित खाली पड़े भवनों मे अनधिकृत रूप से रहने वाले अराजक तत्वों के कारण आस-

पास के आबंटी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? यदि हां, तो क्या ऐसे अनधिकृत निवासियों को निकाले जाने की कार्यवाही करेंगे?

सुश्री मायावती–

इन्दिरा नगर योजना लखनऊ के सेक्टर-16 में अर्ध निर्मित खाली पड़े भवनों में अनधिकृत रूप से कोई अराजकतत्व नहीं रह रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

आवास विकास कालोनी में, मकान नं० 270, उन्नाव के सामने टूटे पोल को बदलने की कार्यवाही की जानकारी

87—श्री राजवीर सिंह तथा श्री सतीश कुमार–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती माया देवी पत्नी श्री राजाराम वर्मा, मकान नं०–270, आवास विकास कालोनी, उन्नाव के घर के सामने टूटे पी०सी०सी० विद्युत वितरण उप खण्ड, उन्नाव द्वारा आदेश संख्या–653/वि०वि०उ० खण्ड 4/बी–3, दिनांक 22-9-94 जारी किया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का पालन करके पुनः मौके पर विद्युत पोल लगा दिया गया है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो आदेश का पालन न करने के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? उक्त पोल कब तक बदल दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

दिनांक 22-9-94 के आदेशों के पश्चात् क्षतिग्रस्त पोल के स्थल का निरीक्षण करने पर उक्त पोल के स्थान पर पोल लगाया जाना उचित नहीं पाया गया, तथा उक्त पोल से दिये गये कनेक्शन निकट के पोल से दिये गये। अतः दिनांक 22-9-94 के आदेशों का पालन न करने के लिये कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं ठहराया जा सका।

प्रश्न नहीं उठता।

88—श्री चैनसुख भारती–

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

महराजगंज के विकास खण्ड सिसवा बाजार की ग्राम सभा मटियरिया बस्ती अहिर टोली में विद्युतीकरण किये जाने की मांग

89—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि महराजगंज के विकास खण्ड सिसवा बाजार के ग्राम सभा मटियरिया बस्ती अहिर टोली में विद्युतीकरण करने के लिए वर्ष 87-88 में विद्युत परिषद् द्वारा पोल खड़े कर दिये गये हैं, किन्तु आज तक पोलों पर तार खींचने एवं ट्रान्सफार्मर लगाने की कार्यवाही नहीं की गयी है? क्या वर्ष 1992-93 में 32 परिवारों से सुनिश्चित धनराशि विद्युत परिषद् में विद्युत कनेक्शन देने के लिए जमा करायी गयी है ? यदि हां, तो विद्युत आपूर्ति न किये जाने के कारण क्या हैं?

सुश्री मायावती–

जी हाँ। ग्राम सभा मटियरिया में वर्ष 1989-90 के लगभग पोल खड़े किये गये थे।

वर्ष 1989-90 में 12 तथा वर्ष 1990-91 में 2 व्यक्तियों से विद्युत कनेक्शन हेतु निश्चित धनराशि जमा कराई गई।

आवश्यक कन्डक्टर तथा अन्य सामग्री के अभाव में उक्त ग्राम सभा का विद्युतीकरण कार्य अभी पूरा नहीं किया जा सका है।

कोट गाँव जी०टी० रोड गाजियाबाद में स्थित भूमि का उपयोग विस्तृत उद्योग आवासीय के रूप में करने का प्रस्ताव

90—श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम वि० प्रा० ने अपने पत्र संख्या–848/म०अनु०/91, दिनांकित 30-10-91 के द्वारा कोट गांव जी० टी० रोड गाजियाबाद में स्थित भूमि का भू-उपयोग विस्तृत उद्योग से आवासीय करने का अनुरोध किया था? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव कब तक स्वीकृत हो जायेगा?

सुश्री मायावती–

जी हाँ।

शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन के पत्र संख्या–4214/9-आ–3-94–73 एलयूसी/91, दिनांक 28-1-95 द्वारा प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया है।

जनपद टिहरी गढ़वाल में ग्राम सभा सौदा माध्या गाँव पट्टी भरदार (कीर्तिनगर) का विद्युतीकरण

91—श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या ऊजा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में ग्राम सभा सौदा माध्या गांव पट्टी भरदार (कीर्तिनगर) ग्राम सभा त्यूणी ग्राम सभा नौंशा बागी पट्टी चन्द्रबदनी

(देवप्रयाग) में बिजली के खम्भे एवं तार कितने वर्ष पूर्व गाड़े एवं खींचे गये थे? क्या कारण है कि ग्रामवासियों को विद्युत संयोजन नहीं दिया गया है? इसके लिए दोषी कौन है? क्या सरकार दोषियों को दण्डित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

जनपद टिहरी गढ़वाल में ग्राम सभा सौदा माध्मा पट्टी भरदार (कीर्तिनगर) में दिनांक 31-3-1991 ग्राम सभा त्यूणी में दिनांक 15-2-1993 तथा ग्राम नौशा वागी, पट्टी चन्द्रवदनी (देवप्रयाग) में दिनांक 15-2-1992 को खम्भे गाड़ कर तार खींचे गये थे।

उक्त ग्रामों में किसी भी व्यक्ति ने विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र नहीं दिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी नगर की विद्युत आपूर्ति के सुधार हेतु स्वीकृत योजना के बाद अधूराकार्य पूरा किये जाने के संबंध में कार्यवाही करने की मांग

92—श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि वाराणसी नगर की विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु 36 करोड़ की एक स्वीकृत योजना हेतु अन्य स्रोतों तथा एजेन्सियों से धनराशि प्राप्त करने के बावजूद राज्य विद्युत परिषद् द्वारा अपने अंशदान का धन न दिये जाने से उक्त योजनान्तर्गत कार्य अभी तक अधूरा पड़ा है? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? नगर की विद्युत आपूर्ति में व्यापक सुधार हेतु क्या सरकार की कोई अन्य कार्य योजना है? यदि हां, तो वह योजना क्या है?

सुश्री मायावती–

जी हाँ।

राज्य विद्युत परिषद् द्वारा अपने श्रोतों से अवशेष धनराशि दिये जाने की व्यवस्था हेतु प्रयत्न किये जा रहे हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० के समस्त नगर महापालिकाओं के कर्मचारियों की सेवा शर्तें एक होने के बावजूद पेंशन सम्बन्धी नियमावली में भिन्नता की शिकायत

93—श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० के समस्त नगर महापालिकाओं के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें जब एक ही नगर महापालिका अधिनियम की धाराओं से

प्रतिबन्धित है, तो समान दशाओं में उनकी पेंशन विनियमावली अलग-अलग कैसे बनायी जा सकती है? क्या प्रदेश के कतिपय निकायों में राहत की सुविधा पेंशनर्स को उपलब्ध है? यदि हां, तो नगर महापालिका, वाराणसी के पेंशनर्स को यह सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है? इस राहत में भिन्नता का कारण क्या है?

श्री राम किशोर बिन्द–

नगर निगम अधिनियम की धारा 548 (1) च के अन्तर्गत कार्यकारिणी समिति एवं नगर निगम को पेंशन आदि से सम्बन्धित नियमों को बनाने के अधिकार प्रदान किये गये हैं। इन्हीं अधिकारों के अन्तर्गत प्रत्येक नगर निगम द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए स्थानीय स्तर पर अलग-अलग नियमावली बनायी गई है।

जी हाँ।

नगर निगम, वाराणसी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण।

राहत में भिन्नता का कारण सम्बन्धित नियमावलियों के प्राविधानों तथा नगर निगमों की आर्थिक स्थिति में भिन्नता होना है।

94—श्री बालेश्वर त्यागी–

[दिनांक 14-7-95 को अता०प्र०सं० 140 द्वारा उत्तरित]

वाराणसी नगर की अत्यन्त पुरानी क्षतिग्रस्त वाटर पाइप लाइन को बदले जाने की मांग

95—श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि वाराणसी नगर की अत्यन्त पुरानी वाटर पाइप लाइनों में लीकेज के कारण अन्दर ही अन्दर रिसते तथा प्रदूषित पेय जलापूर्ति की शिकायत रहती है? क्या लीकेज के कारण विभिन्न क्षेत्रों में कम दबाव पर जलापूर्ति होती है? यदि हां, तो क्या क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों का सर्वेक्षण तथा निराकरण हेतु सरकार जल संस्थान को निर्देशित करेगी?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी हाँ।

यदि पाइप लाइन में कहीं लीकेज होती है तो उसकी जानकारी जल संस्थान को तत्काल हो जाती है एवं उसकी मरम्मत का कार्य भी युद्धस्तर पर कराया जाता है। जिस क्षेत्र में भी कम दबाव पर जलापूर्ति होती है वहाँ शिकायत मिलने पर रात्रि में जाँच कराकर सीवर के मेनहोल खोलकर यह ज्ञात किया जाता है कि कहीं मेनहोल में पाइप लाइन तो नहीं टूटी है–

यद्यपि ऐसी स्थिति बहुत कम उत्पन्न होती है, तथापि तत्काल उसकी मरम्मत भी करा दी जाती है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रायः जल उपभोक्ताओं के निजी जल संयोजनों में पाइप के सड़-गल जाने के कारण जल की बर्बादी होती है एवं जल प्रदूषण भी होता है। ऐसे संयोजनों को तत्काल मरम्मत कराये जाने हेतु संबंधित उपभोक्ताओं को 24 घण्टे की नोटिस विभाग द्वारा दी जाती है और उनके द्वारा मरम्मत न कराये जाने की अवस्था में जल प्रदूषण से बचने के लिए उनके जल संयोजन काट दिये जाते है।

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 के अन्तर्गत जल संस्थान का यह पूर्ण उत्तरदायित्व है कि वह क्षतिग्रस्त पाईप लाइनों का सर्वेक्षण एवं मरम्मत का कार्य कराता रहे इसके लिए अतिरिक्ति निर्देशों की आवश्यकता नहीं है। वाराणसी जल संस्थान द्वारा भी पूर्ण तत्परता से उक्त का पालन किया जा रहा है।

वाराणसी नगर की क्षतिग्रस्त सड़को और गलियों के पुनर्निर्माण कराने की मांग

96—श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि वाराणसी नगर की प्रायः सभी महत्वपूर्ण सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर चलने लायक नहीं रह गयी हैं? क्या उक्त निर्माण योग्य सड़कों गलियों का वाराणसी नगर निगम द्वारा कोई सर्वेक्षण कराया गया है? उक्त सड़कों गलियों (दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत) के निर्माण कराये जाने हेतु सरकार कोई कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी हाँ। अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, किन्तु आवागमन में कोई बाधा नहीं है।

जी हाँ।

नगर निगम वाराणसी को वर्ष 1994-95 में नाम के अनुसार रु० 121.10 लाख की धनराशि सड़कों के अनुरक्षण सुधार आदि के लिए शासन द्वारा स्वीकृत की गयी थी। धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किसी नगर निगम को किसी विशेष क्षेत्र की सड़कों, गलियों के निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

वाराणसी नगर के शुष्क शौचालयों को जलधौत शौचालयों में परिवर्तित किये जाने का विवरण

97—श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर निगम को भारत सरकार के योजनान्तर्गत शुष्क शौचालयों को जलधौत में परिवर्तित किये जाने हेतु वर्ष 93-

94 से अद्यतन कितना धन उपलब्ध कराया गया और उक्त धन से वाराणसी में किन क्षेत्रों में कितने शौचालयों को जलधौत में परिवर्तित किया गया? अब यह योजना कहां प्रस्तावित है?

श्री राम किशोर बिन्द–

स्वच्छकार विमुक्ति योजना के अन्तर्गत अल्प लागत स्वच्छता कार्यक्रम में सीवर रहित क्षेत्रों में शुल्क शौचालय को जलधौत शौचालयों में परिवर्तित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–248/9–5–94–स्व०मु०/93 दिनांक 24 फरवरी, 1994 द्वारा नगर निगम, वाराणसी को धनांक रु० 103.245 लाख अवमुक्त किया गया है।

उक्त धनराशि के अन्तर्गत नगर निगम, वाराणसी द्वारा मे० सुलभ इण्टर नेशनल के माध्यम से सारनाथ–1436, जैतपुरा–16, आदमपुरा–262, सिकरौल–227, नगवां–604, भेलूपुर–48, शिवपुर–257, सम्पूर्ण योग–2850 शौचालयों को जलधौत शौचालयों में परिवर्तित करा दिया गया है। यह योजना सारनाथ, आदमपुर, सिकरौल, नगवां, भेलूपुर, शिवपुर तथा सिगरा वार्ड के सीवर रहित दोनों में प्रस्तावित है।

जनपद सोनभद्र सहकारी समिति रायगढ़ लैम्पस की सहकारी दुकान से गबन का मामला एवं वापस वसूली की मांग

98—श्री तीरथ राज–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि जनपद सोनभद्र की सहकारी समिति रामगढ़ लैम्पस में वर्ष 1982-83 में सहकारी दुकान के विक्रेता श्रीनारायन दास द्वारा रु० 145473.61 की धनराशि को गबन करके हड़प लिया गया है? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा एक शिकायती-पत्र बाबत धनराशि वसूली हेतु दिनांक 8–4–94 की उन्हें दिया गया है? यदि हां, तो उक्त विक्रेता से अब तक उक्त धनराशि वसूल न करने के क्या कारण हैं? विलम्ब के लिए दोषी कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी है? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी तथा धनराशि की वसूली कब तक जारी कर ली जायेगी?

चौधरी जगवीर सिंह गूजर–

जी हां।

जी हां।

उ० प्र० सहकारी अधिनियम की धारा 70 के अन्तर्गत आरबीट्रेशन वाद सं० 68/94-95 निर्णीत न होना।

विलम्ब के लिए तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी सहकारिता श्री कपिल देव तिवारी दोषी हैं।

उपहरण (गबन) करने व कराने में सहयोग देने वाले दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ-साथ तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी सहकारिता श्री कपिल देव तिवारी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है।

यथाशीघ्र।

जनपद सुल्तानपुर में पूर्वांचल विकास निधि से प्राप्त धन से गौरीगंज में पेयजल की व्यवस्था कराने हेतु स्वीकृत धनराशि से किये गये कार्य के विवरण की जानकारी

99—श्री तेजभान सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर में पूर्वांचल विकास निधि 1993-94 द्वारा गौरीगंज में पेयजल हेतु स्वीकृत धनराशि रु० 1.065 लाख रुपये में से पेयजल हेतु मुख्य विकास अधिकारी सुल्तानपुर ने 50 हजार रुपये अपने पत्रांक 273, दिनांक 3 मई, 1994 के द्वारा प्रदान किये हैं? यदि हां, तो इस मद से अब तक क्या-क्या प्रस्तावित कार्य कब किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम किशोर बिन्द—

जी हां।

परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण सुल्तानपुर द्वारा वर्ष 1994-95 में रु० 50 हजार प्राप्त कराई गयी धनराशि से शाहगढ़ ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत लगभग 525 मीटर पाइप लाइन डालकर वर्ष 1994-95 में चालू की गयी एवं सार्वजनिक जल स्तम्भ लगाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर के विद्युत विवरण खण्ड जगदीशपुर के ग्राम सलाल्दगढ़ मजरे सरेसर में श्री राम खेलावन मोतीलाल, श्रीराम, प्रह्लाद, नत्थू, दयाराम को दिये कनेक्शनों की तिथि की जानकारी

100—श्री तेजभान सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के विद्युत वितरण खण्ड, जगदीशपुर के ग्राम सलाल्दगढ़ मजरे सरेसर के राम खेलावन, मोती लाल, राम लखन, श्रीराम, प्रह्लाद, नत्थू, दयाराम को कुटीर उद्योग के अन्तर्गत विद्युत कनेक्शन कब दिया गया है? क्या उक्त कनेक्शन चालू हालत में है? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती—

जनपद सुल्तानपुर के विद्युत वितरण खण्ड, जगदीशपुर के अभिलेखों के अनुसार ग्राम सभा बढ़गढ़, मजरे सरेसर के राम खेलावन, मोतीलाल, राम लखन, श्रीराम, पह्लाद, नत्थू, दया राम को कुटीर उद्योग के अंतर्गत कनेक्शन न देकर बल्कि कुटीर ज्योति योजना के अंतर्गत उनके सम्मुख अंकित तिथि को विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं।

1—श्री राम खेलावन	6-9-1990
2—श्री मोती लाल	12-10-1990
3—श्री राम लखन	18-11-1990
4—श्री श्रीराम	7-6-1990
5—श्री प्रह्लाद	4-9-1990
6—श्री नत्थू	8-9-1990
7—श्री दयाराम	9-7-1990

उपरोक्त सभी कनेक्शन चालू हालत में है।

प्रश्न नहीं उठता।

सेक्टर–10, इन्दिरा नगर लखनऊ में पोल सं०–ई/118 को पीछे हटाने के सम्बन्ध में पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

101—श्री परशुराम यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेक्टर–10 इन्दिरा नगर, लखनऊ में बीच सड़क में पोल सं०–ई/118 को उसी सीध में 6 फिट पीछे हटाने के संबंध में मित्रसेन यादव विधायक का पत्र माह फरवरी, 1994 में प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

सुश्री मायावती–

जी हां।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत एल० टी० लाइन का पोल आवास विकास परिषद् द्वारा लगभग पांच वर्ष पूर्व लगाया गया था तथा सड़क के किनारे पर स्थित है। उक्त पोल को हटाने का व्यय भार भवन सं० 10/336 इन्दिरा नगर लखनऊ के स्वामी द्वारा वहन किया जाना है, जिसके लिये उनको उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के पत्र दिनांक 9-5-94 द्वारा रु० 819.00 जमा करने हेतु लिखा गया था। उक्त धनराशि अभी तक जमा न किये जाने की स्थिति में अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

102—श्री राम दवर–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

देहरादून-देवप्रयाग-चाका मार्ग पर निगम द्वारा बस सेवा न शुरू करने के कारणों की जानकारी

103—श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि देहरादून देवप्रयाग चाका टि० ग० के लिए रोडवेज बस सेवा का परमिट मिलने पर भी उ० प्र० परिवहन निगम द्वारा बस सेवा शुरू न किये जाने के क्या कारण हैं? बस सेवा शुरू करने में शासन को क्या कठिनाई है? क्या सरकार इस बस सेवा को शुरू करवायेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री नन्दलाल पटेल–

देहरादून–देवप्रयाग–चाका मार्ग पर परिवहन निगम द्वारा परमिट प्राप्त कर दिनांक 9-4-94 से संचालन प्रारम्भ किया गया था। यह सेवा अगस्त, 94 तक संचालित रही, तत्पश्चात् उत्तराखण्ड आन्दोलन प्रारम्भ हो जाने के कारण सितम्बर, 94 से दिसम्बर, 94 तक इस सेवा का संचालन अवरूद्ध रहा। पुनः जनवरी, 95 से मई, 95 तक (फरवरी 95 को छोड़कर) यह सेवा संचालित की गई। इस दौरान प्राप्त संचालन सम्बन्धी आंकड़ों की समीक्षा के उपरांत आय एवं लोड–फैक्टर संतोषजनक न प्राप्त होने के कारण इस सेवा को जून, 95 से निगमहित में बन्द कर दिया गया।

पूर्व में प्राप्त प्रतिफलों को दृष्टिगत रखते हुए निगम हित में इस सेवा का संचालन करना औचित्यपूर्ण नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी गढ़वाल के कतिपय जले हुए ट्रान्सफार्मर को बदलनें की मांग

104—श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में वर्तमान समय में कितने विद्युत ट्रान्सफार्मर कब से जले हुए हैं? क्या कारण है कि एक वर्ष से ज्यादा समय बीत जाने पर भी जले हुए ट्रान्सफर्मरों को बदला नहीं गया? सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने जा रही है?

सुश्री मायावती–

जनपद टिहरी गढ़वाल में दिनांक 31-5-1995 की स्थिति में 77 वितरण ट्रांसफारमर जले हुये हैं, जिनमें से 56 ट्रान्सफार्मर पिछले एक वर्ष के दौरान जले हैं।

ट्रान्सफारमरों को बदलने में एक वर्ष से अधिक समय लगने के मुख्य कारण गम्भत हुये ट्रान्सफारमरों की उपलब्धता में कमी, भौगोलिक परिस्थिति, ग्राभों की मुख्य मार्गों से अधिक दूरी एवं उत्तराखण्ड आन्दोलन रहे हैं।

जले ट्रान्सफारमरों को बदलने हेतु मरम्मतकर्ताओं से अधिक ट्रान्सफारमर उठाये जा रहे हैं, तथा जले ट्रान्सफारमर ग्रामों से उठा कर मरम्मतकर्ताओं को भेजे जा रहे हैं।

कमप्यूटर से बने बिलों की बिना चेक किए भेजने से उत्पन्न परेशानियों को दूर करने का उपाय

105—श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या ऊर्जा मंत्री की ज्ञात है कि विद्युत बिलों को कम्प्यूटर से तैयार करने से अनेकों बिल गलत बनाये जा रहे हैं? क्या इससे उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ी है? यदि हां, तो इसके लिये सरकार क्या उपाय कर रही है?

सुश्री मायावती–

जी नहीं। सामान्यतः बिल ठीक बनते हैं।

कम्प्यूटर द्वारा बिलों को तैयार करने के कारण उपभोक्ताओं की परेशानी नहीं बढ़ी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज के विकास खण्ड निचलौल की ग्राम सभा भारत खण्ड पकड़ी में बाधित विद्युत आपूर्ति के कारणों की जानकारी

106—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद महराजगंज के विकास खण्ड निचलौल के ग्राम सभा भारत खण्ड पकड़ी में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 85-86 में विद्युतीकरण किया गया है? क्या यह सही है कि विद्युतीकरण क्षेत्र के अनुसूचित जाति बस्ती क्षेत्र में वर्ष 88 से तार एवं पोल टूट जाने के कारण विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार तत्काल उक्त अनुसूचित जाति क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था निरन्तर बनाये रखने के लिये कोई ठोस कार्यवाही करने का निर्देश देते हुये विद्युत विभाग के दोषी कर्मचारियों को जिनके द्वारा विद्युत प्रकाश सुविधा उपलब्ध कराने में लापरवाही की गई है, के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

जी नहीं। ग्राम सभा भारतखण्ड पकड़ी का विद्युतीकरण वर्ष 1975-76 के लगभग किया गया।

उक्त ग्राम सभा के अनुसूचित जाति बस्ती क्षेत्री की विद्युत आपूर्ति वर्ष 1983-84 के लगभग तार एवं पोल टूट जाने के कारण बाधित हो गई।

जी नहीं।

उक्त अनुसूचित जाति क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हेतु आवेदन नहीं किया गया है।

छोटे उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु बढ़ी विद्युत दरों की वृद्धि को समाप्त करने की सरकार की नीति की जानकारी

107—श्री शारदा प्रासद जयसवाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पावर उपभोक्ताओं का विद्युत पावर दर प्रति यूनिट 1.35 से बढ़ाकर वर्तमान समय में 2.05 पैसा प्रति यूनिट करने की घोषणा की गई है, जिससे लगभग 50 प्रतिशत वृद्धि होने के कारण छोटे-छोटे उद्योग प्रभावित हो रहे हैं? क्या सरकार उन उद्योगों को अपने उद्योग नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहित करने के लिये विद्युत दरों में भारी वृद्धि को समाप्त करने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

16-7-94 से लघु औद्योगिक इकाईयों (25 अ०श० तक) के लिए पूर्व में लागू ऊर्जा दर रु० 1.35 प्रति यूनिट से बढ़ाकर रु० 2.05 प्रति यूनिट की गई है परन्तु 15-7-94 तक लागू ईंधन एवं अधिष्ठान अधिभार (कुल 50.052 पैसे/यूनिट) को सम्मिलित करते हुए वृद्धि केवल लगभग 11% की गई थी। बाद में वास्तविक व्ययों के आधार पर 16-7-94 से घोषित ईंधन अधिभार 27.028 पैसे/यूनिट को सम्मिलित करने पर भी वृद्धि 50% न आकर केवल 25% आती है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय संसाधनों की कमी तथा बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के पूंजी निवेश की आवश्यकता को देखते हुए विद्युत दरों में की गई वृद्धि को समाप्त करना सम्भव नहीं है।

नगर पंचायत तहसील मुख्यालय निचलौल महराजगंज की जलापूर्ति की स्वीकृत योजना की फलाभूति न होने के कारण की जानकारी

108—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या नगर विकास मंत्री बनाने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत तहसील मुख्यालय निचलौल महराजगंज में जल आपूर्ति योजना 1986-87 में 47 लाख 50 हजार रुपये की स्वीकृति दी गयी थी? यदि हां, तो अब तक उक्त योजना पूर्ण न होने के कारण क्या है?

श्री राम किशोर बिन्द–

स्वीकृत योजना का प्राक्कलन रु० 47.50 लाख का है।

योजना के अन्तर्गत 4.45 लाख रु० व्यय करके 2 नलकूपों तथा पम्प हाउसो का निर्माण किया जा चुका है। परिमित धन तथा भूमि पर न्यायालय विवाद के कारण योजना पूर्ण नहीं हो सकी।

जनपद पौड़ी में विकास खण्ड पावों धैलीसैण, वीरोखाल व पोखड़ा के ग्रामीण क्षेत्र की जर्जर विद्युत व्यवस्था को बदलने की मांग

109—डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी में विकास खण्ड पावों, धैलीसैण वीरोखाल व पोखड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत व्यवस्था बुरी तरह जर्जर हो गयी है? यदि हां, तो तुरन्त क्या कदम उठाये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया जनपद में नगरपालिका द्वारा अतिक्रमण को हटाने से हुई क्षति के लिए क्षतिपूर्ति की मांग

110—श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि देवरिया नगर पालिका द्वारा देवरिया नगर में अगस्त, 93 में अतिक्रमण अभियान के नाम पर सैकड़ों गुमटियां, दुकानें एवं मकानों को तोड़ दिया गया है? क्या यह सही है कि इसी दौरान श्री ओम प्रकाश जायसवाल निवासी जलकल चौराहा एवं श्री नवल किशोर निवासी मोहन रोड के मकानों को भी जबरिया अवैधानिक रूप से ध्वस्त करा दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें मुआवजा देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार सम्पूर्ण मामले की जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी हां, जून 93 से अगस्त 93 तक अतिक्रमण हटाओं अभियान केअन्तर्गत देवरिया नगर में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रखी गई गुमटियों एवं दुकानों आदि को हटावा गया था।

श्री अनिल कुमार जायसवाल, निवासी जलकल चौराह के मकान का वह भाग जो नगर के मुख्य सड़क के बीच अनियमित रूप से निर्मित था, उसको हटा दिया गया। इसी प्रकार नगर के मोहन रोड चौराहा पर स्थित श्री नवल किशोर के मकान का वह भाग जो सड़क में अवैध रूप से निर्मित था, हटा दिया गया था।

जी नहीं। क्योंकि अवैध/अनधिकृत मकानों का वह भाग, जो सड़क में अवैध रूप से निर्मित था, हटा दिया गया था अस्तु मुआवजा दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

अनियमित एवं अनधिकृत रूपसे सड़कों के बीच निर्मित भाग व सड़कों के पटरियों आदि में अवैध रूप से खड़ी की गई गुमटियों को स्थानीय प्रशासन द्वारा हटाया गया था, अतः जांच कराने का औचित्य नहीं है।

111—श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

देवरिया नगर में रामनाथ एवं भटवलिया मुहल्ले में बिछाई गयी पेयजल लाइन को नगर पालिका देवरिया को सौंपे जाने की मांग

112—श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि देवरिया नगर में रामनाथ एवं भटवलिया मुहल्ले में जल निगम द्वारा पेयजल हेतु पाइप लाइनों को लगभग 20 वर्ष पूर्व बिछा दिया गया है? यदि हां, तो उन्हें कब तक पालिका को स्थानान्तरित करके चालू करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी उक्त कार्य में हुई लापरवाही की जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करेंगे?

श्री रामकिशोर बिन्द–

जी हां। देवरिया नगर के रामनगर एवं भटवलिया मुहल्ले में जल निगम द्वारा पेयजल हेतु पाइप लाइनों को वर्ष 1972 से 1976 के मध्य बिछाया गया है।

वर्तमान में इन लाइनों को टेस्टिंग इत्यादि के उपरान्त चालू कराकर इन्हें नगर पालिका को हस्तांतरित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ओबरा जल विद्युत मण्डल, ओबरा सोनभद्र के अन्तर्गत कार्यरत वेल्डर श्रेणी की वरिष्ठता सूची की जानकारी

113—श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत ओबरा जल विद्युत गृह मंडल, सोनभद्र के अधीन कुल कितने वोल्डर ग्रेड II कार्यरत है? क्या उनकी वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गयी है? यदि हां, तो वह क्या है? क्या इनको तीनों टाइम स्केल मिल गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? परिषद् ने टाइम स्केल देने के लिये क्या नीति अपना रखी है? क्या इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विद्युत परिषद् ने वर्ष

1984 में कोई रिट किया था? यदि हां, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या फैसला दिया? क्या सरकार निर्णय की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

ओबरा जल विद्युत मंडल, ओबरा सोनभद्र के अन्तर्गत कुल तीन वेल्डर श्रेणी–11 कार्यरत हैं।

वरिष्ठता सूची† की प्रति संलग्न है। यह सूची सम्पूर्ण ओबरा परियोजना में कार्यरत बेल्डर्स की है जिसमें उक्त ओबरा जल विद्युत मंडल ओबरा के नियन्त्रणाधीन कार्यरत 3 वेल्डरर्स श्रेणी–11 के नाम क्र० सं० 2, 3 और 15 पर इंगित है।

जी नहीं। विद्यमान परिषदीय नीति के अनुसार आगमन बिन्दु (इंडक्शन प्वाइंट) से गणना करते हुए क्रमशः 9 वर्ष, 16 वर्ष व 21 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय समयबद्ध वेतनमान 1.4.77, 1.4.83 व 1.12.87 से अथवा उसके बाद की तिथि से जब भी यह अवधि पूरी होती है, अनुमन्य किया जाता है। चूंकि प्रश्नगत तीनों कर्मचारी सर्वश्री डूंगर सिंह, शिवनाथ एवं आलिम अली की प्रथम नियुक्ति मजदूर/ बेलदार के पद पर क्रमशः 13.7.67, 16.11.61 व 15.7.74 से हुई थी। अतः इन कर्मचारियों को आगमन बिन्दु मजदूर/बेलदार मानते हुए प्रथम, द्वितीय व तृतीय समयबद्ध वेतनमान रु० 1000–1360, 1100–1575 व 1200–1800 का अनुमन्य होता है जबकि श्री डूंगर सिंह व श्री शिवनाथ को मा० न्यायालय के निर्णयानुसार 1.4.69 से वेतनमान 190-376 का अनुमन्य किया गया था जिसके परिपेक्ष्य में उन्हें प्रथम व द्वितीय समयबद्ध वेतनमान क्रमशः 1350-2160 व 1650-2690 दिया जा चुका है। जो अनुमन्य वेतनमान से उच्च वेतनमान है। अतः तृतीय समयबद्ध वेतनमान अनुमन्य नहीं किया जा सकता है। श्री आलिम अली को दिनांक 14.5.87 से वेल्डर श्रेणी–11 के पद पर वेतनमान रु० 1200–1800 में प्रोन्नत किया गया है और विद्यमान परिषदीय नीति के आधार पर इनका आगमन बिन्दु से गणना करने पर तृतीय समयबद्ध वेतनमान रु० 1200-1800 ही आता है। अतः कोई और उच्च वेतनमान देना सम्भव नहीं पाया गया।

परिषद् की वर्तमान टाइम स्केल नीति के अनुसार आगमन बिन्दु (इंडक्शन प्वाइंट) को आधार मानकर 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम समयबद्ध वेतनमान, 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय समयबद्ध वेतनमान, 21 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तृतीय समयबद्ध वेतनमान दिये जाने का प्राविधान है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् ने मा० सर्वोच्च न्यायालय में वर्ष 1984 में कोई रिट दायर नहीं की।

---

† (वरिष्ठता हेतु सूची देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 245 पर)

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के विभिन्न संगठनों से वेतन विसंगति के संदर्भ में प्राप्त सुझावों के अनुरूप वेतन विसंगति दूर किये जाने का निर्णय

114—श्री वासुदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत कर्मचारियों के 1-4-89 से वेतन पुनरीक्षण हेतु कोई समिति गठित की गयी है? यदि हां, तो वह क्या है? क्या इस समिति में वेतन पुनरीक्षण हेतु श्रम संगठनों से कोई सुझाव मांगे हैं? यदि हां, तो 9 मार्च, 1995 तक कितनी वार्तायें आयोजित की गयी? किन-किन संगठनों ने अपने सुझाव समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये हैं उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमान कब तक लागू कर दिये जायेंगे?

सुश्री मायावती–

जी हां, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के 1-4-89 से वेतनपुनरीक्षण हेतु संकल्प सं०–2253–का०वि० नी/राविप–दिनांक 3-9-94, सपठित आदेश सं० 3460–का०वि०नी/राविप, दिनांक 15-10-94 द्वारा एक वेतन समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष, सदस्य निम्नवत् है :–

1—	श्री ओ० पी० मेहरोत्रा (सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश, उच्च न्यायालय)	अध्यक्ष
2—	श्री एन० एस० बसन्त (भूतपूर्व अध्यक्ष, पंजाब रा०वि०प०)	सदस्य
3—	श्री एस० पी० गुप्ता (भूतपूर्व संयुक्त सचिव वित्त विभाग, उ० प्र० शासन)	सदस्य
4—	श्री ओ० पी० सिन्हा अपर सचिव (तृतीय) उ० प्र० रा० वि० प०	सचिव

जी हां।

कुल छः बैठकें हुई हैं।

कुल 41 यूनियनों/संघों से उनके सुझाव मांगे गए थे, जिनमें से कुल 25 यूनियनों/संघों ने अपने सुझाव/प्रत्यावेदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। (सूची† संलग्न) इन सुझाव/प्रत्यावेदन पर सभी के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श दिनांक 26-6-95 तक पूर्ण कर लिए गए हैं। वेतन समिति की संस्तुति प्राप्त होने पर वेतन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा।

---

† (सूची हेतु देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 247 पर)

आवास एवं विकास परिषद् के इन्दिरा नगर योजना के अन्तर्गत सेक्टर-22 में निर्मित मकान सं० 641 एवं 648 के बीच निर्मित भवनों के हटाने की मांग

115—श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1995 के पहले शुक्रवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 31 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1994 में एक ब्लाक 1403/10–1405/1 तथा 1407/11 व सेक्टर 22/641 व 648 के दक्षिण इन दोनों ब्लाको के बीच के भूखण्ड पर अवैध निर्माण हटाने के लिये वर्ष 1994 में परिषद् के अधिनियम की धारा 83 के तहत नोटिस दी गयी? यदि हां, तो प्रश्नगत कार्य को अब तक न पूरा करने में कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? क्या सरकार अवैध निर्माण को हटाकर सम्पूर्ण कार्यवाही सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

जी हां।

इस सम्बंध में प्रश्नगत आवंटियों के प्रत्यावेदन प्राप्त हुये हैं जिन पर नियमानुसार विचार करके कार्यवाही की जा रही है अतः इस सम्बंध में कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर अवगत करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि से आगरा महानगर को विकसित करने का मामला

116—श्री रमेश कान्त लवानियां–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने वर्ष 1995-96 में प्रदेश के नगरों के विकास के लिये कोई विशेष केन्द्रीय सहायता दी है? यदि हां, तो कितनी और क्या सरकार इस विशेष सहायता से आगरा महानगर को विकास के लिये धन देने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी नहीं। अभी तक इस वर्ष कोई विशेष सहायता प्राप्त नहीं हुई हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बांदा विकास प्राधिकरण में कार्यरत वरिष्ठ लिपिक द्वारा फर्जी बिल बनाकर धन हड़पने एवं घोटाला किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

117—श्री राजकुमार शिवहरे—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा विकास प्राधिकरण में कार्यरत वरिष्ठ लिपिक के द्वारा फर्जी बिल बाउचर के माध्यम से सरकारी धनराशि हड़पने एवं घोटाला किये जाने से सम्बन्धित श्री तनवीर गांधी के प्रार्थना-पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का संलग्न पत्र दिनांक 13-4-1994 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो जांचोपरान्त क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती—

श्री तनवीर गांधी का प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13-4-1994 प्राप्त हुआ है।

जांचोपरांत श्री हमीद अहमद वरिष्ठ लिपिक, बांदा विकास प्राधिकरण के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुये।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड, बांदा द्वारा निर्मित कराये जा रहे हरदौली श्मशान घाट के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने की मांग

118—श्री राजकुमार शिवहरे—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के नगर पालिका बांदा के अन्तर्गत मा० राजस्व, राज्य मंत्री द्वारा दिनांक 27-8-1994 को उद्घाटित एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड, बांदा द्वारा निर्मित कराये जा रहे हरदौली श्मशान घाट मार्ग का अधूरा निर्माण कार्य छोड़ दिये जाने का क्या कारण है? निर्माण कार्य को कब तक पूरा करा दिया जायेगा?

श्री राम किशोर बिन्द—

निर्माण कार्य अगस्त 1994 में पूर्ण कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में बाम्बेश्वर पर्वत स्थित सी०डब्लू०आर० पानी की टंकी की सफाई का मामला

119—श्री राजकुमार शिवहरे—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा मुख्यालय स्थित केन सरिता के सानिध्य में बाम्बेश्वर पर्वत में जलकर विभाग बांदा के द्वारा नियन्त्रित पानी की

टंकी की सफाई विगत 7-8 वर्षों से न कराये जाने के क्या कारण है? इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-06-94 जिलाधिकारी बांदा को प्राप्त होने के उपरान्त भी अब तक कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है?

श्री राम किशोर बिन्द—

बाम्बेश्वर पर्वत स्थित सी०डब्लू०आर० की सफाई का कार्य माह अक्टूबर/नवम्बर, 93 में करवाया गया था। इससे पूर्व में भी प्रति वर्ष सफाई का कार्य होता रहा है। वर्तमान में पुनः सफाई का कार्य जल कल अभियन्ता बाँदा द्वारा माह अप्रैल, 95 में कराया जा चुका है।

जनपद बांदा के चित्रकूट में परिवहन निगम का डिपो स्थापित करके प्रमुख मार्गों पर बस सेवा आरम्भ करने की माँग

120—श्री राजकुमार शिवहरे—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के चित्रकूट में परिवहन निगम का डिपो स्थापित किये जाने हेतु भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हो चुका है? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन सी कार्यवाही होनी शेष है तथा वह कब तक पूर्ण हो जायेगा? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि बांदा से जबलपुर, बांदा से ग्वालियर वाया मऊ मऊरानीपुर, बांदा से गोरखपुर, बांदा से भोपाल वाया छतरपुर, बांदा से खजुराहो आदि मार्गों पर परिवहन निगम की बसें कब से चलना प्रारम्भ हो जायेंगी?

श्री नन्दलाल पटेल—

जी हां।

शासन द्वारा भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 4(1)/17(1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 6 मई, 1994 एवं उक्त अधिनियम की धारा 6/17(1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 30 अगस्त, 1994 को निर्गत की जा चुकी है। भूमि पर कब्जा देने हेतु जिलाधिकारी, बांदा को लिखा गया है। क्षेत्रीय अधिकारियों को भी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया है।

बांदा-खजुराहो मार्ग उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के बीच हुये परिवहन समझौते का मार्ग है। इस मार्ग के लिये परमिट प्राप्त करने हेतु उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने राज्य परिवहन प्राधिकरण उ०प्र० के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये हैं।

बांदा-गोरखपुर मार्ग पर दिनांक 8-7-95 से सेवा प्रारम्भ कर दी गयी है।

अन्य मार्ग अन्तर्राज्यीय मार्ग हैं और उनके संबंध में उ०प्र० एवं मध्य प्रदेश के बीच कोई पारस्परिक समझौता नहीं है। अतः उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा इन मार्गों पर बस संचालन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आगरा महानगर में सूखा राहत हेतु जल निगम द्वारा लगाये गये हैण्डपम्पों पर स्वीकृत धनराशि की जानकारी

121—श्री रमेश कान्त लवनियां—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा महानगर में 1995-96 में हैण्डपम्प लगाने के लिये कितना धन उपलब्ध कराया गया है? यह हैण्डपम्प किस एजेन्सी के द्वारा लगाये जायेंगे? क्या स्थल चयन में क्षेत्रीय विधायक की सहमति ली जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम किशोर बिन्द—

वर्ष 1995-96 में आगरा महानगर में सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत हैण्डपम्प अधिष्ठापित किए जाने हेतु 40.00 लाख रु० की धनराशि स्वीकृत की गई है।

जल निगम द्वारा लगाए जा रहे हैं। शासनादेश के अनुसार कार्यों का निर्धारण जहां जल संस्थान है वहां मण्डलायुक्त/महाप्रबन्धक, जल संस्थान तथा नगर निगम के क्षेत्रों में प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम के प्रस्ताव एवं परामर्शानुसार किया जायेगा, तदनुसार यह नए हैण्डपम्प उ०प्र० जल निगम द्वारा प्रशासक, नगर निगम, आगरा तथा महाप्रबन्धक, जल संस्थान, आगरा से प्राप्त कार्य स्थलों की सूची के अनुसार लगाए जा रहे है।

प्रश्न नहीं उठता।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा किराये के भवनों को किरायेदारों को ही बेचने के संबंध में प्रश्नकर्त्ता का मुख्यमंत्री को पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

122—श्री बालेश्वर त्यागी—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1995 के पहले शुक्रवार हेतु निर्धारित अता० प्रश्न संख्या–121 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश दिनांक 16-6-93 में क्या नीति निर्धारित की गयी है? क्या मुख्य मंत्री जी उसका विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

सुश्री मायावती—

जी हां। इस संबंध में जारी किए गये शासनादेश दिनांक 16-6-93 की प्रति संलग्न है जिसमें निर्धारित नीति का विवरण† उल्लिखित है।

† (विवरण हेतु देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 248 पर)

सिटी बोर्ड गाजियाबाद में जल कर मूल्य के एवज में जलापूर्ति किये जाने के सम्बंध में जानकारी

123—श्री बालेश्वर त्यागी—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1995 के पहले शुक्रवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या-70 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जलकर के एवज में कितनी मात्रा में जल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है तथा मूल्यांकन किस दर से किया जाता है ? मीटर खराब होने की दशा में जल के उपयोग का मापदण्ड क्या हैं ?

श्री राम किशोर बिन्द—

जलकर के एवज में उसके मूल्य के बराबर जल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। जल का मूल्यांकन घरेलू उपयोग के लिए रु० 0.60 प्रति हजार लीटर प्रतिमाह तथा गैर घरेलू उपयोग के लिये रु० 1.10 प्रति हजार लीटर प्रतिमाह की दर से लिया जाता है।

मीटर खराब होने की दशा में जल के उपयोग का मापदण्ड औसत उपभोग के आधार पर लिया जाता है।

124—श्री बालेश्वर त्यागी—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

125—श्री बालेश्वर त्यागी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद पौड़ी के उपखण्ड कार्यालय स्यूंसी में विद्युत अव्यवस्था के कारण खिन्न ग्रामीणों द्वारा ताला लगाने की घटना

126—श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी में 13 मार्च, 94 को विद्युत अव्यवस्था से खिन्न होकर ग्रामीणों ने उपखण्ड कार्यालय स्यूंसी पर ताला लगाया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त कार्यालय में अवर अभियन्ता व सहायक अभियन्ता अनुपस्थित रहते हैं? यदि हां, तो सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की? यदि नही, तो क्यों?

सुश्री मायावती—

जी हां।

उपखण्ड अधिकारी स्यूंसी के द्वारा सूचना दिये जाने पर परगना अधिकारी ने दिनांक 19-3-94 को ताला खोल दिया।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों/तकनीकी अधिकारियों की संख्या का सूचीबद्ध विवरण

127—श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत परिषद् में आज तक कुल कितने कर्मचारी, अधिकारी व तकनीकी अधिकारी कार्यरत हैं? कुल श्रेणीवार पदों, कर्मचारियों, अधिकारियों की संख्या क्या है? इनमें से कितने अधिकारी/कर्मचारी आगामी 2 वर्षों में अवकाश ग्रहण कर लेंगे? क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इनमें से कितने कर्मचारी व अधिकारी अनुग्रह अनुदान (बोनस) पाते हैं? क्या यह सही है कि अब अधिकांश कर्मचारी अनुग्रह अनुदान पाने से वंचित हो जायेंगे? यदि हां, तो क्या मंत्री जी अनुग्रह अनुदान हेतु वेतन की सीमा बढ़ाकर (वेतन व भत्ता) रु० 4500 करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती—

दिनांक 1-4-93 की गणनानुसार उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत कुल कर्मचारियों, अधिकारियों एवं तकनीकी अधिकारियों की संख्या निम्नवत् है :—

1—कुल कर्मचारी	—	94057
2—तकनीकी अधिकारी	—	4186
3—गैर तकनीकी अधिकारी	—	565
कुल योग	—	98808

श्रेणीवार पदों, कर्मचारियों, अधिकारियों की संख्या निम्नवत् है :—

क्र०सं०	श्रेणी	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत
1	प्रथम श्रेणी	1627	1465
2	द्वितीय श्रेणी	3737	3286
3	तृतीय श्रेणी	58378	53555
4	चतुर्थ श्रेणी	47045	40502
	कुल योग :	110787	98808

कुल 234 अधिकारी आगामी 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होंगे। कर्मचारियों के सम्बन्ध में वाँछित विवरण क्षेत्रीय अधिकारियों से प्राप्त किये जा रहे हैं।

लगभग 18,750 कर्मचारी अनुग्रह अनुदान (बोनस) पाने के पात्र हैं। अधिकारी वर्ग इसका पात्र नहीं है।

जी हाँ।

यह परिषद् के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इस दिशा में केन्द्र सरकार ही निर्णय लेने में सक्षम है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत गोरखपुर वितरण क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के बने आवासों की संख्या उनके रख-रखाव की व्यवस्था की जानकारी

128 श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत गोरखपुर वितरण क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के कुल कितने कर्मचारी आवास बने हुए हैं एवं उनकी मरम्मत पर प्रतिवर्ष कितना धन व्यय किया जा रहा है तथा उनसे कुल किस दर से कुल कितना किराया प्रतिवर्ष प्राप्त हो रहा है? क्या यह सत्य है कि इनमें से अनेकों आवास खाली पड़े हुए हैं अथवा उन पर अनधिकृत कब्जे हैं? यदि हां, तो अनधिकृत रूप से रहने वाले कर्मचारियों एवं बाहरी व्यक्तियों के नाम क्या हैं तथा खाली आवासों की संख्या क्या है? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि इन आवासों में अनेकों के दरवाजे खिड़कियां छत एवं फर्स आदि वर्षों से अनुरक्षण न कराने के कारण पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके है? यदि हां, तो ऐसे आवासों की संख्या क्या है? उन पर अनुरक्षण के मद में पिछले पांच वर्षों में किया गये व्यय की मदवार स्थिति क्या है?

सुश्री मायावती–

गोरखपुर वितरण क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के कुल 1495 कर्मचारी आवास है। आवासों की मरम्मत पर प्रतिवर्ष औसतन रु० 2.93 लाख व्यय किया गया है। अधिकतर आवासों में निःशुल्क आवास सुविधा प्राप्त कर्मचारी रहते हैं अथवा लिपिकीय कर्मचारी रहते हैं जिनसे किराया वसूली परिषद् के द्वारा स्थगित है। अतएव किराया प्राप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता।

जी हाँ, गोरखपुर क्षेत्र में कुल 173 आवास खाली हैं। एक आवास अनधिकृत रूप से कब्जे में है। अनधिकृत रूप से रहने वाले बाहरी व्यक्ति का नाम श्री विजय बहादुर सिंह, ब्लाक प्रमुख, हरैया, बस्ती है।

जी हाँ, पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त आवासों की संख्या 131 है। क्षतिग्रस्त आवासों पर उक्त अवधि में मात्र दस हजार रुपया खर्च किया गया है।

श्रीनगर जल विद्युत परियोजना को निजी क्षेत्र में देने के कारण उसके कर्मचारियों को समायोजित करने के सम्बंध में जानकारी

129 डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीनगर जल विद्युत परियोजना जिसे निजी क्षेत्र में दे दिया गया है उसमें कार्यरत राजकीय कर्मचारियों को कहां समायोजित किया गया? क्या पर्वतीय संवर्ग वाले इन कर्मचारियों को पर्वतीय क्षेत्र में ही समायोजित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? क्या इनके लिए सरकार अलग से किसी डिवीजन का निर्माण कर रही है? यदि हां, तो कब तक यह डिवीजन खुलेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

कतिपय कर्मचारियों को जल विद्युत परियोजनाओं के अधीन अन्य खण्डों/मण्डलों में समायोजित कर लिया गया है।

जल विद्युत परियोजना को पर्वतीय उपसंवर्ग में सम्मिलित नहीं किया गया है। तथापि जिन कर्मचारियों से पर्वतीय संवर्ग हेतु विकल्प प्राप्त होगा उन्हें पर्वतीय संवर्ग में समायोजित किये जाने हेतु विचार किया जायेगा।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित सभी कालोनियों में जनसुविधाओं का उपलब्ध कराया जाना

130 श्री दालेश्वर त्यागी–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1995 के पहले शुक्रवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न सं० 135 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1–राजनगर, 2–नेहरू नगर, 3–लाजपत नगर, 4–राजेन्द्र नगर, 5–तुलसी निकेतन, 6–नन्दग्राम, 8–वैशाली, 9–गोविन्द पुरम्, 10–कविनगर, 11–विवेकानन्द नगर, 12–लोहिया नगर, 13–शास्त्री नगर, 14–संजय नगर कालोनियां कब बसाई गयी थीं तथा उनमें कौन-कौन सी सुविधायें प्रदत्त की गई हैं तथा ये कालोनी नगर निगम/सिटी बोर्ड को हस्तान्तरित की जा चुकी है या नहीं?

सुश्री मायावती–

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न कालोनियाँ उनके सम्मुख अंकित वर्षों के बाद विकसित कर बसायी गयी हैं :–

1	राजनगर	1970
2	नेहरूनगर	1973
3	लाजपतनगर	1980
4	राजेन्द्र नगर	1980

5	तुलसी निकेतन	1988
6	नन्दग्राम	1986
8	वैशाली	1987
9	गोविन्दपुरम	1988
10	कविनगर	1968
11	विवेकानन्द नगर	1975
12	लोहियानगर	1973
13	शास्त्रीनगर	1975
14	संजयनगर	1970

इन सभी कालोनियों में सभी सुविधायें जैसे-सड़कें, सीवर, वाटर सप्लाई, नालियाँ, पार्क, विद्युत, साम्प्रदायिक केन्द्र, वृक्षारोपण आदि प्रदत्त की गयी है तथा उक्त में तुलसी निकेतन, वैशाली व गोविन्दपुरम को छोड़कर अन्य सभी कालोनियाँ नगर निगम/ सिटी बोर्ड, गाजियाबाद को हस्तान्तरित की जा चुकी है।

विकास खण्ड निचलौल जनपद महराजगंज में विद्युतीकरण के बाद भी बिद्युत आपूर्ति न किये जाने की शिकायत

131—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास खण्ड निचलौल जनपद–महराजगंज के ग्राम सभा लोहरौली के अनुसूचित जाति की बस्तियों को विद्युतीकरण की सुविधा के अन्तर्गत वर्ष 81–82 में लोमरौली अनुसूचित जाति बस्ती में विद्युतीकरण किया गया था ? यदि हां, तो किन परिस्थतियों में अनु० जाति बस्ती में लगे ट्रान्सफार्मर, पोलों पर तार के होते हुए भी विद्युतीकरण का लाभ बस्ती में रहने वाले लोगों को नहीं मिल पा रहा है ? क्या सरकार उक्त अनु० जाति बस्ती को प्रकाश व्यवस्था देने हेतु विद्युत खामियों, खराबियों की मरम्मत कराकर बिद्युत व्यवस्था सुदृढ़ बनाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती –

जी हां।

उक्त अनुसूचित जाति के बस्ती में रहने वाले लोगों को विद्युतीकरण का लाभ न मिलने का मुख्य कारण उनके द्वारा पंखा-बत्ती के अथवा ग्राम पंचायत द्वारा मार्ग प्रकाश के लिए विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र न दिया जाना है । दूसरा कारण यह भी है कि विद्युत लाइन की कुछ सामग्री चोरी हो गयी है और ट्रान्सफारमर क्षतिग्रस्त हो गया है ।

जी नहीं ।

उक्त अनुसूचित जाति बस्ती की विद्युत आपूर्ति पुनः सुनिश्चित करना बस्ती के निवासियों द्वारा विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र दिये जाने पर निर्भर करता है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद द्वारा विद्युत कनेक्शन देते समय कराये गये अनुबन्ध की प्रतिलिपि उपभोक्ताओं को भी उपलब्ध कराये जाने की मांग

132—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल —

क्या उर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् विद्युत कनेक्शन देते समय उपभोक्ताओं से अनुबन्ध पर जो हस्ताक्षर उपभोक्ताओं से कराया जाता है, क्या उस अनुबन्ध की सत्य प्रतिलिपि विद्युत उपभोक्ताओं को नहीं दी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जी नहीं । उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद में कनेक्शन देने के लिए अनुबन्ध हेतु स्टैम्प पेपर भावी उपभोक्ता द्वारा कराया जाता है एवं उपभोक्ता की इच्छा के अनुसार अनुबन्ध की प्रति उपलब्ध करायी जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में बिचौलियों के अस्तित्व को समाप्त करने की मांग

133—श्री रमेश कान्त लवानियां —

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में बिचौलियों के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए कोई नई व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो क्या व्यवस्था की गयी है और किन-किन सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में यह व्यवस्था हो चुकी है और किन सम्भागीय कार्यालयों में यह व्यवस्था नहीं हुई है उनमें कब तक हो जायेगी ?

श्री नन्दलाल पटेल

संभागीय परिवहन कार्यालयों में बिचौलियों के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत सभी प्रकार के फार्मों की आपूर्ति विभाग द्वारा की जा रही है ।

इसके लिए सभी संभागीय परिवहन कार्यालयों में काउन्टर खोल दिये गये हैं, जहाँ से वाहन स्वामियों को वांछित फार्म उपलब्ध कराये जा रहे हैं तथा उन्हें आवश्यक जानकारी भी दी जा रही है।

कार्यालय परिसर में बिचौलियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बिचौलिया को हटाने के लिए जिला प्रशासन तथा पुलिस का सहयोग भी लिया जाता है।

नगर पालिका बांदा द्वारा बनायी जा रही दुकानों को हटाये जाने की मांग

134—श्री राजकुमार शिवहरे —

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर–बांदा में स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय बांदा के सामने नगरपालिका बांदा द्वारा निर्माण करवाई जा रही दुकानों से छात्राओं की असुरक्षा सम्बन्धी स्थिति से निपटने के लिए प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 209317 दिनांकित 15-11-1994 जिलाधिकारी, जनपद–बांदा को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामकिशोर बिन्द––

जी हाँ।

राजकीय महिला महाविद्यालय बांदा के सामने नगर पालिका बाँदा द्वारा निर्माण करायी जा रही दुकानों से छात्राओं में असुरक्षा सम्बन्धी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर में बस डिपो बनाने की सरकार की योजना की जानकारी

135– श्री राजकुमार शिवहरे —

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के तहसील मनकापुर में बस डिपो बनाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक आरम्भ करा दिया जायेगा ?

श्री नन्दलाल पटेल–

जी नहीं,

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में मौजा लड़कापुरवा में पशु बाजार लगाने की अनुमति

136—श्री राजकुमार शिवहरे —

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के नगर बांदा में मौजा लड़कापुरवा के अराजी नम्बरान 2006, 2007 एवं 2009 पर ही एक अन्य पशु बाजार

स्थान नवाब टैंक, बांदा पर "ग्रामीण विकास पशु मेला" के नाम से लगाने के आदेश अपर मुख्य अधिकारी, जिला परिषद् बांदा द्वारा अपने पत्रांक-1030/लाइसेंस/मेला/बाजार के माध्यम से दिनांक 27-07-1993 को पशु मेला मालिक एम० ए० खान० के पुत्र अयूब अली खान के नाम दिये गये हैं ? क्या उत्तर प्रदेश शासन के आदेश सं० 3854/वा०/XI/ख-11 (8) 68 दिनांकित 8-8-1968 द्वारा एक ही मोहल्ले में दो पशु बाजार लगाने की अनुमति नहीं है ? यदि हां, तो क्या लाईसेंस निरस्त करने का आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर दिन्द---

जी हाँ । ग्राम लड़कापुरवा अराजी नम्बर 2606, 2607 एवं 2608 पर पशु बाजार लगाने की अनुमति दी गयी ।

जी हाँ ।

जी नहीं । पशु बाजार ग्रामीण क्षेत्र में है जबकि उक्त शासनादेश नगर सीमा में लागू है ।

विकास खण्ड सी खण्ड, नरायनपुर एवं जमालपुर जिला मिर्जापुर में विद्युतीकरण न होने के कारणों की जानकारी

137---श्री ओम प्रकाश सिंह---

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड सीखण्ड, नरायनपुर एवं जमालपुर (जिला मिर्जापुर) के किन-किन गांवों को विद्युतीकरण हेतु वर्ष 1992-93, 1993-94 एवं 1994-95 में चयन किया गया था ? इनमें किन गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है ? जिन चयनित गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ, तो क्यों ? यह कब तक हो जायेगा ?

सुश्री मायावती---

सूची विवरण[*] संलग्न है ।

वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता होने की स्थिति में अवशेष गांवों का विद्युतीकरण संबंधित वर्ष में नहीं किया जा सका है ।

जिला सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत गांवों का चयन हर वर्ष नये सिरे से किया जाता है । अतः पिछले वर्षों के चयनित गांवों का विद्युतीकरण किया जाना उक्त समिति द्वारा पुनः चयन किये जाने पर ही निर्भर करेगा । जिसके लिये किसी समय-सीमा का निर्धारण किया जाना अभी संभव नहीं है ।

---

[*] (देखिये नत्थी 'ब' आगे पृष्ठ 252 पर)

जिला फतेहपुर में एग्रो द्वारा लगाये गये हैण्ड-पम्पों की मरम्मत आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग

138—श्री महेन्द्र प्रताप नारायन सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले में जल निगम के अतिरिक्त एग्रो भी नये हैण्ड पाइप लगा रहा है ? यदि हाँ तो एग्रो द्वारा लगाये गये हैण्ड पाइप खराब होने पर उनकी मरम्मत कौन कराता है ? क्या एग्रो केवल नये हैण्ड पाइप लगाता है तथा उसकी मरम्मत की उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला फतेहपुर में लगे हैण्ड पाइपों की संख्या तथा एक हैण्ड पाइप की लागत मूल्य की जानकारी

139—श्री महेन्द्र प्रताप नारायन सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले में 1994-95 में कुल कितने हैण्ड पाइप लगाये गये, किस विभाग द्वारा कितने हैण्ड पाइप लगाये गये तथा एक हैण्ड पाइप का क्या लागत मूल्य लिया ? क्या यह लागत सामान है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला फतेहपुर में लगे हैण्ड पाइपों में से चालू और खराब हैण्ड पाइपों का विवरण

140—श्री महेन्द्र प्रताप नारायन सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले में 31 मार्च, 1995 तक कितने हैण्ड पाइप लगाये गये हैं उनमें से कितने चल रहे हैं तथा कितने खराब हैं ? खराब हैण्ड पाइपों को ठीक कराने की क्या व्यवस्था है ?

श्री राम किशोर बिन्द—

उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा मार्च, 1995 तक 7180 हैण्डपम्प लगाये गयें हैं ।

31 मार्च, 1995 तक 6920 हैण्डपम्प चल रहे थे, 260 हैण्ड पाइप खराब (स्थाई रूप से 192 तथा अस्थाई रूप से 1968) थे ।

दिनांक 30-6-95 तक 7293 हैण्डपम्प लगाये गये हैं जिसमें से 7052 हैण्डपम्प चल रहे हैं एवं 241 हैण्ड पाइप खराब हैं (स्थाई रूप से 178 तथा अस्थाई रूप से 63) ।

प्रत्येक विकास खण्ड में 02 हैण्ड पम्प, पाइप मिस्त्री कार्यरत हैं जो ब्लाक रजिस्टर में अंकित अथवा जल निगम कार्यालय में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर हैण्ड पाइप मरम्मत कार्य करते हैं।

श्रम कालोनी, बेनाझाबर, कानपुर के ब्लाक नं० 32 के सामने की पार्क पर अवैध कब्जा, टूटे नाले के संबंध में पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

141—श्री अजय कुमार पोइया—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रम कालोनी, बेनाझाबर, कानपुर के ब्लाक नं० 32 के सामने पार्क पर अवैध कब्जा करने तथा टूटे नाले के संबंध में कालोनी वासियों का प्रार्थना-पत्र दिनांक 26-01-94 प्रशासक, नगर निगम, कानपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

142—श्री अजय कुमार पोइया—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रम कालोनी, बेनाझाबर, कानपुर के ब्लाक नं० 32 के सामने नाले का स्थल निरीक्षण श्री एस० एस० गुप्ता, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, कानपुर द्वारा दिनांक 12-7-1994 को किया गया है जिसकी जांच रिर्पोट दिनांक 13-7-1994 को महाप्रबन्धक, जल संस्थान कानपुर को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? और इसके लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है ?

श्री राम किशोर बिन्द—

श्रम कालोनी बेनाझाबर, कानपुर के ब्लाक-32 के सामने स्थल का निरीक्षण नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया गया था तथा निरीक्षण आख्या महाप्रबन्धक, जल संस्थान, कानपुर को भेजी गयी थी।

स्थलीय निरीक्षण में श्रम कालोनी बेनाझाबर के ब्लाक-32 के सामने नाला टूटा पाया गया। नाला निर्माण कार्य नगर निगम से संबंधित था। अतः इस कार्य हेतु आगणन स्वीकृत कार्यादेश निर्गत कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हमीरपुर के ग्राम–ग्योड़ी, विकास खण्ड–मौदहा में परिवहन सुविधा उपलब्ध करने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

143—श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हमीरपुर के ग्राम-ग्योड़ी विकास खण्ड–मौदहा में परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17 अक्टूबर, 1994 उन्हे प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नन्दलाल पटेल—

जी हाँ ।

शासन की वर्तमान नीति के अनुसार अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम की नवीन बस सेवाओं का संचालन नहीं किया जाना है । कबरई-कुन्हेटा मार्ग जिस पर ग्राम–ग्योड़ी अवस्थित है, के अराष्ट्रीयकृत होने के कारण इस मार्ग पर परिवहन निगम द्वारा बस संचालन प्रस्तावित नहीं है ।

ग्रामीण उद्योगो को बढावा देने के लिए लघु उद्योगों को भी नलकूपों की भाँति उसी दर पर विद्युत उपलब्ध कराने की मांग

144—श्री वासुदेव सिंह तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामों में निजी नलकूपों की भांति उसी विद्युत दर पर छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग लगाने, आटा चक्की, तेल व धान कूटने की मशीन लगाने हेतु सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे, जिससे ग्रामीण उद्योगो को बढ़ावा मिल सके ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

ग्रामीण अधिसूची से विद्युत आपूर्ति पाने वाले निजी नलकूप के साथ उसी विद्युत दर पर छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, आटा चक्की, तेल व धान कूटने की मशीन लगाने हेतु सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध कराने का कोई प्राविधान विचाराधीन नहीं है । वर्तमान में समस्त छोटे लघु उद्योग, मध्यम उद्योग (100 अ०श० तक) के उपभोक्ताओं को दर सूची एल०एम०वी०-6 के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण अधिसूची से विद्युत आपूर्ति पाने वाले उपभोक्ताओं को बिल में 10 प्रतिशत की छूट दिये जाने का प्राविधान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मिर्जापुर जिला स्थित सीखड़, नारायणपुर एवं जमालपुर विकास खण्डो के अनुसूचित बाहुल्य गांवों में विद्युतीकरण का कार्य कराये जाने का विवरण

145—श्री ओम प्रकाश सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिला स्थित सीखड़, नरायणपुर एवं जमालपुर विकास खण्ड के किन-किन गांवों का विद्युतीकरण अभी तक नहीं हुआ है ? इन विकास खण्डों में वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 में कितने अनुसूचित बाहुल्य गांवों या बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है ? कितने का शेष है ?

सुश्री मायावती—

विकास खण्ड सीखड़, नरायनपुर एवं जमालपुर में क्रमशः पाँच, 104 एवं 111 गांवों का विद्युतीकरण अभी तक नहीं हुआ है । सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है । उक्त विकास खण्डों में वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 में किसी भी अनुसूचित बाहुल्य गांव का विद्युतीकरण नहीं हुआ है । विकास खण्ड सीखड़ , नरायनपुर एवं जमालपुर में क्रमशः दो, पाँच एवं नौ अनुसूचित बाहुल्य गांवों का विद्युतीकरण शेष है ।

जनपद बांदा में राजकीय महिला महाविद्यालय से होकर अवस्थी चौराहे तक कूड़ा सड़कों पर जमा रहने की शिकायत

146—श्री राजकुमार शिवहरे—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद बांदा के नगर बांदा में राजकीय महिला विद्यालय, बांदा से लेकर अवस्थी चैराहा तथा अन्य मुख्य मार्गों पर नगरपालिका बांदा के कर्मचारियों द्वारा संदर्भित मुख्य सड़कों पर नगर का कूड़ा/मैला अन्यत्र न फेंकने के बजाय मुख्य मार्गों पर एकत्रित करने से अनेकों बीमारियां उत्पन्न हो रही है ? यदि हां तो क्या उन अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे जिनके द्वारा ऐसा आदेश दिया गया है ?

श्री राम किशोर बिन्द—

जी नहीं, प्रश्नगत चौराहा तथा अन्य मुख्य मार्गों पर, जहां भी कूड़ा एकत्रित होता है, उसे पालिका के ट्रैक्टर, मैला भैसा गाड़ी व मैला कूड़ा गाड़ी द्वारा प्रतिदिन साफ करा दिया जाता है एवं सफाई के बाद उक्त स्थलों पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा जनपद में सूखा राहत हेतु लगाये गये हैण्ड पम्पों की जानकारी

147—श्री रमेशकान्त लवानियां—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद के लिए सन् 1993-94 में सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये थे ? क्या सभी हैण्डपम्प लगाये जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर विन्द--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला योजना के अन्तर्गत आगरा में हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जाने की जानकारी

148--श्री रमेशकान्त लवानियां-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला योजना के अन्तर्गत सन् 1994-95 में आगरा जनपद के लिए कितने हैण्डपम्प स्वीकृत हुए थे और उनमें कितने अधिष्ठापित हो चुके हैं जो अधिष्ठापित नहीं हुये हैं, उसका क्या कारण है ?

श्री राम किशोर बिन्द--

जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 में आगरा जनपद के लिए 243 नग हैण्डपम्प स्वीकृत थे।

इनमें से 208 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हो चुके हैं।

स्थल चयन विवाद से होने के कारण समय से हैण्डपम्प स्थापित नहीं हो सके। स्थल चयन कर लिया गया है शेष हैण्डपम्प जुलाई, 1995 में स्थापित कर लिए जायेंगे।

जिला योजना के अन्तर्गत आगरा में किये गये विद्युतीकरण की जानकारी

149—श्री रमेशकान्त लवानियां-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला योजना के अन्तर्गत सन् 1994-95 में आगरा जनपद में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु आवंटन धन शासन ने अवमुक्त कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जी नहीं।

शासन के बजट में उक्त मद में कोई प्राविधान नहीं किया गया था।

उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम आगरा क्षेत्र एवं राजस्थान सीमा में बस चलाने के सम्बन्ध में जानकारी

150—श्री रमेश कान्त लवानियां-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, आगरा क्षेत्र सन् 1994-95 में राजस्थान सीमा में कितने किलोमीटर बस चलाने का समझौता किया था और क्या उतने कि०मी० बसें चलाई गयी ? यदि नहीं, तो कितने किलोमीटर कम चलाई गई ? कम चलाने के कारण राजस्थान परिवहन निगम को दिये जाने वाले कर में कितने रुपये का नुकसान उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम आगरा क्षेत्र को हुआ और क्या इस नुकसान के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध शासन कोई कार्यवाही करेगा ?

श्री नन्द लाल पटेल–

जी हां।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, आगरा क्षेत्र को वर्ष 1994-95 में 27,16,950 कि०मी० संचालन करना था जिसके विपरीत 23,30,044 कि०मी० का संचालन किया गया।

आलोच्य अवधि में विभिन्न आन्दोलनों, रास्ताजाम एवं आकस्मिक कारणों तथा कर्मचारियों की लापरवाही के कारण 3,76,907 कि०मी० का स्थगन हुआ।

स्थगित कि०मी० के लिये आगरा क्षेत्र द्वारा राजस्थान राज्य को रु० 4,90,250 की धनराशि कर रुप में भुगतान की गई। अतः इतनी ही धनराशि का उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम आगरा को नुकसान हुआ।

लापरवाही बरतने के लिये आगरा क्षेत्र के 11 चालकों एवं परिचालकों तथा एक फोरमैन के वेतन से रु० 4,967.70 की वसूली की गई तथा 14 चालकों एवं परिचालकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई।

नगरपालिका फतेहपुर में सीवर लाइन डालने की मांग

151—श्री राधेश्याम गुप्त–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर नगरपालिका में सीवर लाइन निर्माण कराने का 1990-91 में सर्वेक्षण कराया गया था, जिसमें 5 लाख की धनराशि खर्च हुई थी? प्रस्तावित निर्माण कराने की प्रक्रिया प्रारम्भ न किए जाने का क्या कारण है? कब तक सीवर लाइन डाल दी जायेगी?

श्री राम किशोर दिन्द–

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों की कमी।

वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

सब विद्युत स्टेशन पिंडरा जिला वाराणसी से विद्युत सप्लाई बन्द किये जाने के कारणों की जानकारी

152—श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि ता० 8-11-94 से सब विद्युत स्टेशन पिंडरा जिला वाराणसी से विद्युत सप्लाई बन्द थी और पूरे क्षेत्र में अन्धेरा, पेयजल तथा सिंचाई कार्य व राजकीय नलकूप आदि दि० 12-11-94 के बाद भी बाधित रहा? यदि हां, तो उसका

कारण क्या था और विद्युत विभाग वाराणसी ने किन कारणों से सप्लाई चालू नहीं किया? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है।

मकान सं०–71 एल०आई०जी० इन्दिरा नगर कानपुर के आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशियों के समायोजन की आगणन तालिका को सदन के पटल पर रखने की मांग

153–श्री मित्रसेन यादव–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के प्रथम शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं० 14 के उत्तर के क्रम में क्या आवास मंत्री कृपया बतायेंगे कि भवन संख्या एल०आई०जी०–71 इन्दिरानगर कानपुर की कीमत रु० 26,264.00 में से आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशियों के समायोजन की आगणन तालिका कानपुर विकास प्राधिकरण के विक्रय लेखा विभाग से मंगवा कर शासन द्वारा सदन के पटल पर कब तक प्रस्तुत कर दी जायेगी? क्या उक्त के क्रम में मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जमा किश्तों का समायोजन कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रसीद कटने की तिथि में ही आगणन तालिका में न किये जाने हेतु कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी है?

सुश्री मायावती–

आगणन तालिका मा० अध्यक्ष के कक्ष में देखी जा सकती है।

आगणन तालिका नियमानुसार पुनः तैयार की गयी है। अतः किसी कर्मचारी/अधिकारी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता।

नगर परिषद् देवरिया को नेहरू रोजगार से प्राप्त धनराशि से किये गये सुधार कार्य का विवरण

154–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991-92, 92-93, 93-94, 94-95 में नेहरू रोजगार, मलिन बस्ती, निर्माण कार्यों, सफाई मदों में एवं विशेष अनुदान के रूप में नगर परिषद्, देवरिया को कितनी धनराशि प्रदान की गई है? क्या इन धनराशियों को उपयोग विभिन्न मदों में शासनादेशों के अनुरुप किया गया है? क्या इन कार्यों का भौतिक एवं तकनीकी तथा विशेष लेखा परीक्षण कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम किशोर बिन्द–

वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 एवं 1994-95 में नेहरू रोजगार योजना मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत एवं विभिन्न निर्माण कार्यों, सफाई एवं अन्य मदों हेतु कुल 1,28,52,532.00 रुपये (रुपये एक करोड़ अट्ठाईस लाख बावन हजार पांच सौ बत्तीस मात्र) देवरिया, नगर परिषद् को दिये गये।

उपयोगित धनराशियों का उपयोग शासनादेशों के अनुसार किया गया है एवं वर्ष 1993-94 तक दी गयी धनराशि की सम्परीक्षा कराई जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपयोगित धनराशियों का उपयोग शासनादेशों के अनुसार किया गया है।

राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत कम्प्यूटर बिलिंग के सी सी 24 के माध्यम से हो रहे उपभोक्ताओं के शोषण को रोकने की मांग

155—श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत कम्प्यूटर बिलिंग के सी सी 24 के माध्यम से उपभोक्ताओं का शोषण पूरे प्रदेश में किया जा रहा है? यदि हां, तो इसके लिये परिषद् द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-5-94 जो कि मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) शक्ति भवन विस्तार को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? इसके लिये कौन अधिकारी दोषी है? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

यह पत्र उपलब्ध नहीं हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु द्विपक्षीय वार्ता हेतु मुख्यमंत्री को सम्बोधित पत्र तथा की गयी कार्यवाही की जानकारी

156—श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-10-94 जो विद्युत कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु द्विपक्षीय वार्ता करने विषयक था और जो

मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? उसकी बिन्दुवार स्थिति क्या है?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में दिये गये विद्युत कनेक्शनों में टू-फेसिंग विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था किये जाने की मांग

157—श्री वासुदेव सिंह तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंखा-बत्ती के विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं उनकी विद्युत आपूर्ति सायंकाल नहीं की जाती है? क्या यह सही है कि सांयकाल 33/11 के०वी० उप विद्युत केन्द्रों पर टू फेसिंग व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी विद्युत वितरण खण्ड प्रथम-आजमगढ़ के 33/11 के०वी० उपकेन्द्र बरहद आजमगढ़ में पंखा-बत्ती के कनेक्शन हेतु टू फेसिंग विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करायेंगे? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि 33/11 के०वी० उप विद्युत केन्द्र मार्टीनगंज, बरहद-ठेकमा में उप केन्द्र पर कितने क्षमता का ट्रान्सफार्मर लगाया गया है और उक्त विद्युत केन्द्रों के क्षेत्र के अन्तर्गत जो ग्राम आते हैं उनके नाम क्या हैं तथा कितने नलकूप, पंखा, बत्ती, इण्डस्ट्रीयिल उपभोक्ता है?

सुश्री मायावती–

ग्रामीण क्षेत्रों में पंखा-बत्ती के विद्युत कनेक्शनों के लिये सम्बन्धित 33/11 के०वी० उपकेन्द्र पर विद्युत उपलब्ध रहने पर तीनों फेस में केवल पंखा-बत्ती के उपयोग के लिये तीन फेज विद्युत सप्लाई दी जाती है, तथा दो फेसिंग की व्यवस्था किये जाने का कार्यक्रम अब नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

33/11 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र, मार्टीनगंज, बरहद एवं ठेकमा पर क्रमशः 1 x 1.5 एम०वी०ए०, 1 x 3 एम० वी० ए० एवं 1 x 3 एम०वी०ए० व 1 x 1.5 एम० वी० ए० क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाये गये हैं। उक्त उपकेन्द्रों के अंतर्गत 241 ग्राम आते हैं (सूची संलग्न) तथा नलकूप, पंखा-बत्ती एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं की संख्या क्रमशः 1229, 3781 एवं 102 है।

---

† (देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 253 पर)

विद्युत परिषद के परिषदीय अधिकारियों का अनुमन्य यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, आउट आफ पाकेट भत्ता आदि की दरों का पुनरीक्षिण की वृद्धि एवं दरों में हुई वृद्धि को लागू करने की मांग

158—श्री वासुदेव सिंह तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत परिषद् के पत्रांक–482–पी०ए०पी०/ रा०वि०प०/उन्नतीस–14 पी०एफ०पी०/88/दिनांक 30-11-89 द्वारा परिषदीय अधिकारियों को अनुमन्य यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, आउट आफ पाकेट भत्ता आदि की दरों का पुनरीक्षण किया गया था? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जुलाई, 1989 में 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता के स्थान पर अब जुलाई, 1993 में 97 प्रतिशत महंगाई भत्ता के स्थान पर अब जुलाई, 1993 में 97 प्रतिशत और वर्तमान में 104 प्रतिशत महंगाई भत्ते में वृद्धि के कारण दिनांक 30-11-89 को पुनरीक्षित यात्रा भत्ता आदि में 70 प्रतिशत वृद्धि आवश्यक हो गयी है? यदि हां, तो उक्त वृद्धि कब से लागू की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

जी हाँ।

परिषद् ने संकल्प सं० 2253-का.वि.नी/रा.वि.प-29-28 पी/89, दिनांक 3 सितम्बर, 1994 द्वारा अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतनक्रमों, मंहगाई एवं अन्य भत्तों तथा सुविधाओं आदि के सम्बन्ध में पुनरीक्षण हेतु युक्ति संगत संस्तुति करने के लिए एक वेतन समिति गठित की है। समिति की अनुशंसाएं प्राप्त होने के पश्चात् सम्यक् विचारोपरांत परिषद् द्वारा इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही की जायेगी।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में चीफ रेजीडेन्ट इन्जी० लेसू लखनऊ के अन्तर्गत उपकेन्द्रों के परिचालक एवं अनुरक्षण पर व्यय धनराशि का विवरण–

159—श्री नरेन्द्र कुमार सिंह सिसौदिया तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1995 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं० 127 के उत्तर के क्रम में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि 1992-93 व 1993-94 में सब स्टेशन वाइज किन मदों में कितना-कितना व्यय किया गया? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि श्री सेंगर, अधिशासी अभियन्ता एवं श्री विजय कुमार, उपखण्ड अधिकारी द्वारा 11 के० वी० स्वीच यार्ड (इनकमिंग) (आऊट गोइंग), बसकप्लर एवं ट्रालीवार विवरण वार व्यय क्या है? कौन-कौन सा पार्ट किस दर से बाजार से खरीदा गया? क्या यह सत्य है कि बाजार से कोई समान खरीदा नहीं गया? केवल ठेकेदार को भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो 92 वर्क आर्डर में कौन-कौन से ठेकेदारों ने कार्य किया?

सुश्री मायावती–

विभागीय अभिलेखों में सबस्टेशन/मदवार आंकड़े संकलित नहीं किये जाते हैं।

श्री सेंगर, अधिशासी अभियंता एवं श्री विजय कुमार, उपखण्ड अधिकारी द्वारा किये गये कार्यादेशों के अन्तर्गत 11 के०वी० इनकमिंग, 11 के०वी० आउटगोइंग व 11 के० वी० वरसकप्लर ट्राली पर किया गया व्यय संलग्न सूची में दर्शाया गया है।

कार्यादेशों (वर्कआर्डर) के अन्तर्गत कोई पार्ट पृथक से खरीदा नहीं गया है अपितु बदले जाने वाले आवश्यक पार्ट्स एवं मजदूरी की सम्मिलित धनराशि के लिये कार्यादेश जारी किये गये हैं।

यह सत्य नहीं है कि बाजार से कोई सामान खरीदे बिना ही संबंधित ठेकेदार को भुगतान कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

† (देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 259 पर)

बाराबंकी जिले के अन्तर्गत हैदरगढ़ क्षेत्र के अधिकांश गांवों में विद्युतीकरण किये जाने की माँग–

160—श्री सुन्दर लाल दीक्षित

क्या ऊर्जा मंत्री बाराबंकी जिले के अन्तर्गत हैदरगढ़ क्षेत्र में सराय-गोपी, जारमऊ, शुकुलपुर, लालपुर, मेंहदिया टिकरहुआ, पलिया, अहीर गांव, किरसिया, वनकोट, खौली, कोलवा बम्हरौली, आइमा, सहरी, इस्लामपुर, रेहूरा कैथी, मुस्तफाबाद शरीफाबाद, राही गालियामऊ, अमानपुरवा मल्हनपुरवा, निदूरी, टिकुरी, लालपुर, बेरिहा, रौली, व बेलवा लुजरा, खजुरी, बनवारगंज, श्रीकृष्णपुर, गोकुलपुर, कुसियागंज, लाही, टिकरा, रैल, रानीखेर, कोलहदा, खमनखेर, बढ़वल, गनहरी, नरदही, पूरेदेवीदाल, पैकौली, फतेहपुर जमुआ, कान्इपुर, पुर गोरियापुरवा, गजफरपुरवा, विजयखेरा, मोइपुरवा करमेमऊ दौलतपुर, दोहरी, मंझार, मौलाबाद, ख्वाजा आल्हेपुर लोदीकोट, धौरहरा आदि ग्रामों में अनु० जाति बाहुल्य बस्तियों में विद्युतीकरण कराये जाने की कार्यवाही करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सरायगोपी, किरसिया, बम्हरौली, लालपुर, श्रीकृष्णपुर एवं बढ़वल का विद्युतीकरण किया जा चुका है। अन्य ग्रामों का विद्युतीकरण जिला सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा चयन न किये जाने की स्थिति में अभी सम्भव नहीं है।

गाजियाबाद के कस्साबान मोहल्ले में अवैध रूप से पशु काटे जाने के कारण लम्बित वाद के फैसले की जानकारी

161—श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद के कस्साबान मोहल्ले में अवैध रूप से पशु काटे जाने बारे में 17 व्यक्तियों के विरुद्ध चालान करके स्वास्थ्य

अधिकारी ने अपर मुख्य दण्डाधिकारी के न्यायालय में नवम्बर, 1992 में मामला दर्ज कराया है? यदि हां, तो क्या उक्त मामलों में फैसला हो गया है? क्या इस मामले को शीघ्र फैसला कराने के लिए कार्यवाही पूर्ण कर ली है?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

162—डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

[3 सरे बुधवार में अता०प्र०सं०-85 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद चमोली में नारायनगढ़ विकास खण्ड के अन्तर्गत कमीरी पट्टी में बिछाई गयी विद्युत लाइनों को ठीक कराने की मांग

163—डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद चमोली में नारायनगढ़ विकास खण्ड के अन्तर्गत कमीरी पट्टी में जो दो तीन वर्षों के अन्तर्गत विद्युत लाईन बिछाई गई वह पूरी तरह टूटी-फूटी है और कभी भी दुर्घटना का विषय बन सकती है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

वर्ष 1991 में भारी हिमपात के कारण जनपद चमोली के कमीरी पट्टी में 11 के०वी० लाइनें, 11/.4 के०वी० उपकेन्द्र एवं एल०टी० लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिनको ठीक करके विद्युत व्यवस्था पुनः सुनिश्चित कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

164—डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

[3 सरे बुधवार में अता०प्र०सं०-86 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद सुल्तानपुर में भैंस को बिजली करेन्ट लगने से हुई मृत्यु में अनुदान देने विषयक श्री हुबलाल पासी पुत्र श्री शंकर पासी ग्राम मछरिया थाना जगदीशपुर के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

165—श्री तेजभान सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को बताने की कृपा करेंगी कि श्री हुबलाल पासी पुत्र श्री शंकर पासी, ग्राम-मछरिया थाना-जगदीशपुर, जनपद-सुल्तानपुर का पत्र जो बिजली का करेन्ट लगने

से भैंस की मृत्यु हो जाने पर अनुदान दिये जाने विषयक था, प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 1-8-94 के साथ मा० मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

जी हाँ।

प्रकरण में अनुदान की स्वीकृति का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

इन्दिरा नगर लखनऊ के सेक्टर-16 में सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग

166—श्री तेजभान सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि इन्दिरा नगर, लखनऊ के सेक्टर-16 में नगर महापालिका का कोई भी सफाई कर्मचारी कार्यरत नहीं है? जिसके कारण जगह-जगह गन्दगी रहती है? यदि हां, तो क्या उक्त सेक्टर-16 में सफाई की व्यवस्था करेंगे?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी हाँ।

नियमित व्यवस्था नहीं है।

जी हाँ।

पी०सी०एफ० कार्यालय फैजाबाद में कार्यरत श्री वीरेन्द्र नाथ मौर्य पर लगाये गये विभिन्न आरोपों की जाँच की मांग

167—श्री परशुराम यादव–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद के पी०सी०एफ० कार्यालय में कार्यरत श्री वीरेन्द्र नाथ मौर्य के विरुद्ध विभिन्न आरोपों की जांच कराने तथा उन्हें तत्काल स्थानान्तरित किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र को मा० मुख्य मंत्री के कार्यालय द्वारा दिनांक 4-3-95 की कार्यवाही के आदेश सहित "सचिव, सहकारिता उत्तर प्रदेश" को भेजा गया है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी जगदीर सिंह गूजर–

जी हाँ।

शिकायती पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच सामान्य प्रबन्धक, पी०सी०एफ० मुख्यालय से करायी गयी। जांच अधिकारी द्वारा प्रेषित जांच आख्या के परीक्षणोपरान्त शिकायत की पुष्टि नहीं हुई।

जिला फैजाबाद के बीकापुर क्षेत्र के अन्तर्गत तारून हैदरगंज कोछा-बाजार-शाहगंज आदि मार्गों से होकर मुख्यालय को जोड़ने वाले मार्ग पर बसों के संचालन की व्यवस्था सुदृढ़ करने की मांग

168—श्री परशुराम यादव—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद के बीकापुर क्षेत्र के अन्तर्गत तारून-हैदरगंज-कोछाबाजार-शाहगंज आदि मार्गों से होकर मुख्यालय आने वाली राज्य परिवहन निगम की कितनी बस सेवाएं हैं? क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बीकापुर क्षेत्र को मुख्यालय से जोड़ने वाली फैजाबाद-इलाहाबाद मुख्य मार्ग को छोड़कर अन्य कोई मार्ग न होने के कारण यात्रियों की सुविधा के लिये इस मार्ग पर भरतकुण्ड से लेकर चौरे बाजार के बीच परिवहन निगम के कौन-कौन से बस स्टाप कार्यरत हैं?

श्री नन्द लाल पटेल—

प्रश्नगत बीकापुर क्षेत्र से मुख्यालय फैजाबाद हेतु दो बस सेवायें संचालित की जा रही हैं, परन्तु हैदरगंज, कोछाबाजार एवं शाहगंज से फैजाबाद हेतु परिवहन निगम की कोई बस सेवा संचालित नहीं है।

भरतकुंड, जलालपुर, बीकापुर, खजुरहट एवं चौरे बाजार में परिवहन निगम के बस स्टाप हैं।

169—श्री तेजभान सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

170—श्री हरक सिंह रावत—

[5 वें बुधवार में अता०प्र०सं०-66 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उ०प्र० कृषि सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड के मुख्यालय लखनऊ में 5 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत कर्मचारियों को स्थानान्तरित करने की मांग

171—श्री सत्येन्द्र सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० कृषि सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड के मुख्यालय माल एवेन्यू, लखनऊ में कितने कर्मचारी/अधिकारी 5 वर्ष की अवधि पूरी करने के उपरान्त भी मुख्यालय में कार्यरत हैं? क्या यह सही है कि कुछ कर्मचारी/अधिकारी अपनी प्रथम तैनाती से ही यहीं कार्यरत हैं? क्या मंत्री जी ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों को लखनऊ मण्डल से बाहर स्थानान्तरित करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी जगवीर सिंह गूजर–

उ०प्र० सहकारी, ग्राम विकास बैंक के मुख्यालय में 5 वर्ष या इससे अधिक समय से कुल 251 कर्मचारी कार्यरत हैं।

जी हाँ।

जी नहीं।

क्योंकि कतिपय कर्मचारियों के पद मुख्यालय के ही हैं। मुख्यालय से कर्मचारियों का स्थानान्तरण बैंक हित को देखते हुए किया जाता है, इसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

ग्राम दिलावर नगर मजरा खजोहना, ब्लाक कछौना, जिला हरदोई के साधन सहकारी समिति खजोहना के सचिवों की विरुद्ध शिकायती-पत्र

172–श्री सत्येन्द्र सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दिलावर नगर, मजरा खजोहना, ब्लाक कछौना, जनपद हरदोई के निवासियों को साधन सहकारी समिति खजोहना, जनपद हरदोई के सदस्य हैं, ने उक्त साधन सहकारी समिति के पूर्व सचिव श्री देवेन्द्र सिंह तथा वर्तमान सचिव श्री जगदीश प्रसाद के विरुद्ध फर्जी ऋण लगाने तथा ऋण खातों में हेरफेर किये जाने आदि के संबंध में एक शिकायती-पत्र मा० मुख्य मंत्री को दिया था, जिस पर सचिव, मा० मुख्यमंत्री ने दिनांक 20-4-95 को परीक्षणोपरान्त यथोचित कार्यवाही किये जाने का निर्देश जिलाधिकारी हरदोई को दिया था? क्या इसी आशय के एक प्रार्थना पत्र पर समाज कल्याण मंत्री ने दिनांक 19-4-95 को जांच कराने एवं जांच के दौरान वसूली स्थगित रखे जाने के आदेश जिलाधिकारी, हरदोई को दिये थे? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

चौधरी जगवीर सिंह गूजर–

जी हाँ।

जी हाँ।

संदर्भित प्रार्थना पत्रों की जाँच कराई गई। जाँच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन सचिव श्री देवेन्द्र सिंह दोषी पाये गये हैं, इनके विरुद्ध उ०प्र० सहकारी समिति, 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत मध्यस्थ निर्णय की कार्यवाही की जा चुकी है तथा इन्हें पूर्व में ही निलम्बित भी किया जा चुका है।

वर्तमान सचिव श्री जगदीश प्रसाद जाँच में दोषी नहीं पाये गये।

शिकायतकर्ता/सदस्यों से किसी प्रकार के धन की वसूली नहीं की जा रही है।

जनपद उन्नाव के विद्युत वितरण खण्ड सफीपुर के ग्राम तकिया निगोही के 25 ग्रामवासियों द्वारा विद्युत कनेक्शन हेतु जमा धन के बाद भी कनेक्शन न देने के कारणों की जानकारी

173—श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव के विद्युत वितरण खण्ड सफीपुर के ग्राम तकिया निगोही के लगभग 25 ग्रामवासियों द्वारा गत वर्ष 1994 में विद्युत कनेक्शन हेतु एक हजार रुपया प्रति उपभोक्ता द्वारा जमा किया गया था परन्तु अभी तक विद्युत कनेक्शन नहीं दिये गये हैं? क्या यह सही है कि माह फरवरी 1995 के उपरान्त विद्युत पोल, ट्रांसफार्मर एवं तार आदि सामग्री उक्त गांव में डाल दी गयी है और विद्युत प्रवाह नहीं किया गया है? यदि हां, तो इस विलम्ब का कारण क्या है? क्या सरकार उक्त गांव में शीघ्र विद्युत कार्य पूर्ण कराकर विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ करेगी तथा विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही भी करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

वर्ष 1994 में तकिया ग्राम के 25 व्यक्तियों ने विद्युत कनेक्शन हेतु अपने भार के अनुसार सर्विस लाईन चार्जेज एवं सिक्योरिटी की धनराशि नियमानुसार जमा किया था।

जी हां।

उन्नाव जनपद के लिये वर्ष 1993-94 में ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य परिषद् द्वारा 13 से घटाकर 2 किये जाने के कारण उक्त गांव के विद्युतीकरण का कार्य रोकना पड़ा।

उक्त ग्राम सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा वर्ष 95-96 में चयनित होने के उपरान्त तथा संसाधनों की उपलब्धता होने पर विद्युतीकृत किया जाना सम्भव होगा।

संदर्भित ग्राम का विद्युतीकरण का कार्य परिषद् द्वारा लक्ष्य घटाये जाने के कारण सम्भव नही हो सका। अतः इसके लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

जनपद देवरिया के अन्तर्गत बनकटा स्टेशन बाजार उ०प्र० तक आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने का मामला

174—श्री नन्द लाल–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के अन्तर्गत बनकटा स्टेशन बाजार जो उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा पर स्थित है, में आवागमन की सुविधा हेतु परिवहन डिपो खोलने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नन्दलाल पटेल पटेल–

जी नहीं।

परिवहन निगम के बस बेड़े में वृद्धि की कोई योजना नहीं है और उपलब्ध संसाधनों से नया डिपो खोलना संभव नहीं है।

ए०डी०एम० सीलिंग वाराणसी द्वारा गैरकानूनी तरीके से किसानों की जमीन सरकारी करार देने का मामला

175—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शासनादेश संख्या—पी०सी०एम० 2193-9-आ०-3-93, दिनांक 10-1-94 के द्वारा ए०डी०एम०, सीलिंग, वाराणसी को निर्देश दिया गया था कि गैर कानूनी तरीके से 8(4) की कार्यवाही कर किसानों की जमीन राज्य सरकार के नाम दर्ज कर दी गयी है उसका तत्काल निस्तारण कर किसानों के नाम कर दिया जाय? क्या यह सही है कि तत्कालीन ए०डी०एम० सीलिंग वाराणसी ने एक भी मामले का निस्तारण नहीं किया है?

सुश्री मायावती—

जी नहीं।

शासनादेश सं० एस०सी०एम० 2/-93-9—आ—3—93 दिनांक 10 जनवरी 94 द्वारा इस आशय के निर्देश नहीं दिये गये थे।

उक्त शासनादेश द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि महायोजना, आर०वी०ओ० ऐक्ट-1958 की धारा-3 के अन्तर्गत घोषित विनियमित क्षेत्र के लिए ही बनायी जा सकती है और इसलिए महायोजना की सीमायें भी वही होगी जो विनियमित क्षेत्र की है। वस्तुतः वर्ष 1973 में वाराणसी की जो महायोजना बनी थी वह विनियमित क्षेत्र की सीमाओं से आगे बढ़ाकर बनाई गई थी जबकि नियमानुसार महायोजना विनियमित क्षेत्र की ही बनाई जा सकती है। ऐसी स्थिति में बढ़ी हुई महायोजना के कारण जिन गाँवों की भूमि उक्त अधिनियम की धारा 8(4) के अन्तर्गत शासन में निहित की गई थी उसे नियमानुसार सीलिंग अधिनियम से मुक्त किया जाना था।

दिनांक 10 जनवरी, 1994 के पश्चात् तत्कालीन सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण ने ऐसे-62 मामलों का निस्तारण किया है।

जनपद मऊ में दलितों से कर्ज वसूली में हो रहे उत्पीड़न को रोकने की मांग

176—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दलित वर्ग के व्यक्तियों के साथ कर्ज वसूली हेतु उनके द्वारा की गयी घोषणा "कि वसूली में दलितों का उत्पीड़न न करने तथा उन्हें जेल न जाने" के अनुसार शासन स्तर से जिला स्तर हेतु कोई आदेश जारी किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या जनपद मऊ में दलितों को कर्ज वसूली हेतु उत्पीड़ित किया जा रहा है? यदि हां, तो इसे रोकने हेतु क्या व्यवस्था की जा रही है? क्या 10 हजार

तक के दलितों के कर्जे माफ किये जाने हेतु सरकार विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी जगवीर सिंह गूजर–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

177—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[2 सरे मंगलवार में अता०प्र०सं०-41 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद देवरिया में बनकटा स्टेशन बाजार में 11 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र बनाने की मांग

178—श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद स्थित बनकटा स्टेशन बाजार में 11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने का कोई प्रस्ताव है? यदि हां, तो उसे कब तक पूरा कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया जनपद स्थित बनकटा स्टेशन बाजार में 11 के०वी० उपकेन्द्र बनाये जाने की अभी आवश्यकता नहीं है।

जनपद देवरिया के बनकटा स्टेशन बाजार को टाऊन एरिया का दर्जा दिये जाने का मामला

179—श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद का बनकटा रेलवे स्टेशन उ०प्र० एवं बिहार का सीमांकन करता है तथा वहां व्यापार की काफी संभावनायें हैं? क्या उसे ध्यान में रखते हुए बनकटा स्टेशन बाजार को टाऊन एरिया का दर्जा दिये जाने पर सरकार विचार करेगी? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

श्री राम किशोर बिन्द–

संविधान के 74वें संशोधन के फलस्वरूप नगर पंचायत के गठन के संबंध में अधिनियम में संशोधन किया गया है और तद्नुसार नगर पंचायतों के निर्वाचन कराए जाने

की कार्यवाही प्रगति पर है। अतः ऐसी स्थिति में वर्तमान में बनकटा स्टेशन बाजार को नगर पंचायत बनाया जाना सम्भव नहीं है।

गाँव सरावन प० पन्द्रह त० व जिला वाराणसी में वर्ष 1985 को सरकारी गजट सं० 1672 द्वारा आ० न० 674/1 रकबा-87 डि० को वक्फ सम्पत्ति घोषित करने की शिकायत

180–श्री ऊदल–

क्या मुस्लिम वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सरावन प० पन्द्रह त० व जिला वाराणसी में किस अधार पर आ०नं० 674/1 रकबा–87 डि० को वक्फ समिति घोषित करायी गयी है? क्या 21 दिसम्बर, 1985 को सरकारी गजट में क्रमांक-1672 पर वक्फ सम्पत्ति घोषित की गयी है? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि उक्त 674 पर बड़े पैमाने पर हिन्दुओं की आबादी है? क्या सरकार उक्त भूमि पर सैकड़ों वर्ष से आबाद लोगों की आबादी दर्ज करायेगी और वक्फ बोर्ड के नाम को समाहित करायेगी?

अल्पसंख्यक कल्याण तथा मुस्लिम वक्फ राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री बशीरूद्दीन)–

शासनादेश संख्या–111/एम०डब्लू०–22(1)–76 दिनांक 1-11-76 के अन्तर्गत वक्फ सम्पत्तियों का सर्वेक्षण इस जनपद में कराया गया। सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर यह भूमि वक्फ सम्पत्ति घोषित होकर सरकारी गजट दिनांक 21-9-85 में कब्रिस्तान के रूप में प्रकाशित हुई।

जी हाँ।

इस आराजी की जांच करा ली गयी है। जांच के उपरान्त उक्त आराजी में हिन्दू परिवार के केवल 7 मकान एवं सेहन तथा 15 पेड़ एवं 15 बांस खूंटी पाये गये।

वक्फ अधिनियम की धारा-8 (1) के अन्तर्गत वक्फ सम्पत्ति के गजट नोटिफिकेशन के पश्चात् एक वर्ष के अन्दर आपत्तिकर्ता को अधिकार है कि वह ऐसे मामलों को ट्रिब्यूनल में प्रस्तुत करके निर्णय प्राप्त कर लें, साथ ही चूँकि भूखण्ड का कब्रिस्तान (वक्फ सम्पत्ति) के रूप में अमलदरामद हो गया है, अतः आपत्तिकर्ता अधिनियम/नियमों के अनुसार अग्रिम कार्यवाही के लिए स्वयं भी स्वतन्त्र है।

सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल के संदर्भित पत्र द्वारा जिला सहकारी बैंक मुजफ्फरनगर के वर्ग-2 के कर्मियों की वरिष्ठता सूची पुनः तैयार करने के निर्देश

181—श्री सुरेश संगल–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि सहकारी संस्थागत सेवा मंडल, लखनऊ ने अपने आदेश पत्रांक 14281/मंडल/अगस्त 7, 1995 के द्वारा सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक, मुजफ्फरनगर को वर्ग 2 की वर्तमान ज्येष्ठता निरस्त करते हुये इसे विनियम संख्या 26 के अनुसार संशोधित करने के निर्देश दिये थे परन्तु अभी तक इस आदेश का

पालन नहीं किया गया? क्या मंत्री जी यह सूची उक्त आदेश के अनुसार प्रकाशित किये जाने के निर्देश देंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी जगवीर सिंह गूजर–

सहकारी संस्थागत सेवामण्डल के संदर्भित पत्र द्वारा जिला सहकारी बैंक मुजफ्फरनगर के वर्ग-2 के कर्मियों की वरिष्ठता सूची पुनः तैयार कर प्रकाशित करने के निर्देश दिये गये थे।

सेवामण्डल के निर्देशानुसार वरिष्ठता सूची प्रकाशित कर दी गयी है।

सहकारी संस्थागत सेवामण्डल के निर्देशानुसार वरिष्ठता सूची तैयार करके प्रकाशित की जा चुकी है। अतः उक्त सूची पुनः प्रकाशित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

[समय 12 बजकर 25 मिनट]

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 28 जुलाई, 1995 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 33 सूचनायें प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुये निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गई।

(श्री सुरेश चन्द्र तितौरिया का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है।

वाराणसी के काशी विद्यापीठ की सड़क खराब होने तथा नगर में यातायात संबंधी असुविधाओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

मान्यवर, किसी भी क्षेत्र का आर्थिक विकास सड़क, बिजली, यातायात के विकास पर निर्भर करता है। विभिन्न सरकारों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीर्ण विकास की घोषणा के बावजूद आज ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात के साधनों का समुचित विकास नहीं हो रहा है। वाराणसी जनपद के काशी विद्यापीठ की सड़क की स्थिति और भी खराब है, वहां जो भी रोडवेज की बसें सड़कों पर चलती थीं वे वापस कर ली गई हैं। विद्यापीठ चौराहे में 5 रूट पर बसे चलती थीं जो प्रमुख 5 केन्द्रों को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय तथा कचेहरी से जोड़ती थी। वाराणसी नगर में महानगरी-बसों के प्रारम्भ होने से कुछ हद तक नगर को यातायात की सुविधा मिली है। लेकिन ग्रामीण इलाको के बस जो उसे नगर से जोड़ती थी वापस ले लेने से ग्रामीणों के कचहरी जाने में अत्याधिक असुविधा होती है। जिनके पास निजी वाहन नहीं है उनको 10 से 15 किलो मीटर पैदल जाना पड़ता है, महिलाओं का तो नगर से सम्पर्क ही टूट

गया है। बूढ़े रोगी व महिलाओं पैदल चलने को विवश है। अतः आम जनता को सड़क यातायात के इस सस्ता साधन को पुनः सुलभ कराने की दृष्टि से सदन के संज्ञान में यह विषय लाकर शासन से मांग करती हूँ कि सभी इस लोक महत्व के गम्भीर मसला को हल करने के लिये सरकार कौन सी कदम उठा रही है इसकी जानकारी दें।

लखनऊ पश्चिम क्षेत्र में बिजली जाने पेयजल संकट होने तथा हैजे आदि बीमारी का भयंकर प्रकोप होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रहने वाले आज गम्भीर पेयजल संकट से जूझ रहे है। लगातार बिजली जाने तथा नलकूपों के खराब रहने के कारण लोग पानी के लिये तरस रहे हैं। अलीगंज, महानगर, डालीगंज, निरालानगर, त्रिवेणीनगर, चौक, हुसैनाबाद निवाजगंज कश्मीरी मोहल्ला तथा असरफाबाद वार्ड में लोग पानी की कमी के शिकार होने के कारण अब हैजे के शिकार होने लगे है तथा अब तक दर्जनों मौते हो चुकी है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न पर सदन में चर्चा कराने एवं कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने की मांग करता हूँ।

तहसील बबेरू, बांदा में एक ही व्यक्ति दुबारा सैकड़ों एकड़ सरकारी भूमि हड़पने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मुरली धर–

महोदय, ससम्मान अवगत कराना है कि ग्राम गुजेनी तह० बबेरू जनपद बांदा के श्री देवीदयाल पुत्र श्री भगवानदीन द्वारा चकबन्दी/राजस्व कर्मचारियों द्वारा सांठ-गांठ करके हजारों एकड़ भूमि जनपद बांदा व जनपद फतेहपुर हमीरपुर में सेहत करायी गयी है, श्री देवीदयाल के विरूद्ध मुकदमों अपराध सं० 65/93 धारा 419, 420, 468,218 आई, पी० सी० कोतवाली बबेरू जनपद बांदा में पंजीकृत किया जा चुका है। विवेचना अधिकारी से मधुर सम्पर्क बना लेने के उपरान्त अभियुक्त आज तक जेल नहीं भेजा गया हो सकता है अभिलेखीय त्रुटियों को भी सुधारने का प्रयास किया गया हो, मा० गयाचरन दिनकर विधायक बबेरू द्वारा उल्लेखित व्यक्ति के द्वारा 260 एकड़ सरकारी भूमि अभिलेखों में हेरा-फेरी करके हड़पने का प्रकरण साक्ष्यों सहित अपने पत्र दिनांक 5–1–95 के जरिये आयुक्त झांसी मण्डल झांसी को प्रेषित किया था। जांच दल द्वारा प्रकरण भू-माफिया के निर्देशन पर धीरे-धीरे प्रगति की ओर है यह अत्यन्त चिन्ताजनक एवं लगभग 10 करोड़ रु० की चोरी एवं भूमिहीन तथा कमजोर लोगों के अधिकारों के हनन् का गम्भीर प्रकरण है, दोषी व्यक्ति के बचाने से शासन/प्रशासन व सत्ता की छवि पर कलंक लग रहा है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उल्लेखित भू-माफिया द्वारा सेहत करायी 260 एकड़ सरकारी भूमि को तत्काल गांव सभा में दर्ज कराने व प्रश्नगत लिप्त/प्रेरक व्यक्तियों के विरूद्ध विधि संगत कड़ी कार्यवाही करने हेतु स्पष्ट एवं प्रभावी आदेश उ० प्र० सरकार को पारित करने का कष्ट करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

वाराणसी में हरिश्चन्द्र घाट स्थित बन्द पड़े विद्युत शवदाह गृह को चालू किये जाने तथा चिमनियों को ऊंचा किये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम देव राय चौधरी–

महोदय, वाराणसी में हरिश्चन्द्र घाट पर स्थिति विद्युत शवदाह गृह विगत अनेक महीनों से बन्द पड़ा है। जिससे गरीब नागरिकों को अत्यन्त कष्ट और आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि उक्त विद्युत शवदाह गृह पर जो चिमिनियां लगी हुई हैं उसकी ऊंचाई कम होने के कारण उक्त चिमनियों से निकलने वाली प्रदूषण युक्त तथा बदबूदार धुयें से आस-पास के रहने वाले नागरिकों को घोर कष्ट का सामना करना पड़ता हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि उक्त बन्द पड़े विद्युत शवदाह गृह को चालू करने के पहले लगे हुये चिमिनियों को कम से कम 10–15 फिट ऊंचा किया जाना अति आवश्यक हैं। ताकि निकलने वाले धुवां और ऊपर से निकल जाय और लोगों को दुर्गन्ध से मुक्ति मिले सकें। उक्त लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये बन्द पड़े विद्युत शवदाह गृह को चालू करने के साथ ही लगी हुई चिमिनियों को अनिवार्य रूप से 10 से 15 फुट ऊंचा किये जाने के निर्देश दिये जाने की मांग करता हूँ।

भदोही तथा वाराणसी जनपद की प्राथमिक पाठशालाओं में अध्यापकों की कमी होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रंगनाथ मिश्र–

भदोही तथा वाराणसी जनपद की प्राइमरी पाठशालाओं में शिक्षार्थी बच्चों की भीड़ बढ़ रही है किन्तु अध्यापक किसी प्राइमरी में एक किसी में दो अध्यापक विलक्षण कार्य कर चुके हैं प्राइवेट विद्यालय की फीस अत्यधिक होने के कारण तथा आबादी में उत्तरोत्तर हो रही वृद्धि के कारण प्राइमरी पाठशाला में बच्चों की अत्याधिक संख्या हो गई है प्राइमरी पाटशाला में 1 से 5 तक की कक्षायें चलाई जा रही है जिसके कारण एक विद्यालय में 500 से 1000 बच्चे नाम लिखाये हुये हैं किन्तु वहां पर अध्यापक एक या दो ही नियुक्त किये गये हैं। जिससे पढ़ाई के स्थान पर अध्यापक उनको बहोरी भी नहीं पाते है। तथा कमरे के अभाव में बच्चे पेड़ के नीचे वर्षा, धूप में बैठने के लिये बाध्य हैं जिससे उनका जीवन भी सुरक्षित नहीं है। अतः मा० अध्यक्ष जी से आग्रह है कि इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करने की कृपा करें।

जनपद इलाहाबाद में जल निगम द्वारा हैण्डपम्पों को लगवायें जाने में हुई अनियमितता के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

महोदय, गत दो वर्षों में इलाहाबाद में हैण्ड पम्प लगवाने का कार्य जल निगम को सौपा गया। जल निगम द्वारा हैण्ड पम्प तो लगवा दिये गये परन्तु लगभग छः हजार पम्पों के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चबूतरे नहीं बनवाये गये। चबूतरे बनवाने हेतु भी जल निगम को नब्बे लाख रुपये दिये गये थे। ज्ञात हुआ है कि चबूतरे बनवाने हेतु प्राप्त धन वेतन बांटने में खर्च कर दिया गया है, जो कि अवैधानिक एवं अनुचित है। प्रश्न उठता है कि शासन द्वारा वेतन हेतु प्राप्त धन का क्या हुआ? डी० आर० डी० ए० की बैठक में कई बार उपरोक्त अनियमितता की ओर जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया। जिलाधिकारी ने जांच करवा के अनियमितता को सत्य पाया तथा समुचित कार्यवाही करने का निर्देश भी दिया था। परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। गत 2 वर्षों में लगाये गये हैण्ड पम्पों में से काफी हैण्ड पम्प खराब हो गये हैं तथा अभी तक अधिकांश के प्लेटफार्म नहीं बनाये गये है जिसके लिये जल निगम के अधिकारियों को धन प्राप्त हो चुका है। धन का खुला दुरुप्रयोग किया गया है जो कि गम्भीर चिन्ता का विषय है। सरकार से अपेक्षा है कि वह हैण्ड पम्प के चबूतरे न बनवाने तथा प्राप्त रुपयों से वेतन भुगतान जैसी अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच कराके दोषी अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करें। अतः लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत सूचना देता हूँ।

प्रदेश में कार्यरत शैडो, गनर का टी० ए०, डी० ए० फिक्स किये जाने से व्याप्त असंतोष के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तेजभान सिंह–

डी० जी० पी० के आदेश द्वारा प्रदेश में कार्यरत शैडों, गनरों का टी० ए०, डी० ए० दिनांक 1-12-94 से 1500/- फिक्स करने के निर्देश समस्त पुलिस अधीक्षकों को दिये गये हैं। विधायकों व सांसदों के साथ तैनात शैडो, गनर जिन्हें माह में अनेक बार प्रदेश में कई स्थानों पर तथा प्रदेश के बाहर भी जाना होता है, को एक ग्राम प्रधान तथा क्षेत्रीय व्यक्ति, जिसका कार्यक्षेत्र काफी सीमित होता है के साथ तैनात शैडो, गनर जितनी न वर्दी पहनना और न ही रखरखाव ही करना पड़ता है के समान स्तर पर रखने से इन कर्मचारियों में काफी रोष है जिससे विधायकों तथा सांसदों की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है। जनपद-सुल्तानपुर में तो पिछले वर्ष के बकाया पड़े सभी बिलों का भुगतान भी इसी दिनांक 1-12-94 के आदेश के तहत कर दिये गये है, जिससे इन कर्मचारियों में भारी रोष एवं कुण्ठा व्याप्त है। मै आपके माध्यम से यह प्रकरण सदन के संज्ञान में लाते हुये शासन का ध्यान आकर्षित कर इसे वर्गीकृत एवं सेवानुसार करने तथा सुल्तानपुर में अनियमित भुगतान को तुरन्त ठीक कराकर पूर्ववत् दिलाये जाने की मांग करता हूँ।

भदोही जनपद की स्थापना होने एवं उसके लिये घोषित बजट का धन उपलब्ध न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 28 जुलाई, 1995 की नियम 301 के अन्तर्गत चार सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिसमें पहली सूचना श्री रंगनाथ मिश्र की है।

वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

* श्री रंगनाथ मिश्र–

माननीय, आज नियम 300 के अन्तर्गत एक ऐसे विषय को मैं आपके माध्यम से औचित्य का प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूँ। माननीय, भदोही जनपद का निर्माण हुये एक वर्ष हो गया है और पिछले बजट में तत्कालीन मुख्य मंत्री ने जब अपना बजट भाषण पढ़ा था, तो उसमें उन्होंने भदोही और पड़रौना के सृजन की घोषणा की थी और उसके बाद जो आय व्ययक प्रस्तुत किया था, उसमें माननीय दो जनपदों भदोही और पड़रौना के लिये 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी, कि इसके द्वारा भूमि अधिग्रहण होगा और उससे भवनों का निर्माण होगा, लेकिन माननीय मैं कहना चाहता हूँ कि आज तक वह पैसा नहीं गया, जिससे भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है। एक भी पैसा भदोही जनपद को नहीं मिला है। 27 विभाग ऐसे हैं जिनके कार्यालय आज तक नहीं खुल पाये हैं और जो भी खुले हैं उनमें अधिकारी नहीं जा रहे हैं।

माननीय, यही नहीं, जिलाधिकारी के रहने के लिये भी कोई आवास नहीं है, जिलाधिकारी गेस्ट हाउस में रहते हैं और एक कमरे में रहते हैं और दूसरे कमरे में अपना कार्यालय बनाया है, तो इस प्रकार की स्थिति है और ऐसी स्थिति में वहां पर कार्य कैसे हो पायेगा, इसका अन्दाज आप ही लगा सकते हैं? एस० पी० को बैठने के लिये कोई स्थान नहीं है। जनता जब अपने कार्य के लिये जाती है तो वह वहां पर अधिकारियों को नहीं पाती है, अगर कोई आदमी मिल जाता है तो वह कहता है कि कार्यालय ही नहीं है, आप का काम कैसे हो सकता है, इस प्रकार से जनता ठोकरें खा रही है, जो भी आदमी अपनी समस्या को लेकर वाराणसी जाता है, या सोच कर जाता है कि शायद वहीं पर कार्य हो जाये, तो वहां पर कहा जाता है कि आपका जिला अलग हो गया है, आपका काम वहीं पर होगा और वहां पर सम्पर्क स्थापित करें। राजस्व व्ययों की पुस्तिका बंटी है, उसके खण्ड 5 के पृष्ठ 156 को आप देख सकते हैं, उसमें लिखा है कि मुख्यालय भवन निर्माण हेतु 3 करोड़ रुपये शासन ने व्यवस्था की है और पृष्ठ 155 पर आप देखें लिखा है कि भवन निर्माण पर 3 करोड़ शासन ने व्यवस्था की थी।

लेकिन पिछले दिनों जब मैंने एक प्रश्न किया तो शासन के द्वारा यह जानकारी दी गयी कि भदोही जिले में जिला कार्यालयों के निर्माण हेतु अभी तक राजस्व विभाग को कोई धन आवंटित नहीं किया गया है। इससे घोर समस्या वहां उत्पन्न हो गयी है। हम लोग जब अपने क्षेत्रों में गये थे तो यह कहा गया कि हाउस में माननीय मुख्य मंत्री जी ने 5 करोड़ रुपये में से ढाई करोड़ रु० हमारे भदोही जिले के लिये दिया है, चिन्ता मत करें सारे कार्यालय खुल जायेंगे आपके काम होंगे। आज भी वहां की जनता मखौल उड़ा रही है कि सदन में ऐसे ही क्या भाषण दिये जाते हैं ऐसे ही शासन द्वारा बातें कही जाती हैं। एक कौड़ी पैसा जिले में नहीं आया यह कैसी व्यवस्था है? इसमें न सिर्फ हम लोगों की गरिमा को ठेस पहुंचती है बल्कि विधान सभा में भी जिस प्रकार के नीतिगत भाषण दिये जाते हैं उसके संबंध में अगर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

झूठा संदेश जाता है तो जनता यह सोचती है कि विधान सभा में गलतबयान बाजी होती है। इससे सदन की अवमानना हुई है। इस औचित्य के प्रश्न पर बल देते हुये निवेदन करना चाहता हूँ कि स्वीकार कर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये यह निर्देश दें कि ढाई करोड़ रुपया भदोही जिले के लिये तत्काल पहुंचाया जाय। वहां 27 विभागों के कार्यालय नहीं खुल पाये हैं, जो जमीन अधिग्रहीत की जाती है वह जमीन नहीं खरीदी जा सकी है, कार्यालयों के भवनों का निर्माण नहीं हो सका है।

श्री ऊदल–

मान्यवर, भदोही जनपद का जिस दिन शिलान्यास हो रहा था तो मुझे भी आमंत्रित किया गया था और मात्र आमंत्रित ही नहीं किया गया था बल्कि मंच पर ले जाकर मुझसे भाषण भी करवाया गया। यह आश्वासन दिया गया था कि इसका निर्माण कार्य अभी से शुरू हो जायेगा और जितने भी विभाग इससे संबंधित है उनके भी कार्यालय वहां खुल जायेंगे। बड़े दुख की बात है कि 30 जून, 1994 को इसका शिलान्यास हुआ था। आज भी भदोही जनपद के सी० एम० ओ० बनारस के सी० एम० ओ० हैं, बनारस के सी० डी० ओ० वही उसके सी० डी० ओ० हैं। दूसरे विभाग जो हैं उनके अधिकारी आज भी बनारस में ही रहते हैं। जी० आर० वाई० का पैसा बनारस में जाता है वहां से आवंटित किया जाता है उसका दुरुपयोग होता है यह बातें हमारी जानकारी में हैं। मौके बे मौके मैं भी जाता रहता हूँ अभी 7 जुलाई को गया था वहां के डी० एम० से मुलाकात हुई उन्होंने भी परेशानी को बताया था। आप इसको औचित्य के प्रश्न के रूप में स्वीकार कर लें। अगर नहीं भी स्वीकार करें तो जब भदोही का जनपद हो गया है डी० एम०, एस० एस० पी० की नियुक्ति हो गयी है तो फिर कार्यालयों की और अधिकारियों/कर्मचारियों की वहां रहने के लिये व्यवस्था हो जाय, सब कार्यालयों की व्यवस्था हो जाय। जब तक यह व्यवस्था नहीं होगी, भदोही की जो हालत है बहुत ही खराब और दयनीय है, सड़कें खराब है। इसलिये मैं औचित्य के प्रश्न पर बल देते हुये आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता चाहता हूँ कि सरकार द्वारा कम से कम जो बजट भाषण में, पिछली सरकार में, जो धन की स्वीकृति दी गयी थी, जो एलान किया गया था, माननीय सदन की मर्यादा को ध्यान में रखते हुये भदोही के लिये स्वीकृत धन को जल्द से जल्द अवमुक्त किये जाने के आदेश दें। वहां जमीन की खरीदारी हो जाय, कार्यालय खुल जायें और अधिकारियों के लिये रहने की व्यवस्था हो जाय।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री–(श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, माननीय रंगनाथ मिश्र और माननीय ऊदल जी ने भदोही जनपद की स्थापना और उसके बाबत बजट में प्राविधान होने के बावजूद धन न पहुँचने का मामला उठाया है।

श्रीमन् यह सच है कि प्राविधानों के बावजूद धन वहां पर पहुंचना चाहिये था और जनपद के सभी कार्यालयों के लिये व्यवस्था होनी चाहिये। मैं माननीय मिश्र जी और ऊदल जी ने जो विषय उठाया है उससे पूरी तरह से सहमत हूँ और अतिशीघ्र वहां पर व्यवस्था करवाऊंगा। वहां धन कैसे नहीं पहुंचा और क्यों नहीं पहुंचा और इसमें जिनकी भी त्रुटि होगी और दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो अन्य जनपद नये घोषित हुये हैं उनके बारे में भी देख लें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

अगर उनके लिये बजट में प्राविधान है तो मैं यह आश्वासन देता हूँ कि उन्हें भी दिखवा लूंगा।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, यह कब तक भेज देंगे?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

माननीय मिश्र जी और माननीय ऊदल जी में आश्वासन देता हूँ कि अतिशीघ्र इसको दिखवा लिया जायेगा और पूरे प्रकरण को गम्भीरता-पूर्वक लिया जायेगा और जहां आवश्यकता होगी मार्गदर्शन भी आपका लिया जायेगा यह प्रकरण नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आता है अतः उसे अग्राह्य किया जाये।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, महाराजगंज और पड़रौना नव सृजित जिले हैं वहां की स्थिति बड़ी ही खराब है वहां पर कार्यालय नहीं बने हैं।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, अगर व्यवस्था नहीं है तो उसका प्राविधान किया जाये।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, इससे स्पष्ट और क्या आश्वासन हो सकता है?

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती है अतः इसे अग्राहय किया जाता है।

प्रदेश में राज्य चीनी निगम की 15 इकाइयों को बेचे जाने के संबंध में शासन द्वारा भ्रामक उत्तर दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न (जारी)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, नियमावली के नियमों के अन्तर्गत हमें यह अधिकार है कि हम इस सदन में विशेष मामलों को रखें और सरकार उनका उत्तर दे क्योंकि सदन के माध्यम से ही जनता के बीच संदेश पहुंचता है कि उनके कौन-कौन से मामलों को सदन में रखा गया। श्रीमन् चाहे प्रश्न प्रहर हो, जीरो आवर हो, नियम–56 हो, नियम–300 हो या फिर नियम–301 इसके अन्तर्गत हमें अधिकार है और हम इन मामलों का उल्लेख कर सकते हैं। कल प्रश्न प्रहर के

समय श्री श्याम देव राय चौधरी जी के एक प्रश्न के जवाब में माननीय श्रम राज्य मंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक समिति का गठन कर दिया है जो इस बात की जांच कर रही है कि घाटे में चले रहे निगमों के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया जाये? कल शाम को ही जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी बजट स्पीच देने सदन में आयीं तो उन्होंने यह घोषणा की कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य चीनी निगम की 15 मिलें जिन्हें पिछली सरकार ने बेचने का निर्णय लिया था, उसे रद्द कर दिया गया है।

श्रीमन् हमने मान लिया कि वह रद्द हो गया। मान्यवर, 20 तारीख के दैनिक जागरण में राज्य चीनी निगम ने विज्ञापन दिया जिसके माध्यम से प्रदेश की 13 चीनी मिल बेचने और 2 चीनी मिल के शेयर बेचने का आमंत्रित किया जिसकी अन्तिम तारीख 30 है। तो इस तरह से तीन तरह की सूचनायें जनता के और इस सदन के सामने आयीं और हम लोग यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी सूचना सच है और कौन सी गलत। जनता यह तय नहीं कर पायी है कि जो पिछली सरकार ने घोटाला किया उस घोटाले को यह सरकार रोकना चाहती है या उसको बढ़वा देना चाहती है। मैं चाहूंगा कि आज आप चौथी कोई घोषणा करें माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से, माननीय मुख्य मंत्री जी ने तो आपको अधिकार दिया नहीं है तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूँगा, संसदीय कार्यमंत्री जी से, कि ठीक है, पूरे अधिकार हैं, अधिकार विहीन भी हैं, लेकिन उसके बाद भी इस सदन में जो कहें, वह सत्य कहें और आज यह तय हो जाय कि राज्य सरकार ने उसके संबंध में क्या निर्णय लिया है? कृपया मेरे औचित्य के प्रश्न को स्वीकार करने की कृपा करें।

*श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन् यह जो औचित्य का प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत है, मैं उस पर बल देता हूँ। श्रीमन् जब से यह सत्र प्रारम्भ हुआ है, आपने स्वंय समाचार-पत्रों में देखा होगा कि सत्र के प्रारम्भ होने के बाद भी जो सरकार को अपनी नीतिगत घोषणायें सदन के अन्दर करनी चाहिये, उन्हें सदन के बाहर किया जा रहा है। इसके पूर्व मान्यवर सत्र प्रारम्भ होने के बाद कई विभाग के मंत्रियों ने अपनी नीतिगत घोषणा सदन में न करके सदन के बाहर की हैं, यह विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है और यह भी उसी नीतिगत बात से जुड़ा है, आप इस पीठ पर विराजमान हैं, सदन के सम्मनित सदस्यों को संरक्षण देने का दायित्व भी आपका है। माननीय अग्रवाल जी ने कहा कि कल माननीन श्याम देव राय चौधरी जी के प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा कि अभी यह जो संस्थायें हैं, मिलें हैं, उनके बेचने के संबंध में क्या मानक होगा, क्या नीति होगी? के संबंध में परीक्षण और विचार चल रहा है और शाम को अपने उत्तर भाषण में माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पिछली सरकार ने जो प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई द्वारा स्थापित निगम की जो चीनी मिलों को औने-पौने दामों पर बेचने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

का फैसला लिया था, उस फैसले को रद्द कर दिया गया है, इस बात का हम लोगों ने स्वागत भी किया था।

मान्यवर, 20 जुलाई के समाचार-पत्रों में प्रदेश की रामकोला, पिपराईच, छितौनी, लक्ष्मीगंज, बैतालपुर, देवरिया, बाराबंकी, भटनी, बरेली, शाहगंज, मेरठ, हरदोई एवं रामपुर सहित 13 मिलों के संबंध में विज्ञापन दिया गया है। मान्यवर, इस तरह से अगर एक तरफ सदन में स्पष्ट तौर से माननीया मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह बात कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों या किसी भी घाटे के निगम को बेचने के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है और सदन के बाहर समाचार-पत्रों में इस तरह की कार्यवाही शुरू हो गई है। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 164 (2) की ओर मैं आपका ध्यान आर्कषित कराना चाहता हूँ, जिसमें पूरे मंत्रि-परिषद् का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और सदन के प्रति जवाबदेही होती है। आप उस पीठ से निर्देश दें कि सरकार बताये कि यह किस आधार पर बेचना चाहते हैं, क्यों बेचना चाहते हैं। मान्यवर, इससे पहले एक बैठक हुई थी उसमें भी यह कहा गया था कि श्रमिकों के हितों की रक्षा की जायेगी, उनके हित सर्वोपर होगें, जो किसान हैं उन किसानों के हितों की भी रक्षा के लिये सरकार कटिबद्ध है। इस प्रकार एक तरफ माननीया मुख्यमंत्री जी चीनी निगम की मिलों में कार्यरत श्रमिकों के हितों के रक्षा की बात कह रही है दूसरी तरफ उन मिलों को बेचने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है। सम्मनित सदन सत्र में है और सम्मनित सदस्यों को विश्वास में लेने की बात है। चूँकि यह नीतिगत निर्णय की घोषणा सदन क बाहर हुई है, आपकी पीठ से पूर्व में भी निर्देश हुये हैं कि कभी भी सत्र के दौरान नीतिगत निर्णय सत्र के बाहर नहीं होने चाहिये। यह निर्णय बाहर हुआ है, इसलिये औचित्य का प्रश्न अपने आप प्राग्दर्शन में बनता है, इसलिये मैं इस पर बल देता हूँ कि आप इस औचित्य के प्रश्न को स्वीकार करें। नन्दगंज सिहौरी (नंदगंज एवं रायबरेली इकाई) तथा घाटमपुर शुगर मिल के शेयर भी विक्रय हेतु आमंत्रित किया गया है, उनके संबंध में भी मामला है।

*श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 26 के तहत हमको प्रश्न पूछने का अधिकार है। जब हम प्रश्न पूछते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 164 (2) के अन्तर्गत सामूहिक जिम्मेदारी की बात भी आती है हम जो प्रश्न पूछते हैं, उसके लिए माननीय मंत्रीगण जिम्मेदार हैं इसके लिए सदन को अवगत कराते हैं। आज औचित्य का प्रश्न इसलिए बना है कि जो जिम्मेदारी सदन के लिए है उन्होंने उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया है अथवा नहीं किया है। मेरा कहना है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है। मान्यवर, पुरानी सरकार मुलायम सिंह यादव जी की सरकार अराजकता एवं आतंक फैलाने के लिए याद की जायेगी तो सुश्री मायावती जी की सरकार जब बनी होगी तो गुमराह करने में कीर्तिमान बनाने की लिए याद की जायेगी क्योंकि यह सरकार सुबह कोई

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

घोषणा करती है, शाम को कोई दूसरा घोषणा करती है। इनकी सरकार की कथनी और करनी में अन्तर है वह आजादी की बाद से जितनी सरकारें आयी उनमें नहीं मिलेगा।

मान्यवर, मैं सम्मानपूर्वक कहना चाहता हूँ और आप भी महसूस करेंगे कि गलती कहीं न कहीं हो रही है उसे सरकार सुधारे। मैं आपके पास एक [illegible] का विज्ञापन भेज रहा हूँ, यह विज्ञापन दिया है, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड ने। इस विज्ञापन में दिल्ली स्थित कार्यालय पर निविदायें मांगी गयी हैं– रामकोला, जहां गोली चली थी, पिपराइच, छितौनी, लक्ष्मीगंज, बैतालपुर, शाहगंज, हरदोई, सिरोही, नन्दगंज, घाटमपुर आदि के विक्रय के सम्बन्ध में। सरकार ने घोषणा की कि जो चीनी मिलें बेची गयी हैं, अब नहीं बेची जायेंगी, मान्यवर, दूसरे दिन ही निविदायें आमंत्रित कर ली गयी, इससे ज्यादा औचित्य का प्रश्न कौन का बन सकता है, पूरे तथ्य उभर कर सामने आ गये हैं। जिनके खिलाफ कल मुख्यमंत्री ने घोटालों की जाँच की है, उन्होंने उस चीनी मिलों के विक्रय में धांधली की थी, धांधली की जाँच तो एक तरफ है, वह होना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। लगता है कि यह सरकार भी बिचौलिया बदलने के अलावा दूसरा काम नहीं कर रही है। उस सरकार को दिल्ली में बैठकर एक उद्योगपति चल रहा था इस सरकार को दूसरा उद्योगपति दिल्ली में ही बैठकर चला रहा है। एक क्लार्क होटल में बैठकर सौदेबाजी करता था, दूसरा दूसरे होटल में बैठकर सौदेबाजी करता है। मान्यवर, मेरा इतना कहना है कि जो औचित्य का प्रश्न माननीय नरेश अग्रवाल जी ने और जगदम्बिका पाल जी ने उठाया है, उस पर बल देता हूँ। मान्यवर, जो सदन के अन्दर जानकारी दी है, उसके अतिरिक्त उससे हटकर काम किया है। जो विज्ञापन दिया है उसकी प्रति आपको भेज रहा हूँ इस पर आप बड़ाई से निर्देश दें।

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

इस पर तीन माननीय सदस्य बोल चुके हैं उन्होंने ही हस्ताक्षरित कर सूचना दी थी। वर्मा जी सारे तथ्य आ गये हैं। अगर आप कोई नई बात कहना चाहते हैं तो कहें।

*श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यह जो औचित्य का प्रश्न रखा गया है यह गम्भीर इस मायने में बन गया है कि एक ओर तो सदन में घोषणा की जाय कि चीनी मिलों को बेचने का जो निर्णय पिछली सरकार ने किया था, उस निर्णय को निरस्त कर दिया और उसी के साथ-साथ उन्हीं मिलों को बेचने की प्रक्रिया भी देखने को मिले जिसको माननीय [illegible] ने विज्ञापन दिखाकर बताया है यह एक गम्भीर बात है। ऐसा लगता है कि सरकार सदन के सामने घोषणा कुछ करती है और बाहर अमल कुछ और करती है। विज्ञापन जो प्रकाशित हुआ है वह अन्यथा बात का ही सबूत है। यदि कथनी और करनी में ऐसा ही विभेद रहा तो, पिछली सरकार के साथ भी आप

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

रहे हैं, झगड़ा किस बात पर हुआ, यह तो श्री नरेश अग्रवाल जी ही बता पायेंगे, क्योंकि वह ज्यादा नजदीक रहे, जो काम पिछली सरकार ने मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में किया, यदि उसी प्रकार के काम को इस सरकार ने भी अंजाम दिया तो .....

श्री अध्यक्ष–

आप कोई नई बात तो कर नहीं रहे हैं।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं इस औचित्य के प्रश्न पर बल देते हुए अनुरोध करता हूँ कि जनता की गाढ़ी कमाई के साथ यदि इसी प्रकार के खिलवाड़ का सिलसिला रहा, जो पिछली सरकार ने किया था तो जिस प्रकार का हश्र 18 महीने में उस सरकार का हुआ, इस सरकार का 18 दिन में ही हो जायेगा। इसलिए यह सरकार इस सिलसिले को बंद करे।

(श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को आप सुन लें। यदि आप उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हो पायेंगे तो ग्राह्यता के संबंध में स्पष्टीकरण पूछ लीजिए।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने नोटिस के जरिये कहा कि एक ही दिन में सरकार के तीन बयान आये। माननीय सदस्य ने दो बयानों का तो उल्लेख किया लेकिन तीसरे बयान का नहीं किया और वह बयान अखबार का है। सम्मनित अखबार में जो विज्ञापन छपा है वह एक ही दिन का नहीं बल्कि पहले का है। यह सही है कि प्रातःकाल हमारे मंत्रि-परिषद् के एक सुयोग्य साथी ने एक सवाल के उत्तर में कहा कि एक समिति का गठन किया गया है। सायंकाल माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि पिछली सरकार ने चीनी मिलों को बेचने का जो फैसला किया था, उस कार्यवाही को निरस्त कर दिया गया है। मान्यवर, यह सही है कि पिछली सरकार ने जो फैसला किया था, उनकी कार्यवाही भिन्न प्रकार की थी और वह कार्यवाही पारदर्शी नहीं थी। अब बेचने की रीति क्या होगी, टेण्डर कैसे आमंत्रित होंगे, बेचे जाने की क्यों आवश्यकता है, यह सब आर-पार दिखाई पड़े और पारदर्शी हो। अब यह समिति इस पर सम्यक् रूप से विचार करेगी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह नहीं कहा कि फैसला बदल दिया गया है। पिछली सरकार औने-पौने दामों पर मिलों को बेच रही थी परन्तु अब इस पर सम्यक् रूप से विचार होगा। जिन्हें बेच रहे हैं, उनसे कितनी हानि हो रही है और लगातार हानि में जाने से कितना राजस्व का नुकसान हो रहा है आदि आदि? उससे कैसे लाभ उठाया जा सकता है, ये सभी पारदर्शी होंगी। पिछली सरकार की कार्यवाही को निरस्त किया गया है। गन्ना विभाग के प्रमुख सचिव हमारे हैं, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के

अधिकारी उसमें हैं और भी अधिकारी उसमें हैं। वह उसे देखेंगे। मंत्री ने कोई दूसरा बयान दिया और माननीया मुख्य मंत्री जी ने कोई दूसरा बयान दिया, ऐसी बात नहीं है। हमारी सरकार के जितने भी कार्यकलाप हैं, वे सभी पारदर्शी हैं। माननीय सदस्यों ने कृपा करके, हमारे कार्यकलाप पारदर्शी दिखायी पड़ें, इस विषय को यहां पर उठाया। मान्यवर, यह सूचना नियम-3(4) के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए आप इसे निरस्त करने की कृपा करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सम्यक् रूप से विचार करने का आश्वासन दिया है। यहीं पर माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी ने सदन के समक्ष उस विज्ञापन को दिखाया, जिसमें 13 चीनी मिलों को पूर्ण रूप से विक्रय तथा वह तीन चीनी मिलों के शेयर्स बेचने के लिए विज्ञापन किया गया है। यदि आपकी प्रक्रिया पारदर्शी है तो आप नीति को स्पष्ट करें। आप कहते हैं कि अभी भी हमने बेचने का कोई निणय नहीं लिया है। परन्तु मान्यवर विक्रय की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो इसमें जो विरोधाभास है उसे स्पष्ट करा दें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित -

पिछली सरकार का जो फैसला था, उसकी जो कार्यवाही थी, जिस ढंग से पिछली सरकार मिले बेच रही थी उसे माननीया मुख्य मंत्री जी ने निरस्त कर दिया और उनका बयान भी है। उसकी नये सिरे से कार्यवाही हो रही है उसमें तमाम उत्तर प्रदेश शासन के अधिकारी हैं जैसे प्रमुख सचिव चीनी उद्योग, गन्ना विभाग, वित्त विभाग, सार्वजनिक उद्यम विभाग के तमाम अधिकारी हैं उनकी देखरेख में आगे की कार्यवाही की जायेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

स्थिति स्पष्ट हो चुकी है।

श्री नरेश अग्रवाल–

जब माननीय तिवारी जी ने कहा नीति वही है सिर्फ दिशौलिये बदल रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय ले लिया है कि राज्य चीनी निगम की जो चीनी मिलें हैं वह बेची जायेंगी। माननीया मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की चीनी मिलें नहीं बेची जायेंगी। लेकिन विज्ञापन में स्पष्ट है उसमें 30 तारीख आखिरी है। यह कहते हैं कि पिछली सरकार की प्रक्रिया गलत थी। यह स्पष्ट घोषणा करें कि हम चीनी मिलें बेचने चाहते हैं जो भी कमीशन हो उस पर मैं नहीं आता हूँ। श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री ने जो घोषणा की है उसका पालन हो और संसदीय कार्य मंत्री जी स्पष्ट घोषणा करें कि निगम की चीनी मिलों को बेचने के जो टेण्डर विज्ञापित किये हैं उनको निरस्त किया जाता है। अगर यह नहीं करेंगे तो यह विरोधाभास है और यह अनिश्चय का प्रश्न सदैव है इसका आप समाधान दिलवा दें।

श्री प्रमोद तिवारी –

मान्यवर, मैं स्पष्ट आश्वासन चाहता हूँ जो मैंने विज्ञापन भेजा है उसे आप देख लें 19 जुलाई है और 3 जून को इस सरकार ने शपथ ग्रहण की तो यह इस सरकार के कार्यकाल का विज्ञापन है तो जब मुलायम सिंह जी ने चीनी मिलें बचने की बात कही तो उसमें भी प्रमुख सचिव चीनी थे, उन्होंने भी टेण्डर मांगे थे, उन्होंने भी इसी भाषा का उपयोग किया था तो फिर यह पारदर्शी कहां हो गये? स्थिति स्पष्ट करें, कि 19 जुलाई का टेण्डर निरस्त करते हैं अगर यह टेण्डर निरस्त नहीं करते हैं तो निश्चित आरोप है कि यह सरकार पंचायत राज पर नहीं टूटी थी बल्कि चीनी मिलों के कमीशन के पैसे के बंटवारे पर टूटी थी और दो दलों के गठबंधन के बीच यह लड़ाई थी। आज मामला सिर्फ डिसैलिनों का है। या यह सरकार भी उसी तरह से कर रही है जैसा पहली सरकार ने किया।

श्री हृदय नारायण दीक्षित –

श्रीमन्, आदरणीय तिवारी जी ने कुछ आरोप लगाये है मैं उनका कड़ाई से प्रतिवाद करता हूँ। (व्यवधान) श्रीमन्, जहां तक चीनी मिलों का प्रश्न उठाया उसका जवाब आ गया और जो टेण्डर की बात है यह मैं बता देता हूँ – पुनर्निधारित अंतिम तिथि 14-6-95 के स्थान पर 31-1-95 तथा टेण्डर आमंत्रित करने की तिथि को 21-6-95 से बढ़ा कर 8-8-95 कर दिया गया है।

श्री जगदम्बिका पाल –

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है कि पहले जो तारीख थी उसको बढ़ा कर 8-8-95 कर दिया है। तो स्पष्ट है कि उ० प्र० सरकार कुछ चीनी मिलों को बेचने जा रही है। अगर यह चीनी मिलों को बेचने जा रहे है तो सदन में क्यों नहीं घोषणा करते हैं। कल माननीया मुख्य मंत्री जी ने एक घोषणा की और आज माननीय संसदीय मंत्री जी पारदर्शी नीति की बात कर रहे हैं। तो माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि चीनी निगम की 13 मिलों को बेचने के सम्बन्ध में टेण्डर मांगे गये हैं।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल –

अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने चीनी मिलों के बारे में बताया है कि एक समिति गठित कर दी गयी है, और कल मुख्य मंत्री जी ने इन्हें न बेचने की बात कही थी और यह कह रहे हैं कि बेचने की प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि चीनी मिलें बेचने की प्रक्रिया में है, तो उनकी मरम्मत नहीं होगी और अक्टूबर माह में गन्ने की पेराई शुरू हो जाती है। इससे किसानों में हाहाकार मचा हुआ है, उनका 53 करोड़ गन्ने का रुपया चीनी मिलों ने नहीं दिया है, तो क्या मंत्री जी सदन को आश्वस्त करेंगे कि अक्टूबर-नवम्बर से अवश्य चीनी मिलों में पेराई शुरू कर दी जायेगी और बेचने की प्रक्रिया से किसानों को कोई हानि नहीं होगी और न उनके गन्ने की पेराई प्रभावित होगी?

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी –

इस सम्बन्ध में मान्यवर, आप कल की कार्यवाही का पृष्ठ 191 देख लें, उसमें सुश्री मायावती ने जो कहा है उसकी दो पंक्तियां पढ़ रहा हूं। उसमें सुश्री मायावती ने कहा है – "पूर्व सरकार द्वारा जिन चीनी मिलों का विक्रय किया गया था, उनको हमारी सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया है।" तो जब यह निरस्त कर दिया गया है तो फिर क्यों बेचा जा रहा है और बेचने की प्रक्रिया कब शुरू हुई? टेण्डर सरकार ने दे रखा है, (व्यवधान), मान्यवर, इसमें आप निर्णय लें और सरकार को निर्देश करें कि चीनी मिलों को बेचने की प्रक्रिया को निरस्त किया जाय?

श्री राम आसरे वर्मा –

अब यह मामला गम्भीर हो गया है, मैं यह निवेदन कर रहा हूं अब यह मामला ज्यादा गम्भीर हो गया है। क्योंकि माननीया मुख्य मंत्री जी ने जो शब्द यहां इस्तेमाल किये, उन्हें सदन के सामने प्रमोद तिवारी ने पढ़कर सुनाया है। संसदीय कार्यमंत्री ने यह भी स्वीकार कर लिया है कि बिक्री के एग्रीमेन्ट पर जो चीनी मिलें हैं, उनकी तारीख अब बढ़ा दी गयी है। सदन के अन्दर घोषणा कुछ की जाय और बाहर आचरण कुछ और किया जाय, तो यह विरोधाभास गलत है। इस पर सरकार को स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए ...(व्यवधान)...

श्री हृदय नारायण दीक्षित –

माननीया मुख्य मंत्री ने जो कहा है, सरकार के निर्णय की जो बात कही है, तो उसमें पूर्व सरकार का फैसला निरस्त किया गया है....(व्यवधान)....जो हमारे विद्वान साथियों की जिज्ञासा है, इस सम्बन्ध में स्पष्ट कहना है, वर्तमान में राज्य चीनी मिलों के निजीकरण के संबंध में टेण्डर आमंत्रित किये गये हैं। और ये सभी मिलें लगातार हानि में हैं।

श्री जगदम्बिका पाल –

तो बेचेंगे?

श्री हृदय नारायण दीक्षित –

तो फिर टेण्डर आमन्त्रित करने के मायने क्या होते हैं?

श्री प्रमोद तिवारी –

आप घोषणा करिये पहले।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष –

इस पर काफी स्पष्टीकरण हो चुके हैं, मैं ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। अब इसमें कुछ बाकी नहीं रह गया है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित –

इसको किसी और नियम में ले लें, तो विषय पर और अच्छी चर्चा हो जायेगी। आज ही ले लें, किसी निकट कार्यदिवस में इस पर चर्चा हो जाये, और बजट में भी इस पर चर्चा हो जायेगी। यह नियम 300 में नहीं आता है। इसको आप निरस्त करने की कृपा करें।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। मुझे सिर्फ यह कहना है कि कृपया माननीया मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण पर गौर कर लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिये अग्राह्य की जाती है।

(व्यवधान)

श्री ऊदल–

यह सरकार गलत बयानी करती है। चीनी मिलें को न बेचने की बात कही गई थी और आज फिर चीनी मिल बेचने के लिये टेण्डर आमंत्रित किये जा रहे हैं। सरकार की इस नीति के विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री ऊदल सदन त्याग कर चले गये)

श्री नरेश अग्रवाल–

नहीं मान्यवर, इस तरह नहीं होगा। चीनी मिलें नहीं बेची जायेंगी ऐसा माननीया मुख्य मंत्री जी का कथन था और दूसरी तरफ चीनी मिलें बेचे जाने की कार्यवाही हो रही है। इस तरह किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी।

(कांग्रेस के श्री नरेश अग्रवाल, श्री हरि शंकर तिवारी, श्री राम विशुन आजाद, श्री प्रीतम सिंह, श्री बच्चा पाठक, श्री कोकब हमीद, श्री गोविन्द कुंजवाल, श्री नरेन्द्र सिंह, श्री राम प्रसाद टम्टा, श्री चरन सिंह, श्री जगदम्बिका पाल आदि सदस्य और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्स) के श्री राम स्वरूप सिंह सदन के फ्लार पर आकर बैठ गये तथा नारे लगाने लगे जिससे सदन के घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, गन्ना किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। एक तरफ यह कहते हैं कि चीनी मिलें नहीं बेची जायेंगी दूसरी तरफ कहते हैं कि बेची जायेंगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वह अपने-अपने स्थानों पर चले जायं।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

जब टेण्डर का दिया जाना स्वीकृत हो गया है तो क्या-बचा है?

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, माननीया मुख्य मंत्री जी को बुलावें। कल उन्होंने कहा है कि चीनी मिलें नहीं बेची जायेंगी। इसे आकर स्पष्ट करें।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नियम–300 के अन्तर्गत शेष सूचनाओं को निरस्त किया जाता है। (मद संख्या–3 (क) पुकारे जाने पर)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इस तरह कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं है। पहले सदन व्यवस्थित करायें।

(सदस्यों के निरन्तर बोलते रहने पर व्यवधान)

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत ग्राम परियावां तहसील तरबगंज स्थित पकड़ी से जमथा परियावां से बन्धा मार्ग को पक्का कराये जाने विषयक श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय की याचिका

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद गोण्डा के अन्तर्गत ग्राम परियावां, तहसील तरबगंज स्थित पकड़ी से जमथा परियावां से बन्धा मार्ग की पक्का कराये जाने के संबंध में श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय, निवासी–जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

* वक्ता ने वाक्य का पुनरीक्षण नहीं किया।

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत ग्राम सभा नकहार तहसील तरबगंज स्थित चौखड़िया से टीकरा मार्ग तक मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री इन्द्रदेव पाण्डेय की याचिका

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, जनपद गोण्डा के अन्तर्गत ग्राम सभा नकहरा, तहसील तरबगंज स्थित चौखड़िया से सेमरा मार्ग नकटहा तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री इन्द्रदेव पाण्डेय, निवासी-जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत नबाबगंज कटरा रोड से नगवा कल्याणुर रींवा मार्ग को पक्का कराये जाने विषयक की सुरेन्द्र सिंह की याचिका

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद गोण्डा के अन्तर्गत नबाबगंज कटरा रोड से नगवा कल्याणपुर रीवां मार्ग को पक्का कराये जाने के संबंध में श्री सुरेन्द्र सिंह निवासी जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद गोण्डा केअन्तर्गत नवाबगंज रींवा मार्ग पर तुलसीपुर माझा से रागी बन्धा मार्ग को पक्का कराये जाने विषयक की रूद्रपाल पाण्डेय की याचिका

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद गोण्डा के अन्तर्गत नवाबगंज देगवा मार्ग पर तुलसीपुर माझा से रागी बन्धा मार्ग को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रूद्रपाल पाण्डेय, निवासी जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत ग्राम परियावां, तहसील तरबगंज स्थित बेलसर उमरी बेगमगंज मार्ग से डिक्सिर होते हुए अमरही जाने वाले मार्ग को पक्का कराये जाने विषयक श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय की याचिका

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से, जनपद गोण्डा के अन्तर्गत ग्राम परियावां, तहसील तरबगंज स्थित बेलसर उमरी बेगमगंज मार्ग से डिक्सिर होते हुए अमदही जाने वाले मार्ग को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय, निवासी जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी बैठक दिनांक 27, जुलाई, 1995 में सदन के दिनांक 28 जुलाई, 1995 से 17 अगस्त 1995 तक के सदन द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :--

जुलाई, 1995

28 शुक्रवार

1--वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2--5.00 बजे अपराहन--

(क) उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 1994, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ और उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा संशोधनों सहित पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण--आधा घंटा।

(ख) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1995 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधनों सहित पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण--आधा घंटा।

29 शनिवार

30 रविवार

बैठक नहीं होगी।

31 सोमवार

1--वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2--5.00 बजे अपराहन--

(क) उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् विधेयक, 1995 पर विचार एवं उनका पारण--एक घंटा।

(ख) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक 1995 पर विचार एवं उसका पारण--एक घंटा।

अगस्त, 1995

1 मंगलवार

1—वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2—5 (X) बजे अपराह्न—

(क) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1995 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पर विचार एवं उसका पारण—एक घंटा।

(ख) बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय (उत्तर प्रदेश संशोधन और अनुपूरक उपबंध) विधेयक, 1995 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण—आधा घंटा।

2 बुधवार

3 गुरूवार

वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

4 शुक्रवार

1—वित्तीय वर्ष 1995-96 केआय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2—5 (X) बजे अपराह्न—

विधायी कार्य।

5 शनिवार

6 रविवार

बैठक नहीं होगी।

7 सोमवार

1—वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2—5 (X) बजे अपराह्न।

विधायी कार्य।

8 मंगलवार
9 बुधवार | वित्तीय वर्ष 195-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

10 गुरूवार

(ईद-ए-मिलाद का अवकाश)

बैठक नहीं होगी।

अगस्त, 1995

11 शुक्रवार

वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

12 शनिवार
13 रविवार | बैठक नहीं होगी।

14 सोमवार

1—वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2—5.00 बजे अपराह्न—

विधायी कार्य।

15 मंगलवार

(स्वतंत्रता दिवस का अवकाश)

बैठक नहीं होगी।

16 बुधवार

1- वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2—4.00 बजे अपराह्न—

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1995 का सदन की अनुज्ञा से पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

17 गुरुवार

1—विधायी कार्य (आधा दिन)

2—असरकारी दिवस (आधा दिन) 21 जुलाई, 1995 के स्थान पर।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

इस तरह से मान्यवर, सदन नहीं चलेगा।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज माननीय अध्यक्ष द्वारा दी गई है, सहमत है?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक जो प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री जी ने आज सदन में रखा है, से यह सदन सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रदेश में राज्य चीनी निगम की 15 इकाइयों को बेचे जाने के संबंध में शासन द्वारा भ्रामक उत्तर दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

श्री राम विशुन आजाद–

यह पूरे प्रदेश से संबंधित मामला है।

(श्री प्रमोद तिवारी भी सदन के फ्लोर पर आकर बैठ गये)

(मद संख्या–7 पुकारे जाने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण से अनुरोध है कि वह अपने स्थान पर चले जाएं।

(सदन के फ्लोर से माननीय सदस्य नारे लगा रहे थे, चीनी मिल के दलालों की यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।)

श्री अध्यक्ष–

कार्य स्थगन की सूचना आप ही माननीय सदस्यों ने दी है। आप लोग अपने स्थान पर चले जाएं।

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन 1994-95 का बजट भाषण है उसमें बताया गया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य अपने स्थान पर वापस जाएं।

(घोर व्यवधान)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन् औचित्य के प्रश्न को निरस्त कर दिया गया है अगर विस्तार से चर्चा चाहते हैं तो आप किसी दिन इस पर चर्चा करा लें।

श्री राम विशुन आजाद (फ्लोर से)–

इसमें चर्चा का कौन सा औचित्य है कहा गया था चीनी मिलों को नहीं बेचेंगे फिर भी बेचा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

सदन में आप अपने विचार, अपने तर्क रखें, दूसरा पक्ष अपना तर्क रखेगा। आप वेल में आकर जबरिया निर्णय करायेंगे? माननीय सदस्यगणों से अनुरोध है वह वापस अपने स्थान पर वापस चले जाएं।

(घोर व्यवधान)

इस तरह से वेल में बैठने का क्या औचित्य है?

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी कहा कि इस पर चर्चा करा ली जाए। चर्चा की आप जो तिथि तय करेंगे वह हमें शिरोधार्य है। मेरा यह कहना है कि यह जो टेन्डर दिये गये है इनको वापस ले लिया जाये और बिक्री पर रोक लगा दी जाये। यह स्पष्ट आश्वासन आप दिला दें।

श्री हृदय नरायण दीक्षित–

इस तरह से औचित्य के माध्यम से सरकार पर दबाव डालना उचित नहीं है। आप कार्य मंत्रणा समिति में इसके बारे में तारीख तय करवा लें उसके बाद इस पर चर्चा हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

सदस्यगणों से मेरा अनुरोध है कि वह इस विषय को कार्य मंत्रणा समिति में रखें और इस पर एक दिन तय हो जायेगा जिस पर दिन इस पर विस्तार से चर्चा हो जायेगी।

श्री राम आसरे वर्मा–

आपने अभी निर्देश दिया कि इस पर चर्चा करा ली जाये। मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा कि बिक्री की योजना को निरस्त किया जाता है। बिक्री की कार्यवाही बाहर चल रही

है और आपके निर्देश है कि इस पर चर्चा करा ली जाये। मेरा अनुरोध है कि विज्ञापन को अगर आप निरस्त नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसको स्थगित करवा दें इसके बाद उस पर जब चर्चा हो जाये और यहां पर जो सुझाव आयें उनका पालन किया जाये तब तो ठीक है नहीं तो आपके निर्देश अधूरे हैं।

* डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है। यहां पर चीनी मिलों की बिक्री का मामला आया उस पर सरकार की और से बारम्बार यह आश्वासन दिया जा रहा है कि यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है फिर भी इस पर कभी चर्चा करा ली जायें। मैं देख रहा हूं कि चार सदस्य जब से यह सदन चल रहा है सीधे-सीधे सरकार और विधान सभा के अन्य साथियो के साथ ब्लेकमेल कर रहे हैं तथा वेंल में बैठे हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि चार सदस्य जब चाहें सदन की कार्यवाही को रोक देंगे। सरकार की ओर से आ गया कि चर्चा करा ली जाय लेकिन माना नहीं जा रहा है। यह ब्लेक मेल कर रहे हैं।

इससे लोकतांत्रिक मार्यादाओं का हनन हो रहा है।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

सभी माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि सदन के अन्दर और सदन के बाहर हमसे अच्छे आचरण की अपेक्षा की जाती है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्यगण उत्तम आचरण का परिचय यहाँ दें।

श्री रामआसरे वर्मा–

मान्यवर, सदन आपके निर्देशों से चलेगा या इनके निर्देशों से चलेगा।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, आपका निर्देश पीठ से आ गया उसका पालन करना हम सबका कर्तव्य है। हमारे भी कुछ अधिकार हैं सदन में अव्यवस्था उत्पन्न करके उनका हनन किया जा रहा है। हम आपसे संरक्षण चाहते हैं। यह लोग सदन की भावनाओं के साथ और अन्य माननीय सदस्यों के साथ ब्लेक मेल कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अपने स्थान पर चलें और कार्यवाही चलाने में सहयोग दें।

(शोर)

डा० सरजीत सिंह डंग–

सारी दुनियां जानती है कि यह लोग मुलायम सिंह यादव की सरकार चलाने में सहयोगी थे। इनके जो नेता हैं वह योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, आपने तय कर लिया है कि सदन की कार्यवाही नहीं चलने देगें, यह अच्छी बात नहीं है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, व्यवस्था के प्रश्न के संबंध में मेरी बात भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वह अपने स्थान पर चलें और सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग दें। तिवारी जी मेरा अनुरोध है कि आप अपने माननीय सदस्यों से कहें कि जो भी बात कहनी है वह अपने स्थान पर जाकर कहें।

(माननीय सदस्य वेल में बैठे रहे।)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इन चीनी मिलों की बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश आप इस पीठ से दे दें। बिक्री तब तक न हो जब तक कि समिति की रिपोर्ट न आ जाय। मेरा स्पष्ट आरोप है कि 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का घोटाला है। इस 100 करोड़ रुपये से ज्यादा घोटाले में सरकार शामिल है।

(कतिपय सदस्यों के वेल में बैठे रहने व नारे लगाने से व्यवस्था बनी रही)

श्री अध्यक्ष–

सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिये स्थगित की जा रही है।

तत्पश्चात् 1 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिये स्थगित कर दी। 2 बजे मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन ढाई बजे तक के लिये और बढ़ा दिया है। तदोपरान्त 2 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरा एक अनुरोध था, माननीया मुख्य मंत्री, सुश्री मायावती ने सदन की कार्यवाही के पृष्ठ 191 में कल कहा था कि जो चीनी मिलों का विक्रय किया गया है, उसे मेरी सरकार ने निरस्त कर दिया है और मुख्य मंत्री का जो भाषण था, उसको भी आप देखें, श्रम मंत्री जी बात को भी देखें और फिर टेंडर की कापी भेजी, उनमें विरोधाभास है। यह बहुत बड़ा विषय है, 13–13 चीनी मिलों की बिक्री का सवाल है, तो यह इस प्रदेश के लिये

बहुत ही महत्व का विषय है। इससे लाखों किसानों का अहित होगा, इनमें हजारों मजदूर समाहित हैं, वह बेकार हो जायेंगे और वह भूखों मरने लगेगें। मैं आग्रह करुंगा कि किन्हीं भी परिस्थितियों में ऐसा न किया जाये, चीनी मिलों को बेचा न जाये, जो उनमें कमियां हैं उनको दूर किया जाये। इस विषय पर मुख्य मंत्री और श्रम मंत्री के वक्तव्य भी जुड़े हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब तक इस पर निर्णय न हो जाये, तब तक चीनी मिलों की बिक्री पर रोक लगा दी जाये और ऐसा करने में सरकार अगर अपने को अक्षम पा रही है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ऐसा निर्णय लें जिससे सरकार चीनी मिलों का विक्रय न कर सके। यही कांग्रेस के सदस्यों का अनुरोध है।

श्री राम आसरे वर्मा–

जो बात अभी कही गयी है, उसमें एक बात और जोड़ देना चाहता हूँ, कि इस आपका निर्णय हो गया है, आपने निर्णय दे दिया है और प्रश्न अभी जिन्दा है, इसलिये आप अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार कर लें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन् औचित्य के प्रश्न के माध्यम से जो विषय इस सदन के तमाम सदस्यों ने उठाया है, उस पर सरकार की ओर विचार अपने से विस्तार से व्यक्त कर दिये थे और श्रीमन् कुछ आरोप भी लगाये गये, उनका प्रतिवाद करता हूं और हमने स्पष्ट किया था कि सरकार की नीति पारदर्शी है और जिलों के विक्रय जो किया जा रहा है, वह नियमों और संगत तरीके से किया जा रहा है, इसलिये मुख्य मंत्री जी ने बताया था कि पहले के जो फैसले थे, जो कार्य विधि थी, उसको निरस्त कर दिया गया है। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि औचित्य के प्रश्न के माध्यम से काफी माननीय सदस्यों द्वारा तर्क वितर्क हुआ है। कुछ ऐसी भी स्थिति पैदा हो गयी थोड़ी देर के लिये कि सदन भी स्थगित हुआ, मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमारी नीतियां पारदर्शी हैं सरकार किसी भी दिन किसी भी समय माननीय अध्यक्ष और माननीय नेतागण जब चाहें, बहस के लिये तैयार है। आप बहस का समय भी अगर चाहें तो निर्धारित कर सकते हैं। किसी भी तरह से यह नियम 300 में नहीं आता है। इस उठायी गयी सूचना के सम्बन्ध में मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसे निरस्त करने की कृपा करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी पिछली सरकार जिस पर बिक्री कर रही थी, हम इसी पर बिक्री कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं यह भी संसदीय कार्य मंत्री जी स्पष्ट कर दें पिछली सरकार किस तरह से बिक्री कर रही थी उसमें क्या अनियमिततायें हैं और यह सरकार जो बिक्री कर रही है उसमें क्या पारदर्शिता है?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर नियम 300 में जानकारी मांगने के लिये कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

श्री ऊदल–

मान्यवर, इस पर स्पष्टीकरण न मांगकर, अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखते हुये, पुनर्विचार करके अभी, आगे किसी दिन आप अपनी व्यवस्था दे देंगे।

श्री अध्यक्ष–

इस विषय पर मैंने पुनर्विचार किया और इस पर जो मेरा निर्णय है उसे मैं आरक्षित करता हूँ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 28–7–95 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 26 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गई। प्रथम जांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा, शेष सूचनायें पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जायेगा। पहले सूचना श्री रंगनाथ मिश्र, श्री शिव प्रताप शुक्ल, श्री श्याम देव राय चौधरी व श्री रमेशकान्त लवानियां की उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा घोषित इण्टरमीडिएट परीक्षाफल की ज्येष्ठता सूची के प्रति सन्देह से उत्पन्न जन असंतोष के सम्बन्ध में है।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि इन्टरमीडिएट बोर्ड का परीक्षाफल 26 तारीख को अखबारों में प्रकाशित हुआ। मान्यवर, यह माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षा प्रणाली प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, बल्कि विश्व में सबसे बड़ी परीक्षा प्रणाली मानी जाती है। मान्यवर, जिस ढंग से इस परीक्षा प्रणाली की धज्जियां पिछली सरकार ने उड़ायी थी और उसका परिणाम भी सामने आया। उसका जीता जागता उदाहरण 26 जुलाई को घोषित परिणामों से देखने को मिल रहा है। जो रिजल्ट घोषित हुआ आज पूरे प्रदेश में ही नहीं देश में यह चर्चा का विषय बना हुआ है 16 परीक्षार्थी मेरिट लिस्ट में आये हैं और वे 16 परीक्षार्थी एक ही विद्यालय के छात्र हैं। इतना ही नहीं मान्यवर अगर वह एक ही विद्यालय के होते तो ठीक हो सकता है कि अच्छी पढ़ाई रही हो लेकिन मान्यवर, उसमें क्रमांक के अनुसार सिलसिले वाईज 1-2 से 16 क्रमांक के ही विद्यार्थी मेरिट लिस्ट में आये हैं।

मान्यवर, आज पूरे शिक्षा जगत में छात्रों के बीच में, अभिभावकों के बीच में एक आशंका उत्पन्न हो गयी है कि जिस प्रकार से जो मंशा पिछली सरकार की थी कि नकल के माध्यम से इस पूरी परीक्षा प्रणाली को नष्ट करने इस प्रदेश के अन्दर जो क्षमतावान विद्यार्थियों को निकल करके देश और विदेश में नाम कमाने का अवसर मिलता अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिलता और आगे बढ़ने का अवसर मिलता इसको रोकने का काम उसने किया था और इसका परिणाम यह हुआ कि 72 प्रतिशत रिजल्ट सामने आया। जिस समय पिछली

सरकार 91 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसने स्वकेन्द्र परीक्षा प्रणाली को खत्म किया था और दूसरे केन्द्र आवंटित किये थे और शिक्षकों, अभिभावकों व छात्रों के ऊपर जिम्मेदारी डाली थी कि आप ही इसके जिम्मेदार होंगे। परीक्षा में अगर नकल होती है तो इससे छात्र प्रभावित होते हैं, उनका हैरेसमेंट होता है और वहीं नकल करके अनुचित साधनों का प्रयोग करके या अन्य साधनों से नम्बर बढ़वा करके मेरिट में आ सकें इस पर अंकुश लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था और उसका परिणाम यह हुआ कि 30 प्रतिशत रिजल्ट आया। उसके बाद राष्ट्रपति शासन आया....

श्री अध्यक्ष– .

आप अपने विषय पर बोलें। आप सिर्फ इन्टरमीडिएट रिजल्ट के बारे में बोलें। रास्ट्रपति के शासन में क्या हुआ या फिर भारतीय जनता पार्टी के समय में क्या हुआ? इसपर न बोलें।

*श्री रंगनाथ मिश्र–

तो मान्यवर, यह जो रिजल्ट घोषित हुआ है इससे साफ परिलक्षित होता है कि सामूहिक नकल करायी गयी या फिर बोर्ड की कापी जांचने में कोई धांधली की गयी होगी या फिर परीक्षा की चार्टशीट में हेरा फेरी की गयी है और अपने स्कूल के छात्रों और अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए कहीं न कहीं खामियां पैदा करके प्रतिभावान छात्रों को दबाकर गलत लोगों को मेरिट में सम्मिलत किया गया है। मान्यवर, 31 जुलाई को हाईस्कूल का रिजल्ट आने वाला है और आज लाखों-लाख छात्र इस बात से चिन्तित है कि जिस प्रकार से इन्टरमीडिएट परीक्षा में घोटाला किया गया है और अपने लोगों को मेरिट में लाया गया कहीं उसका असर इसमें न पड़े। यह प्रश्न उनके सामने आ खड़ा हुआ है। मान्यवर, मैं मांग करता हूँ कि इस कार्य-स्थगन को स्वीकार करके इस विषय पर चर्चा करायी जाये।

*श्री शिवप्रताप शुक्ल–

मान्यवर, अभी 26 तारीख को इन्टरमीडिएट का परीक्षाफल घोषित हुआ है। मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा परिषद् देश की सर्वाधिक बड़ी संस्था है और लोगों का बड़ा विश्वास इस पर है और यह माना जाता था कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् से जो परीक्षार्थी उत्तीर्ण होता था उसका देश मे बड़ा सम्मान होता था लेकिन आज जो परीक्षाफल 26 तारीख को घोषित हुआ है उसको देखकर पढ़कर और सुन करके सब लोग आश्चर्य चकित हो गये। मान्यवर, जरा यह देखें 16 विद्यार्थी एक ही विद्यालय के एक ही कक्ष में परीक्षा दिये हैं और डा० वीरेन्द्र स्वरूप एजूकेशनल सेंटर कानपुर के छात्र हैं, और वह मेरिट में क्रमांक पर आये हैं मान्यवर, उसके बाद कहीं से एक आ गया और कहीं से दो आ गये हैं, स्वकेन्द्र होने का परिणाम यह है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस व्यवस्था को समाप्त किया गया

* वक्ता ने भाषण का पुर्नवीक्षण नहीं किया।

था, मालूम था घपलेबाजी होगी। मैं बताना चाहूँगा कि अभी तो परीक्षा हुई है, उसमें गोरखपुर का एक उदाहरण देना चाहूँगा। स्वकेन्द्र परीक्षा के अन्तर्गत वहाँ डी०आई०ओ०एस० एक महिला हैं, वह महिला एक विद्यालय पर चेकिंग के लिए गई, वहाँ उनको बाल घसीटकर मारा गया, वहाँ के लोगों ने मारा, उन लोगों ने मारा, जो लोग रुपये ले-लेकर विद्यार्थियों को इतने रुपये में प्रथम श्रेणी, इतने रुपये में द्वितीय श्रेणी और इतने रुपये तृतीय श्रेणी दिया जायेगा, का सौदा करते थे। जो परीक्षाफल घोषित हुआ है, वह रुपये लेकर हुआ है। मेरा तो स्पष्ट आरोप है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् में रूपया देकर कुछ भी कराया जा सकता है। इतनी बड़ी संस्था, जिसका पूरे प्रदेश, देश में सम्मान है, लोगों का विश्वास है, इन परिस्थितियों में पहुँचा जायेगी कि रुपये के आधार पर कुछ भी कराया जा सकता है तो फिर योग्यता का क्या स्थान रह जायेगा? अगर योग्यता एक कमरें में बाँध दी जानी है और रुपये के आधार पर उसे तौला जायेगा तो फिर आज सभी लोगों को यहां विचार करना पड़ेगा कि इस परीक्षा प्रणाली का क्या होगा? मान्यवर, इसका मतलब तो यह है कि इससे अच्छा होता, सब लोग अपने घरों से पेपर लिखकर भेज देते और योग्यता को नापा न जाय और विद्यार्थियों को इसी आधार पर दूसरी कक्षा में कर दिया जाय।

आज नियम-56 के द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में मैं इस विषय पर सम्पूर्ण सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। आज पूरे समाज में, लोगों में इस तरह की आशंका पैदा हो गई है कि इस तरह की परीक्षा प्रणाली में हमारे बच्चों का क्या होगा? सदन को निश्चित रूप से इस पर विचार करना चाहिये और विचार करके बहुत ही कड़ाई से साथ ऐसा निर्देश यहाँ से पास होना चाहिये, जिसके द्वारा ऐसे लोग, जो रूपये के आधार पर योग्यताओं को खरीदने का काम करते हैं, उनका बाजार बंद हो सके। आज निश्चित रूप से इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर स्पष्ट निर्णय होना चाहिए।

*श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, जो गंभीर प्रश्न आज माननीय सदन में रखा गया है, वास्तव में बहुत ही गंभीर है। मान्यवर, इसमें गौरतलब बात यह है कि जैसा अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया, उसके, अतिरिक्त इन बिन्दुओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि यह एक ही विद्यालय की छात्राएं हैं और यह विद्यालय अंग्रेजी माध्यम का एक विद्यालय है और यहाँ छात्र और छात्राएं दोनों ही पढ़ाते है लेकिन जो इस विद्यालय की 16 छात्राओं का नाम मेरिट की सूची में आया है, उसमें केवल छात्राओं का ही नाम है और जो छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं, उनमें से किसी एक का भी नाम इस मेरिट सूची में नहीं आया है। दूसरी बात यह भी बताना चाहूँगा कि जो 16 छात्रायें हैं, वह उनमें से हैं जो अन्य छात्राओं के साथ एक ही कक्ष के अन्दर परीक्षा दे रही थीं, निश्चित रूप से यह बात इस ओर संकेत करती है कि इस परीक्षा दिलाने में जो इनविजिलेटर्स थे, उन्होंने निश्चित रूप से उनको नकल कराने में मदद की है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

अन्यथा अगर इस विद्यालय में इतनी अच्छी पढ़ाई होती है, उसका स्तर इतना ऊँचा है तो निश्चित रूप से विद्यालय के जो छात्र हैं, उनका भी 2-4-5 का नाम मेरिट सूची में आना चाहिये था। एक बात यह भी बताना चाहता हूँ कि इसके पहले जो हाईस्कूल की परीक्षायें हुई थीं, उसमें गौरतलब बात यह है कि पिछले वर्ष इस विद्यालय के किसी भी छात्र-छात्रा का नाम मेरिट सूची में नहीं आया था और इस वर्ष एकाएक सारे विद्यालयों को पीछे छोड़ते हुए इस विद्यालय का नाम पठन-पाठन के जगत में टाप पर आ गया, तो मान्यवर कौन सी ऐसी पढ़ाई हुई, कौन सी ऐसी प्रतिभायें रहीं जो एकाएक सबके सामने प्रकट हो गयीं। मेरा यह कहना है कि निश्चि रूप से इन प्रतिभाओं को सामने लाया गया है, इन प्रतिभाओं को सामने लाया गया है, इन प्रतिभाओं को लाने में उन छात्र-छात्राओं का अपना कोई योगदान नहीं होगा या उसमें से एक-दो का होगा बाकी जो वहाँ के ट्यूटर रहें हैं, जिसका स्वार्थ अपने विद्यालय को आगे लाने में रहा है, निश्चित रूप से उनको नकल कराकर उनकी सहायता की है जिसके परिणामस्वरूप यह परिणाम आया है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि इस वर्ष यह जो परिणाम आया है वह 72 प्रतिशत आया है और यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकार्ड है। यह जो स्व-परीक्षा केन्द्र प्रणाली है उसका ही परिणाम है नहीं तो पिछले साल जब भारतीय जनता पार्टी का शासन काल रहा तो उसने नकल पर कड़ाई से रोक लगायी थी उसके परिणाम स्वरूप जो परीक्षा फल आया था, वह इस बात का संकेत था कि इस वर्ष जो पढ़े हुये लड़के निकले उनको कल्याण सिंह जमाने का कहा जाता है। मुलायम सिंह यादव की सरकार जैसा अन्य बातों में भ्रष्टाचारी रही है, वैसे परीक्षा में भी निकली, उसने प्रतिभाओं को कुंठित करने का प्रयास किया है। मैं यह चाहूंगा कि जो स्व-परीक्षा केन्द्र प्रणाली है उसको समाप्त किया जाये और इसी तरह से माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अन्दर भ्रष्टाचार के कारण यह जो परिणाम आया है, निश्चितरूप से प्रदेश के अन्य विद्यालयों में जो प्रतिभा सम्पन्न छात्र-छात्रायें हैं उनको कुण्ठित करने वाली है। इस प्रकार से अगर मेरिट बांटा जायेगा तो निश्चित रूप से जो अध्ययनशील छात्र-छात्रायें हैं, उनके अन्दर कुण्ठा पनपेगी और वे हतोत्साहित होगें। इसलिए मैं इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव रखा गया है उस पर बल देता हूं और आशा करता हूं कि इस प्रकार भ्रष्टाचार के परिणाम स्वरूप मेरिट लिष्ट प्रकाशित हुई है, उस पर रोक लगायी जाये और जो माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अन्दर मेरिट बटी है उस पर रोक लगाने के लिए कोई कड़ा कदम उठाया जाये।

श्री रमेश कान्त लवानिया–

मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा परिषद् की शिकायतें अनेक वर्षों से आ रही हैं और वह अब इस सीमा को भी पार कर चुका है कि बहुत उच्चस्तरीय जांच की आवश्यकता है। वहां परीक्षा फल बदले जाते हैं, कापियां बदली जाती है, सन् 1995 की कापियां बाजारों में बिकी हैं और उनको जब्त किया गया है। यह जो परीक्षा फल 26 जुलाई, 1995 को इण्टरमीडिएट का घोषित हुआ है, उसकी चारों तरफ आलोचना हुई है, तमाम कालेजों के प्रधानाचार्य, माध्यमिक शिक्षक संघ और जनता ने इस पर असन्तोष प्रकट किया है और असन्तोष का

कारण भी है कि 36 छात्रायें श्रेष्ठता सूची में आयी हैं लेकिन 36 में से 16 छात्रायें केवल एक ही विद्यालय व एक ही कमरे की हैं। क्या प्रतिभा सम्पन्न छात्रायें केवल उसी कमरे में बैठी थी, किसी अन्य कमरे में प्रतिभा सम्पन्न नहीं थी छात्राएं यह बहुत गम्भीर प्रश्न है। उस विद्यालय में छात्र भी पढ़ते हैं क्या प्रतिभा सम्पन्न केवल छात्राएं थी? छात्रों में कोई भी प्रतिभा सम्पन्न नहीं था? 16 छात्राओं को लगातार उसी क्रमांक से, योजनाबद्ध तरीके से एक कमरे में बिठाकर नकल करायी गयी। 91.40 प्रतिशत का एक रिकार्ड अंक प्राप्त हुये हैं, ऐसा बोर्ड में कभी नहीं हुआ। मान्यवर, इस विद्यालय, डा० वीरेन्द्र स्वरूप एजुकेशनल सेण्टर की प्रधानाचार्य ने परीक्षाफल घोषित होने के एक दिन पहले उन छात्राओं की श्रेष्ठता सूची के बारे में बयान जारी कर दिया। हमारे विद्यालय की ये-ये छात्रायें श्रेष्ठता सूची में आई हैं और परीक्षा परिणाम का प्रतिशत भी घोषित कर दिया। आखिर यह माध्यमिक शिक्षा परिषद् व उस स्कूल के प्रधानाचार्य के बीच में सांठ-गांठ नहीं है तो और क्या है? तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक ने इस विद्यालय के संबंध में एक गोपनीय रिपोर्ट भेजी है कि प्रश्न-पत्रों का जो पैकेट्स हैं यहां पर, या तो उनमें प्रश्न-पत्र कम पाये जाते हैं और या फिर अधिक पाये जाते हैं और एक पैकेट तो छिपा हुआ मिला और अनेक प्रश्न-पत्रों की फोटो प्रतियां बेची गई। इस प्रकार की एक गोपनीय रिपोर्ट उन्होने भेजी परन्तु इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और न ही जांच हुई। माध्यमिक शिक्ष परिषद् का जो 1992-93-1994 का जो टेबुलेसन चार्ट है, उसमें 62 पृष्ठ गायब पाये गये। इसकी जांच होने के बजाय, उस अधिकारी की प्रोन्नति कर दी गई। इससे आज विद्यार्थी जगत में बहुत असंतोष है और जनता में असंतोष है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय विद्यालय से हमेशा विद्यार्थी श्रेष्ठता सूची में आते रहे हैं परन्तु इस वर्ष वहां से एक भी विद्यार्थी का नाम श्रेष्ठतासूची में नहीं है और भी अनेक ऐसे विद्यालय हैं जहां से छात्र-छात्रायें श्रेष्ठता सूची में आती रही हैं।

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इन 16 छात्राओं में से केवल एक छात्रा ही हाईस्कूल की परीक्षा में श्रेष्ठता सूची में आई थी। इन दो वर्षों में ही ये 15 छात्रायें इतनी बुद्धिमान व ओजस्वी कैसे हो गई कि श्रेष्ठता सूची में आ गई? इसलिए आज जनता के बीच में असंतोष है। इसलिए मेरी मांग है कि परीक्षाफल के संबंध में, माध्यमिक शिक्षा संघ के कार्यप्रणाली के संबंध में और गोपनीयता भंग होने के संबंध में एक उच्च स्तरीय जांच करायी जाय और इसमें जो दोषी पाये जांय, इनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय और साथ ही आमूल-चूल परिवर्तन भी किया जाय। अन्य किसी तरीके से इस विद्यालय के इन छात्राओं के परीक्षाफल की जांच भी करायी जाय, इनके कापियों की जांच करायी जाय और पता लगाया जाय कि वास्तव में वे श्रेष्ठता सूची में आने लायक थीं भी कि नहीं। मैं काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूं कि सरकार इसे गम्भीरता से ले अन्यथा एक विस्फोट हो सकता है और विद्यार्थी आन्दोलन कर सकते हैं।

श्री अमरजीत सिंह, जनसेवक–

मान्यवर, इस प्रकरण पर तमाम सारी बातें आ गई हैं परन्तु अभी तक एक महत्वपूर्ण बात नहीं आई है। कजस प्रबंध मण्डल का यह विद्यालय है, जिसमे से 16 छात्रायें श्रेष्ठता सूची में आई हैं, बहुत अच्छा है अगर वे बुद्धिमान हैं और पढ़ने में तेज हैं तो इन्हें

आना चाहिये लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रबंध मण्डल का एक इण्टरमीडिएट कालेज भी चलता है। जब परीक्षायें चल रही थीं और पर्चे खोले जा रहे थे तो एक पर्चा वहां पर गायब पाया गया। जिसे जिला विद्यालय निरीक्षक ने वहां पर देखा और देखने के बाद माध्यमिक बोर्ड को एक टिप्पणी भेजी। मैने स्वयं जी०डी० आर०, कानपुर से इस संबंध में सम्पर्क किया। उन्होने भी इस बात की पुष्टि की कि उसमें से एक पर्चा गायब था। डी०आइ०ओ०एस० ने एक गोपनीय टिप्पणी भेजी परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। यदि उस टिप्पणी पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो माध्यमिक शिक्षा परिषद् के जो सचिव हैं, उनकी तरफ भी अंगुली उठती है। पहले यह नियम था और परम्परा भी रही है कि जब भी हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट का रिजल्ट निकलने वाला होता है तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् के सचिव सारे पत्रकारों को बुलाते हैं और उनके सामने रिजल्ट को घोषित करते हैं।

इतिहास में पहलीबार यह हुआ है कि बिना किसी पत्रकार बंधु को बुलाये सारे अखबारों को जानकारी हो गयी। समाचार पत्र "आज" में रिजल्ट घोषित होने से पूर्व श्रेष्ठता सूची का आजाना इस बात को साफ-साफ जाहिर करता है कि मिलीभगत के बिना ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसी कौन सी परिस्थितियां है जो 16 लोक श्रेष्ठता सूची में आगये इसमें कोई घडयंत्र प्रतीत होता है। मैं इस बात पर बल देते हुये आग्रह करता हूं कि इस पर जांच कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार ग्राह्यता पर रख दिये हैं; संक्षेप में आप भी कह दें।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, जो चर्चा चल रही है शिक्षा एक ऐसा विषय है जिससे मैं समझता हूं पूरे देश और प्रदेश का जन-जन जुड़ा हुआ है। जो माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा इंटरमीडियेट का परीक्षाफल निकला है उसमें एक ही विद्यालय के एक ही कमरे के क्रमांक सीरियल से मैरिट लिस्ट में आये हैं। मैं शिक्षक होने के नाते शिक्षा से मेरा सीधा संबंध है। तो जो कापियां गयीं होंगी एक ही केन्द्र पर गयी होंगी और एक ही शिक्षक ने उन्हें जांचा होगा। पिछली सरकार ने शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया और नकल विरोधी कानून को समाप्त कर खुली नकल करने में छूट दे दी जिसका परिणाम यह इंटरमीडियेट का परीक्षाफल है। मैरिटलिस्ट में एक ही विद्यालय के एक ही कमरे में बैठे परीक्षार्थियों का होना इस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। इतना ही नहीं कई विद्यालयों में परीक्षायें चल रही है वहां पर भी नकल हो रही है।

मैं वर्तमान सरकार से अनुरोध करता हूं कि अगर प्रदेश के युवकों का भविष्य उज्जवल बनाना है तो परीक्षा में जो नकल की बीमारी लगी है, मुलायम सिह सरकार ने जो नकल विरोधी कानून को समाप्त करके नकल की परम्परा प्रारंभ की है उस पर वर्तमान सरकार चिंतन करे तभी हमारे प्रदेश के बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। और जो संकेत इंटर की परीक्षाफल में आया है और हाईस्कूल का परीक्षाफल आने वाला है हो सकता है उसमें भी इसी तरह की बात आये। तो मान्यवर, सरकार इस बात पर सावधानी से चिंतन और

मनन करे और आवश्यकता हो तो इस सदन के माननीय सदस्यों की एक समिति बना दें जिससे हमारी शिक्षा पद्धाति पर विचार हो।

पंचायतीराज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं के नतीजों को लेकर माननीय सदस्यों ने चिंता जाहिर की है और यह चिंता कानपुर के एक विद्यालय के 16 छात्रों का एक साथ श्रेष्ठता सूची में आने को लेकर ज्यादा है। और भी कई गंभीर बातें यहां उठाई गयी है और अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करते समय यह संकेत दिया कि संभवतः स्व केन्द्र परीक्षा प्रणाली के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। सभी माननीय सदस्यों के विचार सुनने से और सरकार की भी यह नीति है कि योग्यता और प्रतिभा का सम्मान होना चाहिए पहले की सरकार योग्यता और प्रतिभा का सम्मान नहीं कर रही थी। योग्य व्यक्ति चाहे कहीं का हो, प्रतिभावान व्यक्ति चाहे कहीं का हो उसका सम्मान पूर्व की सरकार नहीं करती थी। तो जो बच्चा पढ़ता है, अध्ययन करता है उसे कम अंक मिलते हैं और कम योग्य को गलत तरीके से अधिक अंक प्राप्त हो जाते हैं तो योग्य छात्र के मन में कुण्ठा पैदा होती है और वह भविष्य के प्रति संकालु हो जाता है और विद्रोही हो जाता है। यह सब बातें ध्यान में रखते हुये हमारी सरकार बिलकुल गम्भीर है। कई अवसरों पर मैंने पर यह कहा है कि हमारी सरकार बेहतर परीक्षा पद्धति के लिये कटिबद्ध है और जो छात्र उससे निकलें उनका सम्मान भी हो। हमारी सरकार का यही उद्देश्य है।

इस आदरणीय सदन में अनेक विद्वान सदस्यों ने प्रकांरान्त में इस नतीजे पर प्रश्नचिह्न लगाया है। मेरी और सरकार के संज्ञान में लाते हुये जो कहा है, इंसकी जांच जिससे चाहेंगे, जिस अधिकारी से चाहेंगे जिस तरह चाहेंगे हम करा देंगे। इसकी गहन जांच कराई जायेगी और यदि आवश्यक हुआ तो उसमें जो भी दोषी पाये जायेंगे, उनके विरूद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही की जायेगी। इसमें यदि पीरक्षा निरस्त करने की बात होगी तो परीक्षा भी निरस्त कर दी जायेगी। जिसे चाहेंगे, उस जांच अधिकारी को हम इसे सन्दर्भित कर देंगे। मैं समझता हूँ कि नियम 56 में काम रोको प्रस्ताव की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, मान्यवर, इसको आप निरस्त करने की कृपा करें। (व्यवधान) यह बिना जांच के ही से हो सकता है। पहले से तो सरकार की दृष्टि में यह चीज आई नहीं। जो विचार माननीय सदस्यों ने व्यक्त किये हैं उनका सम्मान करते हुये, उन बिन्दुओं को लेते हुये सरकार जांच करा देगी।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना पर तमाम सदस्यों को सुनने के बाद और संसदीय कार्य मंत्री जी के विचार सुनने के बाद यह नियम 56 में नहीं आता है, मैं इसको अग्राहय करता हूँ।

*श्री राजकुमार शिवहरे–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने जनपद बांदा की विद्युत अव्यवस्था और आपूर्ति की समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जनपद बांदा में अनेक गांवों में विद्युत की जो व्यवस्था है, उसके अन्तर्गत सैकड़ों गांव ऐसे हैं, जहां पर खम्भे होते हुये बिजली लाइन और ट्रांसफार्मर न होने के कारण बिजली नहीं आती है। जिसके कारण से अनेक समस्याओं का सामना वहां के किसानों को करना पड़ता है। कुछ गांवों की ओर मैं विशेष कर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ जैसे महुआ के अन्तर्गत अर्जुन्हा और विलगांव तथा ब्लाक विसन्डा के अन्तर्गत कुसुमा, खटौरा, भिन्डखर, पुनाहू और सिकलौरी ग्राम हैं, जहां पर गांव में बिजली की लाइन है किन्तु बाहरी सप्लाई की लाइन चोरी चले जाने के कारण वहां बिजली बिलकुल नहीं आती है। वहां पर बिजली आपूर्ति की बड़ी दुर्व्यवस्था है। अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं सदन में चर्चा कराये जाने की आपसे मांग करता हूँ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन् माननीय विधायक जी ने ग्रामीण विद्युतीकरण और विद्युत आपूर्ति के न होने और अपने कार्यक्षेत्र की विद्युत आपूर्ति की अनियमितता के प्रश्न उठाये हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि वगैर बिजली आये ही सम्भवतः बिल भेज दिये जाते हैं। मैं उनको बताना चाहूंगा कि उन गांवों में जहां कोई विद्युत उपभोक्ता नहीं है और बिजली की लाइन चोरी हो जाती है, तो बिद्युत परिषद् उन गांवों में विद्युत लाइन प्रतिस्थापित करने में उनको प्राथमिकता नहीं देता है, किन्तु यदि अन्य कहीं चोरी हो जाती है या ट्रान्सफार्मर खराब हो जाते हैं तो अति शीघ्र उसको परिवर्तित कर दिया जाता है। यदि उनके पास कोई ऐसी शिकायत है कि बिल्कुल बिजली नहीं आई तो राज्य विद्युत परिषद् की एक नियमावली है, उसके अन्तर्गत उसमें उनके लिये छूट का भी प्राविधान है। उनके पास कोई विशेष शिकायतें हो तो मिलकर मुझसे विस्तार से बताकर प्रार्थना-पत्र दे देंगे तो हम उसकी जांच करा लेंगे।

श्री राजकुमार शिवहरे–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से..

श्री अध्यक्ष–

मिलकर अपनी बात बता दीजियेगा।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, हमारी आपसे प्रार्थना है कि यह ऐसा विषय नहीं है कि अविलम्बनीय लोक महत्व का हो। जनता की समस्याओं से जुड़ा प्रश्न है, हमें लिखकर दे देंगे तो हम विचार कर लेगें। ग्राह्य करने योग्य नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ। अगली सूचना श्री सरजीत सिंह डंग की है।

*डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, 1989 में इस प्रदेश में एक सरकार आई थी और उसने सरकार में आने से पहले घोषणा की थी कि यदि हमारी सरकार आई तो 10 हजार रुपये तक के कर्जे किसानों और मजदूरों के ऊपर जो हैं, बुनकरों और गरीबों के ऊपर जो कर्जे हैं वह माफ कर दिये जायेगें। मान्यवर, तत्कालीन सरकार ने अपने समय में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में और अन्य कई अवसरों पर यह बात दोहराई कि 10 हजार रुपये तक के कर्जे माफ कर दिये जायेगें। मान्यवर, दुखद स्थिति यह है कि उस सरकार ने जब कर्जे माफ किये जाने के सम्बन्ध में जो मापदण्ड की पुस्तिका प्रकाशित की तो उसके हिसाब से 14 प्रतिशत लोगों के ही कर्जे माफ हो पाये। मान्यवर, सामान्य रूप से गांव की जनता निर्धन होने के साथ-साथ अशिक्षित भी होती है। समाचार-पत्रों, रेडियो, टेलीविजन और जो भी अन्य संचार के माध्यम हैं उनसे बार-बार इस बात का प्रचार सुनकर कि 10 हजार तक के कर्जे माफ कर दिये गये, गांव के गरीबों, दलितों, किसानों, बुनकरों ने यह समझ लिया कि हमारे कर्जे माफ हो गये और इसी गफलत में उन्होंने कर्जे की अदायगी बन्द कर दी। मान्यवर, आज 5–6 वर्ष बाद पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में ऐसे दलित किसान हैं जिनके पास वसूली की नोटिस जा रही है और उनका वसूली के लिये उत्पीड़न किया रहा है। स्थिति यह है कि उस समय भी, जब यह कर्जे माफ किये जाने की घोषणा हुई थी उसके पहले भी जो कर्जे लिये गये थे, 30 प्रतिशत ऐसे थे जो कि बिल्कुल फर्जी थे। जिन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया था उसके नाम रुपये बकाया निकाले गये। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ गोवर्धन आत्मज श्री रामलाल जिसके ऊपर 8 हजार 550 रुपये का कर्जा था 33 हजार 500 रुपये बकाया निकाले गये यह लखीमपुर बरतेर गांव के रहने वाले हैं। इनके ऊपर कर्जा बकाया है जबकि किश्तों की अदायगी भी की है।

मान्यवर, आज स्थिति यह है कि इस विधान सभा के पिछले सत्र में भी, और इस सत्र में भी गरीब किसान मजदूर मोर्चे में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं और यह प्रदर्शन आज भी चल रहा है। यह समस्या केवल उनकी नहीं है, पूरे प्रदेश के गरीब कर्जदारों की है। पिछली सरकार ने उनके धोखा किया, विश्वासघात किया। आज जिस प्रकार से उत्पीड़न की कार्यवाही हो रही है, उससे पूरे प्रदेश की जनता में रोष व्याप्त है। मैं एक बिन्दु की ओर सम्मानित सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। आज 80 करोड़ रुपये केवल श्रीमन् मोदी, जो प्रदेश के पूंजीपति हैं, उन पर व्यापार कर का बकाया है। शासन की जो स्थानान्तरण नीति बनी है जिसमें 60–60 प्रतिशत लोग स्थानान्तरित होगें। 22–22 करोड़ रुपया एक-एक विभाग के स्थानान्तरण पर लगेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुर्नवीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

जो विषय है, वह बतायें।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, बिल्कुल सम्बद्ध बिन्दु कह रहा हूँ। करोड़ों रुपया जनता का पूंजीपतियों के पास पड़ा है। जनता का पैसा स्थानान्तरण जैसे कार्य में खर्च होगा। मैं कार्य स्थगन के प्रस्ताव पर बल देते हुये निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार को इस बात पर गम्भीरता से सोचना चाहिये। पूंजीपतियों के ऊपर जो करोड़ों रुपया व्यापार कर का बकाया है, उसकी वसूली की जानी चाहिये। गरीबों, किसानों, मजदूरों जिनकों कोई पूछने वाला नहीं है, जिनके साथ पिछली सरकार ने विश्वासघात किया है कह कर भी 10 हजार रुपये का कर्ज माफ नहीं किया है उनके कर्ज माफ करेगें तो प्रदेश में ही नहीं भारत के राजनैतिक इतिहास में यह सरकार अमर हो जायेगी। मैं पुनः इस पर बल देते हुये चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, पिछली सरकार ने दस हजार रुपये तक के कर्जों की माफी की घोषणा की थी और इस परिपेक्ष में प्रदेश स्तर पर सहकारिता विभाग द्वारा ऋण राहत योजना शुरू की गई थी इसमें और किसी अन्य विभाग ने कोई कार्यक्रम नहीं बनाया था। डंग साहब को जानकारी होगी सहकारिता विभाग द्वारा 31–3–92 को 642.42 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई थी। मुझे आंकड़े पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है इसमें 3850588 व्यक्ति लाभान्वित हुये। राजस्व विभाग के तकावी एक्ट–12 के अन्तर्गत ऋण के अनुपालन में मंत्री परिषद् का फैसला हुआ था। 11–12–89 को लघु सीमान्त किसानों बुनकरों और मजदूरों के 10 हजार तक के शासकीय ऋण की वसूली स्थगित करने के आदेश दिये गये थे। श्री डंग ने एक विषय उठाया है। उनकी जानकारी में कहीं ऐसा हो कि वसूली हो रही हो उत्पीड़न की स्थिति हो तो बता दें। शासन के संज्ञान में कोई ऐसी जानकारी नहीं है। किसी गरीब सीमान्त कृषक की मजदूर की छोटी सी धनराशि को लेकर उत्पीड़न हो रहा है तो उसको संज्ञान में लायें उस पर कार्यवाही कराई जायेगी। जहां तक कर्जे की माफी का प्रश्न है तो ऐसा सरकार का कोई विचार नहीं है कि कर्जों की माफी के बारे में कोई फैसला हम लेगें। यह बहुत पुराना मामला है। यह 1989 के कर्जों की बात है। नियम–56 में डंग साहब ने यह मामला उठाया है। 1989 के मामले को नहीं उठाना चाहिये था। पुरानी सरकार ने चूक की है वह निर्णय को लागू नहीं कर पाई है। डंग साहब की जानकारी में कोई खास मामला हो जहां उत्पीड़न की कार्यवाही हो रही हो तो इसको सरकार देखेगी। हमारी प्रार्थना है कि इसको निरस्त करने की कृपा करें।

डा० सरजीत सिंह डंग–

माननीय मंत्री जी ने बताया कि सहकारिता विभाग ने ऋण माफ करने की घोषणा की। तत्कालीन सरकार ने 10 हजार कर्जे माफी की घोषणा की कर्जे माफी के मापदण्ड की

पुस्तिका में नियमों के अनुसार क्या शत प्रतिशत कर्जा माफ हो गया या जैसा मैने कहा कि 14 प्रतिशत कर्जा माफ हुआ। इन्होंने कहा कि विचार नहीं किया गया मैं अनुरोध करुंगा कि इसमें विचार करें। बहुत बड़ी संख्या में दलित लोग प्रभावित हैं। गांव में रहने वाले व्यक्ति गरीब होंगे उसमें 90 प्रतिशत दलित हैं मैं अनुरोध करूंगा कि उनकी ऋण माफी पर विचार करें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

पूर्ववर्ती सरकार ने कर्जा माफी की घोषणा की मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इसमें सब लोग लाभान्वित नहीं हुये यह भी सही है। जिन लोगों का कर्जा माफ किया गया उसमें भी कुछ कमियां थीं मैं नहीं कहना चाहता हूँ। जिन काश्तकारों ने एक भी पैसा कर्जे का नहीं दिया उनका कर्जा माफ हो गया और जो काश्तकार थोड़ा-थोड़ा पैसा कर्जे का दे रहे थे जो कर्जा देने की शक्ति नहीं रखते थे फिर भी कर्जा दे रहे थे उनका कर्जा माफ नहीं हुआ। पिछली सरकार ने कर्जा माफी की घोषणा तो कर दी लेकिन उसे क्रियान्वित नहीं कर सके। डंग साहब आपका सम्मानित दल समर्थन कर रहा है आप भी हवाई घोषणा कराने के पक्ष में नहीं होंगे।

डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या मंत्री जी ब्याज माफी की घोषणा करेंगे ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्यमंत्री तो काफी सहृदय हैं। कम से कम ब्याज माफ करने की ही घोषणा कर दें जिससे गरीबों व दलितों को काफी राहत मिल जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

मैंने संसदीय कार्यमंत्री को भी सुना और सम्मानित सदस्य को भी सुना मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

आज मैं एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। पांचवी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री सत्य प्रकाश विकल व श्री कृष्ण कुमार नवमान की है। वैसे 5 सूचनायें सुनी जाती हैं लेकिन आज मैं विशेष अवसर पर श्री प्रमोद तिवारी, श्री नरेश अग्रवाल, श्री जगदम्बिका पाल की छठी सूचना को भी सुनूंगा। लेकिन यह कभी दृष्टांत नहीं बनेगा केवल विशेष अवसर पर यह सूचना सुन रहा हूँ।

श्री राम आसरे वर्मा–

आप एक सूचना और सुन लीजिये।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, इसके पहले जो सरकार थी वह गांव, गरीब, किसान विरोधी सरकार थी। वह गुण्डों, माफियाओं की संरक्षक थी। उसका कानून व्यवस्था से कुछ लेना देना नहीं था। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में अराजकता थी। जंगलराज कायम था। सत्ता परिवर्तन हुआ, दूसरी

सरकार आयी और इससे काफी उम्मीदें थी कि जो अराजकता की स्थिति है उसमें प्रभावी परिवर्तन होगा। लेकिन पिछली सरकार ने जो कानून व्यवस्था की स्थिति को इतना चौपट कर दिया है कि वर्तमान सरकार को ठीक करने में कुछ समय लगेगा। अभी पिछले दिनों जब नई सरकार बनी तो प्रदेश के व्यापारियों और नागरिकों को आशा जगी कि इस सरकार में हम सब सुरक्षित रहेंगे। अपराधों पर रोक लगेगी। उसमें सुधार हुआ है लेकिन आज भी जितनी अपेक्षायें हैं इस प्रकार से वह पूरी नहीं हो पाई हैं। और इसी दिशा में अभी देवरिया में एक घटना का उल्लेख मैं करना चाहता हूँ। 24 जुलाई को देवरिया नगर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी रतन कुमार अग्रवाल वसूली किया हुआ पैसा लेकर बैंक में जमा करने जा रहे थे। मान्यवर व्यापारी रविवार को वसूली करता है और सोमवार को उसे बैंक में जमा करता है। 11.30 बजे 5,29000 रुपया लेकर अग्रवाल जी जिलाधिकारी आवास होकर बैंक में रुपया ले जा रहे थे। इतने मे 11.30 बजे जिलाधिकारी आवास के सामने जहाँ संतरी शस्त्र लेकर पहरा दे रहा था वहीं अपराधी मोटर साइकिल पेर सवार होकर अग्नेयास्त्र से फायर किया और उनसे रुपया लेकर फायर करके, आतंक पैदा करके भाग गये।

दूसरी घटना है दूसरे ही दिन समाज कल्याण विभाग में कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास के पद पर काम कर रही एक महिला अधिकारी को 24/25 की रात्रि में अपने आवास में संदेहास्पद स्थिति में उसकी मृत्यु हो गयी। उनको वहां के प्रशासन के बिना पोस्ट मार्टम करायें उस लाश का दाह संस्कार कर दिया। उनके आगे पीछे कोई नहीं है। उनकी खोज-खबर लेने वाला कोई नहीं है। आज तक इस घटना के चार दिन बीत जाने के बाद कोई जानकारी नहीं मिली है। देवरिया जनपद इन घटनाओं के विरोध में बन्द रहा। सारे व्यापारियों, पेट्रोल पम्प व सिनेमा मालिकों ने अपने व्यवसाय बन्द रखे। अभी तक 5.29.000 रुपयों को बरामद नहीं किया गया तथा न ही कोई अभियुक्त पकड़ा गया वहाँ आज भी आन्दोलन चल रहा है। वहां के नागरिकों और व्यापारियों ने जिलाधिकारी आवास पर एक सप्ताह के धरने का आयोजन किया है।

[समय 3 बजकर 25 मिनट]

मान्यवर, स्थिति बड़ी गंभीर है। मैं चाहूँगा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाया जाय और जो 5 लाख 29 हजार रुपया लूटा गया है उसको बरामद किया जाय और इस मामलें में दोषी पुलिस कर्मियों को शिथिलता बरतने, उनकी अकर्मण्यता और निकम्मेपन के कारण जो यह रूपया बरामद नहीं हो पाया है उसके लिये उनको दंडित किया जाय। यह अत्यंत अविलंबनीय लोक महत्व का प्रश्न है इसलिए मैं प्रस्ताव के माध्यम से इस पर बल देता हूँ। चूँकि मैं व्यापार मंडल का उपाध्यक्ष भी हूँ इसलिये मेरी सीधी जवाबदेही है। मैं आग्रह करुँगा कि संसदीय कार्य मंत्री इसको गंभीरता से लेते हुये रुपयों को बरामद कराने और दोषी पुलिस कर्मियों को दंडित किये जाने की कार्यवाही करने की घोषणा करें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

माननीय रवीन्द्र प्रताप मल्ल जी ने जो सूचना दी है तो वह सच है कि रतन कुमार अग्रवाल की हत्या हो गयी थी। उनके पास कुछ रुपया भी बदमाश ने छीन लिया था। इस संबंध में मुकदमा दर्ज है और बारदात में इस्तेमाल की गयी मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद कर ली है। क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में एक टास्कफोर्स बना दी गयी है जो अभियुक्तों को अतिशीघ्र पकड़ने के लिये जुटी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले, मल्ल जी की नोटिस को सुनने के पहले इसके बारे में जानकारी हम लोग कर रहे थे तो पता लगा है कि अपराधी कहां मिल सकते हैं, यह भी पुलिस को पता चल गया है। श्रीमन् सरकार पूरी तरीके से सतर्क है। माननीय मल्ल जी ने नोटिस के माध्यम से सरकार को सूचना दे ही दी है उनको पूरा विश्वास होना चाहिये कि सरकार किसी भी अपराधी के विरुद्ध कार्यवाही करने से कतराती नहीं है श्रीमन् यह बात सच है कि व्यापार मंडल के कुछ लोगों ने दूकानें बंद की थी। मल्ल जी ने दूसरी घटना बताया है उसमें एक महिला, भट्टाचार्या, जो जिला कार्यक्रम अधिकारी थीं उनके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ था और न ही उनकी किसी हादसे में मृत्यु हुई है उनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई है। चूँकि उनके कोई परिवार नहीं था, वह अविवाहित थीं इसलिये उनका दाह संस्कार वहां के अधिकारियों और लोगों ने कराया और उन पर हमला हुआ ऐसी कोई सूचना नहीं है और न वहां पर कोई अशंति है और कानून व्यवस्था कि स्थिति भी ठीक है। जो मल्ल जी की पहली सूचना है उस पर हम तत्परता से कार्यवाही करायेंगे। आप किसी अन्य अधिकारी से जांच कराना चाहते हैं तो उससे करा लेगें। अपराधियों को पकड़ने के लिये पूरी तत्परता के साथ कार्यवाही की जायेगी। मैं आपसे प्रार्थना करुँगा कि नियम 56 में इस नोटिस पर काम रोककर चर्चा कराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अक्तूबर, 94 में पिछली सरकार ने उत्तर प्रदेश के करोड़ों किसानों पर एक बड़ा भार डाल कर कहर बरपा किया है। एक अध्यादेश के जरिये से सिंचाई दरों में दो गुने से लेकर ढाई गुने तक वृद्धि कर दी गयी। पहले रबी और खरीफ की सिंचाई एक बार हुई मानी जाती थी लेकिन ऐसी व्यवस्था कर दी गयी कि अगर 2 पानी, तीन पानी या अतिरिक्त पानी कोई लेगा तो सिंचाई में इजाफा होता चला जायेगा। उस समय किसानों ने इसको गंभीरता से नहीं लिया लेकिन जब उनकी जानकारी हुई तो एक आवाज उठी कि यह ठीक नहीं है। श्री मुलायम सिंह की सरकार ने किसानों के हक में घोषणा की थी कि नहर की टेल तक, पूँछ तक पानी पहुँचा दिया है लेकिन पानी पूँछ तक तो क्या मूँछ तक भी नहीं गया था और किसानों पर टैक्स लगा दिया गया। मैं जो बात कह रहा हूँ उसको आकंड़े भी साबित

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

कर रहे हैं। 1994-95 में सिंचाई से अनुमानित आय 73.22 करोड़ रुपये होनी थी। लेकिन जो पुनरीक्षित आया वह है 64.56 करोड़, मतलब यह है कि सरकार ने जब पानी दिया ही नहीं तो सिंचाई आयेगी कहाँ से, लेकिन फिर इन्होंने उसकी पर्ची काटी और पर्ची गाँवों में बाँटी जा रही है। इस वर्तमान सरकार ने नार्म्स किया है सवा सौ करोड़ का इसका मतलब यह हो गया कि जो दो गुना ढाई गुना बढ़ी दर थी उसके आगे आय की जायेगी। इस समय पर्ची काटी जा रही है, किसानों से वसूली हो रही है। आप जानते हैं कि प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ है पानी बरस नहीं रहा है, नहरों में पानी है नहीं, 70 फीसदी नलकूप बेकार पड़े हुए हैं हलांकि सरकार युद्धस्तर पर प्रयास कर रही है लेकिन जितनी सफलता की आशा थी वह नहीं मिली है और चारों ओर त्राहि-त्राहि मची हुई है। पिछली सरकार खुद इस बात को समझ रही थी कि गड़बड़ी हो गयी इसलिए उसने 2-3 पानी को अलग से काट दिया था उसको वापस ले लिया लेकिन यह सरकार यथावत है इसलिए मैं माँग करना चाहता हूँ कि सरकार पुनर्विचार करे और किसानों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, पानी आप दे नहीं पा रहे हैं, पानी दे नहीं पाते हैं और किसानों पर हमला किया कि आमदनी बढ़ावो। पानी बरसा तो खेतों में भर गया तो उसकी भी वसूली हो रही है।

मान्यवर, वसूली का काम होता है राजस्व विभाग के द्वारा, रिकवरी सर्टिफिकेट कट गया और किसान पकड़-पकड़ कर बन्द किये जा रहे हैं। इसलिए मैं ग्राह्यता पर बल देकर यह कह रहा हूँ कि यह मामला अविलम्बनीय लोकमहत्व का है पूरे प्रदेश के किसानों की समस्या है तत्कालीन घटी घटना यह है कि उस समय की पर्ची अब काटी जारही है, वसूली की सूचना अब दी जा रही है इसलिए अविलम्बनीय लोकमहत्व का है तत्काल घटी घटना है इसलिए नियम 56 और 57 की जो शर्तें बनी हैं उसमें यह आता है। इसलिए मैं इस पर बल देते हुए कहना चाहता हूँ कि किसानों का उत्पीड़न बन्द कर सिंचाई की बढ़ी हुई दरों को वापिस लेकर किसान के हित में जो सरकार की घोषणा है उसका अनुपालन करें इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी ग्राह्यता पर बल देता हूँ।

*श्री ब्रहम दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, हम सभी जानते हैं कल चर्चा भी हुई थी कि पूरा प्रदेश इस समय सूखे से जूझ रहा है और इस समय वस्तुतः किसान को पानी की सख्त आवश्यकता है सिंचाई के लिए। पिछली सरकार ने सिंचाई की दरें बढ़ा दी थी और बेतहाशा बढ़ा दी थीं, उसका कोई औचित्य नहीं था। यद्यपि वह कहते थे कि किसानों की हमदर्द सरकार है लेकिन उनके समय में किसानों पर वज्रपात ही हुआ। हमारे माननीय ऊदल जी कह रहे हैं कि वह किसानों की अपनी सरकार कहते थे और न जाने अपने को क्या-क्या कहलाते थे लेकिन ऐसा लगता है कि वह किसानों की सरकार कहलाने का ढोंग करती थी दूसरा ढोंग रचा था अपने को भूमि पुत्र, धरती पुत्र कहलाने का। मान्यवर, वस्तुतः देखा जाय तो वसूली हो रही है। उसमें

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

किसानों पर जो दाम बढ़ाये गये हैं उसमें विसंगति है, जानकारी नहीं है लोगों को इसके लिए लोगों को कठिनाई है। स्थिति यह है कि विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए विभिन्न प्रकार की दरें लगा रखी हैं। खरीफ की फसल के लिए अलग दर होगी, रबी के लिए अलग होगी। रेश्यो भी अलग-अलग रखा है नहरों के लिए भी अलग है कि कौन कहाँ की है। अब जो बेपढ़े लिखे किसान हैं वह समझते नही है। पर्ची जो कट रही है उसमें दाम सही तरीके से नहीं लगाये जा रहे हैं, वसूली हो रही है जबकि किसान पूरे प्रदेश में सूखे से जूझ रहा है। और किसान को राहत की जगह उत्पीड़न हो रहा है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है इस पर चर्चा करानी अति आवश्यक है। मैं नियम 56 के माध्यम से इस पर सदन का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

*श्री ऊदल–

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो प्रश्न उठाया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरे प्रदेश की 80 फीसदी जनता से सम्बन्धित है। पिछली सरकार ने अपने को किसानों की सरकार कहलाने का ढोंग रचती थी और मुलायम सिंह अपने को धरती पुत्र कहलवाने लगे थे। उस धरती पुत्र और उस किसानों की सरकार ने सिंचाई के ऐसे रेट बढ़ा दिये, जिससे किसानों की हालत खराब है। मान्यवर, आपके यहां पर भी नहरे हैं. आप जानते होगें कि उनमें एक ही रेट लगता था, लेकिन अब ऐसा कर दिया गया है कि जितनी बार किसान पैसा लेगा, उतनी ही बार उसको अधिक रेट देना पड़ेगा। आज पर्चियां कट रही हैं, इसलिये माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो प्रश्न उठाया है, उस पर मैं बल देता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप उसको स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष–

अब इस पर काफी विचार आ गये हैं।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, एक नयी बात है। मैं माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की बात पर बल देते हुये एक नयी बात जोड़ना चाहता हूं। सिंचाई की दरें जो बढ़ी हैं, उनका आगणन किया जाये, तो उसमें बिजली की दरों को भी जोड़ दिया जाये, तो जो गल्ले का मूल्य निर्धारित किया है, जब तक उसको न बढ़ाया जाये, इनको न बढ़ाया जाये। आज प्रदेश का किसान घाटे में आ गया है। किसान जितना देता है, उससे कम उसको मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि इस पर एक घन्टे की चर्चा करा दें और सभी लोगों के विचार आ जायें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्तजी ने विस्तार से कह दिया है और मैं उनकी बात पर बल देता हूं और कहना चाहता हूं कि किसानों के लिए सिंचाई की जो दरें बढ़ी हैं वह जजिया कर के समान है। किसान पीड़ित है और किसना पैसा दे नहीं पाता है। हर बार दरें बढ़ा दी जाती हैं और इस समय भी बढ़ा दी गयी हैं, पहले एक बार सिंचाई लगती थी अब हर बार सिंचाई पर एक के बाद दूसरी पर दरें बढ़ा ली जाती है।

प्रदेश में सूखें की स्थिति है। किसान आतंकित है क्यों कि उसके लिये पेट की रोटी जुटाना कठिन हो गया है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सिंचाई की दरें कम की जायें और इस तरह की व्यवस्था की जाये कि वह इस बोझ को बरदाश्त कर सके।

*श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि गजट हुआ था, 24 अक्टूबर 1994 का गजट है, जिसमें सिंचाई की दरों की वृद्धि की गयी थी। तो जो विषय माननीय राजेन्द्र जी ने उठाया है, बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्य चर्चा के समय भी मैंने माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया था।

मान्यवर, आप यह देख लें पिछली सरकार की जो यह अधिसूचना है यह किसान विरोधी है। एक किसान को तीन पानी के लिये उसे हर बार अधिक वृद्धि देनी पड़ेगी। यह एक काला कानून है। मैं यह गजट को भेज देता हूं, इसमें संशोधन आने की बात, है, सरकार इस कार्य स्थगन को स्वीकार कर लें चर्चा करा लें जिससे पिछली सरकार ने किसान विरोधी एक काला कानून बनाकर किसानों के ऊपर सिंचाई दरों को बढ़ाकर बोझ डाल दिया है वह कम हो सके।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के विचार आ जायें, जितने माननीय सदस्यों के सूचना पर हस्ताक्षर रहते हैं उसके अतिरिक्त भी मैं दो-एक माननीय सदस्यों को सुन लेता हूँ। अगर आप मजबूर करेंगे तो मजबूर होकर अडिग होना पड़ेगा कि जितने के हस्ताक्षर हैं उन्हीं को सुनूँगा, इसलिये इसका दुरुपयोग न करें। तात्कालिक विषय है, महत्वपूर्ण विषय है, इसकी गम्भीरता को देखते हुए, माननीय सदस्यों को सुना है।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, इस पर चर्चा करा ली जाय। मान्यवर, जो बिजली की दरें हैं पूर्व और पश्चिम में वह अलग-अलग है। एक ही प्रदेश में दो तरह का बिजली का बिल चार्ज किया जा रहा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

यह नहरों से सम्बन्धित है।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र–

एक चौथा कर भी लगा हुआ है जिसे धान काट पलेवा कहते हैं बांदा जिले में। इस पर चर्चा करा लीजिये ताकि वह भी खत्म हो।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण विषय है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले 80 प्रतिशत किसानों का यह मामला है। इस पर सारे सदन के सदस्य, इस गम्भीर समस्या पर, चर्चा कराना चाहते हैं। उनकी भावनाओं का आदर करते हुअ कम से कम दो घंटे की इस सवाल पर चर्चा कराने का अवसर दें।

इंजी० रामकृष्ण वर्मा–

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसमें किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मान्यवर, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जितनी भी फसलें पैदा होती है उनमें तीन पानी से कम से सिंचाई नहीं होती। 4 पानी 7 पानी तक लिया जाता है। वहां हाई ब्रीड की फसलें पैदा होने लगी है वहां ज्यादा अनाज पैदा करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। जो आदेश है शासन का तीन पानी के बाद हर पानी पर परसेंटेज बढ़ा देगा। मान्यवर आज पश्चिम उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि वहां भूमि एक इंच भी परती नहीं पड़ी हैं। एक फसल काटकर दूसरी फसल के लिये मल्टीफिकेशन कर दिया जाता है। वहां जितनी नहरें हैं पुरानी है। जब यह नहरें बनायी गयी थी तो उनका कमाण्ड एरिया कम था। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जमीन परती पड़ी थी अब उसे यूज कर लिया गया है। परन्तु, इन सबका नतीजा यह हुआ है कि पानी टेल तक नहीं जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जब सिंचाई विभाग का बजट आयेगा तो विस्तार से चर्चा कर लीजियेगा। यह पानी के रेट से सम्बन्धित विषय है।

इंजी राम कृष्ण वर्मा–

मान्यवर, मेरा उसी से अभिप्राय है निवेदन है कि इस पर पूरी चर्चा करायी जाय।

श्री राम आसरे वर्मा–

इस सरकार ने यह घोषणा की है कि अगर पूर्ववर्ती सरकार की कोई जनविरोधी नीतियां हैं या उदघोषणाएं हुई हों या फिर अधिसूचना जारी हुई हैं उसमें परिवर्तन करने का वायदा किया है। उत्तर प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता पर पूर्ववर्ती सरकार ने जो कहर ढाया था

सिंचाई की दरों में वृद्धि करके आज इम्तिहान आ गया है अगर वह अपना वचन निभाना चाहती है तो वह एलान करे कि जिस अधिसूचना से सिंचाई की दरें बढ़ायी थी उन बढ़ी हुई दरों को वापस लेने की घोषणा यह सरकार करें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, दो बिन्दु उठाये गये हैं। पहला तो यह है कि सिंचाई की दरों में वृद्धि की गयी है। मान्यवर, सिंचाई की व्यवस्था को मजबूत और सुदृढ़ करने के लिए निश्चित रूप से धन की आवश्यकता होती है। अगर ठीक से व्यवस्था की जाये सदस्यगण सहमत होंगे कि नहरों के रख-रखाव ठीक नहीं है, उनकी सफाई ठीक से नहीं होती है, उनका प्रबन्धन ठीक नहीं है। तो सरकार निश्चित करेगी कि नये कराधान से राजस्व बढ़े उसका नया प्रबन्धन हो और अन्तिम छोर तक पानी पहुँचे, उसकी सफाई हो, उसका रख-रखाव ठीक से हो। श्रीमन्, दूसरा हिस्सा यह है कि इन बढ़ी दरों के कारण जो वसूली हो रही है उससे किसानों का उत्पीड़न हो रहा है। तो मान्यवर, अगर उत्पीड़न की कोई जानकारी हमारे संज्ञान में लायी जायेगी तो यह सरकार पूरी कोशिश करेगी कि उत्पीड़न न हो और हम इस सदन में घोषणा करते हैं कि वसूली को लेकर उत्पीड़न की कोई कार्यवाही न हो। तीसरी बात जो माननीय सदस्यों ने व्यक्त की है कि एक ही खेत की सिंचाई के लिए तीन बार से अधिक सिंचाई करने पर दरें बढ़ जाती है तो वास्तव में यह एक गम्भीर विषय है। जब बजट आयेगा सिंचाई का सिंचाई मंत्री जी और तमाम सहयोगियों से विचार करने के लिए अनुरोध करुंगा जहां तक चर्चा का प्रश्न है सिंचाई बजट के दिन विपक्ष के माननीय सदस्यों के इसमें विचार आयेगें और सरकार का पक्ष भी इसमें आयेगा। मैने इन बिन्दुओं पर स्पष्ट विचार का आश्वासन दिया है तो मेरा अनुरोध है कि इसे अग्राह्य किया जाये। एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी माननीय प्रमोद तिवारी जी ने महंगाई के बारे में कहा उसपर एक खास दिन चर्चा हो जायेगी।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कहा है मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने स्वतः अपेक्षा की है कि आप इसमें चर्चा करवायें। मान्यवर, उन्होंने ग्राह्यता को अस्वीकार करते हुए हमसे अपेक्षा की है कि हम अपने-अपने क्षेत्र की जानकारी दें। मान्यवर, दो दिन का अवकाश भी है हम लोग अपने-अपने क्षेत्र में जाकर जानकारी ले आयेंगे। यह संवेदनशील सरकार है। मान्यवर, उन्नाव जिले की जानकारी माननीय मंत्री जी को है। लेकिन हमको उन्होने आदेशित किया है कि हम जानकारी सरकार को दे दें तो मैं उनकी बात के इस अंश का समर्थन करुंगा और आप से अनुरोध करुंगा कि एक घन्टे की चर्चा करा दें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैंने प्रार्थना की है कि जिन माननीय सदस्यों को जानकारी हो, वह लिखकर कार्यालय को भेज देगें अन्यथा हम उनके कार्यालय से मँगवा लेगें। इसके अतिरिक्त जिस दिन सिचाई विभाग का बजट होगा, सभी माननीय सदस्यों के विचार आ जावेगें। प्रमोद तिवारी जी ने मेरे सुझाव को मान भी लिया है।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूँ, अगली सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री नरेश अग्रवाल तथा श्री जगदम्बिका पाल की है

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, अभी दो बजट आने हैं, मैंने इस सूचना के लिये प्रार्थना भी कर ली थी।

श्री अध्यक्ष–

जिस दिन सिंचाई विभाग का बजट होगा, उस दिन सभी माननीय सदस्यों को विस्तार से विचार रखने का मौका मिलेगा और सिंचाई मंत्री जी भी कुछ कहने की स्थिति में होगें।

*श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, अब आपने नाम पुकार ही लिया है, इसलिये दो मिनट में अपनी बात कह दूँ। सर्वप्रथम मान्यवर, मैं आपकी कुशाग्रता, आपकी जनता के प्रति जो प्रतिबद्धतायें हैं, गरीबों के लिये जो आपके दिल में दर्द है उसके लिये आपका आभार व्यक्त करता हूँ। यह विषय, जो इस सम्मानित सदन के समक्ष आया है, यह पूरे प्रदेश के जन जीवन से जुड़ा प्रश्न है। इसके माध्यम से पूरे प्रदेश के गरीब आदमी, आम आदमी के परिवार के सामने दो जून पेट भरने और भोजन मुयस्सर होने का सवाल है। इस सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में माननीया मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण के बाद ही बताया था कि हमारी पहली प्राथमिकता कानून व्यवस्था की है। कानून व्यवस्था ठीक करने की बात का हम लोगों ने स्वागत भी किया था। कल सामान्य चर्चा का उत्तर देते हुये उन्होंने कहा कि अपराध मुक्त, अन्यायमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनायेगें। लेकिन पिछले दो माह से, जब से यह सरकार सत्तारूढ़ हुई है, मंहगाई निरन्तर बढ़ रही है, इस महंगाई को रोकने के प्रति अभी तक सरकार की वचनबद्धता नहीं आई। आज प्रदेश के गरीबों, दलितों के सामने अपने परिवार को पालने, रोटी पहुँचाने में समस्या आ रही है, यह अपने आप में गम्भीर समस्या है। माननीया मुख्यमंत्री जी को अपनी इच्छाशक्ति जाहिर करनी होगी कि आज प्रदेश के रिक्शा वाले, ठेले वाले, कुली, मजदूर जो हैं, जिन्हें आज दो जून का भोजन भी ठीक से मुहैया नहीं हो पा रहा है, मैं केवल एक चार्ट रखना चाहूँगा कि किस तरह से आज बाजारों में दामों में वृद्धि हुई है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

मई माह में जो आलू 4 रुपये था, वह आज 7-8 रुपये में बिक रहा है, दालें जो 16 रुपये थीं, वह 33 रुपये किलों तक पहुँच गई हैं, इस प्रकार अच्छे से अच्छे घरों में दाल नहीं खरीदी जा सकती। चावल मोटा जो है, उसके दामों में 100 रुपये से 140 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। सेल्हा चावल 625 से 700 रुपये मई में था, वह अब 725 से 775 रुपये पहुँच गया है, अच्छे चावल की तो बात ही छोड़ दें। गेहूँ जो मई में 4 रुपये में था, वह 6 रुपये किलो हो गया है, टमाटर आज 40 रुपये किलो बिक रहा है, चीनी 13 से 16 रुपये पहुँच गई है और आटा 5 से 7 रुपये किलों बिक रहा है। यह एक तस्वीर है कि महंगाई किस आसमान पर जा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में बाजारों में कालाबाजारियों का नियंत्रण हो गया है। आवश्यक वितरण प्रणाली के माध्यम से जो चीजें लोगों को मिलनी चाहियें, वह भी नहीं मिल पा रही हैं, आज बजारों में आम आदमी चीजें न खरीद पाने को विवश है। आज आम जनता, गरीब इन्सान अपनी खून पसीने की कमाई के बाद अपने परिवार का पेट भरने में अपने को असहाय पा रहा है लेकिन मान्यवर, अभी तक इस सरकार के समय में उन कालाबाजारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी। प्रदेश में अगर आज गरीब को दाल मुहैया नहीं हो रही है तो फेयर प्राइस शाप से उसका वितरण होना चाहिए। संसदीय कार्यमंत्री जी, आज चीजें उपलब्ध नहीं हो रही हैं, पूरे प्रदेश में मँहगाई विकराल रूप लेकर आयी है। इस सम्बन्ध में सरकार की इच्छा शक्ति आनी चाहिए और किस तरह से मँहगाई पर अंकुश लगेगा, प्रभावी नियंत्रण होगा तथा क्या कार्यवाई करेगी।

*श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, कार्यस्थगन के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं एक तात्कालिकता दूसरा लोक महत्व। लोक महत्व तो इसका इससे जाहिर है कि महामहिम राज्यपाल से लेकर, आपकी पीठ और संसदीय कार्यमंत्री जी तथा एक साधारण रिक्शा चालक तक सभी मंहगाई से प्रभावित हैं। अविलम्बनीयता इसलिए है कि बाजार के भाव रोज बढ़ते जा रहे हैं। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी कह सकते हैं कि बजट आयेगा उस पर चर्चा कर लीजिएगा, तो महंगाई के नाम का कोई विभाग नहीं है, इसलिए इस पर चर्चा कराया जाना जरूरी है। मान्यवर, कल मैने एक काम से माननीय दीक्षित जी के घर फोन किया, संयोग से फोन श्रीमती दीक्षित ने उठाया, उन्होंने ही मुझसे कहा था कि इस प्रश्न को यहाँ उठा दें। कोई जवाब देना चाहें तो अपने कार्यालय जाकर श्रीमती दीक्षित से पूछ ले, कि इस महंगाई से उनको भी चोट पहुँची है। मुझे बता रहीं थी कि तीन महीने का खर्चा एक साथ देते थे, वह अब 10 दिन भी नहीं चल रहा है। मान्यवर, यह शाकाहारी हैं, उनका यह कहना है कि ये दिन प्रति-दिन कमजोर होते जा रहे हैं, क्योंकि शाकाहारी में दाल के अलावा किसी में ज्यादा प्रोटीन नहीं होती है शाकाहारी व्यक्ति को प्रोटीन दाल से ही मिलती है। मैं यह चाहूँगा कि प्रदेश के जन-जीवन की आकांक्षा है, विशेष रूप से संसदीय कार्यमंत्री जी की पत्नी की इच्छा को देखते हुये सारी कार्यवाही रोककर इस पर दो घण्टे की चर्चा करायी जाये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री ऊदल–

मान्यवर, मैं केवल दो बात कहना चाहता हूँ। मंहगाई में बेतहाशा वृद्धि हुई है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो था उसको कड़ाई से न लागू करने से भी महंगाई में बेतहाशा वृद्धि का कारण है औ मुलायम सिंह जी के इंस्पेक्टर राज को खत्म कर देने से, 3/7 जो था, उसको खत्म कर देने से भी यह कालाबाजारी बढ़ी है और लोगों को संचय करने की आदत पड़ गई है, यह भी महंगाई बढ़ाने में एक कारण है। वितरण प्रणाली छिन्न-भिन्न हो गयी है इसलिए कि वितरण प्रणाली से सरकार से भी कुछ सहायता के रूप में चीनी, गेहूँ और आवश्यक वस्तुओं का वितरण उचित मुल्य पर कराया जाता था, वह भी छिन्न-भिन्न हो गयी है। इन तीनों प्रश्नों को देखना पड़ेगा। यदि इसी को मजबूती से लागू करें तो मैं समझता हूँ कि महंगाई कुछ हद तक रोकी जा सकती है। मुझें उम्मीद है कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, जवाब देते वक्त इन प्रश्नों पर भी कूछ बतायेगें।

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, आप संक्षेप में अपनी बात रखें क्योंकि काफी विचार आ गये हैं।

*श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद तिवारी जी ने महंगाई का गम्भीर प्रश्न उठया है। आज महंगाई से गरीब की रीढ़ टूट गयी है तथा उस रीढ़ को तोड़ने का सिलसिला पूर्ववर्ती सरकार से ही शुरू हुआ था। जैसा माननीय ऊदल जी ने कहा है, चोर बाजारी, जखीराबाजी पिछली सरकार से विरासत में मिला है। 3/7 का डर था वह भी खत्म कर दिया, इंस्पेक्टरों का डर था वह भी खत्म कर दिया। अब आज की सरकार है, अगर इस कहर को वरपा करना चाहती है, गरीब जनता के ऊपर इस सबको जारी रखे, नहीं तो उन बुनियादी बातों का एक समझ बनाकर अपनी नीति की घोषणा करे। मैं आपसे केवल यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस महंगाई से गरीब लोगों की जो कमर टूट गई है, ऐसे गम्भीर प्रकरण पर चर्चा करवायें।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, समाज में तीन प्रकार के लोग हैं। 5 प्रतिशत ऐसे हैं, जिन पर मंहगाई का कोई असर नहीं पड़ता है, 15 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जिनकी मंहगाई के साथ ही साथ आमदनी भी बढ़ती रहती है परन्तु 80 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जिनकी मँहगाई बढ़ते रहने से जेब छोटी पड़ती रहती है। पिछली कई महीनों से मंहगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ते रहने से आम आदमी की जिन्दगी बदतर होती जा रही है। जीवित रहने के लिये आवश्यक वस्तुओं का खरीद पाना उसकी पंहुच के बाहर होता जा रहा है यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न आज सदन के समक्ष रखा गया है, इसलिए इस पर आप चर्चा कराने की कृपा करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, महंगाई के बारे में तमाम माननीय सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की है। महंगाई कई चीजों से प्रभावित होती है। खासतौर से बाजार के भीतर समय-समय पर जो प्रवृत्तियां चला करती हैं वह महंगाई के लिए ज्यादा प्रभावकारी होती है। मिसाल के तौर देखने में आता है कि कई चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें काफी लम्बे समय तक के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें लम्बे समय तक के लिए सुरक्षित नही रखा जा सकता जैसे श्री पाल जी ने ही बताया कि टमाटर है। टमाटर का जो विक्रेता होता है वह यह चाहता है कि उसका माल शाम तक अवश्य बिक जाय। क्योंकि उसके पास उसके संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं होती है। एक-दो दिन में वह टमाटर सड़ जायेगा। कुछ चीजें ऐसी होती है कि अगर विक्रेता उनको तत्काल नहीं बेचता है तो उसे कोई घाटा होने वाला नही है । माँग की शक्ति, पूर्ति की शक्ति, भंण्डारण की शक्ति और उस व्यक्ति द्वारा पूंजी लगाने की शक्ति आदि कारक तत्व होते हैं महंगाई के लिए सबसे प्रभावकारी तत्व होता है माँग की शक्ति। आबादी दिन प्रति दिन बढ़ रही है अब उसके अनुपात में उत्पादन कितना बढ़ रहा है। अब जैसे गेहूँ चावल आदि की बात यहाँ पर माननीय सदस्यों ने कही। अब इन पर हमारा नियंत्रण कितना हो सकता है। बाजार के भीतर जो फोर्सेस काम करती हैं, जैसे माँग आपूर्ति, दीर्घकालिक शक्ति व अल्प कालिक शक्ति। कितनी भंडारण की शक्ति है और क्रेता की कितनी शक्ति है क्रय करने की और कितने समय तक के लिए वह समान को खरीद सकता है। इसके साथ ही महंगाई के लिए दो प्रभावकारी तत्व और होते हैं एक है केन्द्र सरकार और दूसरी है राज्य सरकार। केन्द्र सरकार महंगाई के मामले में मैं प्रेमवश यह बात कह रहा हूँ, अधिक प्रभावकारी है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार (श्री प्रमोद तिवारी जी की तरफ इशारा करते हुए) दोनों मिलकर इसका हल निकाल लें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैं तो कक्षा-11 व कक्षा-12 के अर्थ शास्त्र के सिद्धान्तों की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा था। अब जहां तक केन्द्र सरकार का असर है, जैसे चीनी के आवंटन का है, यदि केन्द्र सरकार चीनी का आवंटन कम करती है तो उसके लिए हम क्या करें। लेकिन जहां तक वितरण व्यवस्था को दुरस्त करने का सवाल है, इसके बारे में मैं सूचना देना चाहता हूँ कि राज्य सरकार सभी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता उचित मूल्य पर बनाये रखने पर निरन्तर सचेष्ट है तथा जमाखोरों व कालाबाजारियों के विरूद्ध कठोर प्रवर्तन की कार्यवाही करने के लिए कृत संकल्प है। माह जुलाई, 1995 में 6,372 छापे मारे गये, 15 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई, 19 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, 434 लाइसेंस निलम्बित किये गये, 284 लाइसेंस रद्द किये गये तथा 2,47,150 रुपये की जमानतें जब्त की गई। जो सूचना मेरे पास उपलब्ध है, उसकी जानकारी मैने सदन को दी है।

आज तमाम मार्गदर्शन हुआ है उसका भी सरकार समय-समय पर लाभ उठायेगी। जहां तक केन्द्र सरकार की बात है हमारे केन्द्र सरकार से रिश्ते मधुर हैं माननीय प्रधान मंत्री जब-जब यहां आते हैं हम उनसे अपनी कठिनाई बताकर याचना करते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं इसमें भी वह हमारे अनुरोध को स्वीकार करेंगे और मंहगाई पर काबू पा लेंगे। अतः यह नियम 56 में नहीं आता है इसे आप अस्वीकार करें। जो माननीय तिवारी जी ने घर की बात कही क्योंकि यह हम दोनों का विषय है मैं शाम को फिर से बात कर लूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

काफी समय हो गया है समय को ध्यान में रखते हुए और माननीय सदस्यों को ग्राह्यता पर सुनने के बाद और संसदीय कार्य मंत्री जी के सुनने के बाद मैं इसे अस्वीकार करता हूँ।

अगली सूचना श्री राजाराम त्यागी जी की जनपद रायबरेली के बछरांवा विकास खण्ड के अंतर्गत धार्मिक स्थल भैरेश्वर मंदिर के निकट सई नदी पर पुल निर्माण के संबंध में है। इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अगली सूचना श्री अखिलेश कुमार सिंह की लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि विभाग मे प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा 19 वर्ष निर्धारित किये जाने से उत्पन्न कुन्ठा एवं रोष के संबंध में है। इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अगली सूचना श्री सुन्दर लाल दीक्षित की प्रदेश में बढ़ती मादक द्रव्यों की तस्करी एवं उससे हो रहे दर्जनों व्यक्तियों की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अगली सूचना श्री भैरोंप्रसाद मिश्र की शासन की नयी स्थानांतरण नीति से राज्य कर्मचारियों को हो रही परेशानी के संबंध में है। इस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है। शेष सूचनायें अस्वीकार की जाती है।

(व्यवधान)

मान्यवर, यह सरकार मंहगाई रोकने में पूरी तरह विफल रही है और उसको रोकने के लिए कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। इसके विरोध में हमारा दल सदन त्याग करता है।

(श्री प्रमोद तिवारी कांग्रेस आई के माननीय सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री कृष्ण कुमार नवभान—

मान्यवर, नियम 56 में मेरी भी एक सूचना थी, उसका क्या हुआ ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य शलाका के आधार पर 10 सूचनायें ली जाती हैं। 5 पर सुना जाता है आज मैंने एक और पर उसके विशेष महत्व को देखते हुए सुना। इस प्रकार 10 में से आज मैंने 6 पर सुना तथा 4 पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया है और शेष को अस्वीकार किया है।

(व्यवधान)

आपकी सूचना आगे रही होगी वह अस्वीकार कर दी गयी है। माननीय सदस्य जो माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की सूचना थी उस पर आपके भी हस्ताक्षर हैं। तो एक दिन नियम 56 में एक ही सूचना ली जाती है। दो सूचनायें नहीं ली जा सकती हैं। जो माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना थी उस पर आपके हस्ताक्षर थे वह आई थी।

वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक की माँग पर चर्चा और मतदान-

अनुदान संख्या 49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग, अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण), अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियां एवं पिछडे वर्गों का कल्याण) अनुदान संख्या-81, समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण), अनुदान संख्या-87-सैनिक कल्याण विभाग-

(समाज कल्याण मंत्री) श्री राम पाल -

मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष अनुदान संख्या-49--महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 51,93,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(इस समय 4 बजकर 11 मिनट पर अधिष्ठाता जी भगेलू राम पीठासीन हुए।)

मान्यवर, इस देश में सदियों से एक समाज व्यवस्था बनी है और इस देश का समाज पुरुष प्रधान रहा है.....

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी पांचों को एक साथ रख दें।

श्री श्री राम पाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 79-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की

पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 77, 84, 79, 000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मै आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 80-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,66,48,40,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मै आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,97,44,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मै आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 87-सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान, द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,95,36,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, जैसा अभी मैंने अपनी बात प्रारम्भ करते समय कहा है, इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था सदियों-सदियों से रही है कि इस देश में पुरूष प्रधान समाज रहा है और समाज में पुरुष की प्रधानता होने के कारण नारी जाति को समुचित स्थान और सम्मान नहीं दिया गया, और उल्टे उसे तमाम तरह की यंत्रणायें और पीड़ायें, और तमाम प्रकार के अपमान नारियों को झेलने पड़े। हमारी तमाम पुरानी किताबों और ग्रन्थों में बहुत ही ऐसे शब्दों से उन्हें सम्बोधित किया गया है, जो एक सभ्य समाज और देश के लिये अच्छी बात नहीं है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए नारी का समुचित सम्मान और समुचित स्थान समाज में दिलाने के लिए, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं और समस्याओं के समाधान के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन वर्ष 1989 में किया गया था। इस विभाग के गठन से महिलाओं, छोटे छोटे बच्चों, निराश्रित, आशक्त और वृद्ध महिलाओं तथा कामकाजी महिलाओं के लिए तमाम तरह की योजनाएं शुरू की गई हैं। शून्य से लेकर 6 वर्ष के ग्रामीण क्षेत्र के निर्बल और शहरी क्षेत्र की मलिन बस्तियों में जो बच्चे पलते हैं, उनको समुचित पौष्टिक आहार सुलभ कराने के लिए पुष्टाहार की व्यवस्था इस विभाग द्वारा की जा रही है। धात्री और गर्भवती महिलाओं के लिए, जिनको पौष्टिक आहार न मिलने, न खिलाने के कारण बच्चे अति निर्बल, बीमार और विकलांग हो जाते हैं, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, उनके लिए ऐसी धात्री और गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक और पुष्टाहार की व्यवस्था

की गई है, जिससे उन्हें इन तमाम समस्याओं का सामना न करना पड़े। तो वर्तमान में प्रदेश मे 412 विकास खण्डों में तथा शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियो में 21. कुल 433 परियोजनाएं संचालित हैं।

इन परियोजनाओं के अर्न्तगत आँगनबाड़ी केन्द्र भी संचालित हो रहे है जिनके माध्यम से 22.60 लाख बच्चों एवं महिलाओं को पुष्टाहार और 10.24 लाख बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान की जा रही है। वर्ष 1995-96 में इस योजना के लिये 74.44 करोड़ रूपये है जिसमें केन्द्र से प्राप्त होने वाली धनराशि भी सम्मिलित है। उक्त कुल धनराशि में से 20 करोड़ रूपये राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। इसी के साथ ही साथ ऐसी महिलाओं जिनको अपनी गृहस्थी के काम के अलावा जो भी समय बचता है उनको सिलाई, बुनाई, कढ़ाई और तमाम ऐसे तरह के प्रशिक्षण दिये जाने का कार्य किया जा रहा है जिससे वह जिन आर्थिक परिस्थितियों में अपना जीवन अच्छी तरह नहीं बिता पा रही हैं कुछ अतिरिक्त कार्य करके अपने आर्थिक स्तर को उठा सकती हैं। ऐसे तमाम प्रशिक्षण केन्द्रों और महिला कल्याण निगमों की स्थापना की गई है जिनके द्वारा उन्हें सहायता प्रदान की जा रही है।

इसके साथ ही समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के माध्यम से उन महिलाओं को जो शैक्षिक संस्थाएं चला रहीं है आर्थिक सहायता अनुदान के रूप में देकर महिलाओं के स्तर को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। वृद्ध, अशक्त महिलाओं, समाज से निराश्रित हो गयी महिलाओं के लिये नारी निकेतन, नारी उद्धार गृह, विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। वृद्ध और अशक्त महिलाओं के लियें पेंशन की भी व्यवस्था हमारे विभाग द्वारा की जा रही है। इसी के साथ और तमाम तरह के कार्य महिला कल्याण और बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। जिससे महिलाओं को तमाम तरह की सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। हमने यह भी व्यवस्था की है कि दहेज प्रथा से पीड़ितों के लिये कानून है, विधवा से विवाह करने पर दम्पति को पुरस्कार दिया जायेगा। इसी के साथ यह भी देखा है और तमाम तरह के सवाल अभी कुछ दिनों में प्रश्नों के माध्यम से माननीय सदस्यों ने इस सदन में उठाये हैं कि महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। इस तरह की तमाम बातें आई हैं। महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। इस तरह की तमाम बातें आई हैं। महिलाओं का उत्पीड़न रोकने के लिये राज्य स्तर पर हमने एक समिति बनाई है और जिला स्तर पर भी गठित करने जा रहे है। इस समिति के माध्यम से महिलाओं के ऊपर होने वाले जुल्म, अत्याचार का राज्य स्तर और जिला स्तर पर समीक्षा की जा रही है। इसी तरह से बहुत सी मासूम बहने हैं, बेटिया हैं जिन्हें बहला फुसलाकर गलत पेशे में लगाने के लिये उत्प्रेरित करते हैं। ऐसी महिलाओं के उद्धार के लिए उद्धार गृह कार्य कर रहे हैं, इन महिलाओं के पुर्नवास की व्यवस्था इस विभाग के द्वारा की जा रही है। इन सब बातों के साथ महिला एवं बाल कल्याण विकास विभाग सतत् उन्नति और तरक्की के लिये आर्थिक अनुदान देने के काम कर रहा है। मैं अपने सभी सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि इस सम्बन्ध में उनके जो भी सुझाव आते हैं उनको भी इसमें सम्मिलित करेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

श्री राम विशुन आजाद–कटौती का प्रस्ताव रखेंगें।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर.....

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य किस अनुदान संख्या पर बोल रहे हैं। अनुदान संख्या भी पढ़ें।

* श्री राम विशुन आजाद–

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-49 महिला एवं बाल कल्याण के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मैं प्रस्ताव करता हूँ अनुदान संख्या--79 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मै प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-80 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-87 सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय मंत्री जी ने अपने बजट को एक शीशे के तरीके से रखा है। मान्यवर, यह सरकार दलितों की सरकार है। पूरे प्रदेश में एक हर्ष की लहर आई जब यह सरकार बनी थी। यह सोचा गया था दलितों के उत्थान के लिए, दलितों के विकास के लिए कोई ऐसी योजना बनाई जाएगी जिससे दलितों का उत्थान होगा उनका विकास होगा। समाज में उनको ऊँचा स्तर मिलेगा। लेकिन माननीय मंत्री जी ने अपने बजट में कोई ऐसी चीज अनुसूचित

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

जातियों के लिए दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए नहीं रखी है मान्यवर वर्ष 1993-94 में वास्तविक व्यय 17,273.86 लाख रूपये का खर्चा हुआ। जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा 7,370.31 लाख रूपया दिया गया। राज्य सरकार द्वारा 9,903.55 लाख रूपया समाज कल्याण के लिए दिया। परन्तु मान्यवर, सरकारी आंकड़ो में सारे पैसे को खर्च कर दिया गया। और जो केन्द्र सरकार ने पैसा दिया उससे कहीं कम पैसा राज्य सरकार ने दिया। यदि राज्य सरकार इस पर ज्यादा पैसा देती दलितों के प्रति दलितों के विकास के प्रति अगर सरकार जागरूक होती तो ज्यादा से ज्यादा पैसा देती। वर्ष 1994-95 में वास्तविक व्यय 31 हजार 37.76 लाख रूपया खर्चा किया गया। भारत सरकार ने 9,241.24 लाख रूपया दिया। जिसमें से राज्य सरकार ने 21,796.52 लाख रूपया दिया। मान्यवर, पैसा तो आंकड़ों में खर्चा हो गया, लेकिन क्या माननीय मंत्री जी ने देखा, अधिकारियों ने देखा (समय 4 बजकर 25 मिनट) वह पैसा कहाँ गया, वह पैसा तो सरकारी आँकड़ो में खर्च हो गया। जो पैसा देना चाहिए था वह पैसा सरकार ने नहीं दिया। जितना पैसा केन्द्र सरकार ने दिया और केन्द्र सरकार दलितों के प्रति जितनी जागरूक है उतनी जागरूक राज्य सरकार नहीं है।

1995-96 में समाज कल्याण के लिए जो आपने बजट रखा है 32,565.13 लाख रूपये जिसमें से केन्द्र सरकार ने 6,367.75 लाख रूपये दिये है। तो इससे मालूम हो जाता है कि यह सरकार कितनी जागरूक है। समाज कल्याण विभाग का जन्म 1948-49 में हुआ था। तभी से जो हमारे समाज के दबे कुचले और दलित तबके के लोग थे उनके विकास के लिए सरकार बराबर कई-कई योजनाओं के तहत उनको लाभ पहुँचाने का हमेशा प्रयास करती रही है। और अपराध शील जातियों के कल्याण के लिए अंग्रेजों के जमाने में रिक्लेनेशन विभाग 1941-42 में था इसी तरह से खोखला बजट देने से समाज का विकास नहीं हो जाता है। मंत्री जी ने यह कहा है कि महिलाओं का विकास किया जायगा। महिलाओं को पुष्टाहार देने की आप बात कर रहे थे मैं कहना चाहूँगा महिलाओं का आदर और सम्मान करना चाहिए और जो आपने पुष्टाहार देने की बात कही है लेकिन होता यह है कि जिनको पुष्टाहार मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। क्या अधिकारियों ने कभी यह देखा कि जिनको पुष्टाहार मिलना चाहिए उनको मिल रहा है? कभी नहीं देखा वह पैसा 31 मार्च तक आते आते सारा पैसा खत्म हो जाता है। उसको देखने वाला कोई नहीं है। यह भी देखने वाला कोई नहीं है कि जो पैसा उनको मिलना चाहिए उनको मिला। या नहीं मिला।

बाल सुधार की बात अभी कही गई। जो हजारों हमारे छोटे-छोटे बच्चे हैं पूरे समाज के उत्थान करने की बात हो रही है लेकिन बच्चों की शिक्षा के लिए आपने कह दिया शिक्षा हम देंगे। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है जो बच्चे पढ़ते हैं कक्षा एक से पाँच तक के बच्चों को 12 रूपया छात्र वृत्ति आप दे रहे हैं। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 20 रूपया छात्रवृत्ति दे रहे हैं। कक्षा 8 से 10 तक के छात्रों को 30 रूपया आप दे रहे हैं। यह कौन सी छात्रवृत्ति है। इससे क्या दलितों का उत्थान हो जाएगा। दलितों का विकास हो

जाएगा। आपने दलितों के विकास के लिए नारा दिया दलितों की यह सरकार है। यह दबे कुचलों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है। लेकिन इस बजट से यह मालूम होता है कि आपके दिल में दलितों के प्रति जरा भी हमदर्दी नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था अच्छी नीतियाँ बनाने से विकास नहीं होता है। अगर नीतियाँ बनाने वाले की नीयत साफ है तो विकास होगा। लेकिन सरकार ने जो नीति बनाई है यह बिल्कुल सही है लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में आप देखें उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि फ्री शिक्षा। फ्री शिक्षा पूरे समाज के जो दबे कुचले हुये लोग हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाय उनको आगे बढ़ाने के लिये चाहे किताबें चाहे कापियां हो या लेखन सामग्री हो वह उनको फ्री दी जाय। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी नीयत साफ मालूम होगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह पता चलेगा कि आपकी नीयत साफ नहीं हैं। छात्रों की जो आवश्यक मांगें हैं जो उनकी सुविधायें हैं यदि आपने उनको नहीं दिया तो फिर इन दलित छात्रों का उत्थान कैसे होगा।

आपने राजकीय आश्रम पद्धति के विद्यालयों की बात की पूरे उत्तर प्रदेश में 41 ऐसे विद्यालय चल रहे हैं। आप तो लाल बत्ती पाकर भूल गये कभी आप दलित की बात करते थे उनके विकास की बात करते थे, आप यह बतायें कि क्या कोई दलित तबके का छात्र 200 रुपये में खाना खा सकता है। आप 200 रुपये प्रति छात्र राजकीय आश्रम पद्धति के विद्यालयों के लिये देते हैं। क्या आपका बच्चा 200 रुपये में खाना खा सकता है। आप दलित छात्रों के विकास की बात करते हैं उनके उत्थान की बात करते हैं और उनको आगे ले जाने की बात करते हैं और जब पैसा देने की बात आती है तो 200 रूपये खाने के लिये देते हैं आप बतायें कि फिर कैसे उनका विकास होगा। मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि आप कपड़ों के लिये उनको 300 रुपये देते हैं आप बतायें कि कैसे उनका काम चलेगा। 300 रुपये में तो जूता भी नहीं मिलता है। आप बाबा साहब भीम राव अम्बेदकर के विचारों पर चल रहे हैं। 300 रुपये देकर आपने बाबा साहब भीम राव अंबेदकर की नीतियों को धूमिल कर दिया है उनके सपने को धूमिल कर दिया है। उनका सपना यह नहीं था कि 300 रुपया देंगे। आप 300 रुपये दलित बच्चों पर कपड़े के लिये खर्च करें यह बाबा साहब ने संविधान में नहीं लिखा था, उनका सपना था कि दलित बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सहायता दी जाय। आप 100 रुपये बिस्तर के लिये देते हैं तो 100 रुपये में कौन सा बिस्तर उनको मिलेगा यह मैं समझ नहीं पाता हूँ। आपको लाल बत्ती मिल गयी, मखमली चादर मिल गयी और आप दलितों के उत्थान की बात भूल गये। आप कहते हैं कि मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ और दलितों के उत्थान का मेरा इरादा है और मेरी पार्टी की दलितों के उत्थान के अलावा और कोई चिंता नहीं है तो मेरी समझ में नहीं आता कि आप कैसे 100 रुपये बिस्तर के लिये दे रहे हैं आपको सोचना चाहिये कि इसमें कैसे बिस्तर आयेगा। 100 रुपये में आप बतायें कि कैसे लेखन सामग्री खरीदी जा सकती है। दलित तबका जिसकी बदौलत आज आप बैठे हैं, गांवों में जिसकी आबादी 80 प्रतिशत है वह आज भूखे और नंगे हैं। आपने यह जो बजट रखा है यह बहुत कम है और बाबा साहब के सपने तब तक पूरे नहीं होगें जब तक कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा इस बजट में नहीं देगें।

मैं जनपद गोण्डा की बात करता हूँ। वहां पर एक राजकीय आश्रम पद्धत्ति का विद्यालय है। मैने वहां जाकर देखा है। मैने वहां लड़कों से पूछा कि आपको खाना कैसा मिलता है तो लड़के बोले कि विधायक जी आप खुद खाकर देख लीजिये कि कैसा खाना मिल रहा है? जो पैसा आप देते हैं वह भी खर्च नहीं किया जाता है और जो कर्मचारी तथा प्रधानाचार्य हैं यह पैसा उनकी जेब में चला जाता है। तो इस तरह से पैसा देने से काम नहीं चलेगा। आप अधिकारियों को निर्देश दीजिये जिलों में जो समाज कल्याण अधिकारी कुर्सी तोड़ा करते हैं उनसे कहिये कि वह गांवों में जाकर देखें कि वहां पर जो सुविधायें देने की व्यवस्था सरकार ने की है वह सुविधायें उनको मिल रही हैं या नहीं। आप गांवों में जाकर देखें कि दबें कुचलें लोंगो की हालत कैसी है। आज गांवों में बेहन रोपाई का काम चल रहा है, जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि यह काम करने वाले दलित तबके के दबे कुचले लोग ही होगें। हम कहते थे कि उनके लिए बहुत सी योजनाएं चालयेंगे लेकिन इन्होंने किसी प्रकार के विकास की कोई योजना अभी तक नहीं चलाई है जो प्रभावी ढंग से लागू हो।

अभी आपने महिलाओं के विषय में कहा। मान्यवर, कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि वेश्यावृत्ति पर आपने रोक लगाने के लिए कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जोकि नारी समाज के उत्थान की बात करता हो। मान्यवर, वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए जैसे चाइना में कानून बनाया गया प्रभावी ढंग से उसी तरह से कानून बनाये जिससे वेश्यावृत्ति न होने पाये। मान्यवर, बहुत सी सामाजिक संस्थाए यहाँ पर चल रही है और उनको बढ़ावा दिया जा रहा है ऐसी जगहों पर भी वेश्यावृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है आप इसे दिखवायें और उसमें जो वेश्यावृत्ति का काम हो रहा है उसको रोकने के लिए प्रभावी कानून बनाइये। आपने अभी अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ी जातियों पर जो अत्याचार होते है उसके बारे में अभी आपने बात कही मान्यवर, अत्याचार सदियों से दलितों के ऊपर होता आया है। समाज में जो दबे कुचले लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार को रोकने के लिए आपने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए आपने कुछ नहीं किया है। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको आप एक लाख रुपया देते हैं, अगर अस्थाई रुप से अपंग हो गया तो उसको भी आप एक लाख रुपया देते हैं, लेकिन अगर किसी महिला की इज्जत लूटी जाती है तो 50 हजार रुपया देते हैं, अगर किसी महिला के साथ बलात्कार होता है तो केवल 50 हजार रुपया देते हैं क्या इसमें उनकी इज्जत वापिस आ जायेगी। इसके लिए आप कानून बनाइये कि जो व्यक्ति बलात्कार करे उसको सजाए मौत दी जाय।

मान्यवर, अभी आप पेंशन की बात कर रहे थे। विधवा पेंशन की बात कर रहें थे। मान्यवर, आप पूरे प्रदेश में मालूम कर लीजिए कि निराश्रित विधावाओं को किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है उनके फार्म पर जो लेखपाल, कानूनगो और एस० डी० एम० की रिपोर्ट लगती है। यहां पर बैठकर कहने से मालूम नहीं हो पाता है जब गाँव में जाइये तो मालूम होता है कि लेखपाल कैसे शोषण करता है। वह निराश्रित विधवाएं जिसका कोई सहारा नहीं है इस फार्म को लेकर लेखपाल के पास जाती है तो लेखपाल 200 रुपये माँगता है आय प्रमाण-पत्र बनाने के लिए तो आप ही बताइये जो असहाय है निराश्रित है वह पैसा कैसे

दे सकता है और अगर पैसा नहीं देगा तो काम नहीं होगा तो इस तरह से प्रभावी कदम उठाये जांय कि उसमें लेखपाल की जरूरत ही न पड़े। आपका जिला समाज कल्याण अधिकारी होता है और क्षेत्रीय अधिकारी होता है। आप प्रधान से जनप्रतिनिधियों से संस्तुतियां ले और उन्हीं की संस्तुति के आधार पर निराश्रित विधवाओं को पेंशन दे उनकी इसमें क्या जरूरत है वह अनायास परेशान ही करते हैं और इससे उनका शोषण होता है। आप प्रदेश के किसी भी समाज कल्याण कार्यालय में जाइये तो इतना फार्म रहेगा (हाथ ऊपर तक उठाते हुए) लेकिन उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। फार्म तो जमा हो जाता है लेकिन उस पर होता कुछ नहीं है। यहाँ तक कि जो बिचौलिये लोग हैं वह 4-5, 5-5 सौ रुपया लेकर बहलाते हैं कि तुमको पेंशन दिलवा देंगे। यही हाल किसान पेंशन का है उनको भी प्रताड़ित किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कृपया संक्षेप में बोले।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव रखने वाले के लिए समय सीमा नहीं हुआ करती है। माननीय मंत्री जी के बोलने पर व कटौती का प्रस्ताव रखने वाले की समय सीमा नहीं होती है।

श्री अधिष्ठाता–

मैने तो केवल इतना ही कहा है कि माननीय सदस्य संक्षेप में बोले।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, विकलांगों और नेत्रहीनों को पेंशन देने की बात है तो जो भी योजना है उसको सही ढंग से लागू करनी है तो अपने संबंधित अधिकारियों को आप निर्देश दीजिए और उसको सही ढंग से लागू किया जाय।

आपने कम समय देने की बात कही है। वित्त विकास निगम के द्वारा जो स्वतः रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और पिछड़ी जातियों के लोगों को लाभ दिया जाता है, उसमें मान्यवर दुकान बनाने की बात होती है, तो उसके लिये 14 हजार रुपये का प्राविधान होता है और पहाड़ी क्षेत्र के लिये 22 हजार का प्राविधान होता है, इस रुपये में 8 ×10 की दुकान बनाने की बात होती है, तो मान्यवर, इसके लिये 14 हजार रुपया पर्याप्त नहीं है, कम है। आप जानते हैं कि सीमेंट के दाम डेढ़ सौ रुपया है और ईंट का दाम नौ सौ रुपये है, तो 14 हजार रुपये में कोई दुकान बन नहीं पाती है। इसलिये बजट में इस बात का प्राविधान किया जाये कि दुकान बनाने के लिये 14 हजार से अधिक रुपया रखा जाये। मान्यवर, जब लाभार्थी अपनी एप्लीकेशन देता है, अपना प्रार्थना पत्र देता है, तो वहां पर जो अधिकारी होते हैं, वह बिना पैसे लिये हुये उसको सैक्शन नहीं करते हैं। इतने

(हाथ से इशारा करते हुये) प्रार्थना पत्र होते हैं और उसमें से 2-4 लोगो को मिल पाता है और बाकी को नहीं मिल पाता है। जो सुविधा शुल्क देता है, उसी को मिल पाता है और दूसरे लोगों को नहीं मिल पाता है।

मान्यवर, मैं गोंडा जिले से आता हूँ, वहां की बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, एक व्यक्ति ने दो हजार रुपया अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया तब उसको दुकान बनाने के लिये रुपया मिल पाया, इसी प्रकार से टेम्पों के लिये 5 हजार रुपया लिया जाता है और जब तक वह रुपया नहीं दे देता है, उसको पैसा नहीं मिल पाता है। मान्यवर यही हालत पूरे प्रदेश की है। 31 मार्च आते आते सारा पैसा खर्च हो जाता है और विकास हो जाता है। आप कह रहे हैं कि समाज का विकास करेगें, इसका नाम समाज विनाश होना चाहिये। मान्यवर, इस को रोका जाना चाहियें। जितने लोगों को देना हो, उतने ही प्रार्थना-पत्र लिये जाने चाहिये। होता क्या है कि देना होता है 10 लोगों को और फार्म 100 लोगों से ले लिये जाते है, उसी में यह सब होता है। इसमें लाभार्थी का बहुत पैसा खर्च होता है और अंतिम समय में उसको निकाल दिया जाता है और फार्म में कमी बता दी जाती है, तो इस तरह से समाज के कमजोर वर्गों और दलितों का विकास नहीं हो पायेगा, इनके विकास के लिये आप को प्रभावी कानून बनाना पड़ेगा। मान्यवर, आप पता कर लें कि दलितों को पट्टे नहीं मिलते हैं, आप पता कर लें। जितने दलितों को कब्जे मिले हैं वह कागज पर मिले हैं। अगर किसी दलित का प्रार्धना-पत्र आ जाता है, तो उस पर लिख दिया जाता है कि कब्जा तत्काल करवाया जाये। एस० डी० एम० के पास पहुंचा, उन्होंने लिख दिया तहसीलदार को कि कब्जा करवाइयें, उसके बाद वह कागज कानूनगों और लेखपाल के पास चला गया और वह लाभार्थी दौड़ता रहता है और सिफारिश करता है। अगर किसी तरीके से नपने की बात भी होती है और नप भी जाता है तो समाज के जो बड़े प्रभावशाली लोग हैं वह फिर कब्जा कर लेते हैं। इस तरह से दलित तबके के लोगों को जो कब्जा मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाता है। बहुत से मुकदमें अनुसूचित जातियों पर चल रहे हैं।

मान्यवर, कॉंग्रेस सरकार में 22 डी० 4 के अन्तर्गत जो कानून बनाया गया था, उसमें लोगों को पट्टे मिले, अगर सरकार उसी कानून का अनुपालन करवा दे कोई नया कानून न बनवाये तो भी दलितों का उत्थान हो जायेगा। कुछ अपराधशील जातियों के विकास की बात आपने कही थी, अंग्रेजों ने 1872 में कुछ जातियों को अपराधशील घोषित किया था, उनके ऊपर क्रिमिनल ट्राइल्स ऐक्ट लागू किया था। वह कानून 1872 से 1982 तक प्रभावी रहा। जो अपराधी जातियां थी, मैं तो नहीं कहूगा कि वे अपराधी जातियां थी, उन पर पुलिस निगाह रखती थी कि वे क्या कर रहे हैं। बरवार, खटिक, पासी आदि जातियां अपराधी जाति में आती है। आपने कुछ जातियों के विकास के लिये तो कुछ अच्छी योजनायें बनायी, लेकिन बरवार जाति के लिये, जो हरदोई और गोंडा जनपदों में बहुत सीमित है, कोई योजना नहीं रखी है। जो मजबूरन जरायम पेशा करते है। उनको पुलिस हमेश तंग करती है और मानसिक रुप से परेशान रहते है। इस जाति के दो–एक लोगों ने तो मानसिक पीड़ा के चलते आत्महत्या

भी कर ली वे कहते है कि हमारा क्या कसूर है कि हम बरवार जाति में पैदा हुए है? इन जातियों के सुधार के लिये भी कोई योजना अवश्य चलायी जाय।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, मेरे इस कटौती के प्रस्ताव पर बहुत से माननीय सदस्य हिस्सा लेंगे, उनके सुझाव भी आ जायेंगे, सुझाव आने के बाद फिर मैं अपनी बात रखूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय सदस्यों से आग्रह है कि दलगत भावनाओं को न लेते हुए, इस चर्चा में भाग लें।

(कांग्रेस दल की ओर से मेजों की थपथपाहट)

* श्री ऊदल–

मैं ऐसा सोच रहा था कि कुछ माननीय सदस्य इस बजट पर बोलेंगे इसलिए मैं खड़ा नहीं हो रहा था लेकिन जब मैंने देखा समाज कल्याण मंत्री जी को उत्तर के लिए बुला लिया गया है तो मैंने सोचा कि मामला हाथ से निकला जा रहा है, इसलिए मैं खड़ा हो गया। श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ वह इसलिए कि यही एक विभाग है जिस विभाग द्वारा समाज के दबे, कुचले लोग हैं उनकों आर्थिक रूप से सहायता दी जाती है और उनके उत्थान के लिए कदम भी उठाया जाता है। लेकिन यहां से जो कुछ होता है उसका अक्षरशः पालन नहीं किया जाता है। जैसा कि अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि बहुत से ऐसे लोगों को जमीन का पट्टा दिया गया है, दो तरह की जमीन का एक तो मकान बनाने के लिए और एक कृषि के लिए, लेकिन आज कम से कम 20-25 फीसदी लोग ऐसे हैं जिनको आज तक कब्जा नहीं मिल पाया है और, दूसरी मानसिकता यह है कि सीलिंग से निकली हुई जमीन जिसे गरीबों में और दलितों में बांटनी चाहिए, उनको पट्टा मिलना चाहिए वह जमीन नाजायज तरीके से जिनकी जमीन सीलिंग में निकल गयी है। भिन्न-भिन्न नामों से उन्होंने चुराकर रखी है। जैसे देवरिया में बहुत बड़े पैमाने पर उसका दुरुपयोग हुआ है। दूसरी बात यह है कि अनुसूचित जाति में एक जाति ऐसी है जिसके ऊपर आजादी के बाद से आज तक उत्थान नहीं हुआ है यह जाति है मुसहर जाति। आज तक विभाग में उनके उत्थान के लिए कोई कार्यक्रम नहीं चलाया है। अभी तीन-चार दिन पहले मैंने एक प्रश्न उठाया था कि मुसहर जाति के उत्थान के लिए उनके शैक्षिणिक और आर्थिक विकास के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और उसका उत्तर वही आया जो पूर्व की सरकारों ने दिया। उन्होंने वही

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

उत्तर दिया कि अनुसूचित जाति को जो सुविधाएं दी गयी हैं वहीं सुविधाएं इनको भी दी जा रही हैं। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि यह मुसहर जाति आज समाज में अनुसूचित जाति से भी गिरी हुई जाति है। शादी विवाह में जो पत्तल और दोने में खाना खाया जाता है और फिर उसे फेंक दिया जाता है यह मुसहर जाति के लोग इसे उठा ले जाते हैं और फिर उसे झाड़कर सुखाकर खाते हैं। यह अखाद्य पदार्थ खाते हैं। जैसे मेधा, मुस, गिलहरी, साँप और कीड़ा इत्यादि उनकी वेश-भूषा भी ऐसी ही होती है। यह फूस की झोपड़ी बनाकर रहते हैं। अंग्रेजों के जमाने में इन्हें आपराधिक जाति घोषित किया गया था। श्रीमन् इनके साथ बराबर जुर्म होता आया है।

श्रीमन् इस जाति में आज भी आधा फीसदी भी शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ है, इस विभाग ने कभी भी इन लोगों के लिये कोई योजना नहीं बनाई। श्रीमन्, मैंने कई बार प्रयास किया कि जो मुसहर जाति हैं, उनके लिये कोई स्कूल खुलवा दूँ, लेकिन शासन के मंजूर कर लेने के बाद भी जो समाज कल्याण विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने स्कूल गांव में न खुलवाकर शिवपुर (शहर में) खोल दिया। एक फीसदी भी मुसहर जाति के बच्चे- बच्चियाँ शिक्षित नहीं हैं। मैं दावे के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि न तो उनके पास जमीन है, न रहने को मकान है, न पीने के पानी हेतु कुँआ है, न इनके पास कोई रोजी-रोजगार, धन्धा है, ये जूठन पर निर्भर हैं और दूसरे काम करके, असवारी, काँवर, बहँगी आदि ढोकर किसी तरह जिन्दा हैं, इस जाति को अनुसूचित जनजाति के अन्दर रखा जाना चाहिये। ये लोग प्रदेश के झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी मंडलों में बसे हैं। मैं इस सरकार से चाहता हूँ कि वह इनकी तरफ ध्यान दे और उनके बारे में कोई योजना अवश्य बनाये। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहूँगा कि वह यदि चाहें तो जाँच करा लें, कम से कम एक जिले की ही जाँच करा लें, उनके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करके उनके उत्थान के लिये, उन्नयन के लिये कोई योजना इस शासन को, इस सरकार को बनानी चाहिये। मान्यवर, दूसरा निवेदन विधवा और वृद्धावस्था पेंशन के संबंध में करना चाहूँगा, इस विभाग के द्वारा जो इन लोगों को पेंशन वितरित की जाती है, उसमें पिछली सरकार ने बहुत कटौती कर दी थी और कटौती करके उसको किसान पेंशन योजना में वाहवाही करने के लिये लगाया। मैं कहना चाहता हूँ कि जितनी भी विधवाओं, वृद्धजनों को पेंशन मिलती थी, वह बड़े पैमाने पर काटी गई और बहुतों को तो मिलना भी बंद हो गई, तमाम लोगों को 6-6 महीने से नहीं मिली है। मैं चाहता हूँ कि इसकी भी समीक्षा करा ली जाय और कम से कम उन लोगों को, जिनको पेंशन मिल रही थी, जो आज भी जिन्दा हैं, को पेंशन दिलाना प्रारम्भ करा दिया जाय। अगर साधन है तो नये लोगों को भी दीजिये, लेकिन अगर साधन सीमित है तो कम से कम पुराने लोगों को अवश्य दिलवाइये।

श्रीमन् छात्रवृत्ति के बारे में आपने जो निर्णय लिया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे पढ़ने के लिये स्कूलों में जायेंगे, उनको

शुरू से लेकर कक्षा 8 तक छात्रवृत्ति देंगे, इसके लिये आपकी सरकार बधाई की पात्र है, इससे शिक्षा के क्षेत्र में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को, जिनके अभिभावक किताद भी नहीं खरीद सकते थे, पढ़ने का मौका मिलेगा और छात्रवृत्ति देकर आपने उनका हौंसला बढ़ाया। उनके अन्दर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का इससे मौका मिलेगा। दूसरे मैं चाहता हूँ कि पेयजल व्यवस्था के लिए हैण्ड पाइप, कुआँ एवं कुछ पक्कानों की व्यवस्था करते हैं, इसमें आज महंगाई बहुत ज्यादा हो गयी है। विभाग के द्वारा जो कुछ बनवाया जाता है। आज 4-5 दिन पहले मुझे थोड़ी सी मरम्मत करवानी थी उसके लिए बाजार गया तो मालूम हुआ कि 140 रुपये प्रति बोरी सीमेंट और 900 रुपये हजार ईंटा है। आपके यहाँ तो नियम बने हुये हैं, वह पुराने नियम हैं, नतीजा यह होता है कि इतने में पूर्ति नहीं होती, उसी में से कुछ ठेकेदार और दलाल खा जाते हैं। इसलिए इसमें वृद्धि करने की आवश्यकता है, ताकि जो योजना मकान, हैण्ड पाइप, कुँआ और बस्ती के बारे में बने, वह योजना सुचारू रूप से लागू हो सके। मान्यवर, पहले दलितों के बारे में, अनुसूचित जातियों पर अत्याचार होते थे तो उसकी जाँच के लिए डी० आई० जी०, एस०एस०पी० और उसके नीचे के कुछ अधिकारियों को सम्मिलित करके एक अलग से विभाग बनाया गया था। मैं समझता हूँ कि शायद अब समाप्त कर दिया गया, यदि है भी तो वह निष्क्रिय है। मैं समझता हूँ कि आज भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के ऊपर असरदार लोगों और पुलिस के हमले हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए पहले की तरह से डी०आई०जी० स्तर के पुलिस अधिकारी को और उनके साथ 4-5 एस०एस०पी० और एस०पी० रैंक के अधिकारी को, जैसा पूर्व में रखा गया था, मैं समझता हूँ कि उसी तरह से रखकर के विशेष जाँच के रूप में जाँच करायी जानी चाहिए। क्योंकि समाज कल्याण विभाग ही इसका जिम्मेदार है इसलिए अगर दलितों पर अत्याचार होता है तो समाज कल्याण विभाग बखूबी से और मजबूती के साथ रोक सके।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। अभी एक विधेयक आने वाला है। जमींदारी विनाश और भूमिधरी व्यवस्था का। यह विधेयक बहुत ही खतरनाक है, यह चालाक लोगों ने बनाया है, इसमें जो पट्टा दिया गया है उनको भूमिधरी का अधिकार दिया जा रहा है। भूमिधरी अधिकार देने का मतलब यह होगा कि वह अपनी जमीन को बचेंगे और बेचकर बिना जमीन के जहाँ थे, वहीं पहुँच जायेंगे। चालाक लोगों ने इसे बनाकर माननीय सदन में भी पेश किया है। मैं समाज कल्याण मंत्री को और सरकार को भी आगाह करता हूँ कि यह जो विधेयक-जमींदारी विनाश और भूमिधरी व्यवस्था का पेश किया जायेगा यह खतरनाक है, इसे सरकार को वापस ले लेना चाहिए नहीं तो जितने भाइयों को पट्टे दिये, कृषि के लिए, आवास के लिए उसमें उन्हें रोका गया है, प्रतिबंध लगा है कि वह अपनी जमीन को नहीं बेंच सकते। लेकिन इस विधेयक के मुताबिक उनको जमीन बेचने का अधिकार मिल जायेगा तो वह पुनः बेजमीन हो जायेंगे। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पर भी गौर कर ले।

अन्त में श्रीमन् मैं आपसे इनता निवेदन करना चाहता हूँ कि मुसहर जातियों के लिए, जनजातियों के लिए सरकार चाहती है कि उनका उत्थान हो, उनका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और दूसरे क्षेत्रों में उनका उत्थान करना चाहती है, अगर हमारी बात पर विश्वास न हो तो सरकार कोई आयोग बना दे, कोई कमेटी गठित कर दे, मैं तो चाहता हूँ कि फैजाबाद जहाँ के माननीय वन मंत्री जी एवं परिवहन राज्य मंत्री श्री राजभर जी हैं, जाँच करा लें। कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मेरे गांव में भी मुसहर हैं। समाज कल्याण विभाग का कोई अधिकारी मुसहरों की बस्ती तक जाने के लिए तैयार नहीं है। आखिर में सरकार से यही मांग करता हूँ कि मुसहर जाति के उत्थान के लिए एक आयोग का गठन अतिशीघ्र करके हर क्षेत्र में उनके उत्थान के लिए प्लान बनाया जाये और उनके रहन-सहन को ऊँचा किया जाये। मान्यवर, मैं दावे के साथ कहता हूँ समाज कल्याण विभाग को भी चुनौती देना चाहता हूँ, ये जाति शिक्षा के क्षेत्र में आधा फीसदी भी नहीं हैं। अगर आधा फीसदी आप साबित कर दें तो मैं अपनी 35 साल के राजनीतिक जीवन के साथ-साथ विधान सभा छोड़कर चला जाऊँगा।

श्रीमन्, यह मेरी वेदना है। सन् 47 से लेकर आज तक जिस समाज के लोगों में, जातियों में मात्र-आधा प्रतिशत शिक्षा हो, वह समाज व जाति कैसे तरक्की कर सकती है? इसलिए मैं मांग करता हूँ कि मुसहर जाति के लोगों के उत्थान के लिए सरकार विचार करे और एक आयोग का गठन करे। कम से कम सरकार एक जिले या क्षेत्र की ही जाँच कर ले और जहाँ-जहाँ इस जाति के लोग रहते हैं, उनके उत्थान के लिए सरकार विचार करे और प्लान बनाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे समाज कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। धन्यवाद।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए तथा इस बजट का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूँ कि समाज के उन्नयन के लिये तथा समाज में परिवर्तन के लिए जो प्राविधान बजट में रखे गये हैं, उसके लिए मै माननीय मंत्री जी की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में, गरीबों को पेंशन देने के क्षेत्र में तथा अन्य कार्यों के लिए जो प्राविधान बजट में किये गये हैं और अपने विभाग में क्रान्तिकारी परिवर्तन करने के लिए जिस इच्छा शक्ति व संकल्प शक्ति व संकल्प शक्ति के साथ उन्होंने काम करना प्रारम्भ किया है, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। मान्यवर, मैं दो सुझाव रखना चाहता हूँ। पहला, यह कि गाजियाबाद नगर में प्रदेश के ही नहीं अपितु देश के कोने-कोने से लोग रोजगार के लिए यहाँ आते हैं और मजदूरी करने के लिए आते हैं। परन्तु आज उनके रहने के लिए केवल झुग्गी-झोपड़ियां ही हैं। सड़कों के किनारे व खाली सरकारी जमीनों पर झुग्गी-झोपड़ियाँ डालकर वह रहते हैं। उनमें न तो शौचालय हैं, न लाईट है और न पानी हैं। इस प्रकार 20 हजार के लगभग परिवार झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं। नगर विकास यह कह देता है कि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से ये लोग बसे हैं, इसलिए हम इनको सुविधाएं नहीं दे सकते। श्रीमन्, वे लोग भी इस देश व प्रदेश के नागरिक हैं। उनको भी जीवन की

न्यूनतम आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है। जिनकी औरतें शौचालय के अभाव में रात का इन्तजार करती हैं। सड़कों के किनारे पर बैठकर शौच करने के लिए वे विवश हैं। इस भयंकर गर्मी व बरसात में सड़कों के किनारे पर बैठने के लिए वे मजबूर हैं। लाईट उनके पास नहीं है। विद्युत विभाग कह देता है कि ये अस्थायी हैं, इसलिए इनके लिए लाईट की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। इसमें ज्यादातर गरीब, अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के लोग हैं। उनके पास बहुत आर्थिक साधन नहीं है। दिन भर मजदूरी करने के बाद वह अपने जीवन तथा बच्चों का भरण-पोषण करते हैं। इनके बच्चे सड़कों पर घूमते रहते हैं। कुछ तो इसमें से जब 7-8 साल के हो जाते हैं तो अपने माता-पिता के साथ मजदूरी करने चले जाते हैं। शिक्षा के लिए उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे 20 हजार परिवार गाजियाबाद में रह रहे हैं। समाज कल्याण विभाग के लिए यह एक गम्भीर समस्या है।

समाज कल्याण विभाग ने कई कल्याणकारी योजनायें चालू की हैं इस बजट में, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इनके कल्याण के लिए भी ऐसी पाठशालायें खोली जायं, जहां पर उनके बच्चों को पुस्तकें मिल सकें, स्कूल में जाने के लिए प्रोत्साहन हेतु कुछ खाद्य पदार्थ बच्चों को मिल सके और वे शिक्षा ग्रहण कर सकें। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक झुग्गी में एक बल्ब देने की घोषणा की है। यह काम भी उन्होंने प्रारम्भ कर दिया है। इसके लिए उन्हें 20 रुपये मासिक देने पड़ते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी एक बल्ब की व्यवस्था सरकार सुनिश्चित कर दे और सरकार 20-25 रुपये जो निर्धारित करना चाहे कर दे परन्तु एक बल्ब की रोशनी इन गरीब परिवारों की झोपड़ियों तक सरकार पहुंचा दे।

उनको राशन कार्ड की सुविधा बड़े संघर्ष के बाद मिली और वह भी अस्थायी है। उनको इसमें केवल मिट्टी का तेल मिलता है। इसमें उनको चावल, गेहूँ और चीनी आदि नहीं मिलती है। जिस गरीब को सबसे ज्यादा सस्ते दामों पर राशन की आवश्यकता होती है उसको यह नहीं मिल पाता है। मेरा अनुरोध है समाज कल्याण मंत्री इस दिशा में भी प्रयास करेंगे और हजारों हजार घरों तक इस सरकार का जो संकल्प प्रकाश पहुंचाने का है उस गरीब की झोपड़ी तक रोशनी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री राम प्रसाद टम्टा–

मान्यवर, मैं बजट पर रखे कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुये निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो समाज कल्याण विभाग का बजट पेश किया गया है उसमें जो गरीब, दबे कुचले वर्ग के उत्थान के लिये जो प्राविधान रखा है वह कोई नयी बात नहीं है। यह तो माननीया स्व० इंदिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले से रखा गया था वहीं प्राविधान वर्तमान सरकार ने भी बजट मे रखा है कोई नयी योजना नहीं रखी है जिससे गरीबों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके।

मेरा एक सुझाव है कि जो गरीबों को उनके उत्थान के लिये वित्त विकास निगम से आर्थिक सहायता दुकान और वाहनों के लिये दी जाती है उसको सरल किया जाय। उनको

वाहन के लिये जो धनराशि बैंकों से मिलती है उसके लिये उनको बैंकों के काफी चक्कर लगाने पड़ते हैं। जो गरीब वाहन चलाना जानता है वह इस परेशानी के कारण बैंक से वित्तीय सहायता नहीं ले पाता है। वित्तीय सहायता लेने के लिये प्रार्थना-पत्र देने के बाद चक्कर लगाते- लगाते थक जाता है और उसका बहुत समय बरबाद होता है अंत में वह निराश होकर घर में बैठ जाता है। मेरा अनुरोध है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि अगर वह वाहन चलाना जानता है तो उसको धनराशि तुरन्त मिल जाय। वित्त विकास निगम की जो शर्तें है उनको पूरा करने पर उसे पूरी धनराशि मिल जाय। वर्तमान सरकार वास्तव में गरीबों को दबे कुचले लोगों को उठाना चाहती है तो उनके लिये बाहर और दुकानों की व्यवस्था करे और उसके लिये उन्हें वित्तीय सहायता दे।

इसके साथ ही साथ आश्रम पद्धति विद्यालयों, उनके छात्रावासों और पुस्तकालयों की दशा में सुधार होना चाहिये। वही सुविधा इन विद्यालयों के छात्रों को दी जाय जो सुविधा पब्लिक स्कूल के बच्चों को दी जाती है। जिस प्रकार पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का स्वाभिमान होता है उसी तरह का स्वाभिमान यहां से निकले बच्चों में होना चाहिये तभी वह उनके साथ साक्षात्कार में कंपीट कर सकेंगे। इससे आने वाले कंप्टीशन में वह वैधिक भाग ले सकेंगे।

सरकार को अगर वास्तव में दलित का बुनियादी तरीके से उत्थान करना है, तो इस बजट से यह व्यवस्था उन्हें लागू करनी चाहिए, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी उन्नति हो सके। उनकी जब तक शिक्षा में उन्नति नहीं होगी, हम कितनी योजनाएं चला दें, कितना ही आरक्षण दे दें, हमें सफलता मिलने वाली नहीं है। मेरा यह अनुरोध है कि आप शिक्षा में और आर्थिक उन्नति में ज्यादा बल दें और उसको बजट में रखें।

इसके साथ ही मैं अपने पर्वतीय क्षेत्र की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग 22 प्रतिशत हैं। जो शिल्पकार, दस्तकार और बुनकर परिवार के हैं। उनके लिए बजट में अभी तक, उनकी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार कोई योजना नहीं बनाई गई है, न बजट में रखी गई है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहां के दस्तकारों, बुनकरों और शिल्पकारों के लिए कुटीर उद्योग और लघु उद्योग आधारित योजनाएं वहां पर दे। इनके लिए और उनके विकास के लिए पृथक से पहाड़ों के लिए प्रोजेक्ट्स बनाएं जाएं, ताकि उनको समय पर कच्चा माल मिल सके और उसकी बिक्री की व्यवस्था भी हो सके। साथ ही वहां पर जो पर्यटक आते हैं, उनके हांथ का बना हुआ जो सामान होता है, उसको पर्यटक लोग खरीदते हैं, उसके भी बिक्री की व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। विशेषकर पर्यटकों को लाने ले जाने के लिए वहां के अनुसूचित जाति और जनजाति के शिल्पकारों को पर्यटकों की दृष्टि से बसें क्रय करने के लिए भी वित्त विकास निगम के माध्यम से कम ब्याज पर ऋण दिलाने की व्यवस्था की जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ में अपने पर्वतीय क्षेत्र की एक बात और कहना चाहता हूं, वहां पर जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला में जो आदमी जंगलों में रहते हैं, जिन्हें वनरावत कहा जाता है, उनके विकास के लिए सरकार ने एक योजना चलाई थी, वह भी ढंग से नहीं चली है। ये लोग जंगलों में रहकर जंगल में लकड़ी काटने का काम करते हैं और वह वहां से लकड़ी काटकर लाकर गांव के किसी परिवार के आगे उसे रख जाते है और उसके बदले राशन ले जाते हैं। वह जंगलों से आकर राशन उठाकर ले जाते है। आज भी ऐसे तमाम परिवार धारचूला के पास है, उनके विकास के लिए भी विचार करना है और बजट में प्रावधान रखना है। साथ ही हमारा बागेश्वर क्षेत्र अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है और यहां पर बुनकर, शिल्पकार दस्तकार लोग काफी रहते है। और समाज कल्याण विभाग का सबसे बाहुल्य क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र का। इसकी आर्थिक उन्नति के लिये विकास के काम करने की आवश्यकता है। यह तमाम नदियों का उद्गम स्थान है। जगह-जगह पर यहां भूमि धंस रही है। उल्टी दस्त प्रकोप से 20 लोग मर चुके हैं। और यह सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनजाति के लोग मरे हैं। इनको समय से दवाई उपलब्ध नहीं हो सकी है क्योंकि वहां पर दवाइयां नहीं हैं। मेरी प्रार्थना है कि इस क्षेत्र की उन्नति के लिये इसे जिला बनाया जाना नितान्त आवश्यक है। बागेश्वर क्षेत्र को जिला बनाये जाने की मांग काफी लम्बे अरसे से उठाई जा रही है, इसके बावजूद भी यह जिला घोषित नहीं हुआ है। महात्मा गांधी की 125वीं जयन्ती दिवस पर आप इसे जिला घोषित करें। महात्मा गांधी भी इस क्षेत्र में गये थे और 11 दिन कौसानी में रहे थे। अगर बागेश्वर को जिला घोषित कर दिया जाय तो मैं समझता हूं कि समाज कल्याण विभाग को भी माना जायेगा कि वास्तव में वह गरीब तबके के लिये काम कर रहा है। महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर बागेश्वर को जिला बनाया जाय। इसी के साथ मैं बजट पर रखे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए समाप्त करता हूं।

* श्री मुरलीधर–

मान्यवर, सम्मानित समाज कल्याण विभाग मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन पर बोलने के लिये आपने मुझे अवसर दिया है, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, विद्वान मंत्री जी ने काफी कुछ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण सम्बन्धी योजनाएं इस बजट में रखी हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं लेकिन निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, कि जो भी योजनाएं इस विभाग द्वारा संचालित की जा रही है, उन योजनाओं की पूर्ति के लिये, उनके कार्यान्वयन के लिये जो भी अधिकारी/कर्मचारी लगाये गये हैं उनकी देखरेख में इन योजनाओं का प्रचार-प्रसार उन गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है जिनकी वास्तविक रूप से लाभ देने के लिये यह योजनाएं बनाई गई हैं। न तो विभाग में कोई ऐसे प्रचार माध्यम है जिनके माध्यम से गांवों में इन योजनाओं का प्रचार किया जा सके। न तो इनके कर्मचारी गांवो में जाते हैं। जो भी गांव में रहने वाले या वृद्धावस्था पेंशन को पाने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

के हकदार हैं, गांवो से चलकर मान्यवर जिला हेड क्वार्टर पर आते हैं। अपने दुख की बात इनके सामने रखते हैं तो जरुरी नहीं है कि वह बात मान ही ली जाय। वह गरीब शाम को वापस घर जाता है तो उसके पास किराये के पैसे नहीं रहते हैं।

मेरा निवेदन है माननीय मंत्री जी से कि अपने विभाग में एक व्यवस्था यह करें कि विभाग के कर्मचारी देहातों में जाकर इन योजनाओं का सही प्रचार प्रसार करें ताकि गांवो में रहने वाले गरीब इनके बारे में भली भांति जानकारी हासिल कर सकें। समाज कल्याण विभाग द्वारा कूप निर्माण योजना चालू की गई। मैं ऐसे क्षेत्र से चुनकर आता हूं जो कि इस प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है फतेहपुर। मैंने गांव में जाकर जब निरीक्षण किया तो देखा कि सींच कूप तो अनुसूचित जाति के लोगों के नाम पर बनाये गये हैं लेकिन सवर्णों की जमीन पर निर्मित हैं। अगर इस तरह से इन योजनाओं को अनदेखा किया गया तो जैसी स्थिति अभी तक चली आ रही थी, वैसी ही रहेगी। मैं पुरजोर अपील करता हूं कि इसकी भरसक जांच कराई जाय और जो भी सिंचाई कूप सवर्ण की भूमि पर निर्मित हैं उनको कैंसिल करके गरीब लोगों को दिये जायं।

[समय 5 बजकर 25 मिनट]

श्रीमन् सभी महापुरुषों के नाम योजना चल रही हैं। साहू महाराज हमारे समाज में पैदा हुए हैं। मैं समाज कल्याण विभाग से चाहता हूं कि साहू महाराज के नाम से कोई योजना चलाई जाए ताकि गांव में रहने वाले लोग उस साहित्य से जानकारी कर सकें। मान्यवर, मेरा जनपद बहुत ही पिछड़ा हुआ है। मेरे जनपद के सभी विधायकगण परेशान हैं वहा लम्बे अरसे से मांग कर रहे हैं। हमारा क्षेत्र मंडल इलाहाबाद में आता है। पूर्वांचल निधि योजना प्रतापगढ़, इलाहाबाद में चल रही है। फतेहपुर को वंचित रखा गया है हमारे साथी इसकी मांग कर चुके हैं। फतेहपुर पूर्वांचल निधि में अवश्य शामिल किया जाए। मान्यवर, खागा तहसील है यहां तीन इंटर कालेज हैं। अनुसूचित जाति के लोगों के लिए छात्रावास निर्मित नहीं है। हमने बड़ी मुश्किल से जमीन हासिल कर सरकार के पास प्रस्ताव भिजवाया है मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस जमीन पर छात्रावास निर्मित कराया जाए। ए०टी०एस० विद्यालय इसी विभाग से संचालित होते हैं इसमें परेशानी यह है कि जिन गांवों में विद्यालय खोलना चाहते हैं वहां हमारे सामने भूमि की समस्या खड़ी होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विभाग की तरफ से संबंधित जिलाधिकारी को निर्देशित किया जाए या राजस्व विभाग से कहा जाए और वहां पर एक-एक विद्यालय खुलवाया जाए। इस भूमि का प्रबन्ध जिलाधिकारी के माध्यम से कराया जाए। मान्यवर, बहुत से गांव ऐसे हैं जहां निर्बल वर्ग आवास निर्मित कराए गए हैं। ऐसे कई आवास है जिनकी पहले लागत आठ हजार होती थी आज उनकी लागत 20 हजार आती है। पहले आठ हजार में भवन का निर्माण होता था इसमें नंबर एक की ईंट लगती थी अब थर्ड क्लास की ईंट लगती है। जहां एक तीन का मसाला इस्तेमाल किया जाता था वहां एक बारह का मसाला लगाते हैं। इसमें धनराशि को बढ़ाया जाए।

खागा में एक पुस्तकालय है डा० अम्बेदकर के नाम से यह पुस्तकालय चल रहा है नाम तो इसका डा० भीमराव अम्बेदकर है लेकिन वहां अम्बेदकर साहित्य ही उपलब्ध नहीं है। पूरे जनपद में एक पुस्तकालय डा० अम्बेदकर ने नाम से निर्मित कराया गया है। उसमें साहू महाराज का साहित्य, फुले साहब का साहित्य और अम्बेदकर साहब का साहित्य रखा जाना चाहिए वहां ज्ञानवर्धक साहित्य होना चाहिए जिसको पढ़कर वहां के बुद्धिजीवी लोग और हम लोग लाभान्वित हो सकें। मान्यवर, एक निवेदन और करना चाहता हूं पट्टे की भूमि का आवंटन हुआ है चर्चा में आया है उसके विक्रय का यहां प्राविधान किया जा रहा है। मै बहुत विनम्र निवेदन करना चाहता हूं जो आसामी पट्टे दिए गए हैं जो थोड़े समय के लिए पट्टे की जमीन उपलब्ध कराई गई है तालाब भीटा की जमीन पट्टे के रूप में दी गई है, जब मेहनतकश किसान उसे खेती के योग्य बनाता है तब प्रधान बदल जाता है उसका समय पूरा हो जाता है और दूसरा प्रधान आ जाता है तो पट्टे कैंसिल करके दूसरे को आवंटित कर दिए जाते हैं। आसामी पट्टों को धरी पट्टों में किया जाए। जो पट्टे दिए गए हैं उसमें अनुसूचित जाति के लोग हैं मैं मांग करता हूं कि इसमें कार्यवाही की जाए। श्रीमन् अनुसूचित वित्त विकास निगम से एक जीप की योजना संचालित की गई है कुछ दरख्वास्तें विचाराधीन हैं।

लेकिन अभी तक एक भी व्यक्ति को लाभान्वित नहीं कराया गया है। मेरी सरकार से मांग है कि कम से कम 20 व्यक्तियों को जीप जो क्रय कराने का प्राविधान है, इस विभाग के पास यह कराया जाए। हमारे जनपद में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के माध्यम से जिन दुकानों का निर्माण कराया गया है उसमें जो धोखाधड़ी हुई है उसकी जांच कराई जानी चाहिए। बहुत सी ऐसी दुकानें हैं जो केवल कागजों पर निर्मित हैं।

श्री अधिष्ठाता–

महोदय अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री मुरलीधर–

मैं बहुत पिछड़े जनपद से आया हूं इसलिए मुझे मौका दिया जाए। हर सरकारों ने हमारे यहां की उपेक्षा की है। आज हमारी पार्टी की सरकार है। हर बार की तरह इस बार फतेहपुर की उपेक्षा न की जाए। हमारे जनपद में एक जरौली पम्प निर्माण योजना प्रस्तावित है जिसका बहुत धीमी गति से विकास हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि वही एक ऐसी कैनाल है जिसके माध्यम से पूरे फतेहपुर को सिंचित किया जा सकता है। मेरी पुरजोर अपील है कि इस योजना को इसलिए सम्मिलित कर लिया जाए ताकि तेजी से विकास हो सके।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य अपनी बात समाप्त करें।

श्री मुरलीधर–

मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जयभीम, जय भारत।

श्री रामस्वरूप सिंह--

मान्यवर, मैं अपनी पार्टी की नीतियों को रखना चाहता हूं। अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और समाज कल्याण मंत्री जी ने जो अपना बजट रखा है उसके बारे में मुझे यह कहना है कि समाज कल्याण विभाग संविधान बनने के बाद ही शुरु हो गया था लेकिन 48 साल में देखने को मिलता है कि इस विभाग के द्वारा अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों का कोई कल्याण नजर नहीं आता है। आप आंकड़े उठाकर देखें। 1951 की जनगणना में 70 लाख लोग बेघरबार थे आज इनकी संख्या 7 करोड़ तक, पहुंच गई है। गांव के सामन्तों ने, जमींदारों ने जबरदस्ती इस गरीब तबके के मजलूम लोगों को गांव से भगा दिया और वह बेघरबार होकर शहरों में झुग्गी-झोपड़ियों में रह रहे हैं। समाज कल्याण विभाग ने उनके उत्थान के लिए, तरक्की के लिए गहराई से, ईमानदारी से कोई काम नहीं किया। मैं सरकार से आशा करता था कि यह दलितों की सरकार है यह बहुत नारे देती है कई नई योजना बनाएगी, कोई नीति रखेगी, कोई स्कीम बनाएगी तथा किसी तरह से दलितों का उत्थान होगा। अगर यह उसके उत्थान के लिए कोई काम करना चाहती है तो मैं सुझाव देना चाहता हूं कि यह एक काम करे एक कानून बनवाने के लिए यह सरकार राजस्व विभाग पर जोर दे कि जो लोग जमीन पर काम करते हैं मेहनत करते हैं वही जमीन के मालिक होने चाहिए। समाज कल्याण विभाग राजस्व विभाग से कहकर यह कानून बनवा दे। जब जमींदारी प्रथा खत्म हो गयी है लेकिन जमीन के दलालों ने जमीन पर कब्जा कर लिया है। जो जमीनों पर काम करते हैं उनको मेहनत तक का पैसा नहीं दिया जाता है। समाज कल्याण विभाग जो रुपया उनके उत्थान के लिए खर्च करता है वह केवल कागजों पर रहता है। 70 फीसदी रुपया खर्च नहीं होता है। यह केवल कागजों पर खर्च होता है। उसमें अधिकारी और नेता मिलकर रुपया खा जाते हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि इस पैसे को शिक्षा पर खर्च करें। समान शिक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शिक्षक पढ़ाते नहीं है वह घर में काम करते हैं इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। जब तक इनके लिए समान शिक्षा नहीं होगी उनका उत्थान नहीं होगा।

हमारे भा०ज०पा० के नेता कल्याण सिंह जी ने कहा था कि अगर आबादी की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो विकास नहीं होगा मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आबादी क्यों बढ़ती है? आबादी बढ़ने का मूल कारण है अशिक्षा / अगर अशिक्षा होगी तो आबादी भी बढ़ेगी। अकलियतों, दलितों और पिछड़े लोगों को दोष दिया जाता है कि उनकी आबादी बढ़ रही है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप केरल को देख लीजिये वहां पर सबसे ज्यादा दलित रहते हैं लेकिन भारत में अगर सबसे कम जनसंख्या कहीं की बढ़ती है तो वह केरल की बढ़ी है उसका मूल कारण है कि वहां पर सब शिक्षित बनाये गये हैं। यह सरकार समाज कल्याण की बात करती है मेरा कहना है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा ऐसी नीति बनायी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

जाय जिससे इस तबके के हर बच्चे को शिक्षा मिल सके। अनिवार्य शिक्षा, फ्री शिक्षा की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये। आप बंगाल को देखिये वहां पर दोपहर का खाना फ्री दिया जाता है, कापी स्लेट आदि मुफ्त दी जाती है और उसके लिये एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। क्या हमारी सरकार यह काम नहीं कर सकती है। यह सरकार भी कर सकती है लेकिन सरकार की नीयत नहीं है। दलितों के उत्थान की बात की जाती है, यह सरकार दलितों के उत्थान का नारा देकर आयी है लेकिन दलित उत्थान की भावना नहीं है। दलितों का खून पीने वाले लोगों को कांग्रेस सरकार ने पिछले 40 सालों में बनाकर रख दिया है, दलितों को दलित ही लूट रहे हैं। दलितों को कहीं बाहर से खतरा नहीं है दलितों को लूटने वाले और उनका खून पीने वाले समाज कल्याण विभाग के माध्यम से बन गये हैं और वह करोड़ पति अरबपति बन चुके हैं यह मैं अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखता हूं। मेरा मुख्य रूप से यही कहना है कि शिक्षा पर ध्यान दीजिये और जांच कराइये, बेवा औरतों को मेरे जिले में पेंशन नहीं मिलती है। इन औरतों को 500 रुपये 700 रुपये रिश्वत देनी पड़ती है तब उनकी पेंशन स्वीकृत होती है।

एक जिला समाज कल्याण अधिकारी को जेल जाना पड़ा उसने ऐसे स्कूलों को छात्रवृत्ति बांटी थी, जो जमीन पर थे ही नहीं और लाखों रुपयों का घपला हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि यह तमाम घपले क्यों हो रहे हैं? आज करप्शन नीचे से ऊपर तक चलता है। यह चीजें बंद करनी होंगी। हमारी मुख्यमंत्री जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पर घोषणा करती हैं लेकिन अगर सिर्फ इस सचिवालय के अंदर भ्रष्टाचार बंद करा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मुझसे लोग बतलाते हैं कि जो ग्रांट मिलती है उसका ढाई प्रतिशत मंगवा लिया जाता है तब रुपया जाता है। अगर आप दलितों का कल्याण चाहते हैं, दलितों का उत्थान चाहते हैं तो शिक्षा पर ध्यान दीजियेगा। तमाम जमीनें सरकार की पड़ी हैं यह जमीन उन्हें पट्टे पर दिलाने की व्यवस्था करा दीजिये। मेरे जिले में लाखों एकड़ जमीन पड़ी है। मंगल देव विशारद की रिपोर्ट पर हेमवती नंदन बहुगुणा ने जो योजना बनायी थी उसको आज तक सरकार लागू करने के लिये तैयार नहीं है। लाखों एकड़ जमीन, जमीन चोरों ने घेर रखी है। इस रिपोर्ट को लागू करा दीजिये तो मैं समझता हूं कि दलितों पिछड़े हुये लोगों के विकास के लिये सबसे बड़ा काम होगा और उनकी तरक्की होगी, उनका विकास होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

* श्री मन्नू लाल कुरील--

मान्यवर, आपने मुझ बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं एक शेर कहकर अपनी बात शुरू कर रहा हूं–

"दिन बुरे रहे तो खुशियों में बदल जाते हैं,
अजी जिन्दा रहो तो हालात बदल जाते हैं।"

* अध्यक्ष ने भाषण का अनुवाद नहीं किया।

मान्यवर, ए०टी०एस० विद्यालय समाज कल्याण विभाग की ओर से चलाये जाते हैं और यह दलितों के पिछड़ो के हित के लिए होते हैं। मान्यवर, मैं इन विद्यालयों के सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। विद्यालयों में जिस प्रकार का भोजन दिया जाता है वह सर्वथा घटियां किस्म का होता है और जो काम करने वाले वहां के कर्मचारी हैं चूंकि उनके बच्चे होते नहीं है इसलिए वे उनको नीची दृष्टि से देखते हैं और जो कहीं वहां ऊंची किस्म का अधिकारी हुआ तो वह तो घृणा की दृष्टि से उन्हें देखता है तो इसका परीक्षण किया जाय और उनका जो संचालन करते हैं उनको भी देखा जाय और समय समय पर छापे मारे जायं कि वे कैसा भोजन करते हैं, कैसा भोजन बनता है इस पर विचार किया जाय तो मैं समझता हूं कि सरकार की मंशा के अनुरूप लोगो को लाभ मिल सकेगा। मान्यवर, ऐसे ही दाल विकास परियोजना और महिला समाख्या है। मान्यवर, जो दाल विकास योजना चलाई जाती है उसमें जो आंगनबाड़ी के रूप में महिला कार्यकत्री हैं उनको अल्पवेतन दिया जा रहा है। 300 रुपये में कोई काम करने को तैयार नहीं होता है केवल मजबूरीवश जिनको कोई काम नहीं मिलता है वहीं इसमें काम करने के लिए तैयार होती हैं। मान्यवर, पहले व्यवस्था थी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं बच्चे हैं उनका जलपान के लिए दलिया, मूंग की दाल, चना सादा और भुना की व्यवस्था की गयी थी। पिछली सरकार ने ब्रेड की व्यवस्था की और गर्मी के दिन में पंजीरी की व्यवस्था की गयी। मान्यवर, इस व्यवस्था में गांवों में जब देखा गया तो पंजीरी में कीड़े निकले और ब्रेड जो गांवों में पहुंचता है वह सड़ा हुआ पहुंचता है इससे वह बच्चे रोगी हो जाते हैं। इसलिए जो पिछली सरकार ने दलिया और ब्रेड की व्यवस्था की थी उसको बदलकर भुना चना, मूंग की दाल व खिचड़ी आदि की व्यवस्था की जाय।

[इस समय 5 बजकर 37 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।]

मान्यवर, महिला समाख्या द्वारा जो महिलाओं के लिए निर्धूम चूल्हें गांवों में बनाये जाते हैं उनका उपयोग सही ढंग से नहीं हो पा रहा है अगर उनकी बनावट में संशोधन किया जाय और उनके तकनीकी रूप को देखते हुए अच्छे चूल्हे बनायें जायं ताकि गांव की महिलाओं को समुचित लाभ मिल सके। मान्यवर, गांवों में जो जमीन अनुसूचित जाति के लोगों को दी जाती है उसमें यदि किसी काश्तकार ने उनके विरुद्ध मुकदमा लगा दिया तो वह अनुसूचित जाति का व्यक्ति पहले भूमिहीन था बाद में भवन विहीन हो जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि अनुसूचित जाति की जमीन से संबंधित इस तरह के सारे मुकदमें सरकार अपने पैसे से लड़े ताकि अनुसूचित जाति के लोगों को समुचित लाभ मिल सके और वह राहत की सांस ले सके। मेरा अनुरोध है कि माननीय समाज कल्याण मंत्री मेरे इन सुझावों पर विचार करें और इसे लागू करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय समाज कल्याण मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री राजाराम त्यागी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने के लिए अवसर दिया। मान्यवर, वर्तमान सरकार दलितों की हितैषी है। निश्चित रूप से यह बड़ा

स्पष्ट है क्योंकि जो बजट प्रस्तुत किया गया है वर्ष 93-94 में अनुसूचित जाति के लोगों की पुत्रियों की शादी ब्याह के लिए 65.75 लाख का बजट दिया गया था और इस बार यह 120 लाख का है। इससे स्पष्ट है कि दलितों के प्रति सरकार का कितना उदार रवैया है। मान्यवर, मैं कुछ बाते आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। दलितों के उत्थान के लिए सरकार दृढ़ संकल्प है लेकिन अब तक दलितों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वह सरकार दे नहीं रही है। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखना चाहता हूं। मान्यवर, प्रत्येक स्थान पर विकास खण्ड में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को व्यवसायिक दृष्टि से शापिंग सेन्टर बनाये जाते हैं उनमें बहुत घटियां किस्म का मसाला लगाया जाता है और वह जिस स्तर का बनना चाहिए उस स्तर का नहीं बन पाता है और उसकी जो लागत है, लागत में कुछ बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में वाहन क्रय करने के लिए डी० सी० एम० टोयटा व जीप का प्राविधान था और मुलायम सिंह सरकार जो थी उसमें मात्र आटों का प्राविधान किया गया था मैं चाहता हूं कि इसमें जीप को भी सम्मिलित कर लिया जाय।

मान्यवर, अब मैं पेन्शन के बारे में कहना चाहता हूं। पेन्शन की जो सुविधा है उसमें भारी असुविधा होती है महिलाओं को बार-बार दौड़ाया जाता है, वह परेशान हो जाती है और उनको पेन्शन नहीं मिल पाती है। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि ब्लाक मुख्यालय पर ही पेन्शन मिल जाए। मैं एक ऐसी बात बताना चाहता हूं, केन्द्र में बैठे सत्ताधारी लोग ही उसमें सम्मलित है। बछरावां में सत्य अहिंसा बाल विद्यालय चलाया जा रहा है इसको केन्द्र सरकार द्वारा सहायता दी जाती है और राज्य सरकार द्वारा भी धन दिया जाता है। लेकिन जो यहां पर समिति बनी है उसमें उन्हीं के अपने लोगों को रख दिया गया है जिससे उसमें भारी घोटाला है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस घोटाले की जांच होनी चाहिए जिससे जो सुविधा अनुसूचित जाति के लोगों को मिलने के लिए सरकार दृढ़संकल्प है, वह सुविधा उनको मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं माननीया मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समथन करता हूं।

-श्री अमरजीत सिंह जनसेवक-

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे भी इस बजट पर अपने विचार रखने का अवसर दिया। वैसे तो मैं शुरू से बोलने का प्रयास करता रहा परन्तु अवसर नही मिला फिर भी आपने अवसर दिया इसके लिए आभार प्रगट करता हूं। माननीय समाज कल्याण मंत्री जी ने लोक कल्याणकारी बजट को प्रस्तुत किया है मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं और इसके साथ ही साथ कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। मान्यवर बहुत ही संवेदनशील, पहली बार मुझको यह जानकारी मिली कि हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री, मायावती जी ने बजट भाषण के दौरान विकलांग कल्याण विभाग के गठन की बात कही है। विकलांगों के प्रति आप बहुत सवेदनशील है। समाज कल्याण विभाग ऐसा विभाग है जो सारे विभागों से अपनी सम्बद्धता प्रगट करता है। मुझे ऐसा लगा कि शाम तक जब हमारे साथी बोलते बोलते थक जावेंगे तब बोलने का समय मिलेगा, लेकिन फिर भी वह उछाल भरते रहे है।

श्री अध्यक्ष–

आपको पूरा-पूरा समय है।

श्री अमरजीत सिंह जनसेवक–

मान्यवर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। तमाम लोक कल्याणकारी योजनायें है जो दलितों के जीविकोपार्जन के लिए समाज कल्याण विभाग से संचालित है। कब कौन विकलांग हो जाये इसका कोई पता नहीं है? विकलांग की कोई जाति नही होती है।

श्री अध्यक्ष–

इसीलिए विकलांग कल्याण विभाग बना दिया गया है।

श्री अमरजीत सिंह जनसेवक–

मान्यवर, मैं पूर्ण आदर प्रगट करता हूं। विकलांगों की जो आशा जगी है उसी में अपने को सम्बद्ध करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जो विकलांग पढ़ने जाते है जिनके पैर नहीं है तो वह चाहे राजघराने का हो या गरीब घर का हो वह स्कूल तक कैसे जायेगा? बड़े घर के लोग तो उसके स्कूल पहुंचाने की व्यवस्था कर देते है लेकिन जो गरीब है वह किस तरह से जाता है। लगता था जब विधान सभा में आऊंगा तो केवल विकलांगो को ही चर्चा करुंगा, उनको उपयोगी बनाने के लिये विधान सभा में विधेयक लाने व उनके लिये कल्याणकारी योजनाओं को लाने की बातें होगी। मान्यवर, जैसे समाज के अन्य क्षेत्रों में तरक्की हुई है, विकलांगों का भी साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास हुआ है। इसी का परिणाम है कि दो-दो विकलांग इस विधान सभा में सदस्य के रूप में मौजूद हैं।

मान्यवर, अंग्रेजों के जमाने का परिवहन विभाग में सड़ा गला कानून बना हुआ है जिसमें विकलांगों को किसी भी गाड़ी को चलाने का लाइसेंस नहीं दिया जाता है। मान्यवर, यह जनसेवक एक हाथ का है, सदन के बाहर कोई भी गाड़ी चाहे ट्रक हो ट्रैक्टर हो, एम्बेसडर कार हो या कोई भी हो, जहन्नुम को छोड़कर, किसी को कहीं भी ले जाने के लिये मैं सक्षम हूं, हर जगह ले जा सकता हूं। मान्यवर, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, यहां पर परिवहन मंत्री जी मौजूद नहीं है, पुराने परिवहन मंत्री जी हैं, अगर हम कोई गाड़ी चलाते हैं तो यह जो सफेद वर्दीधारी सिपाही है, हमें किसी भी समय जेल में भेज सकता है क्योंकि हमारे पास कोई लाइसेंस नहीं है। मेरा यह मानना है कि विकलांगों को कार्य करने का अवसर दिया जाय वह समाज के सकंलागों से ज्यादा उपयोगी और कारगर समाज के लिये सिद्ध हो सकते हैं। (मेजों की थपथपाहट) इन विकलांगों के लिये लाइसेंस के नियमों में सरलीकरण किया जाय। माननीय परिवहन मंत्री जी आ गये हैं, मेरी व्यक्तिगत रूप से इनसे निकटता है मुझे पूरा विश्वास है कि यह मेरी बात पर गौर कर रहे होंगे। मान्यवर, समाज कल्याण विभाग का यह भी नैतिक दायित्व है कि विकलांगता आगे न बढ़ने पावे इसकी भी रोकथाम हो।

मान्यवर, जब हम छोटे थे गांव में कटिया मशीन में गन्ने को काट करके खाते थे। अंग्रेजों के जमाने से जो कटिया मशीन बनी थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। न मालूम कितने हमारे साथी हैं। जो दिन भर मेहनत करके शाम को कटिया मशीन होती है में करबी लगाते हैं। उस दिन भर की मेहनत के बाद जरा नींद लग जाये और हाथ आगे बढ़ जाय तो दुर्घटना हो सकती है। इसमें सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी व्यवस्था हो। वह कटिया मशीन अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है उसमें कोई विकास नहीं हुआ है। इसके साथ विकलांगों के जिनके दोनों पैर नहीं हैं हाथ नहीं है उनको कृत्रिम अंग लेने में असुविधा होती है। कानपुर में आर्टिफिशियल लिम्ब सेन्टर है, वहां बलिया गोंडा गोरखपुर और न जाने कहां-कहां से साथी आते हैं वहां विकलांगों की बात करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। वे मेरे पास आते हैं, वे किन कठिनाइयों से आते हैं, मैं उन्हें कृत्रिम हाथ व पैर दिलाने में मदद करता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय समाज कल्याण मंत्री जी से कहूंगा कि इस व्यवस्था का भी सरलीकरण करने का प्रयास करेंगे।

विकलांग व्यक्ति लाइन में खड़ा है। बस स्टेशन में टिकट की लाइन लगी हुई है। अब आप अन्दाज लगाइये एक विकलांग व्यक्ति अपनी गांव की पत्नी को विदा कराकर बस में बिठाकर अपनी ससुराल से अपने गांव ले जाना चाहता है और वह यह भी चाहता है कि मेरी पत्नी लाइन में न खड़ी हो क्योंकि उसका स्वाभिमान उससे आहत होता है और वह लाइन में जाकर लग जाता है और पीछे से लोग कहते हैं कि अरे इसे ले लेने दो बेचारा विकलांग है तो उसको कैसा लगता होगा "बेचारा" शब्द सुनकर। मेरा यह मानना है कि नेत्रहीन व्यक्ति अगर कहीं महफिल में हल्ला हो रहा हो और वह व्यक्ति अपना गाना गाना शुरु कर दें तो सारी महफिल शांत होकर उसका गाना सुनने लगती है। मान्यवर, परिवहन विभाग से सम्बन्धित एक मामला है।

श्री अध्यक्ष–

जब परिवहन का बजट आयेगा तब आप उसमें कह लीजियेगा।

श्री अमरजीत सिंह जनसेवक–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे तमाम विकलांग भाई हैं वह पूरी तरह से आशान्वित हैं कि वर्तमान सरकार ने जो यह बजट प्रस्तुत किया है उससे विकलांगों का जरुर कल्याण होगा और मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कल्याण विभाग का गठन किया है, विकलांगो के कल्याण के लिये, जहा पर सेवायोजना कार्यालय है वहां पर एक विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय विकलांगों के लिए खोला गया है।

श्री रमेशकांत लवानिया–

मान्यवर, क्या विकलांगों के लिए कोई विशेष समय आपने दे रखा है?

श्री अमरजीत सिंह जनसेवक–

मान्यवर, आप यहीं सदन में देख लीजिये। मैं कोई मंत्रिमंडल में वरीयता नहीं मांग रहा हूं केवल अपनी बात कह रहा हूं और इसके लिए विकलांग सक्षम है जब भी वह यहां सदन में आयेगा ताल ठोककर के आयेगा उसको किसी की सहायता की जरुरत नहीं है, तो मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि वहां पर अगर कोई विकलांग व्यक्ति बैठा हुआ है तो वह "जाके पैर फटे न विवाई, वो क्या जाने पीर पराई", वह हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है इसलिए वहां पर कोई विकलांग व्यक्ति को बैठाया जाये। मान्यवर, माननीय कुरील जी ने शेर से अपनी बात कही थी मैं भी अपनी बात शेर से ही समाप्त करना चाहता हूं।

"पतझड़ बसन्त की बहार क्या जाने,
जिन्दगी की कहानी मजार क्या जाने,
भार पूछोगे तो बता देंगे डोली का,
दुल्हन की जवानी कहार क्या जाने?"

* श्री दल बहादुर कोरी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समाज कल्याण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं इस बजट पर बल देते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो गरीब बच्चियों की शादी के लिए सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जाती है उसमें कुछ सरलीकरण किया जाना चाहिए स्थिति यह है कि जब जिले के अधिकारी के यहां गरीब लोग, दलित लोग जाते हैं प्रार्थना-पत्र लेकर तो वह सीधे यही कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है।

बजट आ भी गया तो कहा जाता है कि दो हजार एडवान्स में दो, तब जाकर 6 हजार रुपये शादी का अनुदान मिल पाता है। यही नहीं जितने भी दलित वर्ग के बच्चे हैं, स्कूलों में जो समाज कल्याण विभाग के द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पूर्व गर्वन्मेंट में आर बच्चों की छात्रवृत्ति तो पहुंच गई, लेकिन दलित वर्ग के बच्चों की छात्रवृत्ति आज तक नहीं पहुंची है। मान्यवर, इसमें एक परेशानी और आती है, वह यह कि स्कूल का अध्यापक जिस बच्चे से खुश होता है, उसे तो आसानी से छात्रवृत्ति दे देते हैं लेकिन जिस बच्चे से अध्यापक नाराज होते हैं, उसे नहीं देते हैं, इसलिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि डाइरेक्ट छात्रवृत्ति बच्चों के घरों पर डाक से भेजी जानी चाहिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

हमारे रायबरेली जनपद में सलोन विधान सभा के अन्दर मैंने अपनी तरफ से तमाम प्रार्थना-पत्र वृद्धों के, विधवाओं के, विकलांगों के पेंशन हेतु दिये हैं, लेकिन आज तक उनको पेंशन मंजूर नहीं हुई है, अधिकारियों से मिलने पर सीधा जवाब होता है, अभी बजट नहीं आया है। मैं इस संबंध में सुझाव देना चाहूंगा कि जिस जिले को जब बजट भेजा जाय, विधवा, वृद्धावस्था या विकलांग पेंशन के लिये तो कम से कम वहां के जनप्रतिनिधियों को भी बताया जाय कि आपके जिले में बजट भेज दिया गया है, इससे कम से कम हम अधिकारी से जवाब तो ले सकेंगे। मान्यवर, मैं सलोन विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं, वहां आज तक तमाम दलित वर्ग के व्यक्तियों के थ्रेसर में हाथ कट चुके हैं, लेकिन आज तक उनको पेंशन नहीं दी गई है। केवल उन्हीं लोगों को पेंशन दी जाती है, जो कुछ न कुछ पैसा अवश्य देते हैं, इस कुव्यवस्था के ऊपर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हू कि कभी जांच करके, छापा मारकर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ राख्त से सख्त कार्यवाही की जाय। मान्यवर, चूकि शेरों का युग चल रहा है, इसलिये मैं भी दो लाइनों का एक शेर कहकर अपनी बात समाप्त करुंगा–

"सुबह जिन हाथों में फूल देकर आये हैं,
अब उन्हीं हांथों को पत्थर की तलाश है।"

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुये निवेदन करुंगा कि यदि मंत्री आदेश लिखता है और अधिकारी नहीं मानता है तो इसकी भी जांच होनी चाहिये। आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, इसके लिये पुनः आभार व्यक्त करता हूं।

श्री रामजीत भारद्वाज–

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे समाज कल्याण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करते हुये कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरे कुछ साथियों ने कहा कि मैं इंग्लिश में बोलूं "आई वान्ट टू टेल यू", कई साथी अंग्रेजी का विरोध कर रहे हैं। इसलिये मैं हिन्दी में ही बोलूं जिसको सभी लोग समझ सकें। साथियों की इच्छा किसी सरी जगह में अंग्रेजी में भाषण देकर पूरा कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

आपको फिर हिन्दी में अनुवाद करना पड़ेगा।

श्री रामजीत भारद्वाज–

तो मान्यवर मैं कहना चाहता हूँ कि 50 साल के लगभग देश को आजादी मिले होने जा रहे हैं और मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ इसलिए आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहता हूँ, सरकार से अपील करना चाहता हूँ----

तो पिघलती हुई बारुद के अन्दर जिन्दगी और मौत का जिस तरह से संघर्ष होता है, जिन्दगी और मौत के बीच का जो समय रहता है, उसको शायद तमाम अधिकारी और विद्वान साथी नहीं जानते होंगे। भारत माता की एकता और अखण्डता की रक्षा करते हुए जिस तरह से हम लोग जिन्दगी के सुनहरे दिन गंवाते हैं और सोचते हैं कि शासन प्रशासन में हमारी हिस्सेदारी होगी, हमारे परिवार की भलाई होगी, नौकरी चाकरी में हमारे समाज की हिस्सेदारी होगी, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत माता की अस्मिता की रक्षा के

लिए हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं लेकिन जब यहां आकर देखते हैं तो हमारे भूतपूर्व सैनिकों के समाज के लिए यहां पर कुछ नहीं देखते हैं। इसलिए मैं समाज कल्याण मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जरा अपने देश के बारे में देखिये-चाहे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र सभी गवर्नमेंट, वहा की सरकारें भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी-चाकरी में कोटा देती है, यहां तक कि सेण्ट्रल गवर्नमेंट पेन्शन देती है, वहां की प्रोविन्सियल गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से पेंन्शन देती है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि आजादी के 50 साल बाद, जिसके बिना पर हम लोग यहां बैठे हुये हैं, उनके पेन्शन के बारे में नहीं सोचा गया है।

मान्यवर, चूंकि मैं धानापुर, वाराणसी से चुनकर आया हूं, मैं भी पेंशनर हूं। मैंने इस चीज को देखा है इसलिए कह रहा हूं, पेन्शन आफिस में आप चले जाइये, वहां का क्लर्क जब तक घूस नहीं ले लेता है तब तक पेन्शन नहीं देता। पेंशन के लिए बेचारे दर-बदर भटकते रहते हैं, इस ओर ध्यान दिया जाये। माननीय अध्यक्ष जी, इस बात को जरा सरकार से कहिये कि सरकार भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी-चाकरी में कोटा दिलाये और जिस तरह से अन्य प्रोविन्सियल गवर्नमेंट पेंशन देती हैं, यहां की प्रोविन्सियल गवर्नमेंट भी भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन दे।

दूसरी बात कहना चाहता हूं। यहां हम 50 साल से समाज कल्याण की बात करते आये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पूंजी का सेण्ट्रलाईजेशन 4 प्रकार से होता है। नौकरी-चाकरी, व्यापार, धरती, मठ-मन्दिर और इस सारे सिस्टम में गरीबों, मजलमों की भागीदारी नहीं है। जो पूंजी का श्रोत है और हम लोग गरीबी हटाने की विडम्बना पूर्ण बात करते हैं। आप गरीबों और दलितों की बात करते हैं। हमारे यहां बसखोर हैं, हमारे माननीय ऊदल जी ने कहा कि बनवासी हैं, जो यहा के हुक्मरान थे, जिनके हाथ में सारी चीजें थी। लेकिन आज वह दर-बदर की ठोकरें खाते नजर आते हैं। जब उन्हें पट्टा या घर बनवाने की बात की जाती है तो कहा जाता है कि यह तो यहां से वहां और वहां से यहां आने जाने वाले लोग हैं। मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र चहनिया, बलुआं में बड़ी तादात में बसखोर और बनवासी हैं, उनके लिए समुचित व्यवस्था की जाये और उनके लिये भी निर्बल आवास बनवाया जाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर समाज का कल्याण चाहते हैं, जहां से पैसा वसूल कर के यहां लाते हैं और बजट पास करते हैं, यह पैसा फिर वहीं अधिकारियों के पाकेट में रिर्टन हो जाता है। यह गोरख धंधा कब तक चलायेंगे? कब तक यहां बैठे-बैठे समाज कल्याण की बात करेंगे। अगर आप वाराणसी समाज कल्याण कार्यालय में देखिये तो वहां का यह नजारा है जब तक 100-100 रुपये नहीं ले लेते हैं तब तक फार्म नहीं जमा करते। समाज कल्याण की बात यहां की जाती है लेकिन जब तक नीयत और नीति साफ नहीं होगी तब तक समाज कल्याण का जो प्रोग्राम चल रहा है वह सफल नहीं होगा।

मान्यवर, मैं सकलडीहा का रहने वाला हूं। हमारे यहां आंगनबाड़ी कार्यक्रम चलता है, बच्चों को जो पौष्टिक आहार दिया जाता है, सम्पन्न लोग उसको खरीद कर अपने गायों और भैंसों को खिलाते हैं, मान्यवर, यह मैं सच कह रहा हूं। आज चाहे जिस संसाधन से पैसा आ रहा है फिर उन्हीं लोगों के पाकेट में वापस चला जा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से पुरजोर अपील करुंगा कि इस चीज को जरुर देख लीजिए नहीं तो सुविधा भोगी समाज, यहां बैठकर दलितों के नाम और समाज कल्याण के नाम पर लाभ लेता रहेगा। समाज का दलित

वर्ग आज तक अपनी जगह बरकरार है। वनवासियों की बस्तियों में, चमारों की बस्तियों में 80 प्रतिशत हमारी विधान सभा में चमारों की बस्ती है, उनके नाम दूसरे बड़े भाइयों के यहां बिजली जल रही है।

समाज कल्याण आप करने आये हैं। इसलिए श्रीमन् मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी से कि जब तक वह अपने अधिकारियों के रवैये की, उनकी कार्य-प्रणाली की छान-बीन नहीं करेंगे और जब तक सही आदेश नहीं देंगे तब तक जो हम यहां पर यह बजट पास करते हैं, इससे गरीबों का उत्थान होने वाला नहीं है। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं परन्तु एक बात पर पुनः बल देते हुए कहना चाहता हूं कि बसखोर व बनवासी जातियों के लिए जैसा कि हमारे एक साथी ने कहा, मैं लार्ड कार्नवालिस की बात नहीं कहना चाहता हूं, 1872 से लेकर 1952 तक जो क्रिमनल ऐक्ट था, उसमें जिन-जिन जातियों को रखा गया था उसमें एक राजभर जाति भी थी 1952 से पहले इस राजभर जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया था लेकिन बाद में इस जाति से कोई नेता के न रहने से, बगैर इस जाति से पूछे, बगैर सर्वे कराये, इसे बैकवर्ड में डाल दिया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस जाति के स्थिति समाज में अनुसूचित जन जाति से भी बदतर है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस जाति को भी अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रख दिया, जैसे पहले इसकी व्यवस्था थी। आप इसका सर्वे करा लीजिए। अगर आप वाकई में समाज के कल्याण की वकालत करना चाहते हैं तो सही तरीके से समाज की वकालत करनी चाहिये। आज शेरों का माहौल चल रहा है, इसलिए मैं भी एक शेर कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं– "आंख जितना देखती है, रूप का अंकन नहीं है, उम्र चढ़ती धूप का विस्तार है, दर्पण नहीं है। देखने के बाद जो भी अनदेखी है, वह रूप है, देखना तो दृष्टि का व्यापार है," दर्शन नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री हरि शंकर तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, श्री राम विशुन आजाद जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं और एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है या अन्य जो पेंशनें हैं, जिन्हें ये दी जाती हैं, उन्हें तमाम असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। कई माननीय सदस्यों ने अपनी भावनायें भी व्यक्त कर दी हैं और अपेक्षा भी की होगी कि जब वह अपना प्रत्युत्तर देने के लिए खड़े हों तो वह इसका भी उत्तर दें। आये दिन तमाम शिकायतें इस संबंध में आती है। यदि वास्तव में माननीय मंत्री जी इन पेंशन धारकों को उत्पीड़न से बचाना चाहते हैं तो इन सभी पेंशन धारकों को सीधे चैक के माध्यम से पेंशन दी जाय। हमारे एक साथी बोल रहे थे कि जो विद्यालय हैं और जो सेक्शन विद्यालय हैं, जिनका संचालन आप कराते तो हैं परन्तु उसके संचालन हेतु प्रशासन में जो व्यवस्था विद्यमान है, उसमें कहीं न कहीं जरूर त्रुटि है।

जो उसमें सेक्शन छात्र हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इसके बारे में आपके माध्यम से माननीय समाज कल्याण मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि सेक्शन विद्यालयों के प्रशासनिक ढांचे को चुस्त दुरुस्त करने की व्यवस्था करें ताकि वहां पढ़ने वाले छात्रों को लाभ

मिल सके। मैं पुनः भाई राम विशुन आजाद जी द्वारा रखे कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं बल देने का कारण विभाग की बजट की आलोचना करना और उसमें हो रहे अपव्यय को रोकना है और उसका सही माने में उपयोग हो इसलिये यह कटौती प्रस्ताव रखा है जिस पर मैं बल देता हूं।

श्री गया चरण दिनकर–

मान्यवर, आपने माननीय समाज कल्याण मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अमूल्य समय दिया हैं इसके लिये आपका आभार प्रकट करता हूं। मुझसे पहले सम्मानित विधायक साथियों ने समाज कल्याण विभाग द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसके विभिन्न मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा की। मैं भी कुछ खास खास बिन्दुओं पर चर्चा करुंगा। समाज के निर्बल, शोषित और आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुये लोगों के कल्याण के लिये समाज कल्याण विभाग सर्वोपरि भूमिका निभाता है। समाज में जो शैक्षिक आधार से गिरे हुये हैं, सामाजिक आधार से जो पिछड़े हुये हैं, आर्थिक आधार से जो पीछे हैं उनके उत्थान के लिए इस विभाग द्वारा विभिन्न योजनायें बनाई गयी है।

इस विभाग का शुभारंभ वर्ष 1958 में किया गया था तब से लेकर आज तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों तथा अन्य निर्बल वर्ग के उत्थान के लिये समय समय पर योजनायें चला कर उनके उत्थान का प्रयास किया गया है। आज बहुजन समाज पार्टी की सरकार है इससे पूर्व की सरकारों ने भी समय समय पर इस विभाग के माध्यम से प्रश्नगत पिछड़ें वर्ग के उत्थान के लिये बजट में कमी नहीं की। हर वर्ष इसके लिये बजट रखा गया। मैं नजीर पेश करुंगा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित एक योजना अभी चलाई जा रही है हमारे प्रदेश में जो सर पर मैला ढोने की प्रथा थी उसे समाप्त करने के लिये जो एक घृणित कार्य है इस कार्य को करने वाले को मेहतर कहा जाता है तो उसके उत्थान के लिये उसको इससे छुटकारा दिलाने के लिये स्वच्छकार विमुक्त योजना चलाई है। उनके पुनर्वास के लिए समुचित व्यवस्था करने के लिए योजना चलाई जा रही है उसमें सरकार के माध्यम से जो लाभार्थी हैं उनको 20 हजार रुपया देने की व्यवस्था है। वह 20 हजार की पूंजी देकर विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे चलाने की इसमें व्यवस्था है। मैं बांदा जनपद का रहने वाला हूं जो कुछ वहां हुआ है उसके आधार पर अंदाजा लगा रहा हूं कि ऐसा ही संपूर्ण प्रदेश में हुआ होगा। यह सपा, बसपा, के समय से पहले 1993-94 से संचालित है। तो इन दो वर्षों की उपलब्धियां बता रहा हूं।

बांदा में 1993-94 में कुल 1,111 लाभार्थी बनाये गये, जिनका एक सरकुलर जारी किया गया, वह सरकुलर मौखिक था कि उसमें प्रत्येक लाभार्थी को 20 हजार में से 7 हजार रुपया काट कर दिया गया।

यह पिछली सरकारों की देन है कि 7 हजार रुपया काटकर 13 हजार रुपया उपलब्ध कराये गये। बिल और बाउचर्स आदि सब फर्जी छपवाये गये। कोई ऐसा बैंक नहीं है जिनके माध्यम से इसे चलाया जाता हो। इस सम्बन्ध में कोई ऐसा बैंक नहीं है जहां पहले से दस्तखत कराकर रख न लिये जाते हों। यह सारी योजनाएं फर्जी लोगों और दलालों के माध्यम से चलाई जाती हैं और इसमें लाभार्थियों का वास्तव में आर्थिक शोषण किया जाता

है। इस सम्बन्ध में एक दो नहीं हजारों लोगों द्वारा शिकायतें हमें की गई हैं। मैं पत्र के द्वारा अपनी बात कह सकता हूं न्याय दिलाने के लिए अनुरोध कर सकता हूं। पत्र के द्वारा जहां लिखा गया, वहां मात्र डाक्यूमेंटस की जांच की जाती है। अभिलेखों में फर्जी है सिग्नेचर यह कभी नहीं जांचा जाता है कि रिकार्डस के आधार पर कभी यह नहीं कहा जा सकता है कि उनको पैसा नहीं दिया गया है, किन्तु भौतिक सत्यापन भी नहीं किया जाता है। यह कभी नहीं देखा जाता है कि लाभार्थी के पास धन और पूरा धन या सामग्री पहुंची है या नहीं। इस चीज की ओर भी ध्यान नहीं दिया जाता है।

एक केस नगर कोतवाली, बांदा में मैंने दर्ज कराया था इसी आधार पर, किन्तु उस मामले में अभी तक अभियुक्त हिरासत में नहीं लिये जा सके हैं और न जेल भेजे जा सके। जब ठीक से इसे कार्यान्वित नहीं किया जाएगा तो दलितों और पिछड़ों को इसका लाभ कैसे मिल सकेगा जैसे समाज कल्याण विभाग द्वारा जो आर्थिक धनराशि देने की योजना है– नान शेड्यूल्ड कास्ट्स के व्यक्तियों द्वारा जब कोई शेड्यूल्ड कास्ट्स का व्यक्ति मारा जाता है तो उसके आश्रित परिवार को एक लाख रुपया देने का प्राविधान है। यह सब मेरी समझ में नहीं आता है कि जिन लोगों के पास पूंजी नहीं है, उनको कागजों पर ऋण देकर जीवन पर्यन्त के लिए और पीढ़ियों के लिए कर्जदार बना दिया जाए। यह उससे भी बढ़कर उन पर भीषण आघात है। इसमें पुरानी सरकारों की तरह इनका रिपीटेशन न किया जाए, इन योजनाओं को उसी तरह से चलाने का प्रयास न किया जाये। हमारे पास ऐसे तमाम उत्पीड़न सम्बन्धी सवाल है।

श्री अध्यक्ष –

दिनकर जी अब आप समाप्त करें।

श्री गया चरण दिनकर –

ऐसे भी मामले संज्ञान में आये हैं, समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रचारित किया जाता रहा है कि इस विभाग द्वारा, उत्पीड़ित और शोषित व्यक्तियों के उत्थान के लिए आर्थिक व्यवस्थाएं की जायेगी और उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था की जायेगी किन्तु ऐसे लोगों को कब तक सरकार पर निर्भर रहना पड़ेगा आज जिन दलित और कुचल लोगों पर उत्पीड़न होता है, जिन पर अत्याचार होते हैं और जिनको मार दिया जाता है, उनको शस्त्र लाइसेंस देने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है, उनके संरक्षण के लिये कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं की गयी है। समाज कल्याण विभाग का उत्तरदायित्व यह भी है कि उनके संवर्धन और संरक्षण की समुचित व्यवस्था की जाये। जिन लोगों के विरुद्ध एस० सी० एण्ड एस० टी० एट्रोसिटी ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमें पंजीकृत है और 40-40 साल से केस दर्ज है, फिर भी उनको ही शस्त्र लाइसेंस दे दिये गये हैं। यह शस्त्र आदमी की अपनी रक्षा के लिये होते है दूसरों पर अत्याचार करने, उनको मारने और उनको धमकाने के लिये नहीं होते है। जिन लोगों ने निर्दोष लोगों की हत्या में उसका प्रयोग किया है, ऐसे शस्त्र लाइसेंस कायदे से जब्त कर लिये जाने चाहिए। अब समय नहीं है, इसलिये मैं माननीय समाज कल्याण मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट को समर्थन देते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

* श्री योगेन्द्र कुमार सागर –

मान्यवर, आपने मुझे समाज कल्याण के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। मैं इस बजट पर अपना बल देते हुए अपनी कुछ बात रखूँगा। मान्यवर, मैं यह पूरी आशा करता हूँ....

(समय 6 बजकर 25 मिनट)

मान्यवर, मैं यह पूरी आशा करता हूँ कि यह नई सरकार है और समाज कल्याण विभाग द्वारा दी गयी जो योजनायें हैं यह अपनी नीतियों के द्वारा समाज में पहुँचेगी अन्यथा मैं निःसंकोच भाव से कह सकता हूँ कि समाज कल्याण विभाग के बारे में समाज में अच्छा रूख नहीं है आज तक यह लूट विभाग और स्वयं कल्याण विभाग के नाम से विख्यात है। मैं चाहता हूँ कि इसका जो सही नाम है "समाज कल्याण विभाग" तो वास्तव में समाज का कल्याण हो। इस प्रकार की नीति निर्धारित की जाय जिससे समाज में यह कल्याणकारी योजनायें सही तरह से पहुँच सकें। मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि इस विभाग द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाये। जब तक शिक्षा के क्षेत्र में विकास नहीं होगा समाज का सही कल्याण नहीं होगा। अनुसूचित जाति के लोगों के लिये शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाय, उनके रहने के लिये हरिजन छात्रावास बनाने की व्यवस्था की जाय।

मान्यवर, मैं गरीब लड़कियों की शादी की ओर संकेत करना चाहता हूँ। गरीब लोग अपनी लड़कियों की शादी के लिये आर्थिक संकट के कारण बहुत परेशान रहते हैं। इस तरह की अनेक समस्याएं हम सभी विधायकों के सामने आती है और हम समाज कल्याण विभाग की योजना के तहत उनसे सम्पर्क करते हैं कि यह गरीब आदमी अपनी लड़की की शादी के लिये परेशान है, इसे कुछ आर्थिक सहायता दी जाय तो हमें जवाब दिया जाता है कि इस बार बजट में नहीं है, अगले बजट में व्यवस्था करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि यह एक नेक कार्य है और इसके लिये भरपूर बजट दिया जाय। इसके साथ ही जो जनसेवक जो ने कहा, यह स्वयं भुक्तभोगी हैं, उनके हृदय के उद्गार से मैं समझ सकता हूँ। विधवा और विकलांग पेंशन के लिये बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी जाय। हम सभी विधायक अपने क्षेत्र में जाते हैं, घूमते हैं, चल नहीं पाते, दोनों हाथ-पैरों से विकलांग हैं। ऐसे लोग आते हैं और हमारे पैरों पर गिरकर अपनी बात बताते हैं कि हमें पेंशन स्वीकृत करवा दीजिये। एक बार मिली थी बारह सौ रुपये वह भी दलाल ने ले लिये उसके बाद से पेंशन नहीं मिली है। यह कैसी विडम्बना है जो कि वास्तव में इस प्रकार की सहायता का हकदार है उसे उसका लाभ नहीं मिल पाता है। इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराने की आवश्यकता है। हम विधायकों को भी इतना अधिकार देना चाहिए कि हमारे लिखने या संस्तुति कर देने पर भी लेखपाल उसे कुछ नहीं समझता है। नायब तहसीलदार को तो समझता है लेकिन हम विधायकों को कुछ नहीं समझते। विधायकों

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

के संस्तुति करने पर उन्हे पेंशन दी जानी चाहिए, इसके लिये आप अलग से कुछ कोटा विधायकों के लिए रखे कि उनकी संस्तुति पर पेंशन दे दी जाय।

मान्यवर, पेंशन की पेचीदगी को आसान बनाया जाय, जिससे आसानी से जरूरत मन्द लोगों को मिल सकें। जिन लोगों का अग्नि से उत्पीड़न होता है, घर जल जाते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं, ऐसे लागों को आर्थिक सहायता के लिये बहुत ज्यादा मात्रा में तहसील से ज्यादा सहायता नहीं मिल पाती है। हमारे पास आते हैं, समाज कल्याण विभाग में उनके लिये अलग से प्राविधान रखा जाय। इसी तरह से जो घर बारिश से गिर जाते हैं, उन लोगों के मकान बनाने के लिये इसमें प्राविधान रखा जाय।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह समाज से जुड़ा हुआ सवाल है। बहुत से घरों के आगे ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके पास घर बनाने के लिये जगह नहीं है और प्रधान या लेखपाल अपनी संस्था के द्वारा पट्टे पर जमीन देते हैं वह जमीन ऐसी जगह होती है जो गाद से भरकर होती है। विद्युत तार लाइन जिधर से गुजरती है उसके नीचे यह लोग मकान बना लेते हैं जिससे उनकी जिन्दगी के लिये खतरा बना रहता है। वह विभाग से सम्पर्क करते हैं तो विभाग कहता है कि उनके मकान बाद में बने हैं इसलिये इनके खर्चे पर ही इन विद्युत लाइनों को हटाया जा सकता है। समाज कल्याण विभाग अपने खर्चे से ऐसे मकानों जिनके ऊपर से, विद्युत लाइन जा रही है और उसमें रहने वाले लोगों का जीवन खतरे में है, हटवाने की व्यवस्था करे।

श्री अक्षयवर भारती –

मान्यवर, अपने बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मै आपका आभारी हूँ और धन्यबाद देता हूँ। निःसन्देह यह बजट कल्याणकारी बजट है पूर्व की अपेक्षा इसमें बहुत सुधार किये गये हैं। मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ और दो-तीन बिन्दुओं की ओर माननीय समाज कल्याण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस बजट मे महिला कल्याण हैं लेकिन महिलाओं के कल्याण की कितनी व्यवस्था हुई है यह इस प्रदेश में छिपा नहीं है। बजट साहित्य में एक सफाई कर्मी महिला है वह तीस रुपये में वर्षों से काम कर रही है। मेरे क्षेत्र में एक महिला 10 वर्षों से पचास रुपये में काम कर रही है इससे स्पष्ट है कि महिलाओं का कितना कल्याण हुआ है मैं चाहता हूँ कि न्यूनतम मजदूरी की जो राशि है वह पचास रुपये महीने से भी घटी है। एक बिन्दु की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ हम सड़कों की तरफ जाते हैं। मंत्री जी गाड़ी से जाते हैं देखते होंगे कि शौच के लिये महिलायें बैठी होती हैं तो रोशनी पड़ने पर उन्हें बीच में उठना पड़ता है मेरा निवेदन है कि समाज कल्याण विभाग से शौचालय बनवाये जायें।

मान्यवर, बाल विकास के बारे में कहना चाहते हैं हम देखते है छोटे-छोटे बच्चे हमको होटलों में चाय पहुँचाते हैं, पानी पहुँचाते हैं वहीं उनके पढ़ने का समय होता है, लेकिन वह परिस्थितियोंवश या मजदूरी से वह होटलों में कार्य करते हैं। हमें उधर भी ध्यान देना चाहिए। हमारे क्षेत्र में साड़ी बनाई जाती हैं कालीन बनाए जाते हैं उसमें बच्चे लगते हैं उनका

भी विकास करना चाहिए उनके लिये भी कोई योजना बनायी जानी चाहिए। मान्यवर, एक जाति मल्लाह है जिसे मछवार भी कहा जाता है दिल्ली में इसको अनुसूचित जाति के रूप में माना गया है जबकि उत्तर प्रदेश में मल्लाह जाति को पिछड़ा जाति माना जाता है। हम यह नहीं कहते हैं कि आप मल्लाह जाति को अनुसूचित जाति घोषित कर दे हम चाहते हैं कि आप इसे केन्द्र को रिफर कर दें आप केन्द्र सरकार की संस्तुति कर दें केन्द्र सरकार से हम निश्चित करा देंगे।

श्री अध्यक्ष –

समाप्त करें।

श्री अक्षयवर भारती –

मान्यवर, विकलांगों की आयु सीमा जो है वह 18 वर्ष है 18 वर्ष से पहले उनको पेंशन नहीं दी जाती है। 18 वर्ष से आयु घटाकर 5-6 वर्ष कर दी जाये पांच–छः वर्ष से उनको विकलांगता पेंशन दी जानी चाहिए परेशानी तो उनको बचपन से ही रहती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूँ और इस बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ।

* सुश्री मायावती –

मान्यवर, समाज कल्याण से सम्बन्धित विभिन्न योजना एवं कार्यक्रमों पर सदन के माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं यह योजनायें मुख्यतः समाज के पिछड़े, गरीब, शोषित व मजलूम व्यक्तियो की भलाई के लिये बनायी जाती हैं। इन्हीं वर्गों के हित से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं आपकी आज्ञा से सदन के समक्ष कहना चाहूँगी, हमारी सरकार से पहले भी विभिन्न पार्टियों की सरकारें बनी थीं और उन सबके सामने लाटरी की सिंगिल डिजिट योजना के कारण उत्पन्न हो रही कुरीतियों की समस्यायें आयीं किसी भी सरकार ने इसके बारे में कोई कदम नहीं उठाया। यद्यपि लाटरी से प्रदेश सरकार को लगभग 70 करोड़ रुपये की आय प्राप्त होती है। किन्तु सिंगिल डिजिट लाटरी योजना की यहां जिस प्रकार की कुरीतियां समाज में उत्पन्न हो गयी थी और गरीब और मजलूम व्यक्तियों का जिस प्रकार अहित हो रहा था उसके मद्दे नजर रखते हुए हमने इसके बारे में ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया है। इस सदन के अनेकों माननीय सदस्यों ने भी लाटरी की सिंगल डिजिट योजना के कारण समाज में फैल गये व्यसन के विषय में चिन्ता व्यक्त की है। बहुत बड़ी संख्या में लोग विशेष रूप से आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोग इस लत के शिकार बन रहे हैं। निर्धन लोगों द्वारा सिंगल डिजिट लाटरी योजना में पैसा लगने के कारण समाज में कुरीतियां बड़ी हैं और अनेकों परिवार भुखमरी के कगार पर पहुँच गये हैं। इन परिस्थितियों के कारण सम्पूर्ण सामाजिक ढांचे में और जन समुदाय के बीच असहनीय तनाव व्याप्त हो गया है। जो बहुत तेजी से कलह, विवादों एवं हिंसक वारदातों में परिवर्तित हो गया है। जिसके फलस्वरूप

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका उत्पन्न हो रही है। लाटरी की सिंगल डिजिट खोलने की लत अब इतनी बढ़ गयी है कि यह जन जीवन, जन स्वास्थ्य तथा जन सुरक्षा के लिये खतरनाक व घातक सिद्ध हो रही है। उपर्युक्त कुरीति तथा सामाजिक तनाव व हिंसा की आशंका को दृष्टिगत रखते हुये सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश में लाटरी की सिंगल डिजिट योजना को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाये। इस विषय में समस्त जिलों के जिलाधिकारियों को लिखा गया है और उन्हें परामर्श दिया गया कि धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत लाटरियों की सिंगल डिजिट योजना चलाने व उनसे सम्बन्धित योजना घोषित करने को प्रतिबंधित किया जाये। उल्लेखनीय है कि पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा पंजाब में भी लाटरियों की सिंगल डिजिट योजना को प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुझे विश्वास है कि सभी लाटरियों की सिंगल डिजिट योजना को समाप्त करने से प्रदेश भर में जनसामान्य को बड़ी राहत मिलेगी और बहुत बड़ी संख्या में कमजोर वर्ग के वे परिवार जो सिंगल डिजिट योजना के कारण बरबाद हो रहे थे उनको इस बुराई से बचाया जा सकेगा।

श्री प्रमोद तिवारी –

मैं एक स्पष्टीकरण सिंगल डिजिट योजना के बारे में चाहता हूँ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदयनारायण दीक्षित) –

यह तो बहस में माननीया मुख्यमंत्री जी ने इन्टरवीन किया है।

श्री अध्यक्ष –

यह तो मुख्यमंत्री जी ने जो माननीय सदस्य बोल रहे थे उसी में हस्तक्षेप करते हुए अपने विचार रखे। आप कटौती प्रस्ताव पर बोलना चाहते हैं?

श्री प्रमोद तिवारी –

यह वक्तव्य नहीं था। यह इन्टरवेंशन आया है। समाज कल्याण के बजट पर तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री राम कुमार शुक्ल –

मान्यवर, इस बजट पर तमाम बातें सुनने के बाद कुछ बिन्दु ऐसे रह गये हैं जिनके बारे में मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। मैं बाल कल्याण विभाग से सम्बन्धित एक बिन्दु की ओर आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। लखनऊ में और दूसरी जगहों पर, पूरे प्रदेश से चाहे वह स्कूटर की दूकान या कोई और दूकान हो, होटल हो, साइकिल की दूकान हो बाल मजदूर काम करते हुये दिखायी देते हैं। उनकी स्थिति अत्यन्त दयनीय है। स्कूटर मैकेनिक कहता है जाओ 12-13 नम्बर का पेंच ले आओ अगर काम करने वाले बाल मजदूर से जरा भी देर हो गयी तो लात, घूंसे, थप्पड़ उस बाल मजदूर को मिलते हैं। होटल वाला कहता है जाओ बरतन धो लाओ अगर जरा सी भी देर हो जाती है तो बरतन धोने

वाले बाल मजदूर को चांटे, घूंसे और लातें खानी पड़ती हैं, गालियों से बाल मजदूर का स्वागत किया जाता है। आप अंदाजा लगा लें, कि जब यह बच्चे बड़े होंगे तो कैसे नागरिक बनेंगे। वर्तमान सरकार जो महिलाओं की समर्थक है और बच्चों की समर्थक है उससे मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में बहुत बड़ी व्यवस्था होनी चाहिये और कानून बनाकर सभी जिलाधिकारियों को निर्देश देना चाहिये कि अगर कहीं पर दूकानों या दूसरी जगहों पर बाल श्रमिक काम करते हुये पाये जावेंगे तो मालिक को कठोर दण्ड दिया जायेगा तभी जाकर यह प्रथा रुक सकेगी और इस पर अंकुश लग सकेगा।

इसी तरह से अनुसूचित जातियों के छात्रों को वजीफे देने के संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि इस वजीफे में बड़ी दलाली होती है, इसमें बड़े घपले होते हैं। इन घपलों पर अंकुश लगाना चाहिए। फर्जी नामों से वजीफे लेकर दलाल बड़ी कमाई कर रहे हैं। इसपर अंकुश लगना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि छात्रावासों के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पुराने समय से अनुसूचित जातियों के लोगों को गांवों से बाहर बसा दिया जाता था और वह समाज से कटे रहते थे और उनको अछूत समझा जाता था। आज जो हरिजन छात्रावास हैं उनकी हालत दयनीय है। इस प्रकार के छात्रावासों को खत्म किया जाना चाहिये। इन छात्रावासों में जो छात्र रहते हैं उनको सवर्ण छात्रावासों में रहने के लिये व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि उनकी सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक प्रगति हो सके।

* श्री राम विलास आसवान:-

माननीय अध्यक्ष जी, समाज कल्याण विभाग पर जो कुछ रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर समाजवादी जन परिषद पार्टी के माननीय सदस्यों ने अपने जनपद में समाज कल्याण विभाग में होने वाले भ्रष्टाचार के विषय में अपनी जानकारी दी। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने दिल की बात सदन में कह दी। माननीय सदस्य खुलकर कहना चाहते थे लेकिन उन्होंने अपनी बात खुलकर नहीं कही। मान्यवर, अभी माननीया मुख्य मंत्री जी बोल रही थीं। मैं बताना चाहता हूँ कि उनके विभाग में ही आरक्षण का कोटा पूरा नहीं है। माननीय टम्टा जी अभी अपनी बात कह रहे थे उन्होंने कहा कि बाल विकास और महिला कल्याण विभाग में आरक्षित कोटा पूरा नहीं हुआ है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि संविधान के पैरा 15 (4) में और 16 (5) में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के कोटे को पूरा करने की बात कही गयी है।

लेकिन मान्यवर, कोटा पूरा नहीं है इसलिए मान्यवर, आज माननीय मंत्री जी यह घोषणा करेंगे इस सदन में कि आरक्षित कोटा एक सप्ताह में पूरा कर लिया जायेगा। मान्यवर,

* अनुवाद ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

125वीं जयन्ती पूज्य बापू जी की पूरे हिन्दुस्तान में मनाई जा रही है और उसके तहत आज प्रदेश में भी पूज्य बापू जी की जयन्ती मनाई जा रही है। लेकिन मान्यवर, माननीय मंत्री जी पूज्य बापू जी की वर्ष गांठ पर दलितों के उत्थान के लिए और दलितों के विकास के लिए उनको आगे लाने के लिए कोई ऐसी योजना, नई योजना नहीं लाये हैं कि जिससे दलित तबके के लोग बापू जी की याद कर सके कि बापू जी के हृदय में जो दलितों के प्रति हमदर्दी थी आज उनका सपना पूरा हुआ। कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि अम्बेदकर ग्राम योजना के लिए जिन गांवों का चयन हुआ है उन गांवों में दलितों के विकास के लिए उत्थान के लिए ऐसी योजना नहीं चलाई गयी, जो भी योजना चल रही है, इंदिरा आवास योजना चल रही है अब इसमें लाभ सीधे लाभार्थी को मिलना चाहिए लेकिन वहां पर ब्लाक स्तर से ग्राम पंचायत अधिकारी के द्वारा इंदिरा आवास बनवाये जाते हैं उसमें भी जो दलित तबके के लोग हैं जिनका चयन किया जाता है उनसे 2000 रुपये तक घूस ले लिया जाता है तो इस तरीके से अधिकारी और कर्मचारी दलितों को लूटते हैं और उनका शोषण करते हैं तो योजना बनाने से काम नहीं चलेगा और न ही उससे कोई विकास होगा जब तक उस योजना को अमली जामा न पहनाया जाय।

मान्यवर, थारू जनजाति परियोजना में विशुनपुर विश्राम खण्ड में 36 ग्राम सभायें हैं थारुओं की, जिनकी आबादी लगभग 30 हजार के आसपास है जब कांग्रेस की सरकार थी तो थारुओं के विकास के लिए अच्छी से अच्छी योजनायें चलाई गयी थीं और उनके विकास के लिए अधिक से अधिक बजट दिया जाता था। उनके विकास के लिए गन्ने का बीज, आलू का बीज, सरसों का बीज आदि 90 प्रतिशत अनुदान पर बीज दिया जाता था लेकिन आज स्थिति यह है कि एक नया पैसा अनुदान उनको नहीं दिया जाता है जिससे खेती कर सकें बल्कि उनका शोषण किया जाता है। मान्यवर, जो सड़क बनी हुई है खम्भे लगे हुए हैं, तार लगे हुए हैं वह टूट रहे हैं उनकी मरम्मत के लिए पैसा नहीं है तो मान्यवर, थारू विकास के लिए जो बजट रखा गया है वह बहुत कम है इसका और बजट माननीय मंत्री जी बढ़ा दें तो उनका विकास होगा। मान्यवर, अनुसूचित जाति के गांवों का पूरे प्रदेश में माननीय मंत्री जी सर्वे करवा लें, जहां अनुसूचित बाहुल्य ग्राम हैं, जनजाति बाहुल्य ग्राम हैं उन अनुसूचित बाहुल्य ग्रामों के पेयजल योजना के लिए इंडिया मार्क–2 लगाने हेतु अलग से बजट दे दें जिससे कम से कम जो सरकार की मंशा है दलितों के उत्थान के विकास की, वह मंशा पूरी हो सके और उसका लाभ उन्हें मिल सके। आप अनुसूचित जाति के उन गांवों का सर्वे करवा लें, क्योंकि हम लोग जब जाते हैं तो लोग कहते हैं कि पेयजल नहीं है।

माननीय मंत्री जी घोषणा करें कि अनुसूचित जाति और जनजाति बाहुल्य वाले ग्रामों का सर्वे कराया जायेगा और उनके लिये अलग से बजट दिया जायेगा, जब ऐसा किया जायेगा तभी शासन की मंशा पूरी होगी।

मान्यवर, अनुसूचित एवं अनुसूचित जन जाति के विकास के लिये आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में द्वितीय वर्ष 1993-94 में मैदानी क्षेत्रों में 108.00 लाख रुपये तथा पर्वतीय

क्षेत्रों में 26.40 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गयी। वर्ष 1998-99 में मैदानी क्षेत्रों में 286.81 लाख रु० तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 2272.65 लाख रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री राम विशुन आजाद–

तो मान्यवर, इस तरह से जितना रुपया दिया गया है, उससे अनुसूचित जातियों और जन-जातियों का विकास नहीं होगा। आज मंत्री जी घोषणा कर दें.....

श्री अध्यक्ष–

आप समाप्त करें।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, एक मिनट और दे दें। मान्यवर, निजी लाटरियों की समाप्ति से ही दलितों का कल्याण नहीं होगा, जब तक सरकारी लाटरी को भी नहीं बन्द किया जायेगा।

इन शब्दों के साथ में अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, समाज कल्याण के बजट के बारे में कुछ कहने के पूर्व मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रति बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने ऐसे मौके पर समाज के कमजोर तबके के लोगों की कठिनाइयों और परेशानियों के बारे में ध्यान दिया है। उनकी परेशानियों के बारे में सदस्यगण चर्चा कर रहे थे और सही मायने में और सही समय में माननीय मुख्य मंत्री जी ने लाटरी की समाप्ति की घोषणा की है और यह घोषणा शोषित लोगों के लिये वरदान सिद्ध हुआ है, इस मौके पर मैं उनको बधाई देता हूँ। मान्यवर, समाज कल्याण विभाग इस प्रदेश में रहने वाले समाज के कमजोर लोगों की सुविधा और उनकी समस्याओं के समाधान का कार्य कर रहा है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो और चाहे रोजगार का क्षेत्र हो या व्यवसाय का क्षेत्र हो। इन तमाम चीजों के लिये पिछड़ा वित्त विकास निगम, अनुसूचित जाति तथा जन-जाति वित्त विकास निगम, अल्प संख्यक वित्त विकास निगम कार्य कर रहे हैं और वह दलितों के उत्थान के लिये प्रयत्नशील है।.....

हमारे कई माननीय सदस्यों ने विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, किसान पेंशन और विकलांगों को मिलने वाली पेंशन के बारे में भी अपनी बात कही। इसमें अधिकांश पैसा मान्यवर, रिलीज कर दिया गया है और जनपदों को भेज दिया गया है। बहुत शीघ्र ही महीने भर के अंदर सभी पेंशनधारकों को पूरी पेंशन का भुगतान हो जायेगा।

मान्यवर, हम छत्रपति साहू जी की जयन्ती मनाने जा रहे हैं, उस मौके पर कुछ घोषणायें भी करनी है, विभाग के सही संचालन के लिये व्यवस्था जो बनायी है उसकी भी

घोषणा करनी है। अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को जो कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक पढ़ रहे हैं अब शतप्रतिशत उनको छात्रवृत्ति दी जायेगी। (मेजों की थपथपाहट) दो हजार रुपये को और किसान पेंशन स्वीकृत की जायेगी इस बजट का प्रावधान रख दिया गया है। स्वच्छकार मुक्ति पुर्नवासन योजना के अन्तर्गत, हमारे साथी दिनकर जी ने जो सवाल उठाया, बीच में जो भी अनियमिततायें उन्होंने बतायीं, तय कर लिया है कि लाभार्थी सीधे बैंक के माध्यम से अपना चेक लेगा या धन प्राप्त करेगा, बीच में जो फर्म काम करती थी, फर्जी थी, उनका दखल कतई हटा दिया गया है। अनुसूचित जाति के छात्रों की तरह जनजातियों के छात्रों को कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक पूरी छात्रवृत्ति शतप्रतिशत दी जायेगी। फतेहपुर के विधायक जी ने विकलांगों के बारे में बात कही, इस बजट में हमने प्रावधान किया है कि जो पुरुष या स्त्री विकलांग हो शादी आपस में करते हैं तो इन्हें 14 हजार रु० का पुरस्कार दिया जायेगा। (मेजों की थपथपाहट) गरीबी की रेखा से जो नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनके बच्चों के लिये छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है, इसके साथ ही प्रोत्साहन हेतु 1 हजार रु० और दिया जायेगा जो मेधावी छात्र होंगे। आर्वतक अनुदान पर जो विद्यालय चल रहे हैं उनके अध्यापकों के रुके हुए वेतन के बारे में कई सवाल यहां आये। हमने व्यवस्था की है कि जो विद्यालय आर्वतक अनुदान के अन्तर्गत समाज कल्याण से अनुदान मिल रहा है, ऐसे विद्यालयों में जिनमें विवाद है मुकदमें लम्बित हैं, उनको छोड़कर, शेष विद्यालयों के अध्यापकों को 1 अप्रैल, 1995 तक के वेतन का पूरा भुगतान करा देंगे।

सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा जो आज की जा रही है अल्पसंख्यक समाज के जो बच्चे कक्षा 1 से लेकर 10 तक पढ़ते हैं उनको भी हम छात्रवृत्ति देने जा रहे हैं और 10 करोड़ रु० की हमने व्यवस्था की है।

हमारे बहुत से साथियों ने समाज कल्याण, महिला कल्याण और बाल कल्याण के जो कार्य जनपदों में और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हो रहे हैं उसमें अपने ख्यालात जाहिर किये कि उसकी समुचित व्यवस्था नहीं की जा रही है और सही कार्य नहीं हो रहे हैं तो इसमें हमने यह व्यवस्था की है कि एक समाज कल्याण अधिकारी नियुक्त करेंगे उसका पूरा नियंत्रण होगा, दबाव होगा और जो गलत काम करेगा उन्हें दण्डित करने की कार्यवाही की जायेगी। भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस निर्गत कराने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। हमारे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने देश की सेवा में अपनी जवानी गवां दी, उनकी यह शिकायत रहती थी कि इन्हें सार्वजनिक दफ्तरों में सम्मान नहीं मिलता है तो हमने यह आदेश जारी कर दिये हैं कि उनका सम्मान भी भूतपूर्व विधायकों की तरह किया जाये। पेंशन के वितरण में जो भी अनियमितताएं की बात कही गयी है हमने व्यवस्था की है कि हम चेकों के माध्यम से कैम्प लगाकर पेंशन बांटेंगे और हमारे माननीय जन प्रतिनिधि अगर मौके पर उपलब्ध हों तो वह भी उसमें शामिल हों और अपनी मौजूदगी में पेंशन का वितरण करायें।

मान्यवर, जो पिछली सरकारें थीं, अनुसूचित जाति, पिछड़े और दलित लोगों के कल्याण के नाम लेकर आये और उन्होंने काम दूसरों का किया जो उनका हक था वह उन्हें नहीं मिला तो यह सरकार शोषित दलित और पिछड़े वर्ग की सरकार है और इसमें इन्हें [illegible]

के लोग भी शामिल हैं और प्रदेश के गरीब जनता की भावनाएं आंकाक्षाएं और अपेक्षाएं इस सरकार के साथ और इस समाज कल्याण विभाग के साथ जुड़ी हैं उन्हें यह सरकार और यह समाज कल्याण विभाग पूरा करेगा। मेरी वरिष्ठ सदस्यों से प्रार्थना है कि चूंकि यह समाज कल्याण विभाग का बजट है और इसमें निराश्रित, गरीब और कमजोर तबके के लोग हैं, वे उनके हित के लिए आना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेंगे। जब से हमारा यह बजट सेशन चला है चाहे विधेयक हो या प्रस्ताव हो वह सर्वसम्मति से पास हुआ है और मुझे आशा है कि मेरे वरिष्ठ सदस्य मेरी भावनाओं का आदर करते हुए अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय आजाद जी क्या आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री राम विशुन आजाद–

नहीं मान्यवर, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49—महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 51,93,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 79–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 79–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को

चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 77,84,79,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 80– समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग का राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 80– समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,66,48,40,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 81–समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–81– समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखनुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,97,44,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 87–सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 87–सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,95,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान–अनुदान संख्या 22—खेल विभाग, अनुदान संख्या 53—राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, अनुदान संख्या 92—सांस्कृति कार्य विभाग

मद संख्या–8 (6)

माध्यमिक शिक्षा बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 22–खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,49,07,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 53—राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 41,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 92—सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,62,31,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं एक-दो बातें इन विभागों के बारे में संक्षेप में कहना चाहता हूं। खेल विभाग विभिन्न खेल विकास योजनाओं के माध्यम से खेलों के सर्वांगीण विकास हेतु कार्य कर रहा है और इस दिशा में प्रगति भी हुई है। क्रीड़ा प्रतिष्ठानों का निर्माण भी कराया जा रहा है, जनपदों में प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन भी कराया जा रहा है जिससे बालक और बालिकायें लाभान्वित होंगे। आवासीय क्रीड़ा छात्रावास तथा स्पोर्ट्स कालेजों में भी स्पोर्ट्स आदि की व्यवस्था हेतु सुविधायें मुहैय्या करवायी जा रही है। कई अनेक योजनायें खेलों के प्रोत्साहन हेतु सरकार द्वारा चलायी जा रही हैं और मुझे विश्वास है कि इन योजनाओं से खेलों को बल

मिलेगा और हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों का स्तर ऊँचा होगा। इसके साथ ही सांस्कृतिक विभाग में भी कई योजनायें चलायी जा रही हैं जिससे प्रदेश के विभिन्न स्थानों में रहने वाले लोग व उनकी भाषा का समन्वय दूसरे स्थानों में रहने वाले लोगों के साथ हो सके। मुझे विश्वास है कि जब माननीय सदस्य अपने विचार रखेंगे तो विस्तृत रूप से एक-एक बिन्दु पर अपने विचार रखेंगे और रचनात्मक सुझाव देंगे।

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 22—खेल विभाग के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 92—सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

(अनुदान संख्या–53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के बजट मांगों पर कटौती प्रस्ताव नहीं रखा गया)

मान्यवर, तकनीकी रूप से मैंने कटौती का प्रस्ताव रख दिया है। चूंकि माननीय सदस्य गये हैं इसलिये यह अच्छा रहेगा कि उनके विचार इस पर आ जायें।

श्री अध्यक्ष–

हां विचार तोदूसरे माननीय सदस्य रख सकते हैं।

कुँवर रघुराज प्रताप सिंह –

मान्यवर, आपने मुझे इस खेल-कूद के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। हमारे देश की आबादी लगभग 90 करोड़ की है परन्तु दुख के साथ कहना पड़ता है कि ओलम्पिक में गोल्ड मेडल तो छोड़िये ब्रॉंज मैडिल तक हम जीतकर नहीं ला सके हैं। आज जब हमारी टीम बाहर जाती है तो हमारा मखौल उड़ाया जाता है। इसलिए इस विषय पर गम्भीरता से सोचने की बात है और हमें अपनी टीमों के स्तर को उठाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की टीमें जब राष्ट्रीय स्तर पर खेलने जाती हैं तो वहाँ पर भी महाराष्ट्रा, कर्नाटक व केरल जैसे प्रदेश जो हमसे बहुत छोटे हैं, अधिक मैडल जीतकर ले जाते हैं और हमारे प्रदेश को वहाँ पर भी सम्मानजनक स्थान नहीं मिल पाता है। आज प्रदेश में कोई खेल नीति नहीं है। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछली मुलायम सिंह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

यादव जी की सरकार ने स्टेडियम में खिलाड़ियों पर शुल्क लगा दिया। जो गरीब वर्ग के खिलाड़ी वहाँ निःशुल्क खेलने जाते थे, आज उनसे शुल्क लिया जाता है। इसलिये सरकार से अनुरोध है कि उस शुल्क को तत्काल समाप्त किया जाय ताकि गरीब खिलाड़ियों को खेलने व अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सके। इसके साथ ही यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ आज खिलाड़ी का न वर्तमान सुरक्षित है और न भी भविष्य जबकि विदेशों में खेल ही खिलाड़ियों का जीवन-यापन का श्रोत बन जाता है। खेल से ही उन्हें इतना धन मिल जाता है कि उन्हें फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं रह जाती है। इसलिए आज खेल को रोजगार से जोड़ने की आवश्यकता है। एक निश्चित स्तर तक जाने पर खिलाड़ी को रोजगार की गारन्टी सरकार की तरफ से दी जानी चाहिये तभी खिलाड़ियों व खेल का समुचित विकास हो सकेगा। नवजवान प्रतिभाओं को कम उम्र से ही पहचानना होगा और उन्हें आगे लाना होगा। 20-25 साल की उम्र में कोई खिलाड़ी नहीं बनता है। कम उम्र में ही उन्हें पहचान कर उन्हें सही कोचिंग देकर, सही माहौल देकर और पर्याप्त सुविधायें देकर उन्हें खिलाड़ी बनाया जा सकता है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये ताकि हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर व अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के हो सकें।

आज गांवों में युवक मंगल दल हैं, प्राईमरी विद्यालय हैं, हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेज हैं, इनमें खेल का प्राविधान तो है परन्तु सुविधायें बहुत ही सीमित हैं। इसलिए आज इनमें पर्याप्त सुविधायें मुहैय्या करवाई जांय क्योंकि प्रतिभायें गांव से ही निकलती हैं। इसलिए इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। आज स्पोर्ट्स स्टेडियम वहीं बनाने की आवश्यकता है, जहाँ खेल के कद्रदान हों। राजनैतिक आधार पर, जैसा कि मुलायम सिंह यादव जी ने सैफई में स्टेडियम बनाया, स्टेडियम नहीं बनाये जाने चाहिये। इससे खेल व खिलाड़ी दोनो मर्माहत होते हैं। अभी कुछ दिन पहले अखबारों में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ताइक्वान्डो में एक मासूम बच्ची की जान चली गई, ऐसा पर्याप्त सुविधाओं के अभाव के कारण हुआ। आज खेलों को लोग इतना उपेक्षित मानते हैं कि उस पर चर्चा करना भी अपने समय की बरबादी समझते हैं। इसलिए आज खेलों को पर्याप्त सुविधायें देनी होंगी। चिकित्सा शिक्षा का भी खेलों में बड़ा योगदान होता है, इसलिए इस ओर भी ध्यान देना होगा। प्रदेश में लगभग 26 प्रदेश स्तरीय क्रीड़ा संघ हैं इन्हें प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित करने के लिये अन्य प्रदेशों की तरह आर्थिक सहायता दी जाय। प्रशिक्षण शिविरों को पूर्ण सरकार की देखरेख तथा सरकारी सहायता से चलाना चाहिये जो समय से चलें।

डा० रामबाबू हरित–

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे संक्षेप में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं इस बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सरकार से मांग करता हूं कि भारत वर्ष जो कभी संसार में शिक्षा और खेल में सर्वोच्च स्थान रखता था आज

चाहे खेल हो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो उसमें पिछड़ गया है। उच्च स्तर की जहां बात आती है उसमें एकलव्य का ध्यान आ जाता है कोई साधन न होने हुये कोई शिक्षण न होते हुये भी उसने तीरअदांजी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। तो आज चाहे तीर कमान की बात हो या कुश्ती की बात हो हमारे खिलाड़ी पिछड़ रहे हैं। उसका कारण है कि हमारी शिक्षण संस्थाओं में जो खिलाड़ी हैं उनका सही प्रशिक्षण नहीं हो पाता है। हमारे आगरा में एक हनुमान अखाड़ा चलता है जिसमें कुश्ती सिखाई जाती है वहां पर सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिलती है जिसके अभाव में वहाँ के पहलवान अच्छी शिक्षा नहीं पा रहे हैं। मैं मांग करता हूँ कि जितने भी हमारे शिक्षण कालेज हैं उनमें अच्छा प्रशिक्षण दिया जाय इसके लिये उनको सारी सुविधायें दी जांय और जो धन दियां जाय उसका सदुपयोग हो और जो वहां कोच हों वह अच्छे और प्रशिक्षित हो।

श्री हरिशंकर तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी हमारे इस 18 करोड़ की आबादी के लिये जो खेल बजट रखा गया है वह सोचनीय है। मैं माननीय खेल मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि एक पहलवान बहादुर प्रसाद जो दलित जाति का है, देश का एक होनहार पहलवान है वह हमारे प्रदेश और देश का गौरव है। यह बात आपकी जानकारी में होगी यह बहादुर प्रसाद हमारे यहां से धनाभाव के कारण दिल्ली चला गया है उसने वहां जाकर देश का नाम गौरवान्वित किया। आप अध्यक्ष पीठ पर है और हमारे मंत्री जी ने यहां खेल बजट प्रस्तुत किया है यह उनके लिये चिंतनीय बात है। हमारे पास जो बजट पुस्तिका उपलब्ध है उसमें खेल को बढ़ावा देने के लिये, खिलाड़ियों को सुविधा देने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है जिससे खिलाड़ी प्रदेश को गौरवान्वित कर सकें। यहां पर बात आई कि इसमें राजनीतिक दृष्टि से विचार किया जाता है मैं उस पर नहीं जाता हूं। हमारे खेल निदेशक अच्छे खिलाड़ी हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिये खिलाड़ी की भावना से देखना चाहिये हमारे गोरखपुर में जो वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज है उसके लिये कोई सहायता नहीं रखी गयी है। गोरखपुर वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज के साथ हमारे सेंटीमेंट हैं। वहां पर खेल सुविधाओं के अभाव में, साधनों के अभाव में जिन्होंने देश का नाम गौरवान्वित किया है वह वहां छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं। हिरमानी गोरखपुर को छोड़कर मध्य प्रदेश चला गया है। सैय्यद मोदी जो नामी बैडमैटिन का खिलाड़ी रहा है उसकी माँ सुख सुविधाओं के अभाव में मर रही है। वह देश का नाम ऊंचा करते-करते मर गया लेकिन उसे कोई सुविधा नहीं मिली। सैय्यद मोदी को सुरजीत सिंह मजिटिया ने जमीन एलाट की थी उसमें भी शासन उसकी मां को परेशान कर रहा है। उसकी बूढ़ी मां मरने के स्थिति में है कोई सहायता उसको नहीं मिल रही है। जो जमीन उसको सुरजीत सिंह ने एलाट की थी उसके लिये शासन से उसका उत्पीड़न हो रहा है।

गोरखपुर स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ की सुविधा नहीं है जब कि अन्य जगहों पर जहां खिलाड़ी नहीं हैं वहां पर यह सुविधा है। इस माने में हमारा गोरखपुर आज भी विपन्नता की हालत में है। मैं कहना चाहता हूं कि गोरखपुर में रैस्टलिंग, हाकी आदि में अच्छे लड़के हैं उनको कोई सुख सुविधा नहीं है।

वहां एक जनार्दन यादव है जो अपना खेत बेचकर विदेश गया है और देश का नाम किया है आज तक उसे आने जाने का भत्ता नहीं दिया गया है जिससे उसकी हालत चिंतनीय है।

मैं मांग करता हूं कि गोरखपुर में एस्ट्रोटर्फ लगाया जाय ताकि वहां के खिलाड़ी देश का नाम गौरवान्वित कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं श्री रघुराज प्रसाद सिंह द्वारा रखे कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

[समय 7 बजकर 25 मिनट]

*श्री उदयभान सिंह–

मान्यवर, आज के बजट प्रस्ताव का मैं समर्थन करते हुए एक मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे जनपद आगरा के अकोला क्षेत्र में एक स्टेडियम स्वीकृत हुआ था और वह स्वीकृत ही नहीं हुआ था, उसके लिए 10 लाख रुपया भी आवंटित कर दिया गया था। लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय खेलकूद मंत्री को अपनी बात से अवगत कराते हुए, इस बजट का समर्थन करते हुए, अपनी बात को समाप्त करता हूं।

*श्री भैरो प्रसाद मिश्र–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और मैं जनपद बांदा से चुनकर आया हूं। मेरे जनपद के चित्रकूट धाम कर्वी के लिए एक मिनी स्टेडियम स्वीकृत हुआ था, जो मेरे क्षेत्र में आता है और जिसे उप जिला का दर्जा प्राप्त है, उसके लिए पांच एकड़ जमीन भी चित्रकूट इन्टर कालेज के पास प्रस्ताव करके दे दी गई थी, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको भी इसमें शामिल कर लिया जाए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री प्रणतपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। मैं वहां से चुनकर आया हूं, वह क्षेत्र मल्ल युद्ध क्रीड़ा के लिए बहुत ख्याति प्राप्त रहा है। आज से नहीं बहुत पहले से, युगों से इतिहास के पृष्ठों मे इसका नाम रहा है। बलदाऊ जी, वह क्रीड़ा क्षेत्र भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही पड़ता है। मुझे यह कहने में गौरव का आज अनुभव हो रहा है। किन्तु यह कहते हुए खेद भी होता है कि मेरे मथुरा जिले के पहलवानों की बड़ी उपेक्षा भी होती है और होती रही है। वहां का भूतेश्वर अखाड़ा जो है उससे कई नामी पहलवान तैयार होकर निकले हैं, अब भी बहुत अच्छे वहां पहलवान हैं, लेकिन उनकी उपेक्षा हो रही है। मेरे गांव में इस प्रकार के खिलाड़ी हैं, जो उत्तर प्रदेश और भारत में ही नहीं एशियाड में खेले हैं, लेकिन आज उनके लिए कोई सरकारी प्रोत्साहन न होने के कारण, अपनी उपेक्षा से दुखी होकर एक किनारे उपेक्षित पड़े हुए हैं। सरकार ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए मथुरा में एक स्टेडिय स्वीकार करे और वहां के पहलवानों को वह समुचित प्रोत्साहन दे।

*श्री प्रमोद तिवारी–

मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, मुझे केवल दो बात कहनी है। मेरे साथियों ने अपने विचारों को केवल खेलकूद विभाग पर ही केन्द्रित रखा है, इसलिए मैं संस्कृति की ओर थोड़ा ध्यान दिलाते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को विरासत में ऐसी संस्कृति मिली है, जिसमें बहुत तमाम लोक कथाएं और लोक कलाएं जुड़ी हुई हैं। इसमें ऐसे हिस्से हैं, जहां पूरी संस्कृति जन्म लेती है-ब्रज क्षेत्र है और अवध है। विभिन्न वर्षों में सरकार ने इनको संरक्षित ही नहीं किया है, उनके उत्थान के लिए तमाम कदम भी उठाए हैं। हम इन लोक-कलाओं, लोक कथाओं की संस्कृति को मजबूत करने का प्रयास करें। हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि जो लोक कलाएं और लोक संस्कृतियां हैं, वह किसी भी हालत में विलुप्त न होने पावें। इस चीज का पूरा ध्यान रखा जाए। हमने एक रामकथा कार्यक्रम को चलाया था, अब उसमें कुछ नहीं हुआ है। अब सरकार ब्रज भूमि के कार्यक्रम को भी नहीं चला पा रही है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यशभारती पुरस्कार देने के लिए एक समिति बनाई जाए, जो सम्यक विचारोपरान्त निष्पक्ष रूप से इसे दिया करे। हम इस पर विचार करें कि जिनको वह दे रहे हैं, वह इसके योग्य हैं या नहीं अन्यथा सांस्कृतिक विभाग के बारे में इतना ही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, खेलकूद के बारे में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में जो बजट रखा गया है उसके बारे में सदस्यों के सुझाव आये हैं कि यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मैं प्रमोद तिवारी जी से कहना चाहता हूँ कि इस बारे में कुछ न कहें वह तो हमेशा प्रमोदित रहते हैं। मैं चाहूँगा कि वह कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

तिवारी जी आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, अगर बजट चार गुना बढ़ा दें तो मैं कटौती का प्रस्ताव वापस ले सकता हूँ। सांस्कृतिक विभाग का कार्य 4 करोड़ से चलने वाला नहीं है। इसे यह 20 करोड़ कर दें, मैं प्रस्ताव वापस ले लूंगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–22 खेल विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–22 खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,49,07,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 41,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जायें?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान सं०-92 सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रु० कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–92 सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,62,31,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कार्यमंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी बैठक दिनांक 28 जुलाई, 1995 में दिनांक 31 जुलाई से 23 अगस्त, 1995 तक के कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

जुलाई, 1995

31 सोमवार

1— वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2—5.00 बजे अपराह्न

(क) उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् विधेयक, 1995 पर विचार एवं उसका पारण–एक घंटा।

(ख) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार एवं उसका पारण–घंटा

अगस्त, 1995

1 मंगलवार

1— वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2—5.00 बजे अपराह्न

बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय (उत्तर प्रदेश संशोधन और अनुपूरक उपबंध) विधेयक, 1995, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पर विचार एवं उसका पारण–एक घंटा।

2 बुधवार

1— वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2—5.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार एवं उसका पारण–आधा घंटा।

3 गुरूवार	वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
4 शुक्रवार	1— वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2—5.00 बजे अपराह्न उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1995 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण–एक घंटा।
5 शनिवार 6 रविवार	बैठक नहीं होगी।
7 सोमवार	1— वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2—5.00 बजे अपराह्न विधायी कार्य।
8 मंगलवार 9 बुधवार	वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
10 गुरुवार	बैठक नहीं होगी (ईद–ए–मिलाद का अवकाश)
11 शुक्रवार	
12 शनिवार	बैठक नहीं होगी।
13 रविवार	
14 सोमवार	1— वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2—5.00 बजे अपराह्न विधायी कार्य।
15 मंगलवार	बैठक नहीं होगी (स्वतंत्रता दिवस का अवकाश)
16 बुधवार 17 गुरुवार	1— वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
18 शुक्रवार	बैठक नहीं होगी (जन्माष्टमी का अवकाश)

19 शनिवार 20 रविवार	बैठक नहीं होगी।
21 सोमवार 22 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
23 बुधवार	1— वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2—4.00 बजे अपराह्न उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1995 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्यमंत्रणा की सिफारिश से जिसकी सूचना आज माननीय अध्यक्ष द्वारा दी गई है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक, जो प्रस्ताव संसदीय कार्यमंत्री ने सदन में रखा है, से यह सदन सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक—1994 में उ० प्र० विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधित विवरण†

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)—

मान्यवर राज्य में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए पहले राज्य सरकार.....

श्री अध्यक्ष—मद संख्या—9 रखें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित—

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित

---

† कृपया विधेयक के लिये 6-2-95 की कार्यवाही देखें।

जनजाति आयोग विधेयक, 1994 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाए।

श्रीमन् यह इसी आदरणीय सदन द्वारा पहले से पारित है।

श्री अध्यक्ष–

कोई और माननीय सदस्य इस पर अपने विचार रखना चाहते हैं? (किसी सदस्य के खड़े न होने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 1994 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार किया जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–23

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 23 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड 23 रख दिया जाए:

निरसन और अपवाद

23 (1)—उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यादेश, 1995 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संo-11 सन् 1995

(2)—ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के, या उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यादेश, 1994 के या उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (द्वितीय) अध्यादेश, 1994 के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संo-14 सन् 1994 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संo-20 सन् 1994

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री हृदय नरायण दीक्षित–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित और उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 1994 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किए गए संशोधन से सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित और उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 1994 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किए गए संशोधनों से सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1995

माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1995 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किए गए संशोधन पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

इस पर कोई माननीय सदस्य अपनी बात रखेंगे?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

माननीय मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है। उसको मैंने पढ़ा है। उसमें कुछ बिन्दुओं के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। प्रबन्धतंत्र जो रिक्तियां होती हैं उसके बारे में या तो बताता ही नहीं है या फिर समय से नहीं बताता है।

श्री अध्यक्ष–

इसमें यह विचार किया जाना है कि विधान परिषद् से जो संशोधन होकर आया है उस पर विचार किया जाना है। उसके बारे में आप अगर कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। क्योंकि विधेयक तो विधान सभा से पास होने के बाद विधान परिषद् को गया था। अगर विधान परिषद् से जो संशोधन हुए है उन पर कुछ कहना हो तो आप कह सकते हैं।

अब मैं प्रश्न रखता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1995 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–22

प्रश्न यह है कि खण्ड–22 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय?

निरसन और अपवाद

22 (1)—उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1995 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं०-13 सन् 1995

(2)—ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1994 द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे। उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं०-31 सन् 1994

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1995 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों से सहमत है?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक 1995 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम—51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 28-7-95 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 18 सूचनायें प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री बदन सिंह की, उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पेपर आउट होकर नकल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। दूसरी सूचना श्री राजकुमार शिवहरे की, बांदा जनपद के कृषकों पर अनियमित ढंग से लगाई गई सींच एवं अवैध वसूली होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। तीसरी सूचना श्री रंगनाथ मिश्र की, प्रदेश के कालीन उद्योग को खतरनाक उद्योग की श्रेणी में रखने हेतु केन्द्र से सिफारिश करने

तथा कार्यरत श्रमिकों को बंधुआ मजदूर के नाम से सम्बोधित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। चौथी सूचना श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की, आगरा के ताज होटल के कर्मचारियों की हड़ताल एवं भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों की बिगड़ती स्थिति के संबंध में है इस को केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। पांचवी सूचना श्री नरेन्द्र कुमार सिंह वर्मा की, जनपद सीतापुर के महमूदाबाद नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष द्वारा नगरपालिका का सामान वापस न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। छठी सूचना श्री रामकुमार शुक्ला की, लखनऊ नगर की मलिन बस्तियों की सड़कों एवं नालियों की सफाई कराये जाने के संबंध में है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

शेष सभी सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं।

प्रदेश के समस्त असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित करने के संबंध में श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–
उ० प्र० के वित्त सहित मान्यता प्राप्त....

श्री प्रमोद तिवारी–
मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(सदन की सहमति से संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुखदेव राजभर–

[असहायिक माध्यमिक विद्यालय जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, इन विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी 50 से 100 रुपये वेतन पर 20 से 25 वर्षों से बंधुआ मजदूरों की भांति कार्य कर रहे हैं, लेकिन गरीब, किसान, शिक्षकों मजदूरों की नारा देने वाली पिछली सरकार के उपेक्षा पूर्ण नीति के कारण एक भी विद्यालय अनुदानित नहीं किये गये। जिससे इन अध्यापकों एवं उनके आश्रितों की जिन्दगी भुखमरी की ओर पहुंच चुकी है।

भाजपा शासन काल के दौरान वर्ष 1992-93 में 25 माध्यमिक एवं 50 जूनियर हाई स्कूलों को वेतन वितरण अधिनियमों के अन्तर्गत लाने का एक नया प्राविधान किया गया था एवं प्रतिवर्ष इस क्रम में लेने की घोषणा थी।

अतएव उ० प्र० के समस्त असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलि करने की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए शासन से वक्तव्य की मांग करता हूं।

प्रदेश में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए समय-समय पर असहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया जाता रहा है। पिछली बार वित्तीय वर्ष 1990-91 में 200 माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया गया था उसके उपरान्त वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण प्रदेश शासन द्वारा असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर नहीं लिया जा सका है।]

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश में दिनांक 14-10-86 के बाद माध्यमिक विद्यालयों को वित्त विहीन मान्यता दी जा रही है, जिसके अधीन प्रबन्ध तंत्र द्वारा अंशकालिक अध्यापकों की नियुक्ति कर उनका वेतन भुगतान अपने निजी स्त्रोतों से वहन किया जाता है। ऐसे विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिये जाने की शासन की नीति नहीं है। प्रदेश में लगभग 1500 ऐसे विद्यालय होंगे जिनको दिनांक 14-10-86 के बाद हाईस्कूल/इण्टर नवीन/अतिरिक्त वर्ग अथवा अतिरिक्त विषय की वित्त विहीन मान्यता प्रदान की गई है।

दिनांक 14-10-86 के पूर्व 256 ऐसे अशासकीय असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं जिन्हें अनुदान सूची पर लिये जाने की मांग समय-समय पर की जाती है। वित्तीय वर्ष 1992-93 में किसी भी माध्यमिक अथवा जूनियर विद्यालयों को अनुदान सूची पर नहीं लिया गया था औरत ही यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष 25 माध्यमिक एवं 50 जूनियर हाईस्कूलों को वेतन वितरण अधिनियम पर लिया जायेगा। एक असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय को अनुदान सूची पर लिये जाने पर अनुमानित रू० 6.00 से 8.00 लाख प्रत्येक वर्ष अतिरिक्त वित्तीय अधिभार आता है और इस प्रकार 256 अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिये जाने पर लगभग 15 से 20 करोड़ अतिरिक्त वित्तीय अधिभार प्रत्येक वर्ष शासन पर आयेगा जो वर्तमान में कठिन अर्थोपाय की स्थिति को देखते हुए सम्भव नहीं है।

मद संख्या—15

प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान के संबंध में श्री ब्रहमदत्त द्विवेदी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर श्रम राज्य मंत्री का वक्तव्य

श्रम राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री श्याम लाल यादव)–

पेराई सत्र 1994-95 हेतु.....

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)[1]

श्री श्याम लाल यादव–

[प्रदेश सरकार ने शीघ्र पकने वाली जातियों के लिये रू० 70.00 प्रति कुन्तल तथा सामान्य जातियों के लिये रू० 66.00 प्रति कुन्तल गन्ना मूल्य निर्धारित किया था जो न केवल भारत सरकार द्वारा निर्धारित गन्ना मूल्य रू० 39.10 प्रति कुन्तल से अधिक था, बल्कि विगत वर्ष के गन्ना मूल्य से क्रमशः रू० 9.00 से रू० 8.00 प्रति कुन्तल अधिक था। यही नहीं वाह्य क्रय केन्द्रों पर गन्ना आपूर्ति करने वाले कृषकों को गन्ना ढुलाई के लिये कटौती भी रू० 3.00 प्रति कुन्तल से घटाकर रू० 2.00 प्रति कुन्तल किया गया है। गन्ना मूल्य दर में

नोट। [1] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बढ़ोत्तरी किये जाने तथा वाह्य क्रय केन्द्रों पर गन्ना ढुलाई के लिये कटौती की दर घटाये जाने से कृषकों को पेराई सत्र, 1994-95 में रू० 9.00 से रू० 10.00 प्रति कुन्तल अधिक गन्ना मूल्य प्राप्त हुआ है।

2—दिनाँक 15-7-95 की स्थिति के अनुसार प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा लगभग रू० 2510 करोड़ के देय गन्ना मूल्य के विरूद्ध लगभग रू० 2368 करोड़ (94.36 प्रतिशत) का भुगतान किया जा चुका है। इस प्रकार अवशेष गन्ना मूल्य केवल लगभग रू० 142 करोड़ (5.64 प्रतिशत) है।

3—उपरोक्त बकाया में से निजी क्षेत्र की चीनी मिलों का बकाया धनराशि रू० 54.44 करोड़ अर्थात् कुल देय गन्ना मूल्य का 3.75 प्रतिशत है। सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों पर बकाया धनराशि रू० 9.36 करोड़ अर्थात् 1.75 प्रतिशत है। भारत सरकार के उपक्रमों के अधीन चीनी मिलों पर बकाया धनराशि रू० 20.32 करोड़ अर्थात् लगभग 46 प्रतिशत् है जो अवशेष प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक है।

4—भारत सरकार के उपक्रमों के अधीन कार्यरत 4 चीनी मिलों, आनन्द नगर (गोरखपुर) गौरी बाजार (देवरिया), कठकुइयाँ (पडरौना) पडरौना (पडरौना) में से आनन्द नगर चीनी मिल द्वारा पेराई सत्र 1994-95 में पेराई कार्य नहीं किया गया। शेष 3 चीनी मिलों पर ही उपरोक्त वर्णित धनराशि अवशेष है। इन चीनी मिलों द्वारा बकाया धनराशि के भुगतान हेतु भारत सरकार से आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। फिलहाल इन चीनी मिलों के पास उपलब्ध चीनी के बोरों की बिक्री से प्राप्त होने वाली मार्जिन मनी का 85 प्रतिशत धनराशि गन्ना मूल्य भुगतान हेतु आवंटित करके गन्ना मूल्य की वसूली की जा रही है।

5—निजी क्षेत्र की चीनी मिलों में से कुछेक को छोड़कर अधिकांश मिलों द्वारा शीघ्र सम्पूर्ण भुगतान कर दिये जाने की आशा है।

6—सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों के गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति अच्छी है तथा अधिकाँश मिलों ने अपने सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया है जिन चीनी मिलों के ऊमर अभी भी बकाया रह गया है उनसे शीघ्र भुगतान करा दिये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

7—उ०प्र० राज्य चीनी निगम के अंतर्गत चीनी मिलों द्वारा कृषकों के अवशेष गन्ना मूल्य का शीघ्र भुगतान करने के उद्देश्य से शासन द्वारा रू० 20.00 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। अवशेष गन्ना मूल्य के शीघ्र भुगतान हेतु राज्य चीनी निगम को निर्देश दिये जा चुके हैं।

8—प्रदेश के गन्ना किसानों का मूल्य भुगतान कराने हेतु शासन स्वयं प्रयासरत है। उक्त प्रयोजन हेतु चीनी मिलों के गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति की समीक्षा पाक्षिक रूप से की जा रही है तथा चीनी मिलों के ऊपर शीघ्र भुगतान की स्थिति की समीक्षा पाक्षिक रूप से

की जा रही है तथा चीनी मिलों के ऊपर शीघ्र भुगतान करने हेतु दबाव डाला जा रहा है ताकि अवशेष 5.64 प्रतिशत गन्ना पूल्य का भुगतान शीघ्र सम्भव हो सके।

जनपद हरिद्वार में खतरनाक साहसिक ताइक्वांडो प्रतियोगिता के समय एक बालिका की मृत्यु के संबंध में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त एवं सत्यप्रकाश विकल द्वारा नियम-5 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य

समाज कल्याण मंत्री (श्री श्रीराम पाल)–

ताईक्वान्डो प्रतियोगिता का आयोजन.....

एक सदस्य–

यह पढ़ा हुआ माना गया।

(सदन की सहमति से वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री श्रीरामपाल–

[भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० हरिद्वार के सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र, सेक्टर-4 में दिनांक 15 से 17 जुलाई, 1995 को हुआ था। इस प्रतियोगिता के आयोजन की सूचना जिला प्रशासन तथा जिला खेल कार्यालय हरिद्वार को नहीं दी गयी एवं इस प्रतियोगिता के आयोजन में खेल विभाग की कोई भागीदारी नहीं थी। इस प्रतियोगिता की आयोजन कमेटी में निम्नांकित व्यक्ति थे:–

1—श्री प्रदीप कुमार चौधरी, हरिद्वार	चेयरमैन
2—श्री मनोज कुमार त्यागी, हरिद्वार	सचिव।
3—श्री जिमी आर जगत्यानी, सचिव, उ० प्र० ताईक्वान्डो संघ, लखनऊ।	तकनीकी संचालक।

उपरोक्त दृष्टि से उक्त आयोजन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आयोजकों की थी। प्राप्ति सूचना के अनुसार दिनांक 17 जुलाई, 1995 को (समापन दिवस) को प्रातः 9.30 बजे कु० उर्मिला चौहान (आगरा) तथा कु० सैफाली (लखनऊ) का मुकाबला था। मुकाबले के दौरान कु० उर्मिला चौहान की किक कु० सैफाली के गर्दन पर लगने के कारण कु० सैफाली घायल हो गयीं। इस घटना को देखकर कु० चौहान भी सदमें से बेहोश हो गयीं। घटना स्थल पर प्राथमिक उपचार हेतु कोई चिकित्सक उपलब्ध न होना बताया गया है। दोनों खिलाड़ियों के बी०एच०ई०एल० चिकित्सालय हरिद्वार ले जाया गया जहां कु० सैफाली को मृत घोषित कर दिया गया और कुछ दे बाद कु० चौहान को होश आने पर उसे चिकित्सालय से डिस्चार्ज कर दिया गया।

इस घटना के पश्चात् प्रतियोगिता के आयोजक फरार हो गये।

उक्त दुर्घटना के बाद प्रतियोगिता के आयोजक स्थल पर उपस्थित लड़कों ने तोड़-फोड़ की जिसकी सूचना मिलने पर थाना रानीपुर की स्थानीय पुलिस ने तत्काल घटना स्थल

नोट। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पर पहुंच का शान्ति व्यवस्था कायम की। घटना स्थल पर लड़कों द्वारा की गयी तोड़-फोड़ के संबंध में अपराध संख्या-114 ए/95 धारा 147/427/436 भारतीय दण्ड विधान बनाम 8-10 लड़कों नाम व पता अज्ञात थाना रानीपुर में पंजीकृत हुआ। उक्त घटना बारे में लखनऊ-टीम के बीच श्री सैय्यद मो० कमर नसीम की सूचना पर थाना रानीपुर ने अपराध संख्या-114/95 धारा-304 भा०द०वि० बनाम प्रबंधक प्रतियोगिता प्रदीप चौधरी, मनोज कुमार त्यागी एवं जिमी आर जगत्यानी के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त तीनों फरार अभियुक्तों ने दिनांक 8-7-95 को न्यायालय में आत्मसमर्पण करने के उपरान्त अपनी जमानत करा ली है एवं जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार की सूचना के अनुसार इनके विरूद्ध विवेचना जारी है एवं लापरवाही के आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्तों के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया जायेगा।

उपर्युक्त के अतिरिक्त यह भी सत्य है कि कु० सैफली का अंतिम संस्कार उनके माता-पिता द्वारा दिनांक 18-7-95 को हरिद्वार में किया जा चुका है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है। केवल एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी, यह केवल वक्तव्य के लिये था।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, केवल एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ स्पष्टीकरण की परम्परा रही है। जिस लड़की की मृत्यु हुई है उसके बारे में मैंने केवल अखबारों में पढ़ा है। मैं आग्रह करूंगा कि ऐसी जो प्रतियोगितायें होती हैं। उनमें पूरी सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। 11 साल की दुखद मृत्यु हुयी है। वह न जैकेट पहने थी और न वहां पर सुरक्षा के उपकरण थे। मैं सिर्फ इतना निवेदन करूंगा कि भविष्य में जो ऐसी प्रतियोगितायें हों जब तक वहां चिकित्सक न हो तब तक वह आयोजित न की जायं।

जनपद फतेहपुर के क्षेत्र बिन्दकी में पेयजल संकट के संबंध में श्री अमरजीत सिंह जनसेवक द्वारा नियम-5 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पशुधन राज्यमंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या-17

पशुधन राज्यमंत्री (श्री दिशम्भर प्रसाद निषाद) उत्तर प्रदेश विधान सभा की.....

एक सदस्य--यह पढ़ा हुआ माना जाए।

[सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।]

नोट:-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद–

[प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम-51 के अन्तर्गत माननीय सदस्य से निम्न सूचना प्राप्त हुई:–

"विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में जितने हैण्डपम्प इण्डिया मार्क-2 लगे है उनमें 50 प्रतिशत् खराब पड़े है। साथ ही जो क्षेत्रीय विधायक द्वारा हैण्डपम्प प्रस्तावित किये गये है उनको भी नहीं लगाया जा रहा है जिससे गाँव के दलित शोषित किसान मजदूर में त्राहि-त्राहि है खासतौर से लंहगी, गुनीर, अभौरा, रावतपुर रेना दाउदपुर, बकोली, भाऊपुर, पुरानी कटरी, बोधी काडेरा, जमुनिहापुर, बीकमपुर, बड़ाखेड़ा कटरी, चायीखेडा, मीरमऊ भियामऊ, पैगरापुर, मयाराम खेड़ा, रानीपुर, कीचड़पुर, कोडिस गलाथा, शादीपुर, रासपुर, गचौली, डुण्डरा, सुजावलपुर, रूसी, परसेदपुर, मिराई, खरोकी, औसेरीखेड़ा, दिलावलपुर, बिजौली, माधौपुर, जरारा, कुचवारा, मोहद्दीपुर, केसरीपुरवा, आलमपुर, पहाड़ीपुर, नरहामऊ, कृपालपुर, मुरारपुर बिजौली, देवमऊ खेलगांव गोपालपुर, मेहीपुर, पसियापुर, जोगापुर, महमूदपुर, बलुवापुर, हलालपुर, चकमाधोपुर, बरेठर, अइपुर, नरैचा हसेपुर, कारइयाँ, घरहीरखेड़ा, हरदौली डीघ, अकिलाबाद, सिकरोढ़ी, मौहार, बनियनरखेड़ा, शाहजहाँपुर, कोरसम, बहरौली, नन्दापुर, जद्दूपुर, भोरासपुर, रायपुर, खानपुर, रामपुर, कुवरपुर जनता, तेन्दुली, कंसपुर गुगौली-साई, गोधरौली, उमरमहना, रारी रिवाडी इडादीमथुर, खानपुर, ममरेजपुर, महरहा सौह, गहबड़ा खेड़ा, ददवा, कैथाखेड़ा, संसाहीस बूधीकगार, नूरपुर सौना खेड़ा, बानाखेड़ा, करनपुर, पालीखेड़ा, हाजीपुर, गन्धर्वो, बरिगवाँ, पधारा रसूलपुर, रेवाड़ी, रामपुर, नामामऊ पिपरहाखेड़ा, किशुनपुर, किशुनापुर, सकटठनपुर, लावक्सरा सकूरा, विक्रमपुर, खुजहा, बकवरसराय, फरीदपुर, चक्की, कल्यानपुर यादगारपुर, दादनचेड़ा, अहिरनखेड़ा सदान बडानका पुरवा आदि गाँवों में तत्काल भारी पेयजल संकट है।

माननीय सदस्य द्वारा दी गई उक्त सूचना के संबंध में स्थिति यह है कि विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में कुल 1153 हैण्डपम्प लगे हैं जिसमें प्रश्नगत ग्रामों में 662 हैण्डपम्प लगे है जिनमें 14 हैण्डपम्प स्थाई रूप से तथा 26 हैण्डपम्प अस्थाई रूप से खराब है। इस प्रकार लगभग 6% हैण्डपम्प खराब हैं। अस्थाई रूप से खराब हैण्डपम्पों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक कराया जाता है। इस प्रकार प्रश्नगत विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है। नये हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन जिलाधिकारी से प्राप्त, स्वीकृत सूची के अनुसार, माननीय विधायक द्वारा अनुमोदित स्थल पर कराया जाता है। माननीय विधायक द्वारा दी गई उक्त सूचना में इंगित ग्रामों में पेयजल व्यवस्था की स्थिति संलग्न है जिससे स्पष्ट है कि इंगित ग्रामों में पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था है।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी के ग्रामगत ग्रामों में पेयजल व्यवस्था

क्र० सं०	ब्लाक का नाम	ग्राम/पूरवे का नाम	जनसंख्या		स्वीकृत हैण्डपम्पों की संख्या/पाइप पेयजल योजना	अधिष्ठापित है० पम्पों की संख्या	स्थाई खराब हैण्ड पम्पों की संख्या	अस्थाई खराब हैण्ड पम्पों की संख्या
			कुल	अनु० जाति				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मलवा	[illegible]	1971	458	9	10	2	—
2	..	गुनौर	5673	1005	30	24	3	2
3	..	अमौरा	2822	1397	प० अमौरा	6	...	...
4	..	रावतपुर	1408	320	9	6	...	...
5	..	रेना	1458	752	आमैरा पे० यो०	5	...	...
6	..	दाउतपुर	930	181	4	8	...	1
7	..	बकोली	662	71	3	3	...	...
8	..	भाऊपुर	1768	86	10	7	2	...
9	..	पुरानीकटरी	100	...	1	1	...	...
10	..	बोधीका डेर	400	...	2	4	1	...
11	..	जमुनिया पुरवा	200	...	1	1	...	...
12	..	बीकामपुर	889	84	4	5	1	...
13	..	बड़ाखेराकटरी	200	10	...	...	...	...

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	मलवा	चाचीखेड़ा	140	...	...	...	...	...
15	..	घियामऊ	740	162	अमौरा पे० यो०	3	...	...
16	..	पैगम्बरपुरमीरमऊ	1175	107	5	5	...	...
17	देवमई	मायारामखेड़ा	911	91	4	5	...	1
18	मलवां	रानीपुर	698	190	4	4	...	...
19	..	कीचकपुर	398	63	3	3	...	...
20	देवमई	कोटिया	1061	28	5	6	...	...
21	..	गलाया	1680	117	6	6	1	...
22	..	शादीपुर	1315	696	5	6	...	1
23	..	रासपुर	1222	264	5	7	...	...
24	..	गंगचौलीखुर्द	1037	539	4	7	...	1
25	..	डुन्डरा	1411	203	जलाला पे० यो०	2	...	...
26	..	सुजावलपुर	3755	818	16	16	...	2
27	..	रुसी	1122	403	मुसाफा पे० यो०	4	...	...
28	..	परसदेपुर	1300	375	6	7	...	1
29	..	मिराई	1815	127	9	10	...	1
30	..	खरोली	1007	216	4	5	...	...

नोट :–[ ] यह अंश पढा हुआ माना गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	मलवा	औसरीखेड़ा	50	...	1	1	...	...
32	देवमई	जिन्दलपुर	810	275	3	3	...	...
33	..	बिजौली	1265	502	6	6	...	...
34	..	माधोपुर	895	295	4	5	...	...
35	..	जरारा	1240	456	5	5	...	...
36	..	कुदुवारा	380	100	...	...	...	...
37	..	मुहीउद्दीनपुर	259	51	आलमपुर पे० यो०	1	...	...
38	..	केसरीपुरवा	560	108	3	2	...	...
39	..	आलमपुर	1198	52	आलमपुर पे० यो०	5	...	...
40	..	पहाड़ीपुर	729	66	6	7	...	1
41	..	नहरामऊ	830	100	4	4	...	...
42	..	कृपालपुर बिन्दा	2090	263	11	11	...	...
43	..	मुरारपुर बिजौली	1175	194	5	6	...	...
44	..	देवमई	6044	1510	26	29	...	2
45	..	भेलगाँव	697	128	4	5	...	...
46	मालवा	गोपालपुर	1250	408	गोपालपुर पे० यो०	7	...	...
47	..	मेहीपुर						

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	देवमई	पसियापुर	100	80	1	1	...	...
49	..	जोगापुर	889	295	6	6	...	...
50	..	महमूदपुर सराय	1306	481	5	5	...	...
51	–	बलुवापुर						
52	देवमई	होलीपुर	407	175	2	2	...	...
53	..	चकमाधोपुर	895	295	4	5	...	...
54	खजुहा	बरेठरखुर्द	1514	320	खजुहा पे० यो०	1	...	...
55	..	अजईपुर	655	185	खजुहा पे० यो०	1	...	...
56	अमौली	नरैचा हसेपुर	377	65	खजुहा पे० यो०	4	...	...
57	मलवां	कोरइया	2218	1191	7	5	...	...
58	..	घरहोरये	389	100	2	1	...	...
59	मलवा	हरदौली	409	...	2	3	...	...
60	..	डीघ	6336	3007	27	28	2	...
61	..	अकिलाबाद	895	232	5	5	...	....
62	..	सिकरोढ़ी	1019	427	रिवाड़ी पे० यो०	8	...	1
63	..	मौहार	6509	1466	मौहार पे० यो०	9	...	1

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	मलवा	बनियनखेड़ा	900	327	जलाल पे० यो०	4	...	...
65	..	शाहजहाँपुर	2666	839	11	9	...	...
66	..	कोरसम	5111	1713	21	21	...	1
67	..	बहरौली	2668	807	15	6	...	...
68	खजुहा	नन्दापुर	1875	623	खजुहा पे० यो०	3	...	...
69	अमौली	जद्दूपुर	782	118	3	5	...	...
70	..	भौजारपुर	608	207	3	4	...	...
71	..	रामपुर	357	201	5	7	...	...
72	मलवा	हसनपुर	350	76	गोपालपुर पे० यो०	2	...	...
73	,,	रामपुर	769	268	रेवाडी पे० यो०	6	...	...
74	,,	कुंवरपुर जनता	2286	816	12	12	...	...
75	,,	तेन्दुले	2244	403	9	7	...	...
76	,,	कंसपुर गुमौली	2412	516	मौहार पे० यो०	5	1	...
77	,,	साई	1898	375	8	8	...	...
78	,,	गोधारौली	2157	386	6	8	...	...
79	,,	उमरपुर गहना	2822	594	11	11	...	1
80	,,	रारीखुर्द	829	355	4	4	...	...
81	,,	इब्राहीमपुर	1017	205	5	5	...	...

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	मलवा	खानपुर	422	284	रेवाडी पे० यो०	2	...	...
83	..	ममरेजपुर	993	328	5	4	...	...
84	..	ममरहा	3036	1041	गोपालपुर पे० यो०	7	...	...
85	..	मौह	1870	538	8	8	1	...
86	..	गहब्बा खेड़ा	400	20	2	2	...	...
87	अमैली	अमैली	1120	323	अमैली पे० यो०	4	...	...
88	मलवां	जफरबद	9056	3134	47	37	...	2
89	देवमई	गोकुलपुर	40	6	...	...	...	...
90	..	शाहपुर	220	80	2	3	...	...
91	मलवां	चुरामनखेड़ा	868	361	4	5	...	...
92	..	गौसपुर	1253	288	गोपालपुर पे० यो०	2	...	...
93	..	दरियापुर	400	20	2	2	...	...
94	खजुआ	लक्ष्मनखेड़ा	100	90	खजुहा पे० यो०	...	...	...
95	..	ददवां*						
96	..	कैथाखेड़ा*						
97	देवमई	कंसाही	510	153	मुसाफ पे० यो०	4	...	...
98	..	बूथीकगांर*						
99	मलवां	पूनपुर	200	60	1	1	...	...

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	मलवां	सौनाखेड़ा	624	227	3	3	...	...
101	..	भवनाखेड़ा	134	10	1	1	...	...
102	..	करनपुर	1105	...	मौहार पे० यो०	3	...	...
103	..	पलीखेड़ा	350	150	2	1	...	...
104	देवमई	हाजीपुर	664	196	3	3	...	...
105	..	गर्दनि	990	433	5	5	...	...
106	..	हरिगवां	1968	796	13	13	...	...
107	..	पधारासूलपुर	2932	841	जलाला पे० यो०	11	...	...
108	मलवां	रेवाड़ी खुर्द	1245	142	रेवाडी पे० यो०	5	...	...
109	..	रामपुर	861	22	4	5	...	...
110	..	नामामऊ	1393	187	8	7	...	...
111	देवमई	पिपरहा खेड़ा	229	65	1	1	...	...
112	मलवां	किशुनपुर	230	1	रेवाडी पे० यो०	2	...	...
113	..	सकटठनपुर*						
114	देवमई	लाक्सरा सकूरा	428	50	3	3	...	...
115	मलवां	बिक्रमपुर	889	84	4	5	...	...
116	खजुहा	खजुआ	4236	108	खजुहा पे० यो०	3	...	...

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	देवमई	बकेवलसरायं	1068	14	4	4	...	...
118	खजुहा	फरीदपुर	1200	287	5	5	...	...
119	मलवां	चक्की	3471	1556	14	11	....	1
120	..	उमरीकल्यानपुर	2171	20	5	1	...	...
121	..	यादगारपुर	869	252	मौहार पे० यो०	3	...	...
122	..	दंदनखेड़ा	450	37	3	3	...	...
123	..	अहिरनखेड़ा	200	50	1	1	...	...
124	..	सदान बड़ान का पुरवा	210	8	1	1	...	...
		योग,				552	662	14 26

* पर दर्शाये गये 6 मजरों के नाम अभिलेखों में नहीं मिल रहे है जिन्हें क्षेत्र से मालूम करके अवगत कराया जा सकेगा।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं 31 जुलाई, 1995 को 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 50 मिनट पर सोमवार दिनांक 31 जुलाई, 1995 दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊः 28 जुलाई, 1995

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये ता० प्र० सं० 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 28 पर)

निजी क्षेत्र में दी गई परियोजनाएं–

जिन डीजल /जल-विद्युत /तापीय विद्युत गृहों के समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हो चुके हैं उनका विवरण क्रमशः निम्नवत् है:–

क्रम-संख्या	कम्पनी	स्थान क्षमता (मे० वा)	दर (के० डब्लू एच०)	समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित की जाने की तिथि
1	2	3	4	5
डीजल				
1	मै० /डालमिया ब्रदर्स प्राई० लि० नई दिल्ली	सिकन्दराबाद (बुलन्दशहर) (100)	रु० 2.49	30-1-95
2	मै० /डालमिया ब्रदर्स प्राई० लि०	पनकी (कानपुर) (100)	रु० 2.55	30-1-95
3	मै० धामपुर सुगरमिल्स, लि० नई दिल्ली	कोसीकला (मथुरा) (60)	रु० 2.55	30-1-95
4	मै० /यूनिसन पावर लि० नई दिल्ली	अलीगढ़ (100)	रु० 2.55	4-2-95
5	मै /ग्लोबल वोर्डस लि० बम्बई	मुरादाबाद (100)	रु० 2.55	4-2-95
6	मै० /इंडियन पावर पार्टनर्स नई दिल्ली	चंदौसी (रामपुर) (100)	रु० 2.55	4-2-95
7	मै० /सुभाष प्रोजेक्ट्स मारकेटिंग लि०, नई दिल्ली	मुजफ्फरनगर (100)	रु० 2.55	4-2-95
8	मै०/एनपो इंडिया लि०, नई दिल्ली	गजरौला (100)	रु० 2.55	4.2-95

1	2	3	4	5
9	मै०/मोढ़नी मिरलैस ब्लैकस्टोन लि०, नई दिल्ली	साहिबाबाद (गाजियाबाद) (100)	रु० 2.55	4-2-95
10	मै० आर० पी० जी० इंडस्ट्रीज लि० कलकत्ता, ग्रेटर नोएडा (100)		रु० 2.55	4-2-95
11	मै०/डालमिया ब्रदर्स प्राई० लि० नई दिल्ली	काशीपुर (नैनीताल) (100)	रु० 2.55	23-3-95
12	मै० कंट्रोलैर्स एण्ड स्वीवगेयर कंपनी लि०, नई दिल्ली	सहारनपुर (100)	रु० 2.55	23-3-95
13	मै० गुजरात फ्लोराकैमिकल्स लि०, नई दिल्ली	बनारस (100)	रु० 2.55	23-3-95
14	मै०/ गिन्नी फिलामेन्ट्स लि०, नई दिल्ली	लखनऊ	रु० 2.55	22-3-95

जल–विद्युत

1	मै०/ जयप्रकाश इंडस्ट्रीज लि०, दिल्ली	विष्णु प्रयाग (चमोली) (4×100)	अभी तय नहीं हुई	14-10-92
2	मै० डंकन एग्रो इंडस्ट्रीज, कलकत्ता	श्रीनगर (टिहरी) (6 ×55)	तदैव	27-8-94

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
बर्मल				
1	मै०/ इण्डोगल्फ फर्टीलाइजर्स एण्ड केमीकल कारपोरेशन, लि०, जगदीशपुर।	रोजा (शाहजहाँनपुर) (2 ×250+1×250)	तदैव	17-11-93
2	मै० /पैसेफिक इलेक्ट्रिक पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन, कनाडा।	जवाहरपुर (एटा) (2×400)	तदैव	17-11-93

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 12 का उत्तर पीछे पृ० 38 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1995 के दूसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं० 12 उत्तर का संलग्नक

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी भवन मानचित्रों का विवरण

क्र०	माह		प्राप्त	स्वीकार	अस्वीकार	निस्तारित
1	दिसम्बर,	93	78	29	40	69
2	जनवरी,	94	72	37	42	79
3	फरवरी,	94	60	37	39	76
4	मार्च,	94	73	21	50	71
5	अप्रैल,	94	70	23	43	66
6	मई,	94	49	16	36	52
7	जून,	94	56	19	20	39
8	जुलाई,	94	52	15	18	33
9	अगस्त,	94	46	17	21	38
10	सितम्बर,	94	60	16	21	37
11	अक्टूबर,	94	60	34	38	72
12	नवम्बर,	94	60	31	32	63
13	दिसम्बर,	94	57	30	43	73
14	जनवरी,	95	65	23	30	53
15	फरवरी,	95	55	27	21	48
16	मार्च,	95	71	32	45	77
	योग		984	407	539	946

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 15 का उत्तर पीछे पृ० 39 पर)

दिनांक 04-12-93 से 22-3-95 तक जिन-जिन निर्माण कार्यों में विचलन हुआ है, की तालिका

क्रम-सं०	कार्यों का नाम जिस पर विचलन हुआ
1	बाल्मीकि कुन्ज बी ब्लाक के अन्तर्गत 288 तीन मंजिलें व 208 चार मंजिले भवनों के मध्य कार्य।
2	इन्दिरापुरम योजना में 20 एच० आई० जी० (दो मं०) एवं विकास कार्य
3	.. .. 40 एच० आई० जी० (चार मं०)
4	.. .. 96 एम० आई० जी०–3 ग्रुपों में
5	.. .. 128 एम० आई० जी०–2 ग्रुप
6	.. .. 160 एम० आई० जी०
7	.. .. 120 एल० आई० जी०
8	.. .. 640 ई० डब्लू० एस०
9	.. .. नीति खण्ड का विकास मार्ग
10	.. .. एच० आई० जी०/एम० आई० जी० भवनों के मध्य विकास कार्य।
11	राजेन्द्र नगर से–2 में पसोंडा स्टैण्ट पर दो बस स्टेण्ड का निर्माण कार्य।
12	लाजपत नगर में 20 एच० आई० जी भवनों का निर्माण कार्य।
13	तुलसी निकेतन में 204 ई० डब्लू० एस० भवनों के मध्य विकास कार्य।
14	इन्दिरापुरम में 600 एच० आई० जी० भवनों का आन्तरिक विकास कार्य।
15	बैशाली में अवशेष सड़कों का निर्माण कार्य।
16	बैशाली में 40/64 रचना भवनों का निर्माण कार्य।
17	बैशाली में एस० डब्लू० ड्रेन का निर्माण कार्य।
18	इन्दिरापुरम में 95 ई० डब्लू० एस० भवनों का निर्माण कार्य।
19	इन्दिरापुरम में सड़क निर्माण कार्य।
20	बैशाली में एस० डब्लू० ड्रेन का कार्य।

क्रम-सं०	कार्यों का नाम जिस पर विचलन हुआ
21	100 एम० आई० जी० भवनों का आन्तरिक विकास कार्य।
22	[illegible] नगर में आर० डी० सी० के अन्तर्गत एच० आई० जी० (डुप्लेक्स भवनों एवं शापिंग सेन्टर का निर्माण कार्य।
23	राज नगर में 40/71 डू०/49 एच० आई० जी० डू० एवं आन्तरिक विकास कार्य।
24	अम्बेडकर रोड का विकास कार्य (कामर्शियल एरिया संजयनगर का विकास कार्य)।
25	इन्दिरा प्रियदर्शिनी में झील का निर्माण कार्य।
26	गोविन्दपुरम में सड़क सं०–1 का कार्य।
27	गोविन्दपुरम में सड़क सं०–बी०सी०डी० में सड़क का कार्य।
28	गोविन्दपुरम में बी ब्लाक में सीवर का कार्य।
29	गोविन्दपुरम में सुविधाजनक शापिंग सेन्टर का निर्माण एवं विकास कार्य।
30	गोविन्दपुरम में ड्रेन एवं सीवर का कार्य।
31	कर्पूरी पुरम में सीवर का कार्य।
32	इन्दिरापुरम योजना में ट्रंक सीवर लाईन का कार्य।
33	इन्दिरापुरम योजना में ब्रान्च सीवर का कार्य।
34	अभय खण्ड में 48 एम० आई० जी० चार मंजिले भवनों का निर्माण कार्य।
35	इन्दिरापुरम योजना में ट्रंक सीवर/बरसाती नाले का कार्य।
36	–नदैव–
37	ग्राम मकनपुर में विकास कार्य।
38	ग्राम मकनपुरम में सीवर लाईन का कार्य।
39	इन्दिरापुरम योजना में ब्रान्च सीवर का कार्य
40	इन्दिरापुरम योजना में ट्रंक सीवर/बरसाती नाले का कार्य।
41	हस्तिनापुरम में सड़क सं०–ए०–1 का निर्माण कार्य।
42	नदैव 4 सी का निर्माण कार्य पार्ट–बी
43	नदैव ,, ,, पार्ट–ए
44	नदैव 3–सी ,, ,,

क्रम-सं०	कार्यों का नाम जिस पर विचलन हुआ
45	हस्तिनापुरम में सड़क 1–2 का पार्ट–ए
46	तदैव 4–सी० ,, ,,
47	नन्दग्राम के डी० ब्लाक में 597 ई० डब्लू० एस० भवनों की मरम्मत का कार्य।
48	शास्त्री नगर योजना में 301 एच० आई० जी० टू० भवनों का निर्माण कार्य।
49	40 फिट चौड़ी रोड को बाई पास रोड से जोड़ने का कार्य।
50	से०–11 में टीचर्स कालोनी व प्लाटों की पार्केट सं०–पी–1, 2 व 3 के मध्य सड़क व पार्कों का निर्माण।
51	से०–12 में प्लटों व वाटर व सीवर कनेक्शन का कार्य।
52	से०–12 में भवनों का वाटर सीवर कनेक्शन का कार्य।
53	से०–11 में 376 ई० डब्लू० एस० भवनों के मध्य विकास कार्य।
54	से०–12 में डिस्ट्रीक सेन्टर बाउन्ड्री वाल का निर्माण कार्य।
55	से०–12 में 228 एम० आई० जी० चार मंजिले भवनों का निर्माण कार्य।
56	से०–12 में 96 एम० आई० जी० चार मंजिले भवनों का निर्माण कार्य।
57	से०–12 में 96 तदैव
58	से०–12 में एम० आई० जी दो मंजिले भवनों का निर्माण कार्य। (49 से 58 तक की योनायें प्रताप बिहार से संबंधित हैं)
59	स्टार्म वाटर ड्रेन से०–12–प्रताप बिहार का निर्माण कार्य।
60	से०–12 प्रताप बिहार प्लाटों के सीवर, वाटर कनेक्शन का कार्य।
61	ग्राम मकनपुर का बाह्य विद्युतीकरण।
62	कौशाम्बी योजना में 11 के वी फीडर से पी ए सी रोड पर पेट्रोल पम्प तथा सीवरेज पम्पिंग स्टेशन के लिए बाह्य विद्युतीकरण।
63	से० 12 प्रताप बिहार में भवनों में सीवर, वाटर कनेक्शन का कार्य।

नत्थी 'घ'

(देखिये अना० प्र० सं० 113 का उत्तर पीछे पृष्ठ 90 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के द्वितीय शुक्रवार हेतु निर्धारित सर्वश्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया एवं रवीन्द्र प्रताप मल्ल के अतारांकित प्रश्न संख्या 113 का संलग्नक।

ओबरा परियोजना में कार्यरत वेल्डरों की "अनंतिम वरिष्ठता सूची" की अद्यतन स्थिति

क्र०सं०	नाम एवं पिता का नाम	वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	आई०टी०आई उत्तीर्ण है अथवा नहीं	वेतनी का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
	सामान्य अभ्यर्थी सर्वश्री				
1	इन्द्र जीत शर्मा पुत्र श्री पी० एन० चौधरी	14-09-65	आई०टी० आई	ओटीओ तथा एमएमसी II	
2	शिव नाथ पुत्र श्री महंगू राम	20-09-65		एचपीएमसी	
3	बी०एम०एल०अग्निहोत्री पुत्र श्री जी०सी०एल० अग्निहोत्री	16-10-65	आई०टी० आई०	एसई-II	
4	डूँगर सिंह पुत्र श्री बैजनाथ सिंह	10-03-67	आई०टी० आई०	एचपीएमसी	
5	शिराज अहमद पुत्र श्री कलमुद्दीन	01-05-68		एस०ई० -II	
6	विक्रमा गिरि पुत्र श्री राजा गिरि	01-04-69		एस०ई०-I	
7	सलिल राम पाठक पुत्र श्री एल०पी०पाठक	01-04-69	--	एस०ई०-I	
8	रामधार सिंह पुत्र श्री नर सिंह	23-12-69		सी०एफ०सी०	

सत्यमेव जयते

1	2	3	4	5	6
9	बी०एन०शर्मा पुत्र श्री एस०आर० विश्वकर्मा	01-06-70	आई०टी० आई०	सी०एफ०सी०	
10	पी०वी०नायर पुत्र श्री ले०पी०नायर	27-07-70	-	एस ई-4	
11	विश्वामित्र पुत्र श्री भुवन प्रसाद	01-03-71	-	सी०एफ०सी०	
12	भीम सेन विश्वकर्मा पुत्र श्री टी०डी० विश्वकर्मा	21-03-73	-	ओटीओ एण्ड एमएमसी-11	
13	हरिद्वार राम पुत्र श्री राम सुरत राम	07-07-86	-	एसई 4	
14	अकबर अली पुत्र श्री जहांरुल्लाह	28-4-87	-	एसई-4	
15	आलिम अली पुत्र श्री गुलाम रसूल	14-05-87	-	एन०पी०एस०सी०	
16	उदित राम पुत्र श्री मंगल राम	01-01-88	-	सीएफसी	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता०प्र०सं० 114 का उत्तर पीछे पृष्ठ 241 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के द्वितीय शुक्रवार के लिये निर्धारित श्री वासुदेव सिंह के अता०प्र०संख्या -114 का संलग्नक।

वेतन समिति के समक्ष सुझाव/प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने वाली यूनियनों/संघों की सूचीः-

1—हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्प्लाइज यूनियन।
2—केसा इन्स्पेक्टर संगठन।
3—कानपुर बिजली मजदूर सभा।
4—स्टेनोग्राफर्स एसोसियेशन (हाइडिल विंग)
5—बिजली मजदूर यूनियन।
6—हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्प्लाइज यूनियन।
7—उ०प्र० मजदूर संघ।
8—यू०पी० राज्य विद्युत परिषद् कर्मचारी संघ।
9—उ०प्र० विद्युत स्टोर्स कर्मचारी संघ।
10—उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् लेखाधिकारी संघ।
11—उत्तराखण्ड विद्युत कर्मचारी संगठन।
12—राज्य विद्युत परिषद् प्राविधिक कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश।
13—हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्प्लाइज यूनियन।
14—उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद्, जूनियर इंजीनियर्स क्वालीफाइड संगठन।
15—डिप्लोमा कला कर्मचारी संघ।
16—विद्युत प्राविधिक कला कर्मचारी संघ।
17—जूनियर इंजीनियर्स संगठन।
18—विद्युत कर्मचारी लेखा संघ।
19—विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन।
20—उ०प्र० बिजली कर्मचारी संघ।
21—विद्युत कार्यालय कार्मिक संघ।
22—उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ।
23—विद्युत कर्मचारी लेखा संघ।
24—विद्युत पेंशनर्स परिषद्।
25—पावर इंजीनियर्स संघ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये अता०प्र०सं०122 का उत्तर पीछे पृष्ठ 96 पर)

संख्या 2798/9-आ-5-93-8 सिम/86

प्रेषक,

रवीन्द्र शंकर माथुर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 16 जून, 1995

विषय :–विकास प्राधिकरण की किराये पर उठी अमिव्ययी सम्पत्तियों का निस्तारण।

महोदय,

आवास अनुभाग–1 उपर्युक्त विषय पर मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 41 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन समस्त विकास प्राधिकरणों को यह निदेश देते हैं कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा बनवाई गई और किराये पर उठायी गयी सम्पत्तियाँ जो बाद में विकास प्राधिकरण के गठन पर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित हुई अथवा विकास प्राधिकरण द्वारा बनवाई गई और किराये पर उठाई गई, निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निस्तारित करने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं :–

(1) मूल्य निर्धारण (अप्रशियेटेड वैल्यू आफ लैण्ड एण्ड डेप्रियेटेड वैल्यू आफ हाऊस (भूमि का वर्तमान मूल्य भवन की वर्तमान लागत भवन पुराना होने के कारण डेप्रिशियेशन) वर्तमान मूल के आधार पर निर्धारित होगा अर्थात भूमि का वर्तमान मूल और भवन की वर्तमान लागत में से भवन पुराना होने के कारण ह्रास कम करके अमितव्ययी सम्पत्तियों का विक्रय मूल्य निर्धारित होगा। ह्रास लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रतिपादित मापदण्डों के आधार पर सुनिश्चित होगा एवं

मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया में विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग से मूल्यांकन अवश्य करवायेंगे ताकि एक ही स्थान पर पालिका एवं प्राधिकरण की सम्पत्तियों के निस्तारण में बहुत अलग-अलग मूल्य न आये। ऐसे मूल्य निर्धारण पर मण्डलायुक्त का भी अनुमोदन आवश्यक होगा।

(2) रास्ते व जीनों के भाग को छोड़कर भवन/फ्लैट से संलग्न भूमि नीचे के क्रेताओं को लीज होल्ड के आधार पर दी जायेगी। पट्टे का नवीनीकरण 30 वर्ष तक ग्राउण्ड रेन्ट की सामान्य शर्तों के आधार पर किया जायेगा, लेकिन लीज की शर्तें तय करते समय ऊपरी मंजिल के स्वामियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जायेगा और भवन से आच्छादित भूमि का प्रीमियम अनुपालिक रूप से सभी क्रेताओं से किया जायेगा एक मंजिले भवनों पर यह फार्मूला लागू नहीं होगा।

(3) भूमि के लिये बाजार मूल्य अधिकतम दर होगी। भूमि का बाजार मूल्य वही माना जायेगा जो कलेक्टर द्वारा उस क्षेत्र के लिए स्टैम्प डियूटी के लिये निर्धारित होगा।

(4) भवन क्रय मूल्य का एक मुश्त भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। अल्प अवधि की किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जा सकती है, किन्तु उसमें छूट नहीं होगी और किश्तों के भुगतान में वितथ पर प्रचलित दर पर व्याज लिया जायेगा।

(5) सभी वन "जैसे हैं जहां हैं" के सिद्धान्त पर बेचे जायेंगे।

(6) सहकारी आवास समितियों को भवन नहीं बेचे जायेंगे।

(7) प्रश्नगत भवनों के वर्तमान किरायेदारों को भवन क्रय करने के लिये प्राधिकरण द्वारा एक नोटिस दी जायेगी, जिसके उत्तर में प्रत्येक किरायेदार को नोटिस के दिनांक से 90 दिन के भीतर भवन क्रय करने हेतु लिखित इच्छा प्राधिकरण को प्रस्तुत करनी होगी। यदि 90 दिन की निर्धारित अवधि के भीतर भवन का किरायेदार निर्धारित शर्तों के अनुसार भवन क्रय करने हेतु अपनी लिखित सहमति नहीं देता है, तो उसे दिया गया विकल्प स्वतः समाप्त हो जायेगा और विकास प्राधिकरण इस भवन को किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से उच्चतम बोली पर विक्रय कर सकता है।

(8) जिन भवनों पर अनधिकृत कब्जे हैं, उनके संबंध में अनधिकृत रूप से (मूल आवंटी को छोड़कर सभी व्यक्ति) भवन में निवास करने वाले व्यक्ति को भवन के क्रय करने के संबंध में कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसे व्यक्तियों की एक सूची बनाई जायेगी। भवन विकास प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से उच्चतम

बोली बोलने वाले को दिया जायेगा। नीलामी में अनधिकृत रूप से भवन में रहने वाले व्यक्ति (अर्थात् मूल आवंटी को छोड़कर सभी व्यक्ति भी भाग ले सकेंगे। ऐसे अनधिकृत कब्जेदारों) अर्थात मूल आवंटियों को छोड़कर सभी व्यक्ति भी भाग ले सकेंगे। ऐसे अनधिकृत कब्जेदारों (अर्थात् आवंटियों को छोड़कर सभी व्यक्ति) को भवन क्रय करने के संबंध में स्वतः कोई अधिकार नहीं होगा।

(9) भवन के विक्रय के बाद क्रय करने वाला व्यक्ति भवन में कोई भी निर्माण विकास प्राधिकरण के नियम/नियमावलियों/बाईलाज के अधीन ही अनुमति प्राप्त कर, कर सकेगा। बिना अनुमति के प्रश्नगत भवन में किसी भी प्रकार का कोई निर्माण अनधिकृत होगा।

(10) भवन क्रेता पालिका करों (शुल्कों व अन्य देयकों) के लिये उत्तरदायी होगा।

(11) बेचे गये भवन यथासम्भव वर्तमान स्थिति में ही रखे जायेंगे। प्राधिकरण और भवन के सहः स्वामियों की अनापत्ति पर पट्टे की भूमि पर निर्माण उक्त शर्त 9 के अधीन किये जा सकते हैं, किन्तु ऊपरी मंजिल की छत पर कोई स्थायी निर्माण नहीं किया जा सकेगा।

(12) उल्लिखित सम्पत्तियों के विक्रय से प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि एक अलग निधि में जमा की जायेगी। उस निधि से भवनों के निर्माण हेतु लिये गये ऋणों के प्रतिदान व ब्याज भुगतान पर व्यय किया जायेगा और शेष धनराशि समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग को अधिक से अधिक भवनों की सुविध प्रदान करने में व्यय की जायेगी।

2- ऐसी अमितव्ययी सम्पत्तियों का चिन्हांकन कर उनके संबंध में पूरा विवरण तैयार किया जायेगा और शासन को भी इस प्रकार तैयार किये गये विवरण से अवगत कराया जायेगा। इस संबंध में इस प्रकार निस्तारण हेतु चिन्हांकित सम्पत्तियों का पूरा विवरण एवं प्रस्ताव उक्त सिद्धान्तों के आधार पर तैयार कर प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

3-अतः अनुरोध है कि उक्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन विकास प्राधिकरण की अमितव्ययी सम्पत्तियों के आवासीय भवनों के निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

ह०/- **रवीन्द्र शंकर माथुर**

प्रमुख सचिव।